'रुपया'

मूल्य का मापक

या

शोषण का साधन ?

लेखक

घनश्याम वर्मा 'आचार्य'

सह-लेखक

देवेंद्र बल्हारा 'निडर'

‘रुपया’ मूल्य का मापक या शोषण का साधन ?

लेखक

घनश्याम वर्मा ‘आचार्य’

सह-लेखक

देवेंद्र बल्हारा ‘निडर’

सप्तऋषि पब्लिकेशन,
चण्डीगढ़

'RUPIYA' Mulya ka Maapak ya Shoshan ka Sadhan?

by

Ghanshyam Verma 'Acharya'

Bhatni, Distt. Deoria, U.P.

E-mail: ghanshyamverma01995@gmail.com

Co-Auhtor:

Devender Balhara 'NIDER'

Phaphrana (Karnal), Haryana

E-mail: drdev.nider@gmail.com

ISBN: 978-81-978908-7-1

First Edition: 2024

Second Edition: 2025

© Author

इस शोध ग्रन्थ का सर्वाधिकार लेखक के अधीन है

Published by

Saptrishi Publication

Plot No.25/6, Industrial Area, Phase-2,

Near Tribune Chowk, Chandigarh.

E-mail: sapatrishi94@gmail.com

94638-36591,77174-65715

All rights reserved. No part of this book maybe reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Author.

Visitusat:www.saptrishipublication.com

Printed at S.R. Printers

बाबा जय गुरूदेव जी महाराज का संदेश

अंग्रेजो का राज था, न्याय होता था। उसके अर्न्तगत रहते थे। ये सब परेशानी नहीं थी । न्याय मिलता था। इतने झगड़े नहीं थे। इतनी चोरी नहीं थी। इस तरह की बेईमानी नहीं थी। ये कुछ नहीं था। बड़ी सस्ती थी। चांदी का एक रुपया था, फिर धोखा हो गया। उसी में हम ऐसे रास्ते चले गए। हमारे घर की शान्ति चली गयी। हमारे भाइयों की शान्ति चली गयी। हमारे बच्चों की शान्ति चली गयी। हमारे समाज की शान्ति चली गई। हमारे देश की शान्ति, ये सब का सब खत्म हो गयी।

असम के सन्देश

(06-03-1986)

नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की घोषणा

21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में स्वर्णिम दिन माना जाएगा। पूर्वी एशिया के समस्त भागों के भारतीय स्वतंत्रता लीग के प्रतिनिधि सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार की स्थापना की ऐतिहासिक घोषणा सुनने के लिए एकत्रित हुए खचाखच भरे हाल में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने घोषणा में कहा कि ' अस्थाई सरकार का यह कार्य होगा कि वह भारत से अंग्रेज़ो और उनके मित्रों को निस्कासित करे। अस्थाई सरकार का यह भी कर्तव्य होगा कि भारतीयों की इच्छानुकूल और उनके विश्वास की आजाद हिंद की स्थाई सरकार का निर्माण करें।

नेता जी द्वारा घोषणा का प्रेरणापूर्ण अपील के साथ समापन हुआ - " ईश्वर के नाम पर, पूर्वजों के नाम पर जिन्होंने भारतीयों को एक सूत्र में बांधकर एक राष्ट्र बनाया, उन स्वर्गवासी वीरों के नाम पर जिन्होंने शौर्य एवम आत्म बलिदान की परम्परा बनाई, हम भारतवासियों से देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने और भारतीय झंडे के नीचे आने का आह्वान करते हैं।"

यह घोषणा आजाद हिंद सरकार की ओर से निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित थी -

सुभाष चन्द्र बोस (राज्याध्यक्ष, प्रधानमंत्री,युद्ध एवम विदेश मंत्री)

कप्तान श्रीमती लक्ष्मी (महिला संगठन)

एम.ए.अय्यर (प्रचार एवम प्रसारण)

लै. कर्नल ए.सी.चटर्जी (वित्त)

लै. कर्नल अजीज़ अहमद, लै. कर्नल एन.एस.भगत, लै. कर्नल जे.के.भोंसले, लै. कर्नल गुलजार सिंह, लै. कर्नल एम.जेड. कियानी, लै. कर्नल ए.डी.लोगनादन, लै. कर्नल एहसान कादिर, लै. कर्नल शाहनवाज (सशस्त्र सेना के प्रतिनिधि), ए.एम. सहायक सचिव (मंत्री स्तर), रासबिहारी बोस (उच्चतम परामर्शदाता), करीम गनी, देवनाथ दास, डी.एम. खान, ए. यलप्पा, जे. थीवी, सरदार इशर सिंह (परामर्शदाता), ए. एन. सरकार (कानूनी सलाहकार)

विनोबा भावे जी के विचार

6 अगस्त 1948 को राजघाट पर अपने वक्तव्य में विनोबा कहते हैं— "पैसे (करेंसी) की कीमत रोज बदलती रहती है। वह पैसा पक्की बात क्या कर सकता है। वह तो लफंगा है। जो आज एक बात कहता है , कल दूसरी कहता है, और परसों तीसरी। उसी को हम लफंगा कहते हैं न ? वही पैसे की हालत है। उसी पैसे को हमने अपना कारोबारी बना लिया है। इसी से हमारी सरकार घाटे में आ गई है और लोग भी तंग हो रहे हैं। पैसे की असली कीमत तो कोई है ही नहीं। इसलिए इसकी कीमत चढ़ा और उतरा करती है (इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन)। अनाज की (वास्तिवक) कीमत तो न चढ़ती है न उतरती है। उसकी पोषकशिक्त में ही कमी-बेशी हो तो दूसरी बात है। लेकिन वैसा कम होता है।" (शांति यात्रा, विनोबा, पृष्ठ-141)

आगे एक अन्य स्थान पर भी वे करेंसी को लफंगा करार देते हुए कहते हैं— "रुपया तो लफंगा है। कभी कहता है रुपये में 4 सेर जवारी, कभी कहता है रुपये में 2 सेर जवारी। और ऐसे लफंगे को हमने अपना कारभारी (प्रबंधक) बनाया हुआ है। इसलिए हमारा जीवन भी वैसा ही बन गया है। आजकल हमारे देहातों का जीवन भी कांचन लोभ के कारण परावलंबी और दुःखी बन गया है। अन्न को छोड़कर जीवन की दूसरी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए देहातियों को भी रुपये की जरूरत होने लगी है। और रुपया प्राप्त करने का एकमात्र साधन है अनाज। वह उनको शहरों में लाचारी से मुंहमागें भाव बेचना पड़ता है। देहाती लोग अगर अपने जीवन की मुख्य जरूरतें अपने देहातों में ही पूरी करेंगे तो लफंगे रुपये की गुलामी से वे मुक्त होंगे।" (विनोबा समग्र साहित्य, खं ड-15, भाग-1, पृष्ठ-19-20)

डा0 भीमराव अम्बेडकर जी के विचार

26 जनवरी, 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हम समानता प्राप्त करेंगे और हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक आदमी एक वोट, एक वोट एक कीमत के सिद्धांत को पाने जा रहे है। हम सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में अपने सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के अंतर्गत एक आदमी, एक कीमत के सिद्धांत को अस्वीकार करते रहेंगे।

प्रतिरोधों के इस जीवन को हम कब तक वहन करते रहेंगे? हम अपने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे?

अगर यह असमानता की स्थिति लगातार बनी रही तो राजनैतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। जितनी जल्दी हो सके इस अंतर्विरोध को खत्म करना होगा, वरना वे लोग जो इस असमानता को भोग रहे हैं, राजनैतिक लोकतंत्र के ढांचे का जिसे संविधान सभा ने बड़ी मेहनत से बनाया है, उड़ाकर रख देंगे।

25 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दिए गए भाषण से उद्धृत।

राजीव दीक्षित जी के विचार

जिस सिस्टम को हम चला रहे हैं वो सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया था लूटने के लिए, गरीबी पैदा करने के लिए, भूखमरी पैदा करने के लिए।

हम दुर्भाग्य से वही सिस्टम चला रहे हैं जो अंग्रेज हमें देकर गये थे। जिसको हम Parliamentary Democratic System कहते हैं। यह अंग्रजों की देन है हमें। हमने अपने देश में इसका इन्वेंशन नहीं किया।

अंग्रेजों ने ये सिस्टम जो बनाया जिसको हम Parliamentary Democratic System कहते हैं। ना तो वो पार्लियामेंट्री ना वो डेमोक्रटिक है। वो हंड्रेड एण्ड वन पर्सेंट Aristocratic System है।

कुछ बातें.................आभार

.................आभार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द ना होते हुए भी आप सभी का सदैव ऋणी रहूँगा

सर्वप्रथम मैं ईश्वर को बारंबार प्रणाम करने के उपरांत अपने स्व. माता-पिता का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिनके आशीर्वाद से ही यह ग्रन्थ पूर्ण हो सका है।

मेरे समस्त परिवार का आभार, विशेष रूप से मेरी अर्द्धांगिनी श्रीमती निर्मला देवी जी, पुत्र विनय कुमार वर्मा, पुत्री ज्योति वर्मा, सभ्या वर्मा, शालिनी वर्मा का, जिन्होंने हमें इस खोज तथा लेखन में पूर्ण सहयोग, प्रेरणा एवम् मार्गदर्शन प्रदान किया।

राम और भरत सरीखे मेरे भाईयों का विशेष आभार। छोटे भाई संतोष वर्मा को बहुत-बहुत आभार।

देशभक्त साथियों!

चूँकि मैं कोई लेखक नहीं हूँ, अतः पुस्तक में भाषा की त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूं। इस पुस्तक को मैं वर्षो चली खोज की तपस्या से प्रसन्न उस प्रभु की कृपा रूपी प्रसाद मानता हूं।

रुपए के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों से हो रही लूटपाट, शोषण तथा इसके दुष्परिणाम ने हमें लेखन के लिए विवश कर दिया। जिससे हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भारत के किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, अधिकारियों की तथाकथित रुपए से हो रही शोषण को तथ्यों, उदाहरण और दस्तावेजी प्रमाण के साथ प्रकाशित कर रहे हैं। आपको यह खोजी ग्रंथ कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें।

मैं अपने उन सभी मित्रों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस " रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन?" के अनुसंधान में हमारा सहयोग किया और आज भी तन, मन, धन से भारत भक्ति में लगे हैं।

हम विशेष रूप से अपने मित्र 'अर्थशास्त्री' संजीव शर्मा जी का आभार प्रकट करता हूं, जिनके प्रयास से भारत के अनेक विद्वानों, संत-महात्माओं तथा देशभक्त संगठन प्रमुखों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

भारत के समस्त प्रांतों में भारत की सेवा में समर्पित "जनता सरकार मोर्चा" के समस्त कार्यकर्ताओं सहित देवेंद्र बल्हारा जी की कर्मठता, विद्वता तथा भारत भक्ति ने इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए विवश कर दिया।आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं।

ईश्वर से प्रार्थना है कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, राजीव दीक्षित, भगत सिंह, उधम सिंह आदि देशभक्तों की "व्यवस्था परिवर्तन" करके भारत को सम्पूर्ण आजादी प्राप्त करने की जो मनोकामना थी, उस अधूरे कार्य को पूरा करने निकले डा. देवेंद्र बल्हारा एवम् 'जनता सरकार मोर्चा' के देशभक्त कार्यकर्ताओं को ईश्वर इतनी शक्ति दें कि यह शहीदों की अंतिम इच्छा "व्यवस्था परिवर्तन" के कार्य को पूर्ण कर सकें।

आभार...........

घनश्याम वर्मा

प्रस्तावना

भारत भक्ति अर्थात भारत की सेवा का नाम ही योग है। भारत की सेवा बिना सत्यानुभूति संभव नहीं है। यही सेवा सृष्टि चक्र को चला रही, सकाम होने पर सगुण ब्रह्म है, और निष्काम होने पर परम ब्रह्म है। अपने विविध रूपों में पालन, सृजन, रक्षा करती सेवा, कर्म क्षेत्र में कर्तव्य एवम दायित्व का निर्वाह करती सेवक है। भारत की सेवा में चरण पादुका को मांजते, चमकाते, मरम्मत करते रविदास की कठौती में गंगा बहती थी, जिसमे गोता लगाती जनता ने अस्पृश्यता के बाड़े को तोड़ डाला था। मोची को सतगुरु कहते हुए, जमाने को कदमों में झुकना पड़ा। काशी के विद्वानों के बीच बैठ कर, वैचारिक क्रान्ति (ज्ञान युद्ध) का सूत्रपात करते, अनपढ़ कबीर की सेवा ने भारत केसरी ही नहीं बनाया बल्कि करगह चलाते जुलाहे को गुरुदेव कहते हुए, जमाने को माथा टेकना पड़ा। भारत की सेवा में भिक्षुक बना अशोक सम्राट से महान बन गया, तो मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि मिली। श्री कृष्ण सारथी बन कर, भगौड़े अर्जुन को क्षत्रियत्व का बोध कराते, भारत की सेवा में अपने पिता, पितामह, गुरु, बंधु-बांधवों के वध को ही मुक्तिद्वार, भक्तियोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग बताते, श्री कृष्ण को अहंकारी (कौरवपक्ष) ग्वाला कहते, खिल्लियां उड़ाते थे। कुरुक्षेत्र में भीष्म के प्रदर्शन को देखकर, भयभीत पांडवदल पलायनवादी हो गया। किंकर्तव्यविमुढ़ अर्जुन का गांडीव बेकाम हो गया। अहंकारवाद की जय-जयकार होने लगी। तब भारत की सेवा में समर्पित, हथियार न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता, द्वापर का ग्वाला सुदर्शन चक्र लेकर मैदान में कूद पड़ा। चारों खाने चित्त अहंकारवादियों के सरगना भीष्म को ही नहीं, बल्कि जमाने को भी ग्वाले को योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हुए माथा टेकना पड़ा था।

भारत की सम्पदा लूटकर भारत भक्तों का खून पी-पीकर अट्टहास भरते अंग्रेजों से लड़ना, सूली पर चढ़ने के समान था। उन्हीं अंग्रेजों का दरबार करते तथाकथित नेता, आजादी की भीख मांग रहे थे। ऐसी बेला में भारत के सेवक खुदीराम बोस, भगत सिंह, उधम सिंह इत्यादि भारत भक्तों ने अपनी समाधि फांसी के फंदे पर लगाई। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के आह्वान पर महादानी दधीचि की तरह जर्मन से जापान तक समाधि लगाते शहीदों ने स्वाधीनता संग्राम के महायज्ञ में पूर्णाहुति अपना खून देकर की। तब अंग्रेज भागे और तथाकथित आजादी मिली।

भारत को विदेशों में बंधक रखकर, कर्ज पर कर्ज की खेपें लाते, घोटाले पर घोटाले करते, कर्ज की रकम डकारते, मूल्य की मापक 'रुपए' के सैद्धांतिक मानक 1.166 ग्राम एवम् विधि मान्य मानक 777 मिलीग्राम स्वर्ण प्रति रुपए मात्रा को लूट-पाट करते-कराते, रुपए के मानक (Standard) को ही खत्म करते, बैंक नोटों के "प्रतिभूति"(Guarantee) को "समर्थन" के रूप में कहते, गवर्नर के वचन-खण्ड को गैरकानूनी तरीके से कूटकरण कर, वचन-खण्ड को बदलते, भारत में आर्थिक अस्थिरता फैलाते, भारत की जनता का सर्वांगीण शोषण करते, अकूत धन विदेशी बैंको में भरते, तथाकथित सरकारों के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा मंत्री हैं- कर्जखोर और दिवालिया

(Defaulter), न कि भारत के किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी और जनता। उनकी भ्रष्ट व्यवस्था में दिवालिया हो गई सारी योजनाएं, परियोजनाएं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले चली गई।

इस तरह भ्रष्ट नेताओं ने भारत को कर्ज के भंवरजाल में फंसाकर, अपनें छल-कपट, धोखे को पूंजीनिवेश के बहाने छिपाते हुए देश को पुनः गुलामी में झोंक रहे हैं। इससे सिद्ध होता है यह भ्रष्ट नेता बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बैंको के एजेंट (दलाल) हैं। जो अवैध रुपए के बदले कर्जदारों के वैध संपत्तियों की जब्ती, गिरफ्तारी और नीलामी कर रहे हैं। वास्तव में संविधान का गला घोंट रहे हैं। सच कहूं तो कर्जदारों की गिरफ्तारी, असल में अपहरण है, और नीलामी हल्ला-बोल डकैती समान राष्ट्रीय महा अपराध (देशद्रोह) है, जिसे करने वाले, करवाने वाले राष्ट्रीय महा अपराधी राष्ट्रद्रोही हैं। इन्ही देशद्रोहियों से देश के लूटे गए धन की वसूली (रिकवरी) करना और करवाना ही असल देशभक्ति है।

उत्पादन का स्रोत खेत-खलिहानों, उद्योग-धंधों और योजनाओं-परियोजनाओं में कर्मयोग रमाते, कर्मयोगी किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, सभी जैविक संसाधनों के उत्पादनकर्ता, अन्नदाता, प्राणदाता, जीवनदाता हैं। सार्वभौम सत्य, गणित, नियम, अधिनियम, सत्य-तथ्यों, दस्तावेजों से प्रमाणित हो गया है कि उत्पादन बढ़ा है, वस्तुएं सस्ती हुई है, किंतु छल-कपट कर गैरकानूनी तरीके से रुपए का मानक परिमाण घटाकर (कूटकरण) अर्थात मुद्रा स्फीति अवमूल्यन से किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, कर्मचारियों और कर्जदारों की निरंतर घटती क्रय शक्ति शून्य की ओर अग्रसर होने से बढ़ती जा रही महंगाई जानलेवा होती जा रही है। असल कर्मयोगी भी नंगे और भूखे होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हैं एवम् घुट-घुट कर दम तोड़ते जा रहे हैं, और उनका खून पी-पीकर यह अपराधी राष्ट्रद्रोही अरबपति से पदमपति होते जा रहे हैं।

हे कर्मयोगी तुम्हारे कोटि-कोटि हाथ जो पालनहार, सृजनहार हैं, अवैध रुपया और डालर के धनात्मक शोषण से तुम्हें रोजी रोटी नहीं दे सके, तो क्या जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई को चूस-चूसकर पानी की तरह बहा रही कार्यपालिका, विधायिका और तथाकथित अवतारों के छूमंतर से क्या रोजी रोटी मिल जाएगी ? कर्मयोग से नहीं ? क्या कभी, किसी युग में ऐसा हुआ है, जो अब संभव होगा ? हे कर्मयोगी तुम्हारे कथित सेवक, रक्षक से भक्षक बनकर, तुम्हें लूट रहे हैं और विदेशियों से तुम्हें लुटवा भी रहे हैं।

हे कर्मयोगियों! तथाकथित नेताओं द्वारा आर्थिक और मानसिक गुलामी की जंजीरों में तुम्हे जकड़ दिया गया है। शहीदों के मंदिर, भारत के भगवान किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी आदि कर्मयोगियों की आर्थिक, मानसिक गुलामी की मुक्ति की युक्ति का केवल एक ही विकल्प है- वैचारिक महासंग्राम। इसी ज्ञानयुद्ध से अब देशवासियों की कर्जमुक्ति और रोजी-रोटी संभव है।

कोटि-कोटि भुजाओं वाले, हे कर्मयोगी! तुम ही भूपाल, महिपाल, स्वयं सम्राट भारत हो। तुम ही सर्व-समर्थ, तुम ही नियामक, नियंता प्रभु श्री राम हो, श्री कृष्ण के रूप हो। शहीदों के इष्टदेव भी तुम ही हो। तुम्हारी सेवा में शहीद हुए, शहीदों की समाधि पर जमाने को माथा टेकना पड़ा है। तुम्हारी सेवा से ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शहीदी पथ के पथिक, तुम्हारी सेवा के व्रतधारी हम तुच्छ सेवक तुम्हारे चरणों में शीष झुकाते कोटि-कोटि प्रणाम कर रहे हैं।

घनश्याम वर्मा

अनुक्रमणिका

- भारतीय मुद्रा 'रुपया' का इतिहास 19
- वैध मुद्रा का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है- वित्त मंत्रालय भारत सरकार 20
- भारतीय रुपया- 20
- अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैद्धान्तिक मौद्रिक प्रणाली का अन्त 21
- रुपया में सोना की मात्रा (मानक) ही रुपया है- 22
- कूटकरण का इतिहास -रेगुलेशन एवं एक्ट (कानून) द्वारा शोषण लूट-पाट 23
- ब्रिटिश शासन द्वारा शोषण लूट-पाट 25
- ब्रिटिश इण्डिया संसद द्वारा भारतीय सिक्का अधिनियम-1906 पारित 27
- भारत को लूटने के लिए भयानक षडयंत्र 28
- अर्थशास्त्री डॉ भीमराव अम्बेडकर एवं अनर्थशास्त्री प्रो. केन्स की टक्कर 29
- ब्रिटिश शासन द्वारा भारत की लाखों टन सोना की लूट-पाट 31
- भारत की तबाही, बर्बादी के लिए हिल्टन यंग आयोग द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना 34
- 'सूचना का अधिकार' के अन्तर्गत रिजर्व बैंक की गोल-माल, रद्दो-बदल सामने आया 35
- 'सूचना का अधिकार अधिनियम' द्वारा पकड़ा गया रिजर्व बैंक की झूठ एवं रद्दो-बदल 39
- रिजर्व बैंक द्वारा आर. टी. आई. के उत्तर में रद्दो-बदल कर दिया गया- उत्तर 40
- राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का सम्मान या अपमान ? 43
- भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कूटकरण अपराध 44
- चाँदी के सिक्का, रुपया का प्रथम कूटकरण-1940 44
- आर्जी हुकूमत-ए-आजाद हिन्द का सैद्धांतिक भारतीय रुपया 45
- वैध सरकार 'आर्जी हुकूमत-ए-आजाद हिन्द' की वैध रुपया आज भी बन्द नहीं 47
- नेता जी की शौर्य गाथा को जनता से छिपाया 48
- आजाद हिन्द करेंसी 50

- किसानों, मजदूरों के लूट-पाट एवं शोषण का रहस्यमय जाल 51
- सन् 1970 और सन् 2024 में मजदूर की मजदूरी का तुलनात्मक विश्लेषण 56
- मुद्रा 'रुपया' कहाँ बनाया या छापा जाता है ? 57
- कृषि (खेत-खलिहान) सम्पदा 58
- प्रकृति द्वारा प्रदत्त सम्पदा 58
- औद्योगिक प्रतिष्ठान सम्पदा 59
- भारत में शोषण के प्रमुख हथियार, बैंकिंग, ब्याज और मुद्रा बाजार-बैंकिंग द्वारा लूट-पाट, शोषण 60
- ब्याज द्वारा लूट-पाट एवं शोषण 62
- मुद्रा का मूल्य किसे कहते है ? 64
- अवैध मुद्रा बाजार आर्थिक आतंकवादियों का जमघट 67
- धातु के रूप में सोने की मात्रा, मुद्रा (रुपया) का प्राण 69
- विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जवाब दे 70
- मुद्रा प्रणाली 'मानिटरी सिस्टम' असंवैधानिक 73
- रुपया पर एक परिचर्चा 74
- आयात-निर्यात में शोषण का गणितीय आँकड़ा 77
- भारत में व्यक्ति या विधि का शासन 80
- लूटपाट, शोषण की कहानी 'रुपया' सिक्कों और आँकड़ों की जुबानी 82
- सैद्धान्तिक 'भारतीय रुपया' मुगलकाल 83
- कूटकृत 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी रुपया' ईस्ट इण्डिया कम्पनी काल सन् 1818-1862 84
- कूटकृत 'गवर्नमेंट रुपया' ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेंट काल 85
- ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेंट द्वारा पेपर करेंसी एक्ट, 1882 लागू एक्ट, XX ऑफ 1882 87
- ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेंट द्वारा 'भारतीय सिक्का अधिनियम' एक्ट, III ऑफ 1906 भारत के संसद में पारित 87
- ब्रिटिश 'रॉयल कमीशन' या 'हिल्टन यंग आयोग' के सुझाव पर भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना 88
- विभिन्न प्रकार की करेंसी देने की बाध्यता धारा-39 के शब्दों में 90
- ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 'गवर्नमेंट रुपया' का प्रथम कूटकरण 91

- आजाद हिन्द सरकार का सैद्धान्तिक वैध रुपया जारी, सन् 1944 91
- चाँदी का 'गवर्नमेंट रुपया' बन्द, सन् 1947 93
- ब्रिटिश इण्डिया 'गवर्नमेंट रुपये' का पुनः कूटकरण- 1966 93
- रिजर्व बैंक द्वारा जनता के साथ छल, कपट, धोखाधड़ी- सन् 1968 93
- ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेंट द्वारा 'गवर्नमेंट रुपया' का पुनः कुटकरण-1991 95
- अमेरिका की मुद्रा 'डालर' वैध या अवैध? 95
- रुपया के सिक्कों के मानक (स्टैन्र्डड) एवं मानक मूल्य का दस्तावेज 98
- पेपर करेंसी, बैंक नोटों का मानक (स्टैन्र्डड) एवं मानक मूल्य का दस्तावेज 99
- भारत के विकास दर के आंकड़े 126
- 'सूचना का अधिकार अधिनियम-2005' के अन्तर्गत भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये सूचना, प्रश्न-उत्तर 135
- आर टी आई रिजर्व बैंक दिनांक 19.06.2015 136
- आर टी आई वित्त मंत्री भारत सरकार दिनांक 19.06.2015 146
- आर टी आई रिजर्व बैंक दिनांक 15.07.2015 149
- आर टी आई वित्त मंत्री भारत सरकार दिनांक 20.07.2015 156
- आर टी आई रिजर्व बैंक दिनांक 26.10.2015 159
- आर टी आई रिजर्व बैंक दिनांक 22.02.2016 165
- आर टी आई रिजर्व बैंक दिनांक 13.05.2015 170
- आर टी आई रिजर्व बैंक दिनांक 28.09.2017 182
- आर टी आई रिजर्व बैंक दिनांक 07.05.2018 189
- आर टी आई रिजर्व बैंक दिनांक 12.09.2018 193
- आर टी आई वित्त मंत्री भारत सरकार दिनांक 23.09.2020 198
- आर टी आई प्रधानमंत्री भारत सरकार दिनांक 18.01.2023 215
- आर टी आई रिर्जव बैंक दिनांक 25.10.2023 236
- वैदिक कालीन मुद्रा का मानक (स्टेंडर्ड) 239
- प्राचीन भारतीय मुद्रा एवं मानक 240
- मुगल कालीन मोहरों के भार मानक (स्टैंर्डड) एवं मानक मूल्य 241
- रैगुलेशन के मानक (स्टैंर्डड) 1793-1833 तक 242
- एक्ट 1835-1871 तक द्वारा निर्धारित मानक (स्टैंर्डड) एवं मानक मूल्य 252

- पेपर करंसी एक्ट 1882 263
- एक्ट XXII 1899 265
- कायनेज एक्ट 1906 266
- एक्ट VI 1927 269
- रुपए के सिक्के का प्रथम कुटकरण, एक्ट VI 1940 271
- रुपए के सिक्कों का परिवर्तित मानक भार (स्टैंर्डड) ग्रेंस और ग्राम में - कुल भार (वजन) एवं शुध्द चांदी भार (वजन) 273
- सोना सिक्का 'मोहर' का परिवर्तित मानक भार (स्टैंर्डड) ग्रेंस और ग्राम में - कुल भार (वजन) एवं शुध्द सोना भार (वजन) 274
- रुपए के मानक (स्टैंर्डड), मानक मूल्य की इकाईयां, भिन्न शुद्धता, एकरूपता को दर्शाती तालिका 276
- अमरीकन डॉलर एक्ट - 1873 277
- अभिलेखागारों से प्राप्त व अन्य दस्तावेज 281
- संसद में लाया गया रिर्जव बैंक का बिल 283
- स्थापना के समय रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया के कुछ शेयर होल्डर्स की सूची 285
- भारतीय रिर्जव बैंक एक्ट-1934 की एक्ट की मूल प्रस्तावना 289
- मूल एक्ट की धारा-59 के अनुसार प्रति रुपया स्वर्ण मानक जिसे अब निकाल दिया गया है 290
- स्त्रोत - अभिलेखागार, रिर्जव बैंक ऑफ इण्डिया 291
- अखबारों की नजर से.... 316
- प्रति 10 ग्राम सोने का बाजार मूल्य 1950 से 2023 तक 317
- तुलनात्मक मान 318
- सदंर्भ सूची 319
- कूटकरण, ब्याज, लोन द्वारा जनता के धन की योजनाबब्द्ध लूट का सबूतों समेत ऐसा खुलासा कभी न हो पाया 320
- विधिक परामर्श हेतू जनता सरकार मोर्चा के देशभक्त अधिवक्ताओं एवम् अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग हेतू कोटिशः आभार 321
- जनता सरकार मोर्चा एवं अन्य संगठनों के सदस्यों का हृदय से आभार 323

भारतीय मुद्रा 'रुपया' का इतिहास

भारत की आर्थिक दुर्दशा, भारतीय मुद्रा रुपए की गिरती क्रय शक्ति, मुद्रा संकट, कर्ज के जाल में फंसकर किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या ने बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर दिए है, जिसके समाधान हेतु प्रार्थी ने "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" के अंतर्गत भारत सरकार के प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक आदि से भारतीय मुद्रा रुपया एवं विदेशी मुद्रा डालर, पौण्ड से सम्बन्धित प्रश्न किया, जिसके उत्तरों से संतुष्ट न होने पर स्वयं उत्तर ढुढ़ने की खोज में लग गया।

बहुत सारे दस्तावेजों से जिसमें रुपया की वैध निविदा (Legal Tender) देश और दुनिया के बहुत सारे अर्थशास्त्रियों द्वारा रुपए से सम्बन्धित खोज तथा उनके विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि सैकड़ों वर्षों से भारत को अवैध मुद्रा 'रुपए' के द्वारा शोषण किया गया है, शोषण किया जा रहा है, और आगे भी शोषण किया जाता रहेगा।

इस अवैध मुद्रा, रुपया के शोषण ने हमारे संविधान की मूल अवधारणा, हम नागरिकों के संवैधानिक मूल अधिकारों एवं संविधान की धारा-21 जो जीने का अधिकार देती है, उन सभी को खत्म कर दिया है।

अवैध रुपए के शोषण से विवश होकर किसानों द्वारा या कर्जदारों द्वारा आत्महत्या का दौर जारी है और ऐसा प्रतीत होता है कि आगे और तीव्र गति से आत्महत्याओं का दौर जारी रहेगा।

अतः अवैध रुपए के माध्यम द्वारा हो रहे असंवैधानिक तरीके से शोषण, नियम एवं कानूनों की अवहेलना व अविवेकपूर्ण मनमाना शोषण कर रहे उन संस्थाओं या व्यवस्थाओं या व्यक्तियों से न्यायपालिका को

अवगत कराने का प्रार्थी अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों का पालन कर रहा है एवं न्यायपालिका से यह आशा कर रहा है कि न्यायपालिका तत्काल अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए देश के संविधान एवं संवैधानिक मूल अधिकारों की रक्षा, नियम एवं कानूनों की बहाली तथा हमारे जीने की संवैधानिक अधिकार की बहाली हेतु कर्ज की कुर्की नीलामी पर तत्काल प्रतिबन्ध लगावे, जिससे अवैध रुपए के वसूली में वैध जमीन-जायदाद की नीलामी कुर्की न हो सके, एवं किसानों की आत्महत्या रूक सके।

वैध मुद्रा का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है- वित्त मंत्रालय भारत सरकार

प्रार्थी द्वारा दिनाँक 19.06.2015 को वैध मुद्रा 'रुपए' से सम्बन्धित प्रश्न करके "सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005" के अन्तर्गत प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक से जो सूचना मांगी थी। जिसका जवाब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनाँक 25.06.2015 एवं 25.07.2015 को तथा वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनाँक 30.07.2015 को भेजी गई थी। रिजर्व बैंक ने अपनी सूचना में कहा है कि "वांछित सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है"। तथा भारत सरकार के वित्तमंत्रालय द्वारा सूचना में कहा गया है कि "विनिमय माध्यम के रुपए, सोने के सिक्के के मानक अथवा डालर के प्रयोग के मानक हेतु विधिक प्रारूप की किसी वैध मुद्रा का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।" तो अब प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि वर्तमान में जो रुपया चल रहा है या जो विदेशी मुद्रा भण्डार के रूप में डालर आदि रखा गया है,वह मुद्रायें रुपया' या डालर वैध है या अवैध?

प्रार्थी द्वारा उसके बाद रुपया से सम्बन्धित बहुत से प्रश्न "सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत" दिनाँक 15.07.2015, 20.07.2015, 26.10.2015, 22.02.2016, 13.05.2016, 28.09.2017, 07.05.2018, 12.09.2018, 23.09.2020, 18.01.2023 एवं 25.10.2023 को सूचना मांगी थी।

जिसका प्रश्नोत्तर पृष्ठ संख्या 135 से 238 तक देखें।

भारतीय रुपया-

प्राप्त दस्तावेजों एवं खोजों से पता चलता है कि मुद्रा का चलन अति प्राचीन है। मुद्रा का जन्म मानक धातु एवं मानक मूल्य पर आधारित है। वैदिककाल, प्राचीनकाल से लेकर आजतक वैध मुद्रा-मानक, मूल्य पर आधारित था और है। जिसके बहुत से प्रमाण है। लेकिन अंग्रेज इतिहासकार और अर्थशास्त्रियों ने रुपए के जन्म देने का श्रेय 'शेरशाह सूरी' को दिया,

इसलिए कि शेरशाह सूरी ने प्राचीन समय से चली आ रही मुद्रा के मानक, मूल्य को अपनाते हुए उस मुद्रा (चांदी का सिक्का) का नामकरण कर उसका नाम 'रुपया' रखा, जो दस्तावेजों में अंकित है।

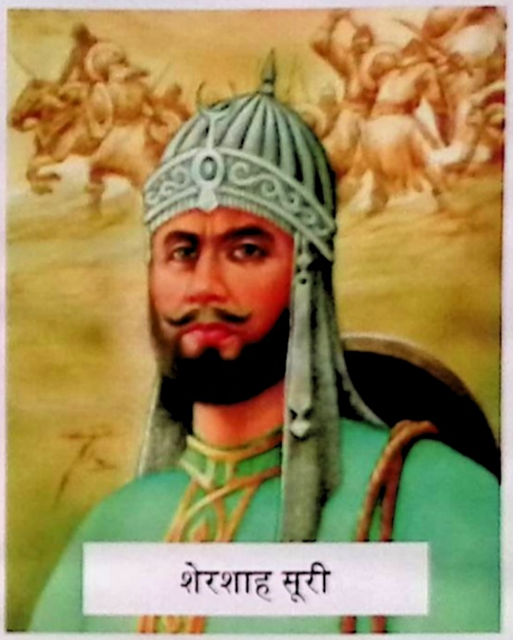

शेरशाह सूरी

'रुपया' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 'शेरशाह सूरी' ने भारत में अपने शासन 1540-1545 के दौरान किया था। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में जो रुपया चलाया वह एक चांदी का सिक्का था जिसका भार मानक-179 ग्रेन Grain(11.635ग्राम) या लगभग 1-तोला का था। रुपए की बड़ी इकाई के रूप में सोने का सिक्का, जिसका वजन 1-तोला था जिसे चलन मे लाया, उसे मोहर या दस रुपया कहा जाता था। भारत में प्रथम बार सैद्धांतिक मुद्रा रुपए का जन्म हुआ जो रुपए का वैध दस्तावेज (लीगल टेन्डर) है। रुपए से छोटी इकाई के रूप में तांबे का सिक्का चलाया जिसे 'दाम' कहा जाता था। कालांतर में मुगल शासन के दौरान पूरे उपमहाद्वीप में मौद्रिक प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए तीनों धातुओं के सिक्कों का मानकीकरण किया गया। शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान आरंभ किया गया रुपया आज तक प्रचलन में है। अंग्रेजों के आने से पहले तक 1-मोहर जिसका वजन लगभग 1-तोला शुद्ध सोना था। जिसकी कीमत (मूल्य) 10 रुपए था।

मुहर - हुमायूं

एक रूपया-शेर शाह सूरी (अफगान)

मुहर - अकबर

अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैद्धान्तिक मौद्रिक प्रणाली का अन्त

यह मानक मौद्रिक प्रणाली इतनी सुदृढ़ थी कि सन् 1700 में अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 24.4 प्रतिशत आय के साथ विश्व में सबसे बड़ी थी, भारत कृषि केन्द्रित एवं उद्योग प्रधान देश रहा है। अंग्रेजों के आने से पहले व्यापार के लिए पर्याप्त

मात्रा में सोने-चांदी के सिक्के के रूप में मुद्रा उपलब्ध थी। जिसके सैद्धान्तिक मानक के अनुसारः- (भारतीय मानक स्टेण्डर्ड)

शुद्ध 1-तोला चाँदी या, 11.664 ग्राम या, 180 ग्रेन्स का सिक्का =1 रुपया

शुद्ध 1-तोला सोना या, 11.664 ग्राम या, 180 ग्रेन्स का सिक्का =1 मोहर या 10 रुपया

जब अंग्रेज भारत पर कब्जा किए, तब भारत का लूट-पाट एवं शोषण करना शुरु किया एवं शोषण करने का सबसे उत्तम हथियार भारतीय मुद्रा रुपया को चुना, इसके लिए मुद्रा बाजार की स्थापना कर मुद्रा के मूल्य को घटा-बढ़ा कर शोषण शुरु किया।

रुपया में सोना की मात्रा (मानक) ही रुपया है-

जबकि सिद्धांततः मुद्रा का मानक मूल्य स्थिरांक होता है, घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे- भार की मापक कि0ग्रा0, दूरी की मापक फीट, समय की मापक मिनट इत्यादि मापकों के मानक स्थिरांक होते है, उसी प्रकार भारतीय मुद्रा रुपया जो मूल्य की मापक है इसकी मानक मात्रा तथा मूल्य भी स्थिरांक होता है।

(क) मानक (स्टैण्डर्ड) मात्रा को ही रुपया कहा जाता है जो मूल्य मापने का बाट है।

(ख) मानक (स्टैण्डर्ड) मात्रा ही ज्ञान-विज्ञान या सिद्धांत है।

(ग) मानक (स्टैण्डर्ड) मात्रा ही लोक कल्याणकारी अवधारणा तथा नैसर्गिक न्याय है।

(घ) मानक (स्टैण्डर्ड) मात्रा ही उत्पादन का स्रोत तथा सेवा की प्रतिस्पर्धा है।

(ङ) मानक (स्टैण्डर्ड) मात्रा ही आर्थिक आजादी एवं सर्वागींण विकास है।

जिसका मूर्त रूप सोने की मानक मात्रा है जो नैसर्गिक सिद्धांत (Natural Principal) जो अर्थशास्त्रियों के शब्दों में अपने आप में कुछ नहीं (Money is Nothing) परिकल्पना है। साध्य नहीं साधन है, जो संपत्ति के बदले संपत्ति की कीमत के रूप में विनिमय

(लेन-देन) करती, मुद्रा के रूप में हजारों वर्षों से चली आ रही है और आज भी उसकी विश्वसनीयता कायम है।

मापक के सिद्धांत के अनुसार दुनिया के हर मापक का मानक (स्टैण्डर्ड) मात्रा स्थिरांक होता है उसी प्रकार भारतीय मुद्रा (रुपया) मूल्य की मापक है, इसकी मानक मात्रा भी स्थिरांक होती है उसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है।

रुपए के मानक (स्टैण्डर्ड) मूल्य को घटाना या बढ़ाना अवैध है।

भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय-10 धारा-178-188 तक सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोटों एवं सरकारी स्टैंप के कूटकरण अपराध सम्बन्धित धाराएं हैं (आईपीसी-अध्याय 18, धारा-489 क,ख,ग,घ,ङ तक करेंसी नोट या बैंक नोटों के कूटकरण से सम्बन्धि त अपराधिक धाराएं है) जिसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, जो प्रमाणित साक्ष्य है।

कूटकरण का इतिहास –

रेगुलेशन एवं एक्ट (कानून) द्वारा शोषण लूट-पाट

प्राकृतिक सिद्धांतों एवं मुद्रा विज्ञान पर आधारित भारतीय मौद्रिक प्रणाली जो व्यक्ति एवं राष्ट्र के विकास के लिए बना जिससे राष्ट्र एवं व्यक्ति का दिन-प्रतिदिन विकास हो रहा था।

अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर गुलाम बनाने के लिए सबसे पहला प्रहार भारत के धन की लूटपाट एवं शोषण का काम शुरु किया, जिसमें शोषण के लिए प्रमुख हथियार बनाया गया भारतीय मुद्रा "रुपया" को, जो भारतीय मुद्रा "रुपया" प्राकृतिक सिद्धांतों एवं मुद्रा विज्ञान (अर्थशास्त्र) पर आधारित मौद्रिक प्रणाली थी, उस मौद्रिक प्रणाली को तोड़कर कूटकरण कर "ईस्ट इण्डिया कंपनी" ने भारतीय गुलामों के लिए 1 मई 1793 को रेगुलेशन XXXV भारत पर लागू किया, जिससे भारत की जनता में भुखमरी, बेरोजगारी, महँगाई इत्यादि पैदा हो, जिससे भारत की जनता को पीढ़ी-दर-पीढ़ी गुलाम बनाया जा सके, इसका परिणाम यह हुआ कि भारत की जनता की आर्थिक स्थिति को बद से बदतर बना दिया।

तत्पश्चात् 27 मार्च 1806 में रेगुलेशन III, 21 मार्च 1812 ई0 में रेगुलेशन II, 24 दिसम्बर 1818 को रेगुलेशन XIV, 13 जुलाई 1833 को रेगुलेशन VII, एवं पहला एक्ट के रूप में एक्ट नं0 XVII, आफ 1835, 17 अगस्त 1835 को ईस्ट इण्डिया कंपनी द्वारा भारत के जनता पर थोपा गया कूटकृत रुपए, आर्थिक गुलामी, लूटपाट एवं शोषण का प्रमाणिक दस्तावेज है। इस कूटकृत रेगुलेशन, एवं एक्ट का भारत की जनता द्वारा विरोध करने पर उसे सख्ती से कुचल दिया गया, एवं इस अवैध एक्ट को वैध कहकर भारत की जनता पर थोपा गया। इस रेगुलेशन के मानक (स्टैण्डर्ड) को पृष्ठ संख्या 242 से 280 पर देखें।

1540-45 से अंग्रेजों के आने के पूर्व तक भारतीय रुपया एवं मोहर मानक मूल्य

कुल वजन			कुल मात्रा			मूल्य मानक
ग्रेन्स	ग्राम	तोला	ग्रेन्स	ग्राम	तोला	
180	11.664	1	180	11.664	1 (चांदी)	1 रूपया या सिक्का रूपया
180	11.664	1	180	11.664	1 (सोना)	10 रूपया या 1 मोहर

एक्ट XVII, आफ 1835 "ईस्ट इण्डिया कंपनी रुपया" एवं ईस्ट इण्डिया कम्पनी का कूटकृत रुपया, मोहर, मानक मूल्य-

कुल मात्रा			मिक्स भार		शुद्ध वजन मानक (सोना चांदी मात्रा)			मूल्य मानक
ग्रेन्स	ग्राम	तोला	ग्रेन्स	ग्राम	ग्रेन्स	ग्राम	तोला	
180	11.664	1	15	0.908	165	10.691	1 (चांदी)	ईस्ट इण्डिया कम्पनी 1 रूपया
180	11.664	1	15	0.908	165	10.691	1 (सोना)	ईस्ट इण्डिया कम्पनी मोहर या 15 ईस्ट इण्डिया कम्पनी रूपया

भारतीय रुपया एवं कंपनी रुपया की मानक मात्रा एवं मूल्य अन्तर-

भारतीय रुपया		कंपनी रुपया	चाँदी की मात्रा में कमी
11.664	–	10.691	= 0.973 ग्राम शुद्ध चाँदी की मात्रा में कम की गयी और मानक मूल्य 1 रुपया था।

भारतीय मोहर कंपनी मोहर सोने की मानक मात्रा की कमी

11.664 – 10.691 = 0.973 ग्राम शुद्ध सोना का मानक मात्रा कम की गई और मानक मूल्य 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपया या प्रति मोहर हो गया था।

इस प्रकार भारतीय रुपए का कूटकरण करके चाँदी का भारतीय रुपया जो शुद्ध चाँदी का था उसमें 15 ग्रेन्स या 0.973 ग्राम अन्य धातु मिलावट की गयी फिर भी इसका मूल्य 1 'रुपया' ही रखा गया तथा भारतीय 'मोहर' जो शुद्ध सोने का था उसमें 15 ग्रेन्स या 0.973 ग्राम सोना घटाकर अन्य धातु की मिलावट की गयी तथा मोहर की मूल्य जो 10 रुपए थी उसे 15 रुपए कर दिया गया। जिससे भारतीयों का भीषण शोषण का दौर शुरु हुआ- जैसे कोई व्यापारी 500 ग्राम के बांट को 1 किलोग्राम का बांट बनाकर तथा उस बांट पर 1 कि.ग्रा. का मुहर लगाकर अपना माल उस अवैध किलोग्राम से वस्तु बेंचना शुरु कर दे तो हर ग्राहक की दोहरी शोषण होगा, पहला कि वह जो वस्तु खरीदेगा उस वस्तु की मात्रा में 500 ग्राम वस्तु कम पायेगा और दूसरी शोषण यह होगी कि जो वस्तु की कीमत देगा उसमें 500 ग्राम की अधिक कीमत देगा।

ठीक इसी प्रकार भारतीयों के शोषण का दौर शुरु हुआ जिससे कृषि, उद्योग तथा व्यवसाय नष्ट होते चले गये, भारत का विकास दर गिरता चला गया, भारत को गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी मुद्रा संकट आदि में फंसा दिया गया, इस तरह भारतीय मौद्रिक प्रणाली जो सैद्धांतिक था, उसे इन विदेशियों ने कूटकरण कर शोषण हेतु भारतीय गुलामों के लिए मनमाना मानक मूल्य का निर्धारण किया, जिससे इन गुलामों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आर्थिक गुलाम बनाकर रखा जा सके।

अर्थशास्त्र (मुद्रा विज्ञान) के परिमाण (मानक) सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मानक मात्रा जिस अनुपात में कमी या वृद्धि की जाती है उसी अनुपात में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि या कमी होती है, जिससे विनिमय (लेन-देन) में शोषण शुरु हो जाता है अर्थात् मुद्रा के मानक (स्टैण्डर्ड) के घटाने-बढ़ाने से दोहरा शोषण होता है।

ब्रिटिश शासन द्वारा शोषण लूट-पाट

1 नवम्बर 1858 को "ईस्ट इण्डिया कंपनी" को समाप्त कर ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेंट का शासन शुरु होता है। ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेंट ने भारतीयों के शोषण के लिए 23 अप्रैल

1862 को एक्ट नं. VIII आफ 1862 जिसे क्वायनेज एक्ट 1862 के नाम से लागू किया, जिसमें क्वायनेज एक्ट 1835 के मानक, मूल्य को पूर्ण रूप से अपनाया गया इसकी मुख्य विशेषता यह रही कि इसमें "ईस्ट इण्डिया कम्पनी रुपया" का नाम को बदलकर "गवर्नमेंट रुपया" रखा, जो सन् 1862 से आज तक चलन में है, आज भी रुपए को "गवर्नमेण्ट रुपए" के नाम से जाना जाता है।

4 अप्रैल 1870 को, जो मुद्रा ब्रिटेन की थी, उस मुद्रा को "एक्ट नं0 XVIII आफ 1870" जो क्वायनेज एक्ट 1870 के नाम से जाना जाता है, भारत पर लागू किया गया। ब्रिटिश सरकार ने सरकारी लेन-देन ब्रिटिश मुद्रा "सिलिंग एवं सोवरेंज" से करने लगी, किसानों का लगान भी स्वर्ण मुद्रा के रूप में देने को विवश कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार के जिस ब्रिटिश मुद्रा सोवरेंज की मूल्य, रुपए से 10 रुपए थी, उस सोवरेंज की कीमत 15 रुपए कर दी गयी, अर्थात् सोवरेंज व कम्पनी मोहर की कीमत बराबर कर दी गयी। जबकि सोवरेंज और कम्पनी मोहर में स्वर्णमान का भारी अन्तर था।

भारतीय मोहर, ईस्ट इण्डिया कम्पनी मोहर तथा गवर्नमेण्ट सोवरेंज के सोना के मानक मात्रा एवं मानक मूल्य का अन्तर-

भारतीय मोहर	मानक मुल्य	ईस्ट इण्डिया कम्पनी मोहर	मानक मूल्य	गवर्नमेन्ट सोवरेंज	मानक मूल्य
शुद्ध सोना मात्रा		शुद्ध सोना मात्रा		शुद्ध सोना मात्रा	
1 तोला 11.664 ग्राम	10 रूपया (भारतीय रूपया)	10.691 ग्राम	15 रूपया (कम्पनी रूपया)	7.93787 ग्राम	15 रूपया (गवर्नमेन्ट रूपया)

इस तरह भारतीय गुलामों को लूटने तथा शोषण करने का कीर्तिमान स्थापित करते हुए

भारतीय मोहर	गवर्नमेन्ट सोवरेंज	अन्तर
शुद्ध सोना मात्रा	शुद्ध सोना मात्रा	शुद्ध सोना मात्रा
11.664 ग्राम	7.93787 ग्राम	3.72613 ग्राम

अर्थात् 3.72613 ग्राम सोना प्रति मोहर या 15 रुपए पर लूटपाट शोषण किया गया। जिसके परिणामस्वरूप भारत की कृषि एवं उद्योग धन्धे खत्म हो गये, और भारत की जनता गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, मुद्रासंकट में फंसकर ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेण्ट की गुलामी में फंस गयी, जिसका प्रमाणित दस्तावेज क्वायनेंज एक्ट 1870, 1862 एवं 1835 है।

misprint for 61·25

SCHEDULES.

FIRST SCHEDULE.

Denomination of Coin.	Standard Weight. Imperial Weight. Grains.	Standard Weight. Metric Weight. Grams.	Least Current Weight. Imperial Weight. Grains.	Least Current Weight. Metric Weight. Grams.	Standard Fineness.	Remedy Allowance. Weight per piece. Imperial Grains.	Remedy Allowance. Weight per piece. Metric Grams.	Remedy Allowance. Millesimal Fineness.
GOLD:								
Five Pound	616·37239	39·94028	612·50000	39·68935	Eleven-twelfths fine gold, one-twelfth alloy; or millesimal fineness 916·66.	1·00000	0·06479	[illegible]
Two Pound	246·54895	15·97611	245·00000	15·87574		0·40000	0·02592	
Sovereign	123·27447	7·98805	122·50000	7·93787		0·20000	0·01296	
Half Sovereign	61·63723	3·99402	61·12500	3·96083		0·10000	0·00648	
SILVER:								
Crown	436·36363	28·27590	—	—	Thirty-seven-fortieths fine silver, three-fortieths alloy; or millesimal fineness 925.	1·81818	0·11781	[illegible]
Half Crown	218·18181	14·13795	—	—		0·90909	0·05890	
Florin	174·54545	11·31036	—	—		0·72727	0·04712	
Shilling	87·27272	5·65518	—	—		0·36363	0·02356	
Sixpence	43·63636	2·82759	—	—		0·18181	0·01178	
Groat or Fourpence	29·09090	1·88506	—	—		0·12121	0·00785	
Threepence	21·81818	1·41379	—	—		0·09090	0·00589	
Twopence	14·54545	0·94253	—	—		0·06060	0·00392	
Penny	7·27272	0·47126	—	—		0·03030	0·00196	
BRONZE:								
Penny	145·83333	9·44984	—	—	Mixed metal, copper, tin, and zinc.	2·91666	0·18899	None.
Halfpenny	87·50000	5·66990	—	—		1·75000	0·11339	
Farthing	43·75000	2·83495	—	—		0·87500	0·05669	

The weight and fineness of the coins specified in this Schedule are according to what is provided by the Act fifty-six George the Third, chapter sixty-eight, that the gold coin of the United Kingdom of Great Britain and Ireland should hold such weight and fineness as were prescribed in the then existing Mint indenture (that is to say), that there should be nine hundred and thirty-four sovereigns and one ten shilling piece contained in twenty pounds weight troy of standard gold, of the fineness at the trial of the same of twenty-two carats fine gold and two carats of alloy in the pound weight troy; and further, as regards silver coin, that there should be sixty-six shillings in every pound troy of standard silver of the fineness of eleven ounces two pennyweights of fine silver and eighteen pennyweights of alloy in every pound weight troy.

ब्रिटिश इण्डिया संसद द्वारा भारतीय सिक्का अधिनियम-1906 पारित

ACT No. III OF 1906.

PASSED BY THE GOVERNOR GENERAL OF INDIA IN COUNCIL.

(Received the assent of the Governor General on the 2nd March, 1906.)

An Act to consolidate and amend the law relating to Coinage and the Mint.

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the law relating to Coinage and the Mint; It is hereby enacted as follows:

Preliminary.

1. (*1*) This Act may be called the Indian Coinage Act, 1906; and — Short title and extent.

(*2*) It extends to the whole of British India, inclusive of British Baluchistan, the Sonthal Parganas and the Pargana of Spiti.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,— — Definitions.

(*a*) "deface," with its grammatical variations and cognate expressions, includes clipping, filing, stamping, or such other alteration of the surface or shape of a coin as is readily distinguishable from the effects of reasonable wear;

(*b*) "the Mint" includes the Mints now existing and any which may hereafter be established;

(*c*) "prescribed" includes prescribed by a rule made under this Act;

(*d*) "remedy" means variation from the standard weight and fineness; and

(*e*) "standard weight" means the weight prescribed for any coin.

3. The

ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेण्ट द्वारा भारत में संसद की स्थापना करने के बाद ब्रिटिश इण्डिया पार्लियामेण्ट द्वारा 2 मार्च 1906 को "द इण्डियन क्वायनेज एक्ट नं. III ऑफ 1906" पारित किया गया जिससे ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा जारी एक्ट नं. XVIII ऑफ 1835, नं. XIII आफ 1862, और ब्रिटिश मुद्रा का "द इण्डियन क्वायनेज एक्ट नं. XXIII ऑफ 1870 है" जिसे ज्यों

का त्यों (हू-ब-हू) अपना लिया गया, इसका प्रमाणित दस्तावेज क्वायनेज एक्ट 1906 एवं इसकी धारा-15 है। इस तरह ईस्ट इण्डिया कम्पनी से शुरु हुई शोषण, ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेण्ट द्वारा एक्ट के माध्यम से लूट-पाट एवं शोषण लगातार जारी रहा। जो आज भी ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेण्ट का "गवर्नमेण्ट रुपया" भारत में प्रचलन में है। जिसका प्रमाणित दस्तावेज क्वायनेज एक्ट 1862 है।

भारत को लूटने के लिए भयानक षडयंत्र

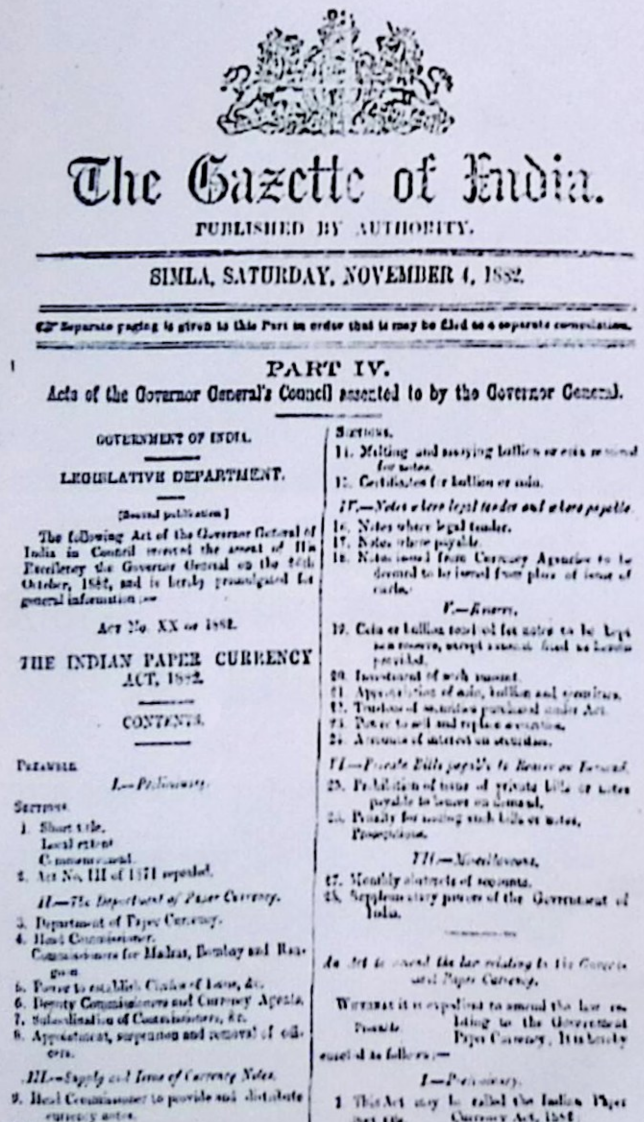

The Gazette of India.

PUBLISHED BY AUTHORITY.

SIMLA, SATURDAY, NOVEMBER 4, 1882.

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

PART IV.

Acts of the Governor General's Council assented to by the Governor General.

GOVERNMENT OF INDIA.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

[Second publication.]

The following Act of the Governor General of India in Council received the assent of His Excellency the Governor General on the [illegible] October, 1882, and is hereby promulgated for general information :—

Act No. XX of 1882.

THE INDIAN PAPER CURRENCY ACT, 1882.

CONTENTS.

Preamble.

I.—Preliminary.

Sections.

1. Short title. Local extent. Commencement.
2. Act No. III of 1871 repealed.

II.—The Department of Paper Currency.

3. Department of Paper Currency.
4. Head Commissioner. Commissioners for Madras, Bombay and Rangoon.
5. Power to establish Circles of Issue, &c.
6. Deputy Commissioners and Currency Agents.
7. Subordination of Commissioners, &c.
8. Appointment, suspension and removal of officers.

III.—Supply and Issue of Currency Notes.

9. Head Commissioner to provide and distribute currency notes.
10. Signatures to notes.
11. Issue of notes for silver by Head Commissioner, Commissioners and Deputy Commissioners.
12. Issue of notes for silver by Currency Agents.
13. Issue of notes for gold.
14. Melting and assaying bullion or coin received for notes.
15. Certificates for bullion or coin.

IV.—Notes where legal tender and where payable.

16. Notes where legal tender.
17. Notes where payable.
18. Notes issued from Currency Agencies to be deemed to be issued from place of issue of circle.

V.—Reserve.

19. Coin or bullion received for notes to be kept as a reserve, except amount fixed as hereinafter provided.
20. Investment of such amount.
21. Appropriation of coin, bullion and securities.
22. Trustees of securities purchased under Act.
23. Power to sell and replace securities.
24. Accounts of interest on securities.

VI.—Private Bills payable to Bearer on Demand.

25. Prohibition of issue of private bills or notes payable to bearer on demand.
26. Penalty for issuing such bills or notes. Prosecutions.

VII.—Miscellaneous.

27. Monthly abstracts of accounts.
28. Supplementary powers of the Government of India.

An Act to amend the law relating to the Government Paper Currency.

Preamble. Whereas it is expedient to amend the law relating to the Government Paper Currency; It is hereby enacted as follows :—

I.—Preliminary.

Short title. 1. This Act may be called the Indian Paper Currency Act, 1882 :

Local extent. It extends to the whole of British India ;

Commencement. and it shall come into force on the passing thereof.

ऐसा प्रतीत होता है कि एक षडयंत्र (साजिश) के तहत सन् 1882 में "द इण्डियन पेपर करेन्सी एक्ट" नं. XX आफ 1882" भारत में लागू किया गया जिससे सोने-चाँदी के रुपए के बदले पेपर करेन्सी जारी की गयी जिसमें कहा गया कि सोने-चाँदी के सिक्कों का वैध निविदा (Legal Tender) या सोने-चाँदी के सिक्कों का सर्टिफिकेट है। ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेण्ट ने सिक्योरिटी के रूप में सोना रखकर पेपर करेन्सी छापने लगी और भारतीयों द्वारा इसे स्वीकार भी किया गया, उस समय सोने-चाँदी के सिक्के या पेपर करेन्सी दोनों के मूल्य बराबर थे, इसका प्रमाणित दस्तावेज "द इण्डियन पेपर करेन्सी एक्ट नं. XX आफ 1882" है।

वैध रुपया का मानक (स्टैंडर्ड) स्थिरांक होता है।
अवैध रुपया का मानक (स्टैंडर्ड) घटता और बढ़ता है।

अर्थशास्त्री डॉ भीमराव अम्बेडकर एवं अनर्थशास्त्री प्रो. कैन्स की टक्कर

ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेण्ट द्वारा सिक्के की जगह पेपर करेन्सी अत्यधिक मात्रा में छपने लगी तथा सिक्योरिटी मनी के रूप मे सोना-चाँदी ब्रिटिश गवर्नमेण्ट द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया और दुनिया की सबसे बड़ी लूट-पाट को अंजाम देने के लिए जो साजिश, पेपर करेंसी को प्रचलन में लाकर रची गयी और भारत के जनता की खून-पसीने से कमाई गयी धन सोना-चाँदी को लूट लेने के लिए अगस्त सन् 1925 में रायल कमीशन (हिल्टन यंग कमीशन) हिल्टन यंग की अध्यक्षता में इस आयोग को इंग्लैण्ड से भारत भेजा गया जिसका मुख्य उद्देश्य स्वर्णमान विनिमय (गोल्ड स्टैण्डर्ड) को समाप्त करना, तथा भारत में केन्द्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना करना, जिससे वैध रुपया को समाप्त करके गुलामों के लिए अवैध रुपए से विनिमय कराना जिससे इनका पीढ़ी-दर-पीढ़ी आर्थिक गुलाम बना रहे, एवं भारत के समस्त प्राकृतिक संसाधनों को ब्रिटेन के कब्जे में रखना था। इस कमीशन के भारत आने पर भारत के अर्थशास्त्री इस कमीशन के तथा ब्रिटिश सरकार की गुणगान करने लगे, सिर्फ एक अर्थशास्त्री डा. भीमराव अंबेडकर ने इस कमीशन का विरोध करते हुए शानदार तथ्यों को रखते हुए भारत के भविष्य के बारे में होने वाले विध्वंशक दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए विरोध जताया, फिर भी भारत के किसी अर्थशास्त्री ने डा. भीमराव अंबेडकर का साथ नहीं दिया और अंग्रेजों के पक्ष में रहे। ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेण्ट भी इस कमीशन के सुझाव को मान गयी।

"स्वर्णमान तथा स्वर्ण विनिमय मान के गुण-दोष एवं डा. भीमराव अंबेडकर तथा प्रो. केन्स के विचार-

"स्वर्णमान तथा स्वर्ण विनिमय मान इस दोनों मानको के गुण-दोषों की विवेचना जो डा. अंबेडकर ने की है, आज भी सटीक है।" इसलिए इन दोनों में अन्तर जान लेना आवश्यक है।

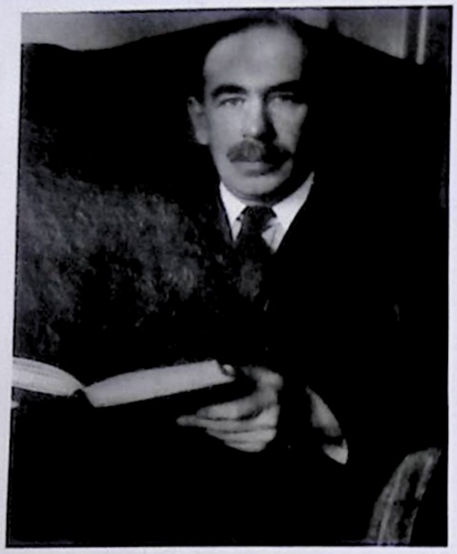

स्वर्णमान के अंतर्गत सोने के सिक्को का वास्तविक लेन-देन किया जाता है, इसके विपरीत स्वर्ण विनिमय मान से कागजी मुद्रा (नोट) का व्यवहार होता है जिसके लिए निश्चित दर से सोने में परिवर्तन करने की सरकार की गारण्टी (प्रतिभूति) होती है। इन दोनों मानकों के गुण-दोषों के विषय में जो विवाद चल रहा था उसमें डा. अंबेडकर को प्रोफेसर जान मेनार्ड केन्स जैसे विश्वविख्यात तथा-कथित अर्थविद से बौद्धिक मुकाबला करना पड़ा।

प्रो. केन्स का तर्क था कि स्वर्णमान एक अत्यधिक कठोर मानक है, इसके अन्तर्गत किसी देश में मुद्रा की मात्रा इस बात पर निर्भर होती है कि उस देश में कितना सोना संग्रहीत है। सोने की मात्रा अधिकांश रूप से प्राकृतिक संपत्ति पर निर्भर है, इसका अर्थ है कि स्वर्णमान द्वारा मानवीय व्यवहार का प्रकृति के चक्र से अकारण संबंध जोड़ना। इसलिए मुद्रा उत्पादन की प्रक्रिया में लचीलापन नहीं आ सकता। प्रो. केन्स के अनुसार स्वर्ण विनिमय मान स्वभाविक रूप से लचीला होता है, अतएव भविष्यकाल भारत के लिए आदर्श सिद्ध होगा।

डा. अंबेडकर ने इसका तीव्र विरोध किया, उन्होने कहा- यह सत्य है कि स्वर्ण विनिमय मान लचीला है परन्तु लचीलापन दोधारी तलवार होता है, यह जितना लाभदायक है उतना ही हानिकारक भी। स्वर्ण विनिमय मान के अन्तर्गत मुद्रा कितनी तैयार की जानी चाहिए, यह पूर्ण रूप से सरकार पर निर्भर होता है। यदि राजनीतिज्ञ, गैर-जिम्मेदार होंगे तो बेलगाम मुद्रा निर्माण की संभावना हो जाती है इससे मुद्रा स्फीती तथा महँगाई बढ़ने से आम आदमी पर भारी बोझ आ सकती है और समाज में अस्थिरता फैलने का भय उत्पन्न हो सकता है। यदि इससे बचना है तो मुद्रा निर्माण पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाये रखना आवश्यक है। इस लिहाज से स्वर्ण से स्वर्ण विनिमय मान के स्थान पर स्वर्णमान अपनाना श्रेयस्कर होगा।

उस समय सभी भारतीय अर्थशास्त्रियों ने तथा ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेण्ट ने प्रो. केन्स का तर्क स्वीकार किया तथा डा. अंबेडकर द्वारा 98 वर्ष पूर्व दी गयी, चेतावनी आज भी समय की कसौटी पर शत्-प्रतिशत खरी उतरती है।

डा. अंबेडकर का आर्थिक विचार एवं दर्शन व "स्टेटमेण्ट आफ एविडेन्स टू द रायल कमीशन आन इण्डियन करेन्सी" इसका प्रमाणित दस्तावेज है।

अंग्रेजों की इस पेपर करेन्सी के षडयंत्र में भारत की जनता फंस चुकी थी, भारत के सभी धन (सोना-चाँदी) अंग्रेजों के कब्जे में चला गया।

ब्रिटिश शासन द्वारा भारत की लाखों टन सोना की लूट-पाट

ब्रिटिश हुकूमत अपने षडयंत्र को सफल बनाने के लिए 1933 में अचानक गोल्ड मानक (स्टैण्डर्ड) खत्म कर दिया तथा सोने की कीमत तीन गुना बढ़ा दी गयी और जनता के हाथ में सिर्फ कागज के टुकड़े रह गये, भारत के लूटपाट के इतिहास की यह सबसे बड़ी लूट-पाट एवं शोषण थी। दिसंबर 2013 में प्रकाशित, स्टडीज इन अपील्स इकोनामिक्स "इण्डियाज पेपर करेन्सी डिपार्टमेण्ट (1862-1935) एस ए क्रासी करेन्सी बोर्ड" चार्ल्स बिन्ट्रायूब एण्ड कूर्ट स्चूलर द्वारा जोंस होपकिंस यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की शोध ग्रन्थ के अनुसार- भारत द्वारा सन् 1862 से 1935 तक ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को सिक्योरिटी मनी के रूप में भारत के द्वारा 37,440 करोड़ बैध रुपया (सोने-चाँदी) दिया गया है। इस रुपया को सोना के मानक स्टैण्डर्ड से बदला जाये तो कितना सोना होगा देखिए-

कुल रुपया करोड़		प्रति मोहर रुपया	करोड़ मोहर
37,440	÷	10	= 3744

3744 करोड़ × 11.664 ÷ 1000(1कि.ग्रा.) = 43,6700160 कि.ग्रा. शुद्ध सोना हुआ।

(तैंतालीस करोड़ सरसठ लाख एक सौ साठ कि.ग्रा. शुद्ध सोना होता है।)

4367700160 ÷ 1000(प्रति टन या 1000 कि.ग्रा.) = 436700.16 टन शुद्ध सोना हुआ।

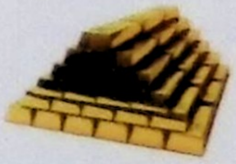

(चार लाख छत्तीस हजार सात सौ दशमलव एक छः टन शुद्ध सोना होता है)

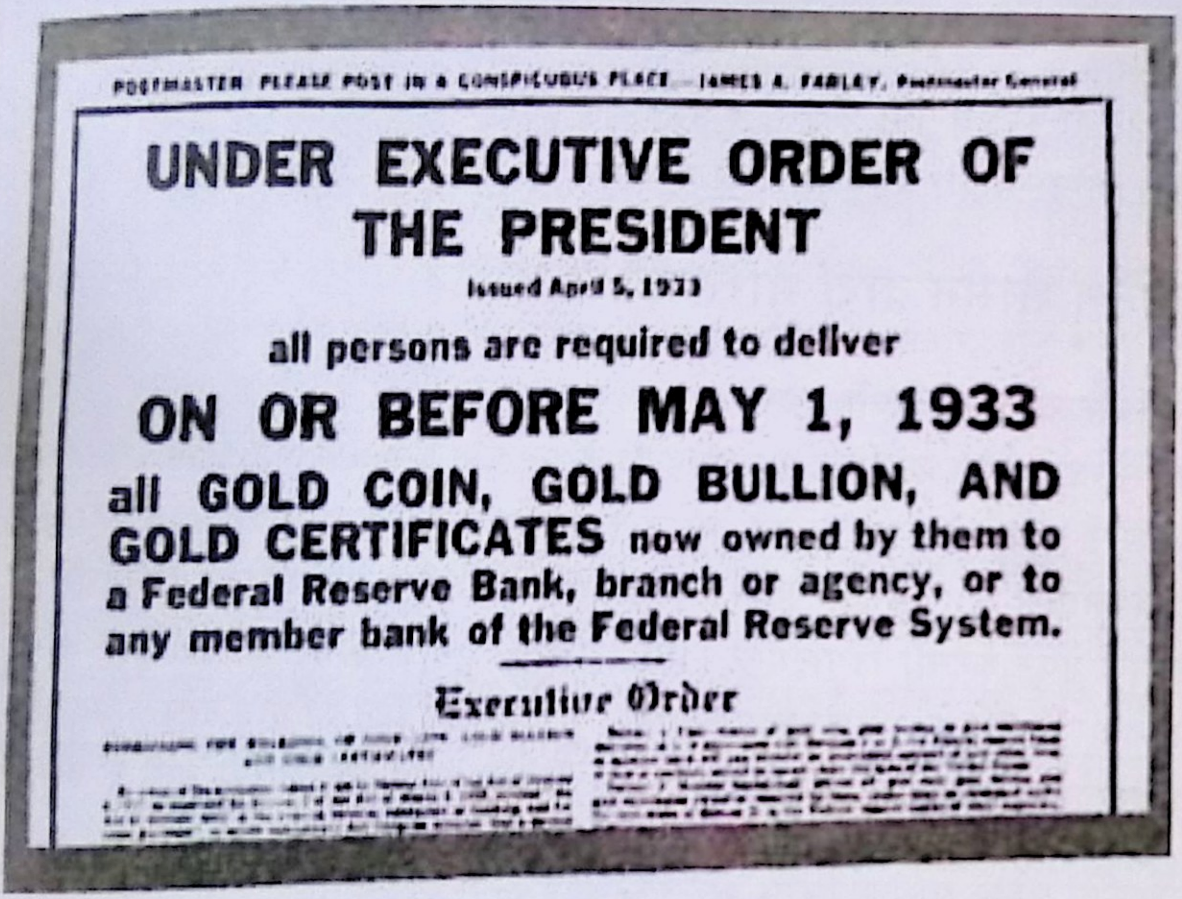

POSTMASTER: PLEASE POST IN A CONSPICUOUS PLACE — JAMES A. FARLEY, Postmaster General

UNDER EXECUTIVE ORDER OF THE PRESIDENT

Issued April 5, 1933

all persons are required to deliver

ON OR BEFORE MAY 1, 1933

all GOLD COIN, GOLD BULLION, AND GOLD CERTIFICATES now owned by them to a Federal Reserve Bank, branch or agency, or to any member bank of the Federal Reserve System.

Executive Order

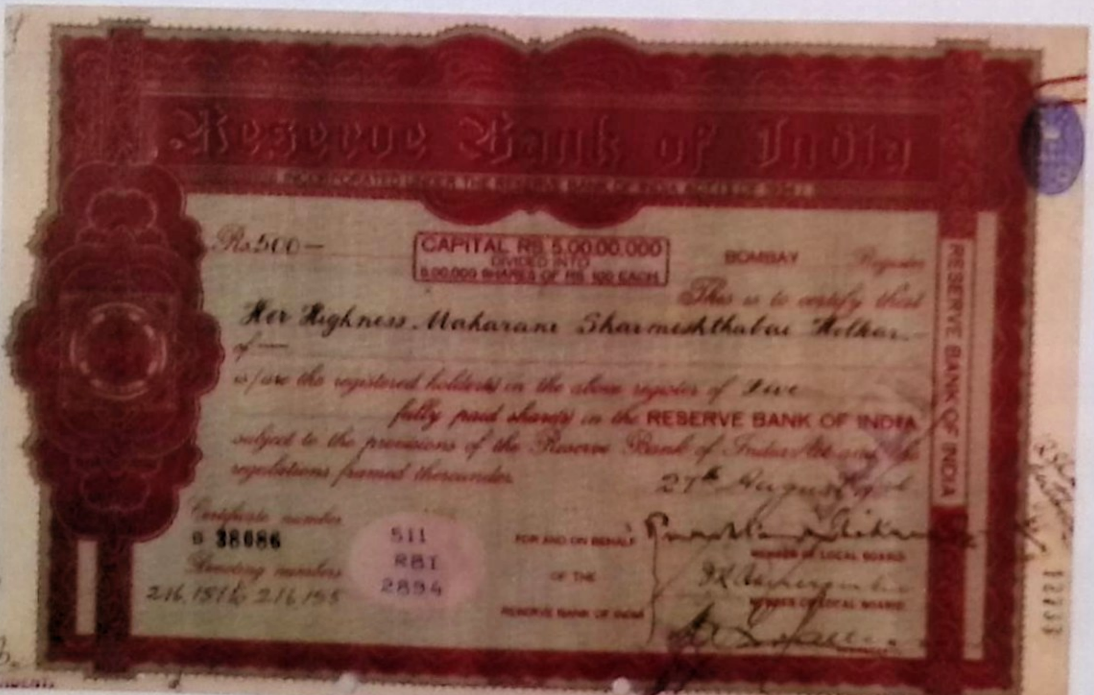

रिजर्व बैंक शेअर सर्टिफिकेट

स्रोत: रिजर्व बैंक अभिलेखागार

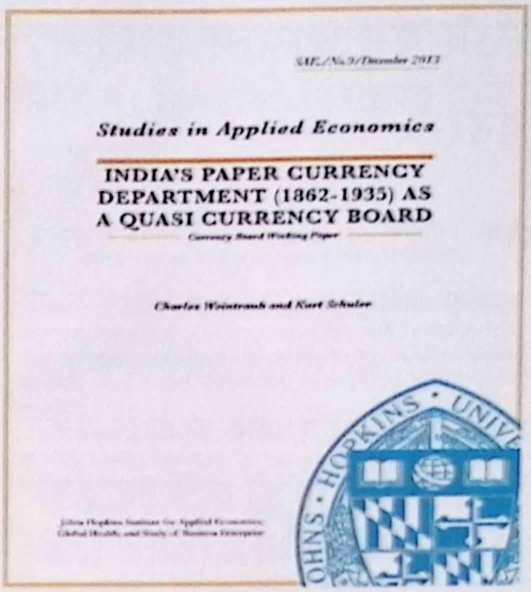

जो ब्रिटिश गवर्नमेण्ट द्वारा "1862-1935" के बीच भारत से सिक्योरिटी मनी के रूप मे लिया गया वैध रुपया है, जो आज भी ब्रिटेन के कब्जे में है, जो भारत की 125 करोड़ जनता का सोना है, इस विषय पर अब तक सभी सरकारें मौन क्यों?

अगर भारत की जनसंख्या 125 करोड़ मान लिया जाए और सोने को प्रति व्यक्ति में बांटा जाए तो-

मोहर की संख्या	प्रति मोहर	जनता

3744 करोड़ × 11.664 ÷ 125 करोड़ = 349.360 ग्राम सोना प्रति व्यक्ति के हिस्से में आयेगा।

यह ब्रिटेन के हापकिंस यूनिवर्सिटी के शोध ग्रन्थ-"इण्डियाज पेपर करेन्सी डिपार्टमेण्ट (1862-1935) एस ए क्वासी करेन्सी बोर्ड" में उल्लेखित भारत के सोने की शोषण एवं लूट-पाट का प्रमाणित दस्तावेज है।

Appendix 6. History of the Ceilings on Securities
(amounts in millions of rupees)

Act or ordinance	Overall ceiling on holdings of securities	Subceilings on holdings of: Indian government securities	British government securities	British Treasury bills*	Bills of exchange	"Created" Indian government securities
Act 3 of 1871	60	60				
Act 15 of 1896	80	80				
Act 21 of 1896	100	100				
Act 3 of 1905	120	100	20			
Act 7 of 1911	140	100	40			
Ordinance 1 of 1915	200	200	40			
Act 5 of 1915	200	200	40			
Ordinance 1 of 1916	200	200	100			
Act 9 of 1916	260	200	100	60		
Ordinance 6 of 1916	380	200	100	180		
Ordinance 7 of 1916	500	200	100	300		
Act 11 of 1917	500	200	100	300		
Ordinance 2 of 1917	620	200	100	420		
Act 19 of 1917	920	200	100	420		
Act 6 of 1918	860	200	100	660		
Ordinance 3 of 1918	1,000	200	100	800		
Act 2 of 1919	1,000	200	100	800		
Act 26 of 1919	1,200	200	100	1,000		
Act 21 of 1920	1,200	1,200	1,200	1,200		
Act 45 of 1920**	900	850	850	850	50	
Act 10 of 1923	900	850	850	850	50	
Act 38 of 1923	970	850	850	850	120	
Act 2 of 1925	1,120	1,000	1,000	1,000	120	500

* The ceiling for British Treasury bills was additional to the ceiling for British government securities, which were understood to be longer-term securities.

** Act 45 of 1920 had permanent and temporary provisions about ceilings on securities. The permanent provisions (section 12 of the act) set a ceiling for securities of 50 percent of notes in circulation, of which no more than 200 million could be Indian government securities. As long as the Paper Currency Department held more than 120 million rupees of "created" (book-entry) securities sold directly to it rather than saleable on the open market, it had to retain the interest from all its securities to reduce the "created" securities outstanding rather than paying the profits to the government. Less important limitations from the perspective of this table provided that no more than 50 million rupees of gold and gold bullion held in London could be counted as part of the Currency Department's reserves (providing it to hold the excess in India); and that besides Indian securities, only British securities with less than a year to maturity could be counted as part of reserves. The permanent provisions did not take effect until a declaration by the Governor General. The temporary provisions (section 11 of the act) provided that until the permanent provisions took effect, the overall ceiling and subceilings shown here would be in effect. The Governor General apparently never brought the permanent provisions into effect.

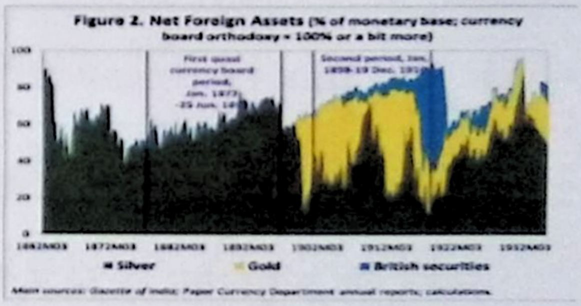

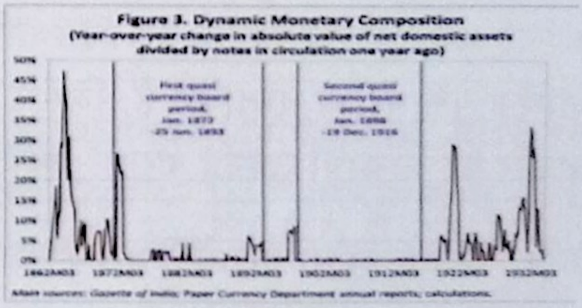

क्या आजादी के बाद भारत की सरकारों ने सिक्योरिटी मनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है?

भारत की तबाही, बर्बादी के लिए हिल्टन यंग आयोग द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना

वॉरेन हेस्टिंग्स

केंद्रीय बैंक की परिकल्पना सन् 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, उसके अनुसार भारत के शोषण से प्राप्त धन को गुप्त रूप से ब्रिटेन भेजना और भारत को आर्थिक रूप से खत्म कर आर्थिक गुलाम बनाना था। जिसे ब्रिटेन के षड़यंत्रकारी अक्ल बाजों नें "हिल्टन यंग कमीशन" गठित कर अर्थशास्त्र को खत्म कर अनर्थ शास्त्र को अपनाते हुए भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सुझाव दी गयी थी। इस षड़यंत्र को भांपते हुए भारत के महान अर्थशास्त्री डा. भीमराव अंबेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव का जबरदस्त विरोध किया था।

Statement of Evidence to the Royal Commission on Indian Currency

—

NOTE

The Royal Commission on Indian Currency and Finance visited India in 1924-25 to examine the financial system and to suggest the Reform of the Indian currency. The commission was comprised of the following members.

E. HILTON YOUNG, Chairman
R. N. MOOKERJEE
NORCOT WARREN
R. A. MANT
M. B. DADABHOY
HENRY STRAKOSCH
ALEX R. MURRAY
PURSHOTAMDAS THAKURDAS
J. C. COYAJEE
W. E. PRESTON

G. H. BAXTER) Secretaries
A. AYANGAR)

Dr. Ambedkar explained his views in the statement submitted in reply to the questionnaire issued by the Commission. The statement and his evidence before the Commission are reproduced here along with the questionnaire.

1933 में स्वर्णमान को खत्म कर महाशोषण एवं लूट-पाट के बाद अपने सुनियोजित षडयंत्र के अंतर्गत हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर "भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कर भारत में इसकी स्थापना की गयी जिसे "भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934" के नाम से जाना जाता है, जो 1 अप्रैल 1935 से प्रारम्भ होकर आज भी यही केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्यरत है।

रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रस्तावना से स्पष्ट है कि ब्रिटेन के खजाने को भरने के लिए भारत में इस केन्द्रीय बैंक को स्थापित किया गया। यह रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आर्थिक गुलामी का दस्तावेज है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि "विद्यमान मुद्रा पद्धति के आधार पर अस्थायी उपबंध करना" अर्थात् वैध रुपया लेकर अवैध रुपया जारी करेगा।

ब्रिटेन की सरकार ने रिजर्व बैंक के द्वारा भारत की समस्त प्रकृतिक संपदा पर अपना कब्जा करने तथा भारत को अवैध रुपए द्वारा शोषण करने एवं भारतीय जनता को मारने-

मरने के लिए बनाया गया एक्ट है, जिसकी भाषा अस्पष्ट एवं शब्दों का मकड़जाल है। जिसमें ब्रिटेन का हित तथा भारत का सिर्फ अहित है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
1934 का अधिनियम संख्यांक 2[1]

[6 मार्च, 1934]

भारतीय रिज़र्व बैंक गठित करने के लिए अधिनियम

बैंक-नोटों का निर्गमन करने और [1][भारत] में मुद्रा-स्थिति की सुदृढ़ता बनाए रखने की दृष्टि से आरक्षित राशियों का रखा जाना नियंत्रित करने के लिए तथा समष्टिगत रूप से देश की करेंसी और प्रत्यय व्यवस्था को देश के लाभार्थ चलाने के लिए भारत के लिए एक रिज़र्व बैंक का गठित करना समीचीन है;

और संसार की मुद्रा पद्धतियों की वर्तमान अव्यवस्था में यह अवधारित करना कि भारतीय मुद्रा पद्धति के लिए स्थायी आधार के रूप में क्या यथोचित होगा, संभव नहीं है;

किंतु विद्यमान मुद्रा पद्धति के आधार पर अस्थायी उपबंध करना और भारत के लिए सबसे उपयुक्त मुद्रा मान के प्रश्न को उस समय सोचे जाने के लिए छोड़ देना समीचीन है जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्थिति इतनी स्पष्ट और स्थायी हो जाए कि स्थायी उपाय करना संभव हो;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :-

59. In the Indian Coinage Act, 1906, for Section 11 the following section shall be substituted, namely :

Amendment of Act III of 1906.

"11. Gold coins, coined at His Majesty's Royal Mint in England or at any mint established in pursuance of a proclamation of His Majesty as a branch of His Majesty's Royal Mint, shall not be legal tender in British India in payment or on account, but such coins shall be received by the Reserve Bank of India at its offices, branches and agencies in India at the bullion value of such coins calculated at the rate of 8·47512 grains troy of fine gold per rupee."

Demonetisation of sovereign and half-sovereign.

इस भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के प्रावधानों के रहते हमारे भारत के संविधान की मूल अवधारणा, हम नागरिकों के मूल अधिकार तथा हमारे जीने के अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया है।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट 1934 जिस समय लागू की गयी, उस समय उसके मूल एक्ट की धारा-56 के अनुसार प्रति रुपया 8.47512 ग्रेन्स या 549 मिलीग्राम सोना था, फिर 1940 में चाँदी के वैध रुपए जिसे गवर्नमेण्ट रुपया के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने कूटकरण कर रुपए को विकृत कर दिया, जिसका प्रमाणिक दस्तावेज रिजर्व बैंक एक्ट 1934 एवं क्वायनेज एक्ट 1906 का कूटकरण कर बनाया गया संशोधन एक्ट नं. VI 1940 गवर्नमेण्ट रुपए के कूटकरण का प्रमाणित दस्तावेज है।

'सूचना का अधिकार' के अन्तर्गत रिजर्व बैंक की गोल-माल, रद्दो-बदल सामने आया

हमने "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" के अंतर्गत दिनाँक 22.02.2016 को मांगी गयी सूचना के प्रश्न संख्या- 4 द्वारा यह सूचना माँगने पर कि- "भारतीय रुपए का 1 अप्रैल 1935 से आज की तिथि तक कितनी बार अवमूल्यन किया गया है, दिनाँक सहित अवमूल्यन प्रतिशत को सूचना के रूप में प्रकट करें।"

इसका उत्तर दिनाँक 18.03.2016 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिखित रूप में भेजा गया, जो इस प्रकार है-

"आजादी के बाद से भारतीय रुपए का अवमूल्यन 1949-1966 और 1991 में हुआ है। 22 सितंबर 1949 को पाउण्ड स्टर्लिंग का अवमूल्यन के फलस्वरूप स्वचालित रूप से रुपए का 30.5 फीसदी अवमूल्यन हुआ था, 1966 में देश की भारत के बाह्य क्षेत्र में तनाव, गंभीर सूखे और पश्चिमी देशों से सहायता बंद होने की वजह से और बढ़ गया था। इसके कारण 6 जून 1966 में रुपए का 36.5 फीसदी अवमूल्यन किया गया था (आर.बी.आई., हिस्टरी वाल्यूम 1951-1968)। बड़े बजट घाटे और खाड़ी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के कारण बढ़ते आयात बिल की वजह से भारत को 1992 में भुगतान संतुलन का सामना करना पड़ा, इस कारण रुपए की विनिमय दर दो चरणों में करीब 1 फीसदी और 11 फीसदी अमेरिकी डालर के संदर्भ में 1 और 3 जुलाई 1992 में अवमूल्यन किया था।"

स्रोत (मुद्रा और वित्त, 2001-02 पर रिपोर्ट, आर. बी. आई.)

इसी उत्तर के संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिनाँक 13.05.2016 को मांगी गयी सूचना के प्रश्न संख्या-5 व 6 के द्वारा यह सूचना मांगी गयी कि-

"भारतीय रुपया तथा पाउण्ड स्टर्लिंग के आपस में क्या संबंध है?" जिससे 22 सितम्बर 1949 को पाउण्ड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के फलस्वरूप रुपए का 30.5 फीसदी अवमूल्यन स्वचालित रूप से हुआ था, "इसे सूचना के रूप में प्रकट करें" जिसका उत्तर रिजर्व बैंक द्वारा दिनाँक 30.05.2016 को भेजा गया, जो इस प्रकार है-

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन, नवम्बर 1949 में उल्लेख है कि- "भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की सहमति से 20 सितंबर 1949 को रुपए का अवमूल्यन स्टर्लिंग के मूल्य के बराबर करने की घोषणा थी। यह भी घोषणा की गयी थी कि अमेरिकी मुद्रा के संबंध में रुपए का मूल्य 30.225 सेन्ट्स से परिवर्तित होकर 21 सेन्ट्स होगा और सोने के संदर्भ में रुपए की तुलना में शुद्ध स्वर्ण का मूल्य 0.268601 से परिवर्तित होकर 0.186621 ग्राम होगा तथा रुपए और पाउण्ड स्टर्लिन की विनिमय दर अपरिवर्तित, रहेगी।"

इस तरह रुपए का कूटकरण पर कूटकरण करते-करते जिस रुपए ने सन् 1990 तक प्रति रुपया 0.118489 ग्राम सोने का हिसाब था, उसे सन् 1991 में खत्म करके रुपए को बाजार के हवाले कर दिया गया है यह "गवर्नमेण्ट रुपया" सोना से लगभग शून्य है।

दिनाँक 13.05.2016 को मांगी गयी सूचना का प्रश्न संख्या-5 में यह सूचना मांगी गयी कि- भारतीय रुपया के अवमूल्यन का प्राधिकार देने वाले अधिनियम, नियम, आदेश की सूचना देवे।

इस प्रश्न का उत्तर 25.05.2016 को रिजर्व बैंक के वित्तीय बाजार विनिमयन विभाग द्वारा उत्तर में कहा गया कि- "यह सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है।" आपका प्रश्न वित्तीय बाजार परिचालन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है जो आपको इस प्रश्न का उत्तर देगें।

पुन: इसी विभाग द्वारा दिनाँक 16.06.2016 को दूसरा उत्तर भेजा जाता है, जिसमें लिखते है कि- कृपया हमारे 25 मई 2016 के पत्र का संदर्भ लें। इस संदर्भ में जानकारी इस प्रकार है- "यह सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है।"

पुन: रिजर्व बैंक के वित्तीय बाजार परिचालन विभाग द्वारा 11 अगस्त 2016 को एनेक्स- ए के अनुसार सूचना के उत्तर में लिखते है कि- यह प्राधिकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत दिया गया है।

इस उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हुए और इस पर केन्द्रीय सूचना आयोग में अपील कर दी, कि रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में रुपए के अवमूल्यन के संदर्भ में किस धारा- में उल्लेखित है, रिजर्व बैंक बताए। इस अपील की बहस 16 अप्रैल 2018 को वीडियों कान्फ्रेन्स के जरिए हुई और हमने इस बहस में भाग लेते हुए सिर्फ इतना जानना चाहा कि- रिजर्व बैंक एक्ट की कौन-सी धारा में अवमूल्यन का उल्लेख है। रिजर्व बैंक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।

रिजर्व बैंक द्वारा आर.टी.आई. के सूचना में उत्तर देते हुए जो कारण उपरोक्त में बताया गया है कि बाह्य क्षेत्र में तनाव, गंभीर सूखे, पश्चिमी देशों में सहायता बंद होने, बड़े बजट घाटे, खाड़ी युद्ध, आयात बिल भुगतान आदि कारणों से अवमूल्यन किया गया। यह भ्रमित करने वाला एवं हास्यास्पद बहाना है, रिजर्व बैंक के अवमूल्यन के कारण एवं निवारण को एक उदाहरण में समझे-

आज सुबह सोकर उठने के बाद मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मुझे सर्दी, जुकाम, बुखार, सरदर्द आदि हो जाता है उसी समय हमारे एक शुभचिंतक आते है और हमसे हाल-चाल होता है, उस दौरान हमने उनसे कहा क्या कहूं आज जब से सोकर उठा हूँ मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, आज का दिन-समय अच्छा नहीं है, तो उस शुभचिंतक ने कहा आप कुछ

उपाय करों जिससे आप ठीक हो जायें, यह कहकर शुभचिंतक चले गये। तब हमने एक उपाय सोचा, हमने अपनी समय की मापक घड़ी को लिया और हमने उस घड़ी के समय, दिन आदि का अवमूल्यन (बदलकर) समय को कुछ दिन आगे या पीछे कर दिया।

तो क्या हमारा समय बदल गया? क्या हमारी बीमारी सर्दी-जुकाम, बुखार आदि ठीक हो जायेगें? क्या हमारे अच्छे दिन, समय आ जायेगें? क्या समय की मापक घड़ी के घंटा, मिनट के मानक एवं दिन, महीने, साल को अवमूल्यन परिवर्तन या कूटकरण कर दे तो क्या मेरा समय बदल जाएगा?

तो इसका शत्-प्रतिशत जवाब होगा कि-

1- इस प्रकार समय का अवमूल्यन (कूटकरण) करने से हमारा समय, दिन कभी ठीक नहीं होगा।

2- हमने समय की मापक घड़ी के मानक में बदलाव (अवमूल्यन) कर उस घड़ी को खराब कर दिया जिससे वह घड़ी अब समय का गलत मापन का कार्य शुरु कर देगी अर्थात् कुछ दिनों बाद यही घड़ी दिन को रात और रात को दिन बताना शुरु कर देगी। जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में समय का संकट पैदा हो जाएगा।

इन तथ्यों से यह सिद्ध हो रहा है कि जो रुपए के अवमूल्यन (कूटकरण) कारण बताया गया है उस कारण का निवारण रुपए का अवमूल्यन बिल्कुल नहीं है। बल्कि अवमूल्यन से उन कारणों के घटने के बदले और बढ़ेगा, महँगाई और बढ़ेगी, जैसे- हम अस्वस्थ है तो उसका निदान डाक्टर और दवा है, उसी प्रकार अवमूल्यन का जो कारण बताया गया है उसका निदान सिर्फ उत्पादन बढ़ाना होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा जिन कारणों को बताते हुए कूटकरण किया गया उन कारणों का कूटकरण से निवारण हूआ या नहीं? इन सवालों का जवाब भारत सरकार और रिजर्व बैंक को देना चाहिए था या नहीं?

वैध रुपया का संचालन प्रकृति द्वारा संचालित होता है।
अवैध रुपया का संचालन व्यक्तियों द्वारा होता है।

'सूचना का अधिकार अधिनियम' द्वारा पकड़ा गया रिजर्व बैंक की झूठ एवं रद्दो-बदल

हमें सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा कुछ ऐसी जानकारियाँ प्राप्त हुई है, जिससे यह सिद्ध होता है कि रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने भारत के लोगों के साथ छल-कपट और धोखा किया है। आर.टी.आई. द्वारा दिनाँक 28.09.2017 को रिजर्व बैंक से पूछे गये प्रश्न से कि- क्या वर्तमान में बैंक नोटों का निर्गमन प्रतिभूति रखकर किया जाता है? यदि हाँ तो कौन सी प्रतिभूति व कितनी मात्रा प्रति रुपए में रखी जाती है। इसे सूचना के रूप में प्रकट करें।

रिजर्व बैंक ने दिनाँक 03.11.2017 को उत्तर देते हुए कहा-"रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गये सभी बैंक नोट भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा-33(1) में परिभाषित रूप से पात्र संपत्तियों द्वारा समर्थित है।"

3	क्या वर्तमान में बैंक नोटों का निर्गमन प्रतिभूति रखकर किया जाता है? यदि हाँ तो कौन सी प्रतिभूति व कितनी मात्रा प्रति रूपाएँ में रखी जाती है। इसे सूचना के रूप में प्रगट करें।	रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी बैंक नोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 33 (1) में परिभाषित रूप में पात्र संपत्तियों द्वारा समर्थित हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 17-2016XI में दिए गए "वर्ष 2016-17 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा" का संदर्भ लें जो की निम्न लिंक पर दी गयी है: https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/AnnualReport.aspx

पाठक ध्यान दें, प्रत्येक नोटों पर लिखा है कि- "केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत" अर्थात् संपत्तियों की गारण्टी है और रिजर्व बैंक का कहना है कि संपत्तियों द्वारा समर्थित है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गारण्टी और समर्थन में पूरब और पश्चिम का अंतर है।

यह भारत की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है कि दिनाँक 15.10.1990 तक रुपया में प्रति रुपया 0.118489 ग्राम शुद्ध सोने का हिसाब था, उसे खत्म करके रुपया बाजार के हवाले कर दिया गया, और जनता को धोखा देने के लिए आज भी नोटों पर प्रत्याभूत शब्द लिखा है, जबकि जो संपत्ति रखी है वह प्रतिभूति अर्थात् गारण्टी नहीं है, बल्कि समर्थन में रखा गया है, जो मात्र दिखावा है। इससे सिद्ध होता है कि यह रुपया वैध निविदा धन नहीं कागज का टुकड़ा है।

रिजर्व बैंक द्वारा आर. टी. आई. के उत्तर में रद्दो-बदल कर दिया गया- उत्तर

'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' के अन्तर्गत रिजर्व बैंक से दिनाँक 12.09.2018 को प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना के प्रश्न संख्या-1 में यह सूचना मांगी गयी कि-

"क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारम्भिक काल से निर्गमित बैंक नोटों पर गवर्नर की वचन खण्ड सिर्फ अंग्रेजी में "I PROMISS TO PAY THE BEARER ON DEMAND THE SUM OF ------------RUPEES AT ANY OFFICE OF ISSSUE" लिखा (छापा) जाता था, या नहीं?

यदि यही उपरोक्त वचन खण्ड लिखा (छापा) जाता था, तो-

यह गवर्नर का वचन खण्ड किस दिनाँक व सन् में परिवर्तन किया गया? इसकी प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावें।"

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनाँक 10.10.2018 को उत्तर देते हुए कहा कि-

"भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारम्भिक काल से निर्गमित बैंक नोटों पर वचन खण्ड सिर्फ अंग्रेजी में छापा जाता था, जो था "I Promiss to pay the bearer a sum of rupees……………

इसके बाद सन् 1968 से बैंक नोटों पर अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी वचन खण्ड को छापे जाने की प्रथा शुरू की गयी, जिसे आजतक जारी रखा गया है।"

प्रश्न संख्या	प्रश्न	जवाब
1	क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारम्भिक काल से निर्गमित बैंक नोटों पर गवर्नर का वचन खंड सिर्फ अंग्रेजी में "I PROMISE TO PAY THE BEARER ON DEMAND THE SUM OF ___ RUPEES AT ANY OFFICE OF ISSUE" लिखा छापा जाता था या नहीं? यदि यही उपरोक्त वचन खंड लिखा (छापा) जाता था तो, यह गवर्नर का वचन खंड किस दिनांक व सन में परिवर्तन किया गया? इसकी प्रमाणिक सूचना उपलब्ध करावें।	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रारम्भिक काल से निर्गमित बैंक नोटों पर वचन खंड सिर्फ अंग्रेजी में छापा जाता था, जो था "I promise to pay the bearer a sum of Rupees……….." इसके बाद सन 1968 से बैंक नोटों पर अंग्रेजी के साथ - साथ हिन्दी में भी वचन खंड को छापे जाने की प्रथा शुरू की गयी, जिसे आज तक जारी रखा गया है।

इस असत्य और भ्रामक सूचना का 'केन्द्रिय सूचना आयोग' में हमने अपील कर दी। जिसकी बहस दिनाँक 05/02/2021 को केन्द्रिय सूचना आयुक्त श्रीमान श्री सुरेश चन्द्रा जी के समक्ष वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की गई। जो हमारे शोध (खोज) द्वारा पूणे स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज जिसमें बैंक नोटों पर उल्लेखित गवर्नर के वचन खण्ड का रद्दो-बदल एवं झूठा उत्तर देने के बारे में अवगत

कराया। तो रिजर्व बैंक के केन्द्रिय जनसूचना अधिकारी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए यह कहा कि 'घनश्याम वर्मा' द्वारा कही गई बात और दस्तावेज सही है। गवर्नर के वचन खण्ड को सन् 1968 के बाद हिन्दी और अंग्रेजी द्वि-भाषी रूप में वचन खण्ड में परिवर्तन कर बदला गया है। यह सुनकर श्रीमान सूचना आयुक्त भी आश्चर्यचकित हो गये। उन्होंने पिछले दिये गए उत्तर के जगह पर पुनः संशोधित कर सही उत्तर देने एवं प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करने का आदेश पारित किया। जिसका जवाब रिजर्व बैंक के द्वारा भेजा गया। जिसमें रुपए का प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं भेजा गया।

इस आर.टी.आई. को पृष्ठ संख्या 242 से 280 में देखें।

रिजर्व बैंक के जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने में किस-किस तरह की चिटिंग एवं रद्दो-बदल की जाती है इसका दूसरा उदाहरण देखें।

दिनाँक 07/05/2018 को प्रेषित सूचना के लिए आवेदन-पत्र के बिन्दु संख्या –

1. क्या भारतीय रुपए के अवमूल्यन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अन्तर्गत किया जाता है? यदि हाँ तो उक्त अधिनियम में उल्लेखित धारा कि सूचना देते हुए उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

   इसका जवाब दिया कि – हाँ आर.बी.आई. अधिनियम की प्रस्तावना से और धाराएँ 17(3) (ए) , 40 और 45 डब्ल्यू से आर.बी.आई. को मार्केट परिचालनों के लिए शक्तियाँ प्राप्त हैं।

   इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि में प्रस्तावना को लिखित भेजा गया जिसकी तीसरी पंक्ति में- देश के लाभार्थ चलाने के लिए "भारत के लिए" एक रिजर्व बैंक का गठित करना समीचीन है।

   इसमें "भारत के लिए" शब्द को हटा दिया गया है। जिससे ठीक उलट अर्थ निकलता है।

वैध रुपया जनता या देश को शोषण मुक्त रखती है।
अवैध रुपया जनता या देश का भयंकर शोषण करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

अधिनियम की प्रस्तावना

भारतीय रिज़र्व बैंक गठित करने के लिए अधिनियम

बैंक-नोटों का निर्गमन करने और [2][भारत] में मुद्रा-स्थिति की सुदृढ़ता बनाए रखने की दृष्टि से आरक्षित राशियों का रखा जाना नियंत्रित करने के लिए तथा समष्टिगत रूप से देश की करेंसी और प्रत्यय व्यवस्था को देश के लाभार्थ चलाने के लिए एक रिज़र्व बैंक का गठित करना समीचीन है;

यहाँ से "भारत के लिए" को जानबूझ कर हटाया गया है

धारा 17

रिज़र्व बैंक एतत्पश्चात विनिर्दिष्ट अनेक प्रकार के कारबार चलाने और उनका निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत होगा, अर्थात :-

3 (क) [विदेशी मुद्रा] अनुसूचित बैंकों,''' से खरीदना और उनको बेचना,''''

धारा 40

रिज़र्व बैंक किसी ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति को या से, जो मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास के उसके कार्यालय में [7][या उसकी ऐसी शाखाओं में, जैसी केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे] इसकी बाबत मांग करता है, विनिमय की ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों पर, जो केंद्रीय सरकार जहां तक विनिमय दरों का संबंध है अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा निधि की अपनी बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय करेगा:

आर.बी.आई. अधिनियम की प्रस्तावना में 'देश' शब्द का आशय ब्रिटेन से है।

आज भी भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है। भारत के संविधान में भारत को कही भी देश कहकर संबोधित नहीं किया गया है। संविधान में भारत को 'लोकतांत्रिक गणराज्य' कहकर संबोधित किया गया है। इस तरह हर राज्य देश के अधीन होता है।

प्रश्न यह उठता है कि –

(क) क्या कूटकरण या अवमूल्यन करने के प्रश्न को आर.बी.आई. द्वारा मार्केट परिचालनों के लिए प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर "भ्रमित करने का प्रयास" कर रहा है। यह कहा जा सकता है या नहीं?

जैसे – किसी व्यापारी को व्यापार करने का अधिकार है। अगर वह व्यापारी व्यापार करने के दौरान अपने पास रखे बाट में 100 ग्राम के बाट में एक शून्य बढ़ाकर 1000 ग्राम (1किलो ग्राम) कर दे और उसी 1 किलोग्राम बाट से लेन-देन करे और इस धोखाधड़ी शोषण में वह व्यापारी पकड़ लिया जाए और वह यह बात कहे कि "मार्केट परिचालनों के लिए यह शक्तियाँ हमें प्राप्त है।" तो क्या इसे छल, कपट, धोखाधड़ी, लूट-पाट तथा शोषण कहा जा सकता है या नहीं?

इससे सिद्ध होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार ने नियम एवं कानून का उल्लंघन कर रुपए के दस्तावेज का कूटकरण कर कानून की अवहेलना एवं संविधान की अवमानना की है, जो देश की जनता के साथ छल, कपट, धोखा, लूटपाट, शोषण तथा देश के साथ गद्दारी, विश्वासघात की है या नहीं?

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का सम्मान या अपमान?

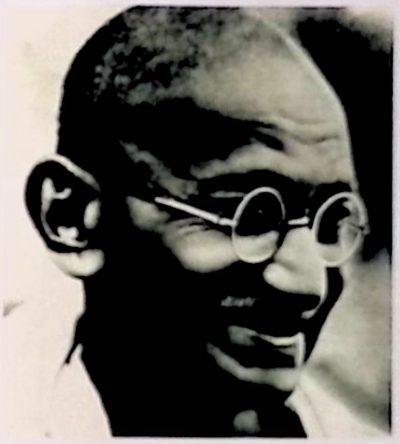

सन् 1990 के बाद गारण्टी खत्म करके अब संपत्ति "समर्थन" के रूप में रखी जाने लगी। दूसरी चौकाने वाली घटना आर.टी.आई. दिनाँक 15.07.2015 के प्रश्न- महात्मा गाँधी की फोटो रुपए पर किस दिनाँक व सन् से लग रहे है? गाँधी जी की फोटो लगाने का आदेश किसके द्वारा और किस दिनाँक व सन् में दिया गया? इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें? रिजर्व बैंक ने इसका जवाब देते हुए बताया कि दिनाँक 04.06.1996 को 100 रुपए के नोटों पर, गाँधी जी का फोटो लगाया गया और उसके बाद क्रमशः दिनाँक 13.06.1996 को 10 के नोट पर एवं दिनाँक 14.03.1997 को 50 रुपए के नोटों पर, दिनाँक 20.10.1997 को 500 रुपए के नोटों पर, दिनाँक 09.10.2000 को 1000 रुपए के नोटों पर, दिनाँक 24.08.2001 को 20 रुपए के नोटों पर तथा नवम्बर 2001 को 5 रुपए वर्ग के मूल्य के नोटों पर महात्मा गाँधी जी के फोटो को लगाया गया।

क्या इन नोटों में गवर्नर के वचन खण्ड में रद्दो-बदल करने एवं केन्द्रिय सरकार के गारण्टी को 'समर्थन' में कहते? इन समर्थित नोटों अर्थात् अवैध नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी का फोटों लगाकर भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने बापू का सम्मान किया है या अपमान? जिस गाँधी जी ने अंग्रेजी सरकार तथा उसके शोषण का विरोध किया उसी ब्रिटिश सरकार की रिजर्व बैंक ने कूटकृत अवैध रुपए पर गाँधी जी का फोटो लगाकर पूरे देश का शोषण कर रही है। इसे भारत के साथ गद्दारी तथा राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी का अपमान कहा जा सकता है या नहीं?

भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कूटकरण अपराध

ब्रिटिश हुकूमत द्वारा हम भारतीय गुलामों के लिए एक और षडयंत्र रचा गया, वो यह कि "ईस्ट इण्डिया कम्पनी रुपया" को क्वायनेंज एक्ट 1862 में ज्यों-का-त्यों अपनाने एवं उसका नाम बदलकर "गवर्नमेण्ट रुपया" रखा, इस गवर्नमेण्ट रुपया के मानक मूल्य के कूटकरण पर भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय-10 धारा-178-188 तक सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोटों एवं सरकारी स्टैंप के कूटकरण अपराध सम्बन्धित धाराएं हैं (आईपीसी-अध्याय 18, धारा-489 क,ख,ग,घ,ङ तक करेंसी नोट या बैंक नोटों के कूटकरण से सम्बन्धित अपराधिक धाराएं है) जिसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, जो प्रमाणित साक्ष्य है। जो ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने ही बनायी है।

चाँदी के सिक्का, रुपया का प्रथम कूटकरण-1940

रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद जिसका उद्देश्य भारत का शोषण करके ब्रिटिश खजाने को भरना एवं ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भारत एवं भारतीयों की लूट-पाट एवं शोषण के लिए 11 मार्च 1940 को सैकड़ों सालों से चले आ रहे रुपए "गवर्नमेण्ट रुपया" का ब्रिटिश गवर्नमेण्ट द्वारा अपने बनाये नियम एवं कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए, क्वायनेज एक्ट 1906 के द्वारा निर्धारित रुपए के मानक का कूटकरण किया गया, जिसका प्रमाणित दस्तावेज एक्ट VI आफ 1940 है। यह कूटकरण चाँदी के "गवर्नमेण्ट रुपए" का प्रथम कूटकरण था, जिससे भारत की बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ती चली गयी, तथा भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गयी। क्वायनेज एक्ट 1906 का 1940 में किया गया "गवर्नमेण्ट रुपए" का कूटकरण विधि शून्य है। क्योंकि रुपए के कूटकरण का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि अपराध है।

वैध रुपया जनता या देश में आर्थिक अभाव नहीं आने देती है।
अवैध रुपया जनता या देश में आर्थिक अभाव कभी भी खत्म नहीं होने देती है।

plied to the partially excluded areas [illegible] 20.1.41,
dras, see Fort St. George Gaz. Notfn. No. 13, [illegible] 20.1.41,
plied to all the partially excluded areas of [illegible] vince
[illegible] Orissa specified in Part. II of Schedule to the Govt. of
India (Excluded and partially Excluded Areas) Order, 1936,
[illegible] Orissa Govt. Notfn. No. 324-P, d/-28.1.41.

ACT[1] No. VI OF 1940.

[PASSED BY THE INDIAN LEGISLATURE.]

(Received the assent of the Governor General on the 11th March, 1940.)

An Act further to amend the Indian Coinage Act, 1906.

III of 1906. WHEREAS it is expedient further to amend the Indian Coinage Act, 1906, for the purpose hereinafter appearing;

It is hereby enacted as follows:—

Short title. 1. This Act may be called the Indian Coinage (Amendment) Act, 1940.

Amendment of section 5 of Act III of 1906. 2. For section 5 of the Indian Coinage Act, 1906 (hereinafter referred to as the said Act), the following section shall be substituted, namely:—

Standard weight and fineness. "5. (1) The standard weight of the Government rupee shall be one hundred and eighty grains troy.

(2) The other silver coins shall be of proportionate weight.

(3) The standard fineness of the Government rupee shall be as follows, namely, eleven-twelfths, or one hundred and sixty-five grains of fine silver, and one-twelfth, or fifteen grains of alloy: of the half-rupee, eleven-twelfths, or eighty-two and a half grains of fine silver, and one-twelfth, or seven and a half grains of alloy: and of the quarter-rupee, one-half, or twenty-two and a half grains of fine silver, and one-half, or twenty-two and a half grains of alloy.

(4) In

1

Price anna 1 or 1½d.

Applied to British Baluchistan, see Notfn. No. 168-F, dated 17.10.40, Gaz. of India, 1940, Pt. I, p.1678.

(4) In the making of silver coins, a remedy shall be allowed of an amount not exceeding the following, namely :—

	Remedy in weight.	Remedy in fineness.
Rupee } Half-rupee }	Five-thousandths .	Two-thousandths.
Quarter-rupee	Nine-thousandths . .	Five-thousandths.

and in applying the said remedies to quarter-rupees the remedies shall be applied to the average of one hundred coins and not to individual coins."

Amendment of section 15, Act III of 1906. 3. To section 15 of the said Act the following sub-section shall be added, namely :—

"(3) All quarter-rupee silver coins which may have been issued under this Act prior to the commencement of the Indian Coinage (Amendment) Act, 1940, shall continue to be a legal tender in payment or on account for any sum not exceeding one rupee at the rate of four for a rupee."

आर्जी हुकूमत-ए-आजाद हिन्द का सैद्धांतिक भारतीय रुपया

<u>नेता जी सुभाष चंद्र बोस द्वारा "भारतीय रुपया" की पुनः स्थापना</u>-भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसी आन्दोलन के दौरान भारत के वीर सपूत, शहीदों के प्रणेता नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए "आर्जी हुकुमत-ए-आजाद हिन्द" नाम से सरकार का गठन कर लिया, जिसे आजाद हिन्द सरकार के नाम से जाना जाता था और 5 अप्रैल 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों द्वारा भारत में की जा रही

लूट-पाट एवं शोषण का करारा जवाब देते हुए “नेशनल बैंक ऑफ आजाद हिन्द” को रंगून में स्थापित कर भारत की मुद्रा भारतीय रुपया जो प्रायः लुप्त हो चुकी थी, उस “भारतीय रुपए” को पुनः नया जीवन देते हुए “आजाद हिन्द रुपया” के रूप में जारी कर दी, कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में छा गया, यह आजाद हिन्द का रुपया कामर्शियल आर्गेनाईजेशन मुद्रा थी, यह स्टेट मुद्रा नहीं थी। तथा वर्मा विधि द्वारा रजिस्टर्ड थी उस रुपए का मानक मूल्य सैद्धांतिक एवं स्थिरांक था, जिसका परिणाम यह हुआ कि 8 स्वतंत्र राष्ट्रों ने इस “आजाद हिन्द रुपया” को मान्यता दे दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्रिंसीपल में लिखा है कि- “डिटर्मिनेशन नाट टू बारो लोन्स ऐज इट मेय डिस्ट्रोय द इकोनामिक फ्यूचर आफ द कण्ट्री”- Principal [Determination not to borrow loans as it may destroy the economic future of the Country]

इस “आजाद हिन्द रुपए” में गवर्नमेण्ट रुपए को जड़ से उखाड़ने की क्षमता थी, “आजाद हिन्द बैंक” तीव्र गति से बढ़ने लगा, भारतीयों ने इस बैंक का भरपूर समर्थन दिया और कुछ ही दिनों में भारत की जनता ने इसकी तिजोरी सोने से भर दिया।

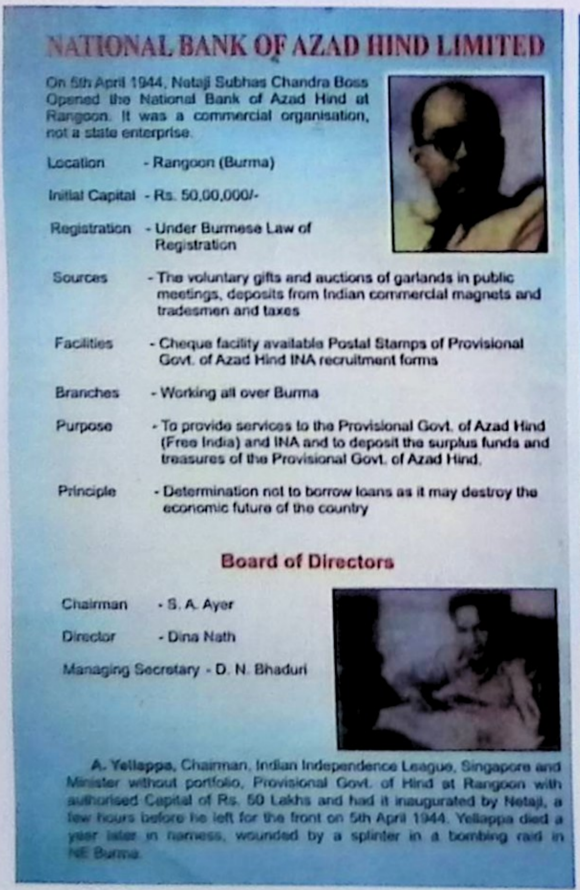

NATIONAL BANK OF AZAD HIND LIMITED

On 5th April 1944, Netaji Subhas Chandra Boss Opened the National Bank of Azad Hind at Rangoon. It was a commercial organisation, not a state enterprise.

Location	- Rangoon (Burma)
Initial Capital	- Rs. 50,00,000/-
Registration	- Under Burmese Law of Registration
Sources	- The voluntary gifts and auctions of garlands in public meetings, deposits from Indian commercial magnets and tradesmen and taxes
Facilities	- Cheque facility available Postal Stamps of Provisional Govt. of Azad Hind INA recruitment forms
Branches	- Working all over Burma
Purpose	- To provide services to the Provisional Govt. of Azad Hind (Free India) and INA and to deposit the surplus funds and treasures of the Provisional Govt. of Azad Hind.
Principle	- Determination not to borrow loans as it may destroy the economic future of the country

Board of Directors

Chairman	- S. A. Ayer
Director	- Dina Nath
Managing Secretary	- D. N. Bhaduri

A. Yellappa, Chairman, Indian Independence League, Singapore and Minister without portfolio, Provisional Govt. of Hind at Rangoon with authorised Capital of Rs. 50 Lakhs and had it inaugurated by Netaji, a few hours before he left for the front on 5th April 1944. Yellappa died a year later in harness, wounded by a splinter in a bombing raid in NE Burma.

वैध सरकार 'आर्जी हुकूमत-ए-आजाद हिन्द' की वैध रुपया आज भी बन्द नहीं

इधर अंग्रेजी हुकूमत में खलबली मच गयी, जिसका मुख्य कारण था विधि द्वारा स्थापित संप्रभुता संपन्न आजाद हिन्द सरकार थी जो विधि द्वारा स्थापित स्वतंत्र सरकार के मानकों को पूरा करने के पश्चात "आजाद हिन्द सरकार" का गठन किया गया था, किसी भी राष्ट्रीय सरकार के गठन में प्रमुख मानक के रूप में उस सरकार का संविधान हो, उस सरकार की सेना हो, और उसकी अपनी मुद्रा हो, तभी अन्य स्वतंत्र राष्ट्र अपनी मान्यता देती है जिसे "आर्जी हुकूमत-ए-आजाद हिन्द" सरकार ने पूरा किया। तब 12 स्वतंत्र राष्ट्रों ने आजाद हिन्द सरकार एवं इसकी मुद्रा "आजाद हिन्द रुपया" को मान्यता दिया। आर्जी हुकूमत-ए-आजाद हिन्द 'अस्थायी भारत सरकार' जिसके प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, आजाद हिन्द रुपए पर इनकी तस्वीर लगी रहती थी, इस रुपए का मानक (स्टैण्डर्ड) स्थिरांक तथा सैद्धांतिक था, इन्होने अंग्रेजों द्वारा भारत की मुद्रा रुपया का कूटकरण कर बनाया गया भारतीय गुलामों के रुपए "ईस्ट इण्डिया कम्पनी रुपया तथा गवर्नमेण्ट रुपया" जो भारतीयों का खून चूस रही थी, तथा भारतीय जनता को गरीबी, भुखमरी तक पहुंचा दिया था, नेता जी ने भारतीय सैद्धांतिक मानक का रुपया पुनः स्थापित किया।

आजाद हिन्द सरकार का आजाद हिन्द रुपया का मानक (स्टैण्डर्ड एवं मोहर मानक)-

वजन तोला में मात्रा	वजन ग्राम में मात्रा	धातु सोना एवं चांदी	धातु सोना एवं चांदी
1 तोला	11.664 ग्राम	शुद्ध चांदी	1 रूपया
1 तोला	11.664 ग्राम	शुद्ध सोना	10 रूपया 1 मोहर

ब्रिटिश सरकार को "आजाद हिन्द सरकार" एवं आजाद हिन्द फौज से भी ज्यादा डर इस बात को लेकर था, कि अगर "आजाद हिन्द बैंक" बरकरार रहा, तो भारत सहित पुरी दुनिया से हमारा शोषण और लूट-पाट बन्द हो जायेगा, भारत आर्थिक रूप से आजाद हो जायेगा, जो वास्तविक आजादी होगी। अंग्रेज इस बात से परिचित थे कि आर्थिक आजादी ही असल आजादी है और आर्थिक गुलामी ही असल गुलामी है।

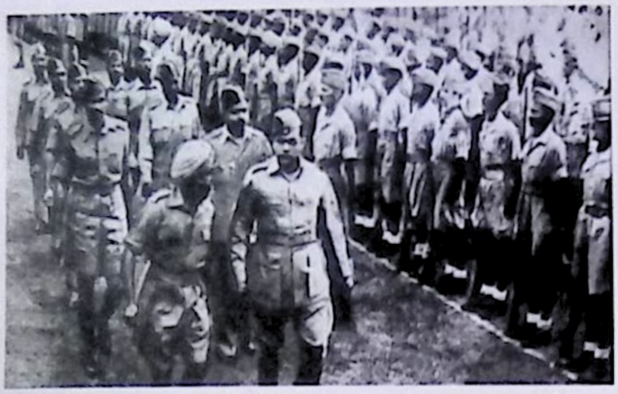

आजाद हिन्द सरकार द्वारा अपनी मुद्रा चलन में लाने से इसकी इतनी ताकत बढ़ गयी कि ब्रिटिश सम्राज्यवाद को चुनौती देते हुए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने 'तुम मुझे खून दो, मै तुम्हें आजादी दूंगा।' 'दिल्ली चलों' का नारा देते हुए मित्र देशों के सहयोग से अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया, जिसमें अंग्रेजो की कमर तोड़ डाली, इस युद्ध में भारत के लाखों शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, लगभग दस हजार आजाद हिन्द सैनिकों को बंदी बनाकर अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले में रखा तथा उन पर खुले आम मुकदमा चलाकर अंग्रेजों द्वारा फांसी देने की योजना थी।

नेता जी की शौर्य गाथा को जनता से छिपाया

पाठकों आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने अपने देश तथा देशवासियों के लिए इतना बड़ा आश्चर्यजनक कार्य किया, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने तथा भारत के नेताओं ने भारत की जनता को आजाद हिन्द सरकार एवं उसके कार्यों की जानकारी नहीं होने दी, यह एक संयोग है कि, अंग्रेजों द्वारा आजाद हिन्द सैनिकों पर खुलेआम मुकदमा चलाकर फाँसी देने की योजना का पता जब भारत की जनता को मालूम हुआ, और जनता आन्दोलित हुई, तब जाकर अंग्रेजों ने अपनी फाँसी देने की योजना को टालनी पड़ी, इधर नेताजी की मृत्यु हो गयी, यह अफवाह फैलायी गयी, और एक दूसरा पक्ष नेता जी जिंदा है ऐसा प्रचारित कर नेताजी को जिन्दा-मुर्दा में उलझा दिया। और नेताजी का "आजाद हिन्द सरकार" और आजाद हिन्द बैंक एवं

आजाद हिन्द का धन (स्वर्ण) से सम्बन्धित दस्तावेजों को जप्त कर आज भी उसे गुप्त रखा गया है।

भारत के लिए मर-मिटने वाले उन शहीदों एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सम्बन्धित दस्तावेजों को भारत की जनता से छुपाना इसे देश भक्ति कहा जाये या देशद्रोह?

आर.टी.आई. के अंतर्गत दिनाँक 19.06.2015 को प्रश्न संख्या-7 के द्वारा यह पूछे जाने पर कि-"नेशनल बैंक आफ आजाद हिन्द लिमिटेड" की करेंसी से लेन-देन किसके द्वारा वन्द कराया गया? किस कारण बन्द कराया गया? किस दिनाँक व किस सन् से बन्द है? इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाए।

इस सूचना को प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री, रिजर्व बैंक आदि से माँगी गयी, जिसके उत्तर में भारत सरकार से जवाब मिला कि-

आपके आवेदन के बिन्दु 1, 4 और 7 के संदर्भ में उत्तर निम्नानुसार है-

"अधोहस्ताक्षरी CPIO के पास विनिमय माध्यम के रूप में सोने के सिक्के के मानक अथवा डालर के प्रयोग के मानक हेतु विधिक प्रारूप की किसी वैध मुद्रा का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।"

इस सूचना के उत्तर में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने सूचना देते हुए लिखा है कि- "वांछित सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है।" भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक के उत्तर से यह स्पष्ट हो रहा है कि-

(क)- आजाद हिन्द सरकार की वैध आजाद हिन्द बैंक और उसकी मुद्रा "आजाद हिन्द रुपया वैध थी, और वैध है।

(ख)- आजाद हिन्द बैंक एवं उसकी मुद्रा रुपया को किसी सरकार ने बंद नहीं किया अर्थात् वह वैध बैंक तथा वैध आजाद हिन्द रुपया आज भी चलन में है, अगर भारत सरकार के पास और रिजर्व बैंक के पास बंद होने का कोई दस्तावेज नहीं है तो इससे सिद्ध होता है कि वैध आजाद हिन्द रुपया आज भी चलन में है जिससे भारत सरकार, भारत की जनता से लेन-देन क्यों नहीं करती और कराती है?

(ग)- भारत को आजादी मिलने के बाद भारत के शहीदों द्वारा स्थापित वैध बैंक तथा वैध

"आजाद हिन्द रुपया" था तो जिन अंग्रेजों ने भारत को सैकड़ों साल गुलाम बनाकर रखा तथा जिस रुपए से भारत को लूटा और लूट रहे है उस रुपए "ईस्ट इण्डिया कम्पनी रुपया" तथा "गवर्नमेण्ट रुपया" जो कुटकृत एवं विधि शून्य है से लेन-देन क्यों?

इसका जवाब भारत सरकार को देना चाहिए या नहीं?

आजाद हिन्द करेंसी

किसानों, मजदूरों के लूट-पाट एवं शोषण का रहस्यमय जाल

सन् 1970 और 2024 में गेंहू की कीमत का तुलनात्मक विश्लेषण- सन् 1970 में 50/- रुपया प्रति क्विंटल गेंहू का भाव था, जिससे 1 क्विंटल गेंहू की मुद्रा में कीमत 50/- रुपया था और उस समय सोना 184/- रुपया प्रति दस ग्राम का भाव था।

$$10 \times 50 \div 184 = 2.717$$ ग्राम सोना में था।

अर्थात् किसान 1 क्विंटल गेंहू बेचता था, तो भारत सरकार उस किसान को रुपया में 50 रुपया देती थी या सोना में 2.717 ग्राम सोना पाता था, केन्द्र और प्रान्त की बहुत सी सरकारें आई-गई और सभी सरकारों ने यही कहा कि- किसानों, हम तुम्हारे गेंहू की कीमत बढ़ा रहे है और आज सन् 2024 में सरकारों ने 2170/-रुपया प्रति क्विंटल गेंहू का दाम कर दिया और पूरे देश में प्रचारित किया जाता है कि हमने सन् 1970 की तुलना में $2170 - 50 = 2120/-$ रुपया प्रति क्विंटल गेहूँ का दाम बढ़ाकर 2170/- रुपया कर दिया, लेकिन रुपए का मानक या, जो क्रय शक्ति, जो सोना होता है, उसके अनुसार सन् 1970 से 2.717 ग्राम सोना जो किसान पाता था, उस किसान की स्थिति सन् 2024 में-

सन् 1970 के अनुसार –

10 ग्राम × 50 रुपया भाव गेहूँ ÷ 184/- सोने का भाव = $\mathbf{2.717}$ ग्राम सोना किसान पाता था।

सन् 2024 के अनुसार –

10 ग्राम × 2170 रुपया भाव गेहूँ ÷ 65000/- सोने का भाव = $\mathbf{0.3338}$ ग्राम सोना किसान पाता है।

अर्थात्

$\mathbf{2.717}$ ग्राम − $\mathbf{0.3338}$ ग्राम = $\mathbf{2.383}$ ग्राम सोना किसान कम पाता है।

किन्तु, आज 2024 में 2.717 ग्राम का 65,000/- रुपया प्रति 10 ग्राम सोना के भाव से रुपया में –

65,000/- दर (भाव) × 2.717 मात्रा सोना ÷ 10 ग्राम = $\mathbf{17,660.5}$ रुपया होगा।

इसलिए आज प्रति क्विंटल गेंहू का मूल्य $\mathbf{17,660.5}$ रुपया होगा।

आज प्रति क्विंटल गेंहू का मूल्य $\mathbf{17,660.5}$/- रुपए होता तो किसान को सन् 1970 का गेंहूं का भाव मिलता, जबकि गेहूँ का हर साल समर्थन मूल्य बढ़ाती, केन्द्रीय सरकारें एवं प्रान्तीय सरकारों ने 2170/- रुपया प्रति क्विंटल सन् 2024 में तय किया। जो सन् 1970 के प्रति क्विंटल गेंहू की कीमत से $\mathbf{17,660.5 - 2170 = 15990.5}$ रुपया कम है, जो लगभग 7 गुना से अधिक कम है।

सन् 1970 और 2024 में कपास की कीमत का तुलनात्मक विश्लेषण – सन् 1970 में 185/- रुपया प्रति क्विंटल कपास का भाव था। जिससे एक क्विंटल कपास की मुद्रा (रुपया) में कीमत 185/- रुपया था और उस समय सोना 184/- रुपया प्रति 10 ग्राम सोना का भाव था।

$\mathbf{10 \times 185 \div 184 = 10.0543}$ ग्राम सोना में था।

अर्थात्, किसान एक क्विंटल कपास बेचता था तो सरकार उस किसान को रुपया में 185/- रुपया देती थी या सोना में 10.0543 ग्राम सोना पाता था। केन्द्र और प्रान्त की बहुत सी सरकारे आयी-गई और सभी सरकारों ने यही कहा की – किसानों हम तुम्हारे कपास की कीमत बढ़ा रहे हैं। और आज सन् 2024 में सरकार ने 7020/- रुपया प्रति क्विंटल कपास का दाम (भाव) कर दिया और पूरे भारत में प्रचारित किया जाता है कि हमने सन् 1970 की तुलना में 7020 – 185 = 6835 रुपया बढ़ाकर सन् 2024 में 7020/- रुपया कर दिया। लेकिन रुपए का मानक या क्रय-शक्ति जो सोना होता है। उसके अनुसार सन् 1970 में 10.0543 ग्राम सोना जो किसान पाता था उस किसान की स्थिति सन् 2024 में –

सन् 1970 के अनुसार –

10 ग्राम × 185/−रुपया कपास भाव ÷ 184/−सोने का भाव = **10.054** ग्राम सोना किसान पाता था।

सन् 2024 के अनुसार –

10 ग्राम × 7020/−रुपया कपास भाव ÷ 65000/−सोना का भाव = **1.080** ग्राम सोना किसान पाता है।

अर्थात्

10.054 − 1.080 = **8.974** ग्राम सोना किसान कम पाता है।

किन्तु आज सन् 2024 में 10.054 ग्राम सोने का 65,000/- रुपया प्रति 10 ग्राम सोना के भाव से रुपया में –

65,000 भाव × 10.054 ग्राम मात्रा सोना ÷ 10 ग्राम = **65,351/-** रुपया होगा।

इसलिए आज प्रति क्विंटल कपास का मूल्य 65,351/- रुपया होगा।

आज प्रति क्विंटल कपास का मूल्य 65,351/- रुपया होता तो किसान को सन् 1970 का कपास का भाव मिलता। जबकि कपास का हर साल समर्थन मूल्य बढ़ाती केन्द्रिय सरकारें और प्रान्तीय सरकारों ने 7020/- रुपया प्रति क्विंटल कपास का भाव सन् 2024 में तय किया। जो सन् 1970 के प्रति क्विंटल कपास की कीमत से **65,351 − 7020 = 58,331** रुपया कम है। जो लगभग 9 गुना से अधिक कम है।

इस तुलनात्मक गणना से प्रमाणित हो गया कि सन् 1970 की अपेक्षा सन् 2024 में गेंहू एवं कपास का विनिमय करता किसान का लूट-पाट तथा शोषण हुआ।

यह शोषण रुपया के अवमूल्यन (कूटकरण) के द्वारा मानक (स्टैण्डर्ड) को घटाने से हुआ। क्योकि रुपया की प्रमाणिक ईकाई मानक के स्थिर रहने से ही संभव है, जिसके बिना मूल्य का मापन संभव नहीं है। इस तरह मानक (स्टैण्डर्ड) में घटती रुपया किसानों के उत्पादन के मूल्य की मापक नहीं बल्कि शोषण का साधन बनकर किसानों का शोषण कर रही है।

सन् 1970 और 2024 में ट्रेक्टर और गेंहू के मूल्य का तुलनात्मक विश्लेषण-

(1)-सन् 1970 में एक ट्रेक्टर का मूल्य लगभग 19,000/- रुपया था। उस समय दस ग्राम सोने का मूल्य 184/- रुपया था, सोना में ट्रेक्टर का मूल्य

–

10 × 19,000 ÷ 184 = 1032.60 ग्राम सोना था।

उस समय ट्रेक्टर का मूल्य गेंहू में अदा करता किसान को 50/- रुपया प्रति क्विंटल की दर से 19,000 ÷ 50 = 380 क्विंटल गेंहू का विनिमय करना पड़ता था। आज सन् 2024 में उसी ट्रेक्टर का मूल्य लगभग 5,00,000/- रुपया (पाँच लाख रुपया) है और सोना में 10 ग्राम का 65,000/- के भाव से 5,00,000 × 10 ÷ 65,000 = **76.932** ग्राम सोना है। 2170/- रुपया प्रति क्विंटल की दर से ट्रेक्टर का आज गेंहू में मूल्य –

5,00,000 ÷ 2170 = **230.414** क्विंटल गेंहू है अतः सन् 1970 की तुलना में ट्रेक्टर का रुपया में मूल्य बढ़ा, किन्तु सोना में मूल्य घटा। जबकि गेंहू में मूल्य घटा, अब सवाल यह है कि "रुपया का अस्तित्व सोना से है या सोना का अस्तित्व रुपया से है।" जबकि रुपया का अस्तित्व सोना के मानक (स्टैण्डर्ड) से है यदि रुपया में सोने का मानक शून्य हो जाये, तो रुपया का अस्तित्व भी शून्य हो जायेगा, कहने का तात्पर्य यह है कि आंकिक मान केवल सोना की मात्रा को प्रदर्शित करता है इसलिए आज 76.932 ग्राम सोना ही ट्रेक्टर का वास्तविक मूल्य है। इसलिए ट्रेक्टर का मूल्य रुपया में भी घटना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रुपए का कूटकरण (अवमूल्यन) कर मानक (स्टेण्डर्ड), को भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत की सरकारों ने घटाकर रुपया को विनिमय का नहीं बल्कि शोषण का साधन बना लिया है। क्योंकि मुद्रा का मानक सिद्धांत इसका साक्षी है कि "जब मुद्रा के मानक में जिस अनुपात में कमी या वृद्धि की जाती है, उसी अनुपात में सामान्य कीमत स्तर में कमी या वृद्धि होती है और इसके विपरीत (विलोम) मुद्रा का मूल्य घट-बढ़ जाता है।" जो हुआ।

(2)- सन् 1970 में 50/- रुपया प्रति क्विंटल की दर से एक क्विंटल गेहूँ में 10 × 50 ÷ 184 = **2.717** ग्राम सोना मिलता था। जिसका सन् 2024 में 'मुद्रा रुपया' में मूल्य 65,000 × 2.717 ÷ 10 = **17660.5/–** रुपया होगा।

अतः किसान को सन् 1970 में जो गेहूं का भाव था, यदि वह भी भाव आज मिलता तो, आज सन् 2024 में प्रति क्विंटल गेंहू का वास्तविक मूल्य 17660.5/- रुपया होना चाहिए, किन्तु 2170/- रुपया प्रति क्विंटल तय किया गया जो लगभग 7 गुना से अधिक कम है। इस तरह केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों ने गेंहू का मूल्य बढ़ाया नहीं बल्कि रुपया के मानक को घटाकर गेंहू का मूल्य घटाया और कागज की नोटों को छापकर संख्या (अंक) बढ़ाया और भोले-भाले अनपढ़ किसानों की बुद्धि को भ्रमित कर छल-कपट ठगी, धोखा किया है, और रुपया को विनिमय का माध्यम नहीं बनाया बल्कि रुपया से किसानों का लूट-पाट करते हुए रुपए को शोषण का साधन बना दिया है।

(3)- सन् 1970 और 2024 के रुपया के मानक व मूल्य के मूल्यांकन के तुलनात्मक आंकड़ों से यह सिद्ध हो गया कि ट्रेक्टर का मूल्य घटा और घटकर 76.932 ग्राम सोना हो गया। सन् 1970 में जो रुपया का मानक (स्टैण्डर्ड) था, यदि वह यथावत् (स्थिरांक) रहता, अर्थात् मूल्य का मापक रुपया का वह मानक मान जिससे मूल्य का मापन होता है, वह स्थिर रहता, दूसरे शब्दों में नियम और कानूनों का उल्लंघन कर कूटकरण (अवमूल्यन) भारतीय रिजर्व बैंक व केन्द्रीय सरकार नहीं की होती, जिसकी मजबूती विश्वसनीयता सोना के मानक से है, जो मुद्रा रुपया का प्राण है, जिसके बिना रुपया का अस्तित्व संभव नहीं है तो 76.932 ग्राम सोना में मिलता,

आज ट्रेक्टर का मूल्य –

$\mathbf{184 \times 76.932 \div 10 = 1415.5488/-}$रुपया होना चाहिए।

जिसका सन् 1970 के भाव से गेंहू में मूल्य $\mathbf{1415.584 \div 50 = 28.310}$ क्विंटल गेहू और सन् 2024 के गेहू के भाव से $\mathbf{1415.584 \div 2170 = 0.6523}$ क्विंटल गेंहू होना चाहिए।

(4)- सन् 1970 में 50/- रुपया प्रति क्विंटल की दर से एक क्विंटल गेंहू का सोना में मूल्य- $10 \times 50 \div 184 = \mathbf{2.717}$ ग्राम सोना था, किन्तु आज सन् 2024 में उसी 1 क्विंटल गेंहू का मूल्य सोना में 2170/- रुपए प्रति क्विंटल की दर से $10 \times 2170 \div$

65,000 = **0.3338** ग्राम सोना है। जबकि 1970 की तुलना में किसानों को सन् 2024 में गेंहू का मूल्य हर साल बढ़ाती केन्द्रीय सरकार ने अधिकतम तय किया। इसके बावजूद भी 1970 की तुलना में 2024 में सोना में गेहू का मूल्य घटा, जबकि मुद्रा रुपया में बढ़ा। इस रहस्यमयी पहेली की बुझौनी-बुझाते किसानों के उत्पादन को केन्द्रीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक चौड़े मैदान में लूट रहे है। जिससे खेती-बाड़ी मरणासन्न हो गयी है, और खेत-खलिहान श्मशान बनते जा रहे है, खेती-बाड़ी छोड़ किसान पलायनवादी होते जा रहे है, कुछ सालों से भारी संख्या में किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही है। जिसका प्रमुख कारण रुपए का कूटकरण के द्वारा शोषण है। जिसमें लिप्त रिजर्व बैंक और भारत सरकार, किसानों की हत्या का दोषी है या नहीं?

सन् 1970 और सन् 2024 में मजदूर की मजदूरी का तुलनात्मक विश्लेषणः-

सन् 1970 में मजदूर के प्रतिदिन की मजदूरी मुद्रा में 5 रुपया थी, और सोना में – 10000(मिलीग्राम)या 10ग्राम × 5 ÷ 184 = **271.73** मिलीग्राम सोना था। जिसका विनिमयकर्ता मजदूर 50 पैसा/कि.ग्रा. गेंहू के भाव से 10 कि.ग्रा. गेंहू पाता था। आज सन् 2024 में मजदूर की मजदूरी रुपया में 300 रुपया और सोना में 10,000 × 300 ÷ 65,000 = **46.1538** मिली ग्राम सोना है जिसमें 21.70/– रुपया प्रति कि.ग्रा. की दर से 300 ÷ 21.70 = **13.824** कि.ग्रा. गेहूँ आज मजदूर को मिलता है जो सन् 1970 की तुलना में 13.824 – 10 = **3.824** कि.ग्रा. अधिक गेहूँ है। वास्तविकता यह है कि आज सन् 1970 की मजदूरी जो मुद्रा रुपया में 5 रुपया और सोना में 271.73 मिलीग्राम मजदूरी थी, वह सन् 2024 की मुद्रा रुपया में 300 रुपया अधिक तथा सोना **271.73 – 46.15 = 225.58** मिलीग्राम मजदूरी में कम है, क्योंकि आज 1970 की मजदूरी 271.73 मिलीग्राम सोना का मूल्य **65,000 × 271.73 ÷ 10,000 = 1766.245/–** रुपया होगा, जो सन् 2024 की मजदूरी **1766.245 – 300 = 1466.245/–**रुपया कम है।

जिसमें आज $1766.245 \div 21.70 = 81.393$ कि0ग्रा0 गेंहू मजदूर को मिलता, जो सन् 2024 के मजदूरी में मिलते गेंहू 13.824 से $81.393 - 13.824 = 67.569$ कि.ग्रा. गेहूँ कम है।

सन् 1970 और 2024 के प्रतिदिन की मजदूरी के तुलनात्मक आंकड़ा से यह प्रमाणित हो जाता है कि सन् 1970 में मजदूर की मजदूरी अधिक थी, और 2024 में कम हो गयी। अर्थात् सन् 1970 की अपेक्षा 2024 में मजदूरी कम हुई है, और साथ ही आंकड़ों से यह भी प्रमाणित हो जाता है कि रुपए के गैर कानूनी कूटकरण (अवमूल्यन) के कारण घटता रुपया का मानक (स्टैण्डर्ड) शोषण का साधन बन चुका है।

अतः विनिमय से मजदूरों की धनात्मक लूट-पाट करते भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार रुपया को शोषण का माध्यम बनाते मजदूरों के श्रम का शोषण, दोहन कर रहे है।

मुद्रा 'रुपया' कहाँ बनाया या छापा जाता है?

अगर आज देश में यह प्रश्न पूछा जाए कि 'रुपया' कहा छापा या बनाया जाता है, तो शत-प्रतिशत लोग यही कहेंगे कि 'रुपया' मुम्बई, मद्रास, कलकत्ता इत्यादि स्थित टकसाल में छापा या बनाया जाता है। क्योंकि आजतक हमें यही बताया या पढ़ाया गया है।

हमें यह लगता है कि यह बात सही नहीं है। यह भ्रमित करने वाली बात बतायी या पढ़ायी गयी है।

असल बात तो यह है कि मुद्रा 'रुपया' को छापने या बनाने का देश में सिर्फ तीन प्रकार के ही टकसाल है-

1) कृषि (खेत, खलिहान) रूपी टकसाल

2) प्राकृतिक सम्पदा रूपी टकसाल

3) औद्योगिक सम्पदा रूपी टकसाल

कृषि (खेत-खलिहान) सम्पदा

किसी भी राष्ट्र के लिए कृषि (खेत या खलिहान) प्राकृतिक संपदा में सबसे महत्वपूर्ण सम्पदाओं में मानी जाती है। इस कृषि सम्पदा से ही मानव, पशु तथा पक्षी इत्यादि जीवों की जीवन में उपयोग और उपभोग की आवश्यक वस्तुएँ पैदा की जाती है। जिस कारण इस भूमि को माँ कहा जाता है। सच कहूँ तो असल टक्साल (रुपया छापने की मशीन) यही है। इसी कृषि द्वारा पैदा 'अन्न' जीवों की प्राणदाता है। इसलिए कृषि कार्य करने वाले किसानों को जीवनदाता, प्राणदाता एवं अन्नदाता भी कहा जाता है।

प्रकृति ने जिस देश में कृषि योग्य भूमि दिया है, वह देश धन्य है। भारत देश के किसान जब अक्टूबर-नवम्बर के ठंड में खेत जोतकर उसमें गेहूँ के बीज बोता है, और जनवरी-फरवरी के महीने में हड्डी गल्ला देने वाली ठंड में खेत की सिंचाई करता है, तो समझ लीजिए कि टकसाल चल रहा है। और अप्रेल-मई की झूलसा देने वाली गर्मी में जब गेहूँ कि कटाई-मड़ाई कर प्रकृति की कृपा स्वरूप एक दाने गेहूँ के बदले सैकड़ों दाने गेहूँ पैदा करता किसान, जब उस गेहूँ को बोरे में भरता है, तो समझ लीजिए कि टकलाल रूपी खेत से गेहूँ के रूप में बोरे में मुद्रा 'रुपया' भर रहा है। रुपया छप गया या बन गया है।

प्रकृति द्वारा प्रदत्त सम्पदा

जिस देश में जंगल, उपजाऊ मिट्टी, पहाड़, नदी, समुद्र, खनिज खान, धातुओंकी खान, रत्नों की खान, तेल एवं गैसों की खान इत्यादि प्रकृति ने अपने संसाधन जिस देश को दिया है। तो समझिए कि उस देश के पास पूरे देश में टकसाल स्थित है। अर्थात् उस देश मे मुद्रा (रुपया) का भण्डार है या टकसाल

है। यही असल सम्पति है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त इन्हीं संसाधनों से मानव के उपयोग या, उपभोग में आने वाली वस्तुएँ बनकर मुद्रा 'रुपए' को जन्म देती है।

औद्योगिक प्रतिष्ठान सम्पदा

जब प्राकृतिक सम्पदा लोहा को औद्योगिक प्रतिष्ठान में ले जाकर ज्ञान, विज्ञान और श्रम द्वारा उस लोहे को विभिन्न प्रकार के वस्तुओं मे रूपान्तरित या परिवर्तन किया जाता है। जैसे- साईकिल, मोटरसाईकिल, कार, रेल, हवाई जहाज, इत्यादि रूपों में परिवर्तन कर मुद्रा 'रुपया' छापता है या उत्पादन करता है। और वही उत्पादन ही 'रुपया' मुद्रा का जन्मदाता है। या रुपया छापा या बनाया जाता है।

यह प्राकृतिक, औद्योगिक एवं कृषि सम्पदा ऐसा टकसाल है कि यदि बीमार, या बन्द हो जाए तो देश में संकटों का अम्बार लग जाएगा। यह मानव के लिए साधन नहीं बल्कि साध्य है। इसके बिना देश का काम नहीं चलेगा।

देश की सरकारों ने इन्हीं के उत्पादों को साधने के लिए अर्थात् साधन के रूप में विनिमय में शोषण न हो इसके लिए मूल्य को मापने के लिए मूल्य की मापक या, बाट बनाया। जिसे मुद्रा 'रुपया' कहते है। जो सरकारी टकसाल में छापा या बनाया जाता है। जो मुख्य रूप से सोना या चाँदी के मानक (स्टैण्डर्ड) पर आधारित होता है और यही चाँदी या सोना का मानक मुद्रा 'रुपया' को मूल्य या क्रय-शक्ति देता है। इसी क्रय-शक्ति का नाम रुपया है।

मापक के सिद्धान्त के अनुसार-

मानक (स्टैण्डर्ड) स्थिरांक होता है। उसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन देश के लुटेरे सरकारों ने इसी 'रुपया' को जो कीमत मापने का बाट है, उस बाट में बट्टा (कूटकरण या अवमूल्यन) किया। जो नियम विरूद्ध एवं असंवैधानिक है। उसके द्वारा सैकड़ों साल से भारत को लूटा एवं तथा-कथित आजादी के नाम पर 70 सालों से इस तथा-कथित रुपए के बाट में इतना बट्टा (कूटकरण या अवमूल्यन) किया गया कि इसका मानक (स्टैण्डर्ड) ही खत्म कर दिया गया इसका परिणाम यह हुआ कि

जो रुपया मूल्य की मापक थी उसी रुपया को शोषण के साधन के रूप में प्रयोग कर भारत का आर्थिक शोषण किया जा रहा है।

भारत में शोषण के प्रमुख हथियार, बैंकिंग, ब्याज और मुद्रा बाजार- बैंकिंग द्वारा लूट-पाट, शोषण

भारत में प्राप्त इतिहास से यह ज्ञात होता है कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले कोई बैंकिंग प्रणाली भारत में नहीं थी, भारत के शासकों द्वारा ही अर्थव्यवस्था का संचालन एवं नियंत्रण होता था। जिसमें सर्राफा, महाजनों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती थी, यह व्यवस्था इतनी सफल थी, कि उस इतिहास में किसी शासक को मुद्रा की कमी नहीं थी। व्यापार, खेती-बाड़ी, सभी कुछ सुचारू ढंग से चल रहा था। 27-35 % विकास दर के साथ भारत विश्व के अग्रणी देशों में था। भारत में बेरोजगारी, भुखमरी, महँगाई, मंदी, मुद्रासंकट इत्यादि का नामो-निशान नहीं था।

अंग्रेजों के भारत पर कब्जा के बाद उनके द्वारा थोपे गये, मुद्रा प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली एवं मुद्रा बाजार द्वारा भारत को तबाह और बर्बाद किया गया, तथा इन्ही प्रणालियों द्वारा बेरोजगारी, भुखमरी, महँगाई, मंदी, मुद्रासंकट इत्यादि पैदा कर, देश व दुनिया पर कब्जा करने की सोची-समझी अंग्रेजों की षडयंत्रकारी योजना है और इन अक्ल के लुटेरों के गिरोह को अंग्रेजों ने अर्थशास्त्री होने का ठप्पा लगा दिया है, जो अर्थशास्त्री नहीं बल्कि अनर्थशास्त्री है। (पाठक बैंकिंग प्रणाली के रहस्यमय षडयंत्र को जानने के लिए रवि कोहाड़ द्वारा रचित शोधग्रन्थ " बैंकों का मायाजाल" पढ़े।)

इन अक्ल के आर्थिक आतंकवादियों (अनर्थशास्त्रियों) द्वारा प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित न्यायपूर्ण मौद्रिक प्रणाली, अर्थनीति जो मानव कल्याण, शोषण मुक्त, राष्ट्र के विकास की प्रणाली थी, को व्यक्तिगत हित के लिए सिद्धांतों एवं न्यायपूर्ण मौद्रिक प्रणाली

को छोड़कर, लूट-पाट, शोषण हेतु असैद्धांतिक एवं अन्यायपूर्ण मनमाना मौद्रिक प्रणाली को भारत की जनता के ऊपर लागू किया गया, तथा भारत को लूटा गया और आज भी पहले की अपेक्षा भारी लूट-पाट, शोषण बैंकिंग के द्वारा की जा रही है। बैंक ही इन शोषणकारियों का प्रमुख माध्यम है।

बैंक द्वारा शोषण का उदाहरण देखिये – सन् 2000 में राम और श्याम के पास $44{,}00 + 44{,}00 = \mathbf{8,800/-}$ रुपए थे। राम ने अपने 4,400 रुपए को फिक्स डिपाजिट योजना में बैंक में 10 वर्ष के लिए जमा कर दिया तथा श्याम ने वर्ष 2000 में 4400 रुपया/10 ग्राम सोना का भाव था, 10 ग्राम सोना खरीद लिया, 10 साल बाद सन् 2010 में बैंक ने राम को 8,800/- रुपए दिये। और 2010 में सोने का भाव 18,800 रुपया/10 ग्राम था, और श्याम ने 18,500/- रुपया पाये।

अर्थात् राम ने श्याम से $\mathbf{18,500 - 8,800 = 9,700/-}$ रुपया कम पाया और

सोना में- $\mathbf{10 \times 8,800 \div 18,500 = 4.756}$ ग्राम सोना होगा।

इसलिए, राम ने $\mathbf{10 - 4.756 = 5.244}$ ग्राम सोना, सोना की मात्रा में कम पाया।

लाभांश जिसे ब्याज कहते है क्या मिला?

भारत सरकार तथा बैंक पूरे भारत में मीडिया से प्रचारित कराते है कि भारत की जनता अपना रुपया बैंक में जमा करे और इसका लाभांश बढ़े हुए रुपए के रूप में जनता प्राप्त करे।

उपरोक्त गणना से यह सिद्ध होता है कि बैंक और भारत सरकार रुपए का कूटकरण कर जनता के धन को घटा रही है।

वैध रुपया जनता या देश को विकास की बुलंदियों पर पहुंचती है।
अवैध रुपया जनता या देश को विनाश की कगार पर पहुंचती नंगा व भीखमंगा (गुलाम) बना देती है।

ब्याज द्वारा लूट-पाट एवं शोषण

Account Statement from 8 Feb 2023 to 8 Aug 2023

Txn Date	Value Date	Description	Ref No./Cheque No.	Debit	Credit	Balance
25 Mar 2023	25 Mar 2023	CREDIT INTEREST--			4.00	607.00
31 Mar 2023	31 Mar 2023	TO UPI RA [illegible] SI	TR [illegible] TO 46 [illegible] 97	220.00		387.00
2 Apr 2023	2 Apr 2023	TO UPI a/F [illegible] ndr	TR [illegible] TO 46 [illegible] 91	200.00		187.00
3 Apr 2023	3 Apr 2023	BY UPI H K [illegible] IS me-	TR FR 46 [illegible] 92		20.00	207.00
4 Apr 2023	4 Apr 2023	BY UPI KU [illegible] OK ne-	TR FR 50 [illegible] 96		6,000.00	6,207.00
4 Apr 2023	4 Apr 2023	TO UPI H K [illegible] IS 1-	TR [illegible] TO 46 [illegible] 96	1,000.00		5,207.00
4 Apr 2023	4 Apr 2023	TO UPI K/P [illegible] sh	TR [illegible] TO 46 [illegible] 98	1.00		5,206.00

अंग्रेजों के लूट-पाट और शोषण का सबसे बड़ा हथियार ब्याज है, यह वही ब्याज है जिसे हिन्दू धर्म में "पाप कर्म" तथा इस्लाम धर्म में "हराम" कहा गया है।

आपने "टकसाल" का नाम सुना होगा, जहां रुपया छपता या बनाया जाता है उसे "टकसाल" के नाम से जाना जाता है इस टकसाल में छपने वाला रुपया बहुत सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद रुपया छपकर या बनकर हम सभी के बीच आता है, जिसे वैध रुपया या लीगल टेण्डर के नाम से जाना जाता है।

अब हम दूसरे टकसाल की जानकारी आपको देने जा रहे है, जो भारत के बड़े शहरों से लेकर छोटे शहर कस्बे तथा गाँव तक फैले हुए है जिनको "बैंक" के नाम से जाना जाता है। इन बैंकों में रात-दिन रुपए छपते रहते है जो रुपए की शक्ल में दिखाई नहीं देते, जो सिर्फ बैंक, खातों में लिखकर अंकों में बैंकों द्वारा बनाये जाते है, और इस रुपए को बनाने में किसी प्रक्रिया को पूरा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ खाते के मूल धन में ब्याज को अंकों में लिख देना पड़ता है और इस लिखंत-पढंत को ब्याज के रुपए के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज ब्याज का रुपया (जो मुद्रा राशि के प्रयोग के बदले दिये जाने वाले पारितोषिक मात्रा होता है) अवैध रूप से बैंकों द्वारा मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो ब्याज का नाम खत्म हो जाता है और हवा में पैदा ब्याज मूल रुपया में परिवर्तन कर बैंकों द्वारा रुपए की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है।

इस तरह बैंकों द्वारा ब्याज के रुपए को अंकों में मूलधन में लिखकर रुपए की मात्रा को बढ़ाना असल टकसाल को मात कर देने वाला बैंकों का टकसाल है, जिसमें असल टकसाल

से बनाये गये रुपए से कई गुना, बैंकों द्वारा अवैध रूप से ब्याज के रुपए द्वारा लिखकर बनाये गये रुपए है, जो संसार की सबसे बड़ी शोषण एवं लूट-पाट है।

उदाहरण- रिजर्व बैंक टकसाल से 100 करोड़ रुपए छापकर बैंक को देता है, कि खेती-बाड़ी, उद्योग, व्यवसाय के लिए इसे ऋण के रूप में 10 प्रतिशत ब्याज की दर से जनता को दें, और बैंक उसे कृषि उद्योग व्यवसाय में देता है और प्रत्येक साल 100 करोड़ रुपए का 10 प्रतिशत ब्याज 10 करोड़ साधारण ब्याज से होता है और वर्तमान सिस्टम में चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा लगभग 3 वर्ष में 100 करोड़ मूलधन का 100 करोड़ ब्याज बना देते है और खाते में लिखा जाता है कुल धनराशि 200 करोड़, जबकि सच्चाई यह है कि नोट 100 करोड़ ही देश में घूम रहा है। सत्य यही है कि 100 करोड़ रुपया ही वैध रुपया है जो प्रतिभूति रखकर या रुपए की वैध प्रक्रिया के तहत बना है जो असल रुपया है, बाकी 100 करोड़ ब्याज का रुपया सिर्फ खाते के मूलधन में अंकों में लिखकर बनाया गया रुपया है, जो अवैध है जिसका कोई मानक मूल्य नहीं होता है।

अब प्रश्न यह है कि-

(क) ब्याज (जो रुपए के बदले दिया जाने वाला 'परितोषिक मात्रा' है।) को मूलधन में परिवर्तन करने के लिए कौन से सिद्धान्त या अधिनियम, नियम या संविधान की धारा में उल्लेख है। उक्त उल्लेखित सिद्धान्त अधिनियम, नियम या संविधान की धारा की जानकारी भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने नहीं दिया। जिससे सिद्ध होता है कि ब्याज के रुपए को मूलधन बनाने का कोई सिद्धान्त नियम, अधिनियम या संविधान में उल्लेखित नहीं है।

(ख) किसी भी बैंकिंग व्यवसाय में वित्तीय स्थिति विवरण/चिट्ठा/बैलेंस सीट की मुख्य प्रमाणिक भूमिका होती है, जो कि यह दर्शाता है कि बैंक ने अपनी किस सम्पत्ति में से ऋण राशि की अदायगी उपभोक्ता, कर्ज़ ग्रहणकर्ता को की है। कोई भी विवरण जो कि इस बात को इंगित करता है कि बैंक ने कर्ज़दार को कर्ज़ा/ऋण दिया है।

यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि हमारे मजिस्ट्रेट एवं न्यायपालिका आम जन से बैलेंस सीट, विवरण, चिट्ठा माँगती है। लेकिन बैंक कर्ज़ के रूप में जितनी राशि दी है। उस राशि को बैंक ने अपनी संपत्ति में कम किया हो, तो इस लेन-देन का बैंक से वित्तीय स्थिति विवरण/चिट्ठा/बैलेंस सीट क्यों नहीं माँगती है?

जिससे बैंक द्वारा की जा रही छल-कपट, धोखा एवं शोषण का रहस्य खुल सके।

यह मनमाना लूटपाट एवं शोषण है। और यही लूटपाट, शोषण, महंगाई, मन्दी, बेरोजगीरी, गरीबी,भूखमरी इत्यादि का प्रमुख कारण है।

मुद्रा का मूल्य किसे कहते है?

"मुद्रा के मूल्य" के प्रायः बहुत से अर्थ लगाये जाते है। अर्थशास्त्र में मूल्य की धारणा विनिमय से संवंधित है, किसी वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जो उसके बदले में प्राप्त की जा सकती है।

<u>उदाहरण</u>- अगर 1 क्विंटल चावल के बदले 2 क्विंटल गेहू मिलता है तो कहा जाएगा कि 1 क्विंटल चावल का मूल्य 2 क्विंटल गेहू है। लेकिन कुछ लोग मुद्रा के प्रयोग के बदले में दिये जाने वाले ब्याज को मुद्रा का मूल्य कहते है पर ब्याज तो सिर्फ "राशि के प्रयोग" के बदले में दिया गया पारितोषिक मात्रा होता है, इसलिए इसे मुद्रा का मूल्य नहीं कहा जा सकता है।

कुछ लोग देश की मुद्रा के बदले में मिलने वाली विदेशी मुद्राओं को "मुद्रा का मूल्य" समझते है, जिसे मुद्रा शास्त्र में "विदेशी विनिमय दर" कहते है। सचमुच में "मुद्रा का मूल्य" का मतलब उस विनिमय शक्ति से है जिसके द्वारा बदले में वस्तुऐं और सेवाऐं प्राप्त की जाती है। वस्तुऐं तथा सेवाऐं खरीदने की शक्ति को "मुद्रा का मूल्य" कहते है "वस्तुओं के भाव" मुद्रा से आँके जाते है, और "मुद्रा के मूल्य" वस्तओं में लगाया जाता है, इस तरह "मुद्रा के मूल्य" और वस्तुओं के भाव में आपसी संबंध रहता है।

प्रोफेसर सेलिंगमेन (Selingman) ने लिखा है कि- "मुद्रा का मूल्य मुद्रा की क्रयशक्ति होती है और इसे वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर से जाना जा सकता है। जब तक मुद्रा के मूल्य में कोई हेर-फेर या रद्दो-बदल न हो तब-तक वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है।"

जब से बैंकिंग और अवैध मौद्रिक प्रणाली अंग्रेजों द्वारा लाया गया, तब से इस देश को ब्याज के रुपए को मूल रुपए में अंक लिखकर बेहिसाब कूटकृत अवैध रुपया बनाया गया

है, बनाया जा रहा है और भविष्य में भी ऐसे ही बनाया जाता रहेगा। तो इसका परिणाम प्रथम- यह होगा कि यही बैंक ब्याज का कूटकृत अवैध रुपया जो अंकों में लिखकर बनाया गया है सिर्फ कर्जदार के खाते में रुपया अंकों में लिखकर कर्जदार बना देगा। (जैसे आजकल बैंकों द्वारा कर्जदार के खाते में अंक लिखकर कर्जदार बनाया जाता है, और चेकबुक के द्वारा रुपया अंकों में लिखकर आदान-प्रदान कराया जाता है, (इस संबंध में विस्तार से जानने के लिए "रवि कोहाड़" द्वारा लिखित पुस्तक " बैंकों का मायाजाल" पढ़े।) और इस ब्याज के रुपए द्वारा समस्त प्राकृतिक संपदा, कृषि, उद्योग को अपने कब्जे में लेकर आजीवन पीढ़ी-दर-पीढ़ी गुलाम बना लेगा, या आत्महत्या करने को विवश कर देगा। जैसे कि किसानों एवं बैंकों के कर्जदार आत्महत्याएं कर रहे है।

दूसरा परिणाम यह होगा कि ब्याज का रुपया जो कूटकृत एवं अवैध रुपया है, जो अंकों में लिखकर बनाया गया है, वह रुपए की मात्रा को बढ़ा देगा, जिससे महँगाई गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, मुद्रा संकट इत्यादि समस्याओं का अंबार लग जायेगा। जैसा कि आजकल की स्थिति बनी हुई है, सरकारें तथा-कथित महँगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, और न ही कर पायेगी, क्योंकि यह वास्तव में महँगाई नहीं है, यह कूटकृत अवैध रुपए द्वारा लूट-पाट तथा शोषण है, जिसकों भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक महँगाई कह कर नियम, कानून तथा संविधान की अवमानना कर भारत की जनता के साथ धोखा तथा गद्दारी कर रही है।

टकसाल से छपकर निकले रूपये की असल मात्रा

बैंको द्वारा अंको में लिखकर बढ़ाए गये रूपये की मात्रा

<u>उदाहरण</u>- जिस तरह छोटे बच्चे को अधिक रुपया देने का भुलावा देकर 20 रुपए की संख्या में 5 नोट देकर उस बच्चे से 2000 रुपए का नोट ले लिया जाए। ठीक उसी प्रकार

किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी को अधिक रुपया देने का अर्थात् अबोध बच्चे की तरह संख्या में अधिक रुपया देने का भुलावा देकर बुद्धि (अक्ल) के मायाजाल में फंसाकर, उनके खून-पसीने की गाढ़ी कमाई का शोषण किया जा रहा है। इस अक्ल की हल्लाबोल डकैती में अबोध बच्चे की तरह भोले-भाले, किसानों, मजदूरों, श्रमिकों को समझना उनकी बुद्धि के लिए रहस्यमयी पहेली है। जिसकों उसके लिए समझ पाना टेढ़ी-खीर है। इसलिए रुपया विनिमय का माध्यम नहीं बल्कि छल-कपट, धोखा, अवैध है जो असंवैधानिक है। अतः थोपी गयी अवैध रुपया में विनिमय करने के लिए बाध्य किसानों, श्रमिकों की स्वतंत्रता का हनन है, इतना ही नहीं शोषण का शिकार किसानों एवं श्रमिकों की मुक्ति का सारा रास्ता अवैध रुपया में सील कर दिया गया है। रुपया का अवमूल्यन (कूटकरण) मानक घटाकर मुद्रा मूल्य बढ़ाया गया, ब्याज के रूपयों को अंकों में लिखकर रुपए की मात्रा बढ़ाया गया। किन्तु किसान के उत्पादन का मूल्य सामान्य कीमत से घटाती, खेती-बाड़ी को घाटे में धकेलती, उनकी रोजी-रोटी को छीन रही केन्द्रीय सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक भुखमरी की ओर ढकेलती उनके जीने के अधिकार को छीन रही है।

रिजर्व बैंक और भारत सरकार यह बतावें कि-

(क)- क्या बैंक ब्याज को खाते में मूलधन में अंक लिखकर नया रुपया बनाता है या नहीं? यदि हाँ तो- 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 2023 तक ब्याज को मूलधन में अंक लिखकर बनाये गये रुपए की कुल मात्रा कितनी है?

(ख)- जब ग्राहक द्वारा रुपया से ब्याज चुका दिया जाता है तो बैंक द्वारा खाते के मूलधन में अंकलिखकर नया रुपया बनाने का प्रावधान किस अधिनियम, नियम या संविधान की धारा में उल्लेखित है?

(ग)- ब्याज के रुपए का मानक मूल्य क्या है? तथा इसकी प्रतिभूति क्या होती है तथा कौन देता है?

अवैध मुद्रा बाजार आर्थिक आतंकवादियों का जमघट

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार का स्वभाव बाजार का नहीं है, क्योंकि बाजार में माँग-पूर्ति के आधार पर वस्तुओं का मूल्य घटता-बढ़ता रहता है। जब बाजार में माँग अधिक और उसकी पूर्ति कम होगी, तब वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, वस्तुएँ महँगी हो जाती है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है, किन्तु जब पूर्ति अधिक और माँग कम हो जाती है, तब वस्तुओं का मूल्य घट जाता है। वस्तुएं बाजार में सस्ती हो जाती है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। यदि माँग-पूर्ति के आधार पर मुद्रा का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में घटता-बढ़ता रहता है, तो अमेरिकी डालर का मूल्य वस्तुओं के सापेक्ष घटना-बढ़ना चाहिए और रुपया का मूल्य भी वस्तुओं के सापेक्ष घटना-बढ़ना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं होता है।

डालर का मूल्य निरन्तर भारतीय मुद्रा रुपया के सापेक्ष बढ़ता है और रुपया का मूल्य डालर के सापेक्ष घटता है, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में माँग-पूर्ति के सिद्धांत पर सस्ती-महँगी नहीं होती है बल्कि रुपया का आंकिक मान घटाकर भारतीय वस्तुए सस्ती की जाती है, जिससे डालर का मूल्य बढ़ता जा रहा है और विदेशी मुद्रा महँगी की जाती है। जिससे रुपया का मूल्य घटता जा रहा है, इससे रुपया की क्रयशक्ति क्षीण होती जा रही है और रुपए का अस्तित्व खतरे में है। इसलिए माँग-पूर्ति के आधार पर मूल्य घटने-बढ़ने का सिद्धांत रुपया पर लागू नहीं हो सकता है।

हमारे मन में एक सवाल बार-बार उठ रहा था, कि दुनिया के सभी वस्तुओं के मूल्य को मापने के लिए सैद्धांतिक मापक मुद्रा का निर्माण हुआ, जिससे वस्तुओं के मूल्य मापे जाते है, तो अब प्रश्न यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में मुद्रा का मूल्य मापने के लिए कौन-सा सैद्धांतिक मापक है? उस मापक को किस नाम से पुकारा जाता है? उस मापक का मानक (स्टैण्डर्ड) क्या है?

इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए दिनाँक 26.10.2015 को रिजर्व बैंक से "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" के अन्तर्गत किये गये आवेदन में प्रश्न संख्या-4 में यह प्रश्न पूछा गया कि-

"क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपए के मूल्य को मापने के लिए कोई मापक है? यदि हाँ तो उस मापक का नाम तथा मानक (स्टैण्डर्ड) बताये और यदि नहीं है, तो

भारतीय रुपए का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कैसे निर्धारित होता है? ऐसे निर्धारण का आदेश देने वाले अधिकारी का नाम, पद एवं दिनाँक तथा आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।"

जिसके जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय बाजार परिचालन विभाग ने आधा-अधूरा उत्तर में लिखा कि-

"अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपए का मूल्य विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा की माँग और पूर्ति पर निर्भर है। रुपए के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य को मापने का कोई विशिष्ट मापक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक में लागू रुपए के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण नीति के बारे में विवरण नीचे लिंक पर उपलब्ध है।"

मूल्य निर्धारण नीति बनाने वाले अधिकारी का नाम पद व दिनाँक तथा आदेश से सम्बन्धित कोई सूचना नहीं दी गयी।

इस सूचना से यह प्रमाणित हो गया कि रुपया के मूल्य को मापने का कोई सैद्धांतिक मापक नहीं है। मूल्य की मापक रुपया स्वंय में सिद्धांत है जिसका मानक मूल्य स्थिरांक होता है और इसके मानक मूल्य को घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार एक साजिश के तहत अंग्रेजों ने स्थापित किया है, जहाँ अक्लबाजों द्वारा असैद्धांतिक, असंवैधानिक तथा मनमाना किया जाता है। सच बात तो यह है कि अमेरिकी डालर में लेन-देन करते विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विकसित देशों का बैंक है, जो अमेरिकी डालर की अगुवाई में विश्व वैश्विकरण के नाम पर आर्थिक साम्राज्यवाद को बलात् थोपते, भारत का शोषण कर रहे है। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार आर्थिक साम्राज्यवाद का पर्याय है, इस तरह अमेरिकी डालर भारतीय बाजार में अजगर की तरह मुँह फैलाता रुपया को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जैविक संसाधनों को निगलता जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार मूकदर्शक, किंकर्तव्य विमूढ़ क्यों? क्या भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार रुपए का संचालक नहीं है? क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार रुपए का संचालक है? जिसके विनिमय दर पर रुपया का डालर में भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय करता रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपया की क्रय शक्ति क्षीण होती जा रही है। क्या भारतीय रिजर्व बैंक दोषी नहीं है? जवाबदेह, जिम्मेदार नहीं है? तो इसका जिम्मेदार,

जवाबदेह, दोषी कौन होगा? इसकी जवाबदेही के लिए क्या संसद जिम्मेदार नहीं है? क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार जिम्मेदार होगी?

अमूर्त रूप में बाजार का कोई मूर्त रूप नहीं होता है, तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार का मूर्त रूप क्या होगा? जिस पर जवाबदेही की जिम्मेदारी बनेगी? यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके लिए कोई जिम्मेदार, जवाबदेह नहीं हो सकता है, तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार गैर जिम्मेदार, फ्राडिया, लुटेरा, दलालों, शोषणकर्त्ताओं का जमघट नहीं तो क्या होगा? जिसके नक्शे कदम पर चलता भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार का क्या मानसिक दिवालिया नहीं हो गयी है? क्या यह देशवासियों के साथ विश्वासघात और गद्दारी नहीं है?

धातु के रूप में सोने की मात्रा, मुद्रा (रुपया) का प्राण

किसी भी मुद्रा की मजबूती, विश्वसनीयता, स्थायित्व सोना पर निर्भर करती, मुद्रा में सोने की मात्रा है, जो सैद्धांतिक रूप से स्थिरांक होता है उसमें सोने की मात्रा घटाने-बढ़ाने अर्थात् विकृत करने को कूटकरण या अवमूल्यन कहते है, यदि मुद्रा में सोने की मात्रा निरंतर घटती रहे, उस पर नियंत्रण न किया गया तो मुद्रा की विश्वसनीयता पूर्णतः समाप्त हो जायेगी अर्थात् द्रव्य के रूप में सोना की मात्रा मुद्रा का प्राण है, जिससे मूल्य का मापन होता है।

<u>उदाहरण</u>- वजन और लम्बाई का मापक, ग्राम और फीट है, जो मानक मात्रा की आंकिक मान है, जिससे वजन एवं लम्बाई की तौल-माप होती है, यदि मानक मात्रा में घटोत्तरी होती रहे तो वास्तविक तौल माप नहीं हो सकती है। और उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जायेगी। जिससे माप तौल करता विक्रेता-क्रेता को आंकिक मान से अधिक और मात्रा में कम वस्तुए देगा, जो विनिमय नहीं लूट-पाट, धोखा, ठगी, शोषण है।

ठीक उसी तरह-

मूल्य की मापक रुपया में सोना की मात्रा घटती रहने से रुपया का स्थायित्व, मजबूती, विश्वसनीयता समाप्त हो गयी है। जिससे वास्तविक मूल्य का मापन संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि मूल्य का मापक सोना की मात्रा है जिसका आंकिक मान रुपया पर होता है।

जैसे- 100 लीटर पेट्रोल का अभिप्राय पेट्रोल की मात्रा है ठीक उसी तरह 100 रुपए का मतलब सोने की मात्रा से है, और 100 रुपया का नोट सोने की मात्रा का आंकिक मान है जो सोने की वैध निविदा (लीगल टेण्डर) है।

रुपया में सोने की मात्रा को निरंतर घटाता, रुपए का अवमूल्यन (कूटकरण) करता मुद्रा बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार किसानों के उत्पादन एवं श्रमिकों के श्रम की कीमत निरंतर घटाता, रुपया का आंकिक मान बढ़ाता, मानसिक भूल-भूलैया में डालकर सबका लूट-पाट एवं शोषण कर रहा है, जो नियम कानून की अवहेलना तथा असंवैधानिक है।

अतः मुद्रा के शोध दस्तावेजों, गणित, तथ्यों, उदाहरणों एवं रुपया की वैध निविदा (लीगल टेण्डर) से यह सिद्ध है कि मुद्रा बाजार, रिजर्व बैंक और भारत सरकार जिस रुपए से विनिमय (लेन-देन) कर और करवा रही है, यह रुपया कूटकृत एवं अवैध रुपया है। इस अवैध रुपया से लेन-देन करना देश-द्रोह, आर्थिक गुलामी, सम्प्रभुता का अंत, लोकतंत्र की हत्या, शहीदों का अपमान, लूटपाट तथा शोषण है। भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय-10 धारा-178 से 188 तक सिक्कों बैंक नोटों और सरकारी स्टैम्प्प के कूटकरण से सम्बन्धित अपराधिक धारायें प्रमाणित दस्तावेज है, जिसमें संज्ञेय अपराध एवं आजीवन कारावास का प्राविधाव है।

जिसका बहिष्कार मौलिक कर्त्तव्य एवं विधिक बाध्यता है या नहीं?

विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जवाब दे-

(क)- क्या भारत में अंग्रेजों के आने से पहले सैकड़ों साल तक चलन में रहा, भारतीय सैद्धांतिक

रुपया जिसका स्थायी मानक मूल्य-

शुद्ध चाँदी 1 तोला या 11.664 ग्राम (मानक भार) = 1 रुपया (मानक मूल्य)

शुद्ध सोना 1 तोला या 11.664 ग्राम (मानक भार) = 10 रुपया या 1 मोहर (मानक मूल्य)

जिसे 10 रुपया या मोहर के नाम से पुकारा जाता था। जिसका जन्मदाता भारत के शासक शेरशाह सूरी है, जिसे कालान्तर में शासकों द्वारा यह रुपया चलाया जाता रहा और आज भी वहीं रुपया चलन में है।

क्या भारतीय रुपया का वैध निविदा (लीगल टेण्डर) है या नहीं?

(ख)- क्या भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा भारतीय रुपए को कूटकरण कर

कूटकृत एक्ट नं. XVII ऑफ 1835 में उल्लेखित "ईस्ट इण्डिया कम्पनी रुपया" के मानक मूल्य- क्या भारतीय रुपए का वैध निविदा (लीगल टेण्डर) है या नहीं?

इस एक्ट को पृष्ठ संख्या 254 से 295 देखें।

(ग)- क्या भारत में ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेण्ट के द्वारा 1862 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के क्वायनेज एक्ट, 1835 के मानक मूल्य को ज्यों का त्यों अपनाकर "ईस्ट इण्डिया कम्पनी रुपया" का नाम बदलकर "गवर्नमेण्ट रुपया" नाम रखा गया। (आज भी गवर्नमेण्ट रुपया ही चलन में है) जिसे इण्डियन क्वायनेज एक्ट नं. XIII ऑफ 1862 के नाम से जाना जाता है।

क्या भारतीय रुपए का वैध निविदा (लीगल टेण्डर) है या नहीं?

इस एक्ट को पृष्ठ संख्या 254 से 295 देखें।

(घ)- क्या भारत में "ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेण्ट" के द्वारा ब्रिटिश मुद्रा पौण्ड, सोवरेन्ज, इस्टर्लिंग आदि को "द इण्डियन क्वायनेज एक्ट नं. XXIII ऑफ 1870" के नाम से भारत के शोषण हेतु मनमाना मानक मूल्य पर थोपा गया, उस ब्रिटिश मुद्रा के एक्ट को "द इण्डियन क्वायनेज एक्ट 1870" के नाम से जाना जाता है।

क्या भारतीय रुपया का वैध निविदा (लीगल टेण्डर) है या नहीं?

इस एक्ट को पृष्ठ संख्या 254 से 295 देखें।

(ड़)- क्या भारत में ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेण्ट द्वारा भारत की संसद में सन् 1906 में एक्ट नं0 XVII ऑफ 1835, एक्ट नं. XIII ऑफ 1862, एक्ट नं. XXIII ऑफ 1870 आदि पूर्व के एक्ट की भार मानक एवं मूल्य मानक का अनुमोदन करते हुए ज्यों का त्यों अपनाकर संसद में पास कर दिया गया, जिसे "द इण्डियन क्वायनेज एक्ट नं0 III ऑफ 1906 के नाम से जाना जाता है, क्या भारतीय रुपया का वैध निविदा (लीगल टेण्डर) है या नहीं?

इस एक्ट को पृष्ठ संख्या 254 से 295 देखें।

(च)- अंग्रेजों के भारत में आने से पहले सैकड़ों वर्षों पूर्व से भारत में चलन में रहे सैद्धांतिक भारतीय रुपए को अंग्रेजों द्वारा कूटकरण कर भारत के शोषण के लिए कूटकृत रुपया चलन में लाया गया। जिसका मुँहतोड़ जवाब देते हुए शहीदों के प्रणेता- "नेताजी सुभाष चन्द्र बोस" ने- "आर्जी हुकूमत-ए-आजाद हिन्द" (अस्थायी भारत सरकार) की स्थापना कर नेता जी द्वारा 5 अप्रैल 1944 को "आजाद हिन्द बैंक" की स्थापना कर अंग्रेजों द्वारा लुप्त (गुप्त) किए गये सैद्धांतिक भारतीय रुपए के – मानक मूल्य का अनुमोदन कर पुनः भारतीय रुपए को भारत सहित दुनिया के लिए "आजाद हिन्द बैंक" द्वारा जारी किया, जिस रुपए को 12 स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, जो वर्मा विधि द्वारा रजिस्टर्ड है, जिसका भारतीय रुपया के विधिक, सैद्धांतिक स्थायी मानक मूल्य इस प्रकार है-

भारी मानक	शुद्ध सोना या चाँदी	भार मानक ग्राम में	मूल्य मानक
1 तोला	शुद्ध चाँदी	11.664 ग्राम	1 रूपया
1 तोला	शुद्ध सोना	11.664 ग्राम	10 रूपया 1 मोहर

जिसका मानक मूल्य स्थायी था। जिसमें प्रति रुपया सोना की मात्रा 11.664 ÷ 10 = 1.1664 ग्राम सोना है। यह रुपया कामर्शियल आर्गेनाइजेशन है, स्टेट रुपया नहीं है, जो विधि (कानून) द्वारा यह भारतीय रुपया आज भी चलन में है, और इस भारतीय रुपए को किसी सरकार ने बन्द नहीं किया है, जो आजाद भारत की सैद्धांतिक भारतीय रुपया है। जिसके मानक मूल्य के आधार पर विनिमय (लेन-देन) करना-कराना देश भक्ति, आर्थिक

आजादी, सम्प्रभुता की रक्षा-सुरक्षा, लोकतंत्र की रक्षा शहीदों की अंतिम इच्छा, स्वावलंबी होने का एक विकल्प, मौलिक कर्त्तव्य, अनुपालन, विधिक बाध्यता है या नहीं?

क्या, "आजाद हिन्द करैन्सी" भारतीय रुपया का वैध निविदा (लीगल टेण्डर) है या नहीं?

मुद्रा प्रणाली 'मानिटरी सिस्टम' असंवैधानिक

जिस तरह ब्रिटिश तथा कथित अर्थशास्त्री डा. कैन्ट ने बुद्धि के भवर जाल (भ्रम) डालकर, फंसाकर भारत को लूटने तथा शोषण करने के लिए काल्पनिक, असैद्धांतिक 'स्वर्ण विनिमय मान' रुपया को पैदा किया तथा भारत को आर्थिक रूप से पीढ़ी-दर-पीढ़ी आर्थिक गुलाम बनाकर रखने की व्यवस्था दी। जिस व्यवस्था का नाम 'मानीटरी सिस्टम' के नाम से जाना जाता है। जो असंवैधानिक है।

आज भी शासकों द्वारा सोना का रुपया, चाँदी का रुपया, स्टील का रुपया, कागज का रुपया, प्लास्टिक का रुपया तथा डिजिटल रुपया के भवर जाल में फंसाकर लूट-पाट शोषण कर रहे हैं तथा भविष्य में करते रहेंगे।

वैध रुपया मूल्य का मापक होता है।
अवैध रुपया शोषण का साधन होता है।

रुपया पर एक परिचर्चा

उदाहरण के लिए एक परिचर्चा का वर्णन कर रहा हूँ।

एक व्यक्ति से 'रुपया' पर हमारी चर्चा हो रही थी, बातचीत के दौरान हमने एक वैध चाँदी का 1 रुपया का सिक्का जो 1920 का था। दूसरा 1 रुपया का सिक्का कूटकृत जो सन् 1942 का (जिसमें लगभग 50 % शुद्ध चाँदी होता है) था। तीसरा 1 रुपया का सिक्का स्टील का और चौथा 1 रुपया कागज का (पेपर करेन्सी) उस व्यक्ति के सामने रख दिया और उससे कहा कि यह सन् 1920 के चाँदी का 1 रुपया लेकर बाजार में जाता हूँ तो लगभग 60 किलोग्राम गेहूँ मिल जाता है, सन् 1942 के चाँदी के 1 रुपया से लगभग 30 किलोग्राम गेहूँ मिल जाता है, स्टील एवं कागज के 1 रुपया से एक कप चाय भी नहीं मिलता है, ऐसा क्यों है? जबकि सभी रूपयों पर 1 रुपया ही अंकित (लिखा हुआ) है।

तो उस व्यक्ति ने हमें जवाब दिया कि- "वर्मा जी कहाँ चाँदी का रुपया और कहाँ कागज और लोहे (स्टील) का रुपया आप दोनों को एक समान क्यों समझ रहे है? सोना या चाँदी का रुपया कीमती रुपया है, इससे बाजार में प्रति 1 रुपया 60 किलोग्राम गेंहू मिल जाएगा, लेकिन कागज या स्टील का रुपया कीमती नहीं है, अतः उससे एक कप चाय भी नहीं मिलेगा।" यह जवाह सुनकर मै सन्न (अवाक) रह गया।

"मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि शत्-प्रतिशत देशवासियों के दिमाग में यही उत्तर 'रुपया' के बारे में है।

हमने उस व्यक्ति से चर्चा बढ़ाते हुए बोला कि- 'आप के उत्तर से मेरे अन्दर कुछ प्रश्न खड़े हो रहे है, अगर आप कहे तो आप के समक्ष अपनी जिज्ञासा या प्रश्न रखू, तो उनका कहना था कि बिल्कुल अपनी प्रश्न रखिए। तब मैने कहा-

सोना का कि-ग्रा चांदी का कि-ग्रा लोहा का कि-ग्रा

"भार की मापक 'किलोग्राम' है, यदि एक किलोग्राम सोने का हो, दूसरा किलोग्राम, चाँदी का हो, तीसरा किलोग्राम, लोहे (स्टील) का हो, तो क्या किसी किसान का गेंहू सोने के किलोग्राम से तौला जाएगा। तो सोने का 1 किलोग्राम, गेंहू को क्या 10 किलोग्राम तौलेगा? और चाँदी का 1 किलोग्राम, क्या 5 किलोग्राम गेंहू तौलेगा? और लोहे का 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, क्या गेंहू के तौल का मापन करेगा?

इसके बाद हमने उदाहरण मे दूसरा प्रश्न किया कि-

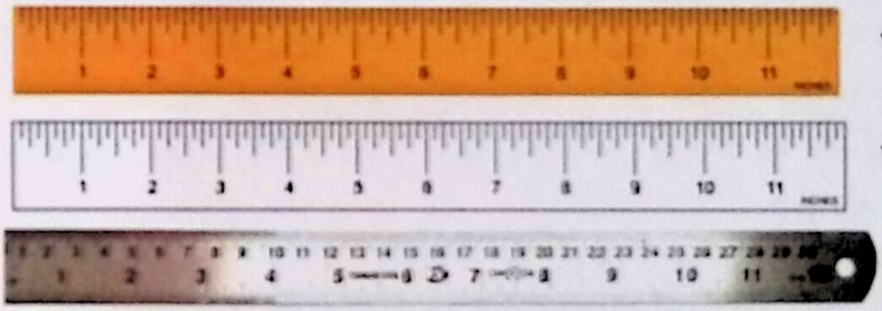

सोने का फीट

चाँदी का फीट

लोहे का फीट

"दूरी की मापक फीट (स्केल) है, जो एक फीट (स्केल) सोने का हो, दूसरा फीट (स्केल) चाँदी का हो, तीसरा फीट (स्केल) लकड़ी (काष्ठ) का हो, तो क्या सोने से बने फीट (स्केल) से दूरी का मापन करने पर क्या 1 फीट की दूरी के जगह 10 फीट की दूरी का मापन करेगा? चाँदी का 1 फीट, क्या 5 फीट के दूरी का मापन करेगा? और (काष्ठ) लकड़ी का 1 फीट, क्या 1 फीट की दूरी का मापन करेगा?"

इसके बाद उदाहरण में तीसरा प्रश्न किया कि-

लोहे की घड़ी चांदी की घड़ी सोने की घड़ी

"समय की मापक घड़ी है, यदि 1 घड़ी सोने की हो, दूसरा घड़ी चाँदी की हो, तीसरा घड़ी लोहे का हो, तो क्या सोने की घड़ी 120 सेकेण्ड = 1 मिनट के समय का मापन करेगी? चाँदी की घड़ी, 100 सेकेण्ड = 1 मिनट के समय का मापन करेगी? और लोहे की घड़ी 60 सेकेण्ड = 1 मिनट के समय का मापन करेगी?"

यह प्रश्न सुनकर उस व्यक्ति की बोलती बन्द हो गयी।

कुछ देर बाद मुझे पुनः कहना पड़ा कि- क्या सोना जो कीमती धातु है, सोने के 1 किलोग्राम से क्या 10 किलोग्राम तौल का मापन करेगा या तौल देगा?

क्या कीमती सोने की 1 फीट (स्केल) से मापन करने पर एक फीट की जगह 10 फीट मापन कर देगी?

क्या कीमती धातु सोने की घड़ी 60 सेकेण्ड = 1 मिनट की जगह, 120 सेकेण्ड = 1 मिनट के समय की मापन करेगी?

तब उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वैध (लीगल) किलोग्राम है, तो वह सोने का हो या, चाँदी का हो, या लोहे का हो अगर उसका मानक (स्टैन्डर्ड) 1000 ग्राम है, तो प्रत्येक किलोग्राम से 1 किलोग्राम ही गेंहू का तौल (मापन) होगा।

अगर दूरी की मापक फीट (स्केल) भी अपनी (लीगल) वैध मानक के अनुसार 12 इंच = 1 फीट की स्केल या इंच पटरी (फीट) है, तो वह फीट (स्केल) सोने की हो, या चाँदी की हो, या लकड़ी (काष्ठ) की हो, इन सभी 1 फीट (स्केल) से मापन एक बराबर ही होगा।

अगर समय की मापक घड़ी के मिनट का वैध (लीगल) मानक 60 सेकेण्ड = 1 मिनट है, तो वह सोने की घड़ी हो, या चाँदी की घड़ी हो या लोहे की घड़ी हो, सभी से समय का मापन एक ही होगा।

तब हमने कहा- ठीक उसी प्रकार, मूल्य की मापक 'रुपया' का मानक (स्टैन्डर्ड) वैध (लीगल) है तो- बाजार में वस्तु खरीदने पर, सोने का रुपया हो, या चाँदी का रुपया हो या

लोहा का रुपया हो, या कागज का रुपया हो, इन सभी रूपयों से एक बराबर वस्तुएं मिलनी चाहिए, किसी भी रुपए से कम या अधिक नहीं मिलनी चाहिए, तभी वह वैध (लीगल) रुपया है, अथवा कम या अधिक वस्तुएं मिले, तो वह कूटकृत या अवैध 'रुपया' होगा।

इस तरह, इस तथ्यात्मक उदाहरण से वह व्यक्ति संतुष्ट हुआ। मैने इस घटना की चर्चा सिर्फ इसलिए कर दी कि अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक रूप से तबाह और बर्बाद करने के लिए और पीढ़ी-दर-पीढ़ी गुलाम बनाकर रखने के लिए उनके द्वारा बनाए गये समस्त अधिनियम, नियम, आदेश में ब्रिटेन का हित तथा भारत की तबाही एवं बरबादी है। जिसे अंग्रेज भारत पर थोपने में सफल रहें, और भारतीय अंग्रेज भारत को गुलाम बनाकर रखने वाले अधिनियम, नियम, आदेश को हू-ब-हू अपना कर भारत को लूट रहे है, तथा लुटवा रहे है।

आयात-निर्यात में शोषण का गणितीय आँकड़ा

उदाहरण- प्रति 10 ग्राम सोने का रेट (भाव) 65,000/- (पैंसठ हजार) रुपया है। अतः प्रति तोला या 11.664 ग्राम 15 रुपया मानक (स्टैण्डर्ड) मूल्य से रुपया का बढ़ता मूल्य-

11.664 × **65,000** ÷ **10** = **75816** रुपया प्रति तोला हो गया।

↓ 11.664 (तोला या ग्राम) ↓ 65,000 (वर्तमान भाव) ↓ 10 (ग्राम)

जिसमें घटती रुपया में सोने की मात्रा-

11.664 (तोला या ग्राम) ÷ 75816 (प्रति तोला रुपया में) = 0.0001538 ग्राम सोना प्रति रुपया घटकर सोना की मात्रा हो गयी।

अतः रुपया में सोना या क्रय शक्ति की मात्रा-

0.7776 ÷ 0.0001538 = 5055.9167 गुना घट गयी।

↓ ↓

(प्रति रुपया वैध मानक मात्रा) (कूटकृत अवैध वर्तमान मात्रक मात्रा)

और आंकिक मूल्य-

75816 ÷ 15 = 5054.4 गुना बढ़ गया।

अतः बढ़ती गुणात्मक महँगाई-

5054.4 × 5054.4 =25546959.36 के बराबर महँगाई हो गई।

इतना ही नहीं जनता के खून-पसीने की कमाई और उनका उत्पादन-

25546959.36 के बराबर सस्ता हो गया।

अर्थात्

25546959.36 के बराबर आयात महँगा हो गया। और, 25546959.36 के बराबर निर्यात सस्ता हो गया।

अतः संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन करती तथा-कथित अवैध रुपया से लेन-देन

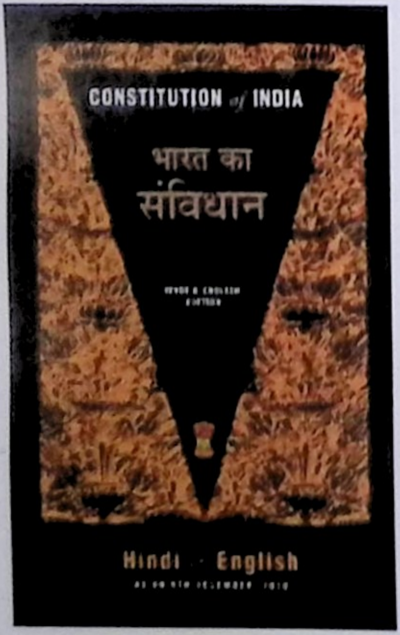

विनिमय नहीं शून्य है। जिसमें आज भी जनता अपने मौलिक अधिकारों से वंचित, शोषित, दोहित गुलामी की आहें भरती कहती है कि-

'कोई नृप होय हमें का हानी, चेरी छोड़ी हम हीब न रानी' की कहावत को चरितार्थ करती जनता जब-तक स्वंय को शासक नहीं समझेगी, तब-तक व्यक्तिवाद 'डालर' की दासता की दोहाई देती, आहें भरती रहेगी। यह संविधान के नक्शे कदम पर सेटलमेंट स्थापित की गयी विधि (Process of Law) क्वानेज एक्ट 1906 और आई. पी. सी. 1860 सेक्शन 230 (वर्तमान में संसोधित-न्याय संहिता 2023, अध्याय-10, धारा-178-188) के अनुसार

स्टाम्पित भारतीय सिक्का के नक्शे कदम पर विनिमय विधि का शासन (Rule of Law) के क्रियान्वयन किये बिना सम्भव नहीं है।

जो नैषर्गिक न्याय के सापेक्ष नेचुरल यूनिट या मानक (स्टैण्डर्ड) या विधि नहीं है। व्यक्ति के सापेक्ष व्यक्ति की यूनिट, व्यक्ति की विधि या मानक (स्टैण्डर्ड) है। जिसका संचालक नियंत्रक 'डालर' है। जो प्रापर्टी का निगेटिव स्वरूप अधोगामी गति, अंको का शब्द जाल-

0.7776 ग्राम ÷ 0.0001538 = 5055.9167 गुना लूटपाट

5055.9167 × 5055.9167 =25562293.6773 के बराबर चिटिंग

अतः 25562293.6773 के बराबर धोखाधड़ी, चिटिंग, लूटपाट है। जिसको तथा-कथित महंगाई कहना विधि के शासन का अन्त, संविधान का अन्त आर्थिक गुलामी है : और 'डालर' राज का डंका है।

भारतीय संविधान की अवधारणा विधि का शासन (Rule of law) और विधि द्वारा स्थापित की गयी विधि (Process of law) नैषर्गिक न्याय (Natural justice) के सापेक्ष, प्रापर्टी का पाजिटीव स्वरूप (Positive aspect of property) शासन, न्याय, विधि निर्माण करती कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका व्यक्ति नहीं विधि की सर्वोच्चता (Supermacy of law) है। जो संचालक, नियंत्रक, नियामक, नियंता है।

भारतीय रुपया 1 तोला या 11.664 ग्राम सोना का सिक्का (Gold Coin) मोहर का, 1 तोला या 11.664 ग्राम के चाँदी का सिक्का (Silver Coin) 1 रुपया से 10 रुपया (दस) के बराबर है। कीमत मापने का भारतीय सिक्का (Indian Coin) भारतीय प्रमाणिक मानक (स्टैण्डर्ड) है, धन (Money) है। जो प्राचीन काल से लेकर राजा-महाराजाओं, मुगल शासकों तक चलन में रहा है। जिसके मानक (स्टैण्डर्ड) में छेड़छाड़ (रद्दो-बदल) अपराध रहा है। किसी ने मानक (स्टैण्डर्ड) के साथ छेड़खानी नहीं किया।

भारत में व्यक्ति या विधि का शासन

सन् 1788-1818 के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय मानक (स्टैण्डर्ड) में रद्दो-बदल कर (कूटकृत गुलामों की 'उपनिवेशिक मुद्रा') रुपया बनाया और उस तथा-कथित कूटकृत मानक (स्टैण्डर्ड) को विधि का रूप दे दिया। जिसके अनुसार 1 तोला या 11.664 ग्राम शुद्ध सोना एवं 1 तोला या 11.664 ग्राम शुद्ध चाँदी के सिक्कों में क्रमशः 0.908 ग्राम एवं 0.908 ग्राम चाँदी एवं सोना के सिक्कों में मिलावट कर उसका मानक मूल्य चाँदी के सिक्के का 1 रुपया और सोना के सिक्का मोहर का मानक मूल्य 10 रुपया से बढ़ाकर 15 रुपया कर दिया, और इसी कूटकृत भार एवं मूल्य मानक (स्टैण्डर्ड) को जबरन सन् 1835 में विधि का रूप अंग्रेजों द्वारा दे दिया गया। जो आज भी विधि मान्य मानक (स्टैण्डर्ड) है। जिसमें रद्दो-बदल (कूटकरण, अपराध) है।

सैकड़ों वर्षों से चली आ रही नैपर्गिक न्याय (Natural Justice) के सैद्धान्तिक रुपए के मानक (स्टैण्डर्ड) में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गयी अवैध रूप से मानक (स्टैण्डर्ड) में रद्दो-बदल (कूटकरण) आज भी जारी है। जिससे वर्तमान में रुपए का मानक (स्टैण्डर्ड) प्रति रुपया में सोना की मात्रा, 65,000/- (पैसठ हजार) रुपए 10 ग्राम के मूल्य के अनुसार-

11.664 × **65,000** ÷ **10** = **75816/–** रुपया प्रति तोला हो गया।

↓ (तोला या ग्राम) ↓ (वर्तमान भाव) ↓ (ग्राम)

और प्रति रुपए में सोना की मात्रा रद्दो- बदल (कूटकरण) द्वारा घटकर

11.664 ÷ 75816 = **0.00015** ग्राम प्रति रुपया हो गयी है।

↓ (1 तोला ग्राम में) ↓ (रुपया/ तोला)

अर्थात् प्रति रुपया में सोना की मात्रा लगभग समाप्त हो गयी है।

यह उपरोक्त मानक, व्यक्ति के सापेक्ष, व्यक्ति की यूनिट, व्यक्ति की विधि या मानक (स्टैण्डर्ड) है। जो असैद्धान्तिक, विधि शून्य, अवैध है।

जिस अवैध मानक (स्टैण्डर्ड) को वैध बताकर किसान, मजदूर, कर्मचारी, अधिकारी सहित भारत के समस्त प्राकृतिक सम्पदा की बिना रोक-टोक अवाध गति से लूपपाट, शोषण जारी है।

अतः न्यायपालिका अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों का पालन करते हुए भारत के किसानों एवं अन्य कर्जदारों से की जा रही ऋण की अवैध रूपयों की वसूली में किसानों एवं अन्य कर्जदारों की वैध जमीन-जायदात की कुर्की एवं निलामी पर तत्काल प्रतिबन्ध लगावें, जिससे किसानों एवं अन्य कर्जदारों की आत्महत्या रूक सके। तथा अवैध रुपए का संचालन एवं नियंत्रित करने वालों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए, वैध रुपए की बहाली अति आवश्यक है। जिससे किसानों के लेन-देन में विधि का उल्लंघन या संविधान की अवमानना न हो सके।

वैध रुपया धन को स्थिर रखती है।
अवैध रुपया धन को धीरे धीरे खत्म कर देती है।

वैध रुपया स्थिरता और विकास की गारंटी है।
अवैध रुपया अस्थिरता और विनाश की गारंटी है।

लूटपाट, शोषण की कहानी
'रुपया' सिक्कों और आँकड़ों की जुबानी

1. मुगलकाल ⇨ मुगल 'भारतीय रुपया'
2. ईस्ट इण्डिया कम्पनी, काल ⇨ 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी रुपया'
3. ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेंट, काल ⇨ 'गवर्नमेंट रुपया'
4. आर्जी हुकूमत-ए-आजाद हिन्द, काल ⇨ 'आजाद हिन्द रुपया'
5. ~~ब्रिटिश~~ इण्डिया गवर्नमेंट, काल ⇨ 'गवर्नमेंट रुपया'

सैद्धान्तिक 'भारतीय रुपया' मुगलकाल

जन्म के समय का प्रथम रुपया

सन् 1540-45 में शेरशाह सूरी द्वार चलन में लाया गया।

मानक भार =1 तोला शुद्ध चाँदी या 11.664 ग्राम या 180 ग्रेन्स

मानक मूल्य = 1 रुपया

प्रति 'भारतीय रुपया' की तुलना में शुद्ध स्वर्ण मूल्य (क्रय शक्ति) = 1.1664 ग्राम था।

मोहर हुमायू

मानक भार = 1 तोला शुद्ध सोना या 11.664 ग्राम या 180 ग्रेन्स

मानक मूल्य = 10 रुपया या मोहर

मोहर अकबर

मानक भार = 1 तोला शुद्ध सोना या 11.664 ग्राम या 180 ग्रेन्स

मानक मूल्य = 10 रुपया या मोहर

कूटकृत 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी रुपया' ईस्ट इण्डिया कम्पनी काल

सन् 1818-1862

रेगुलेशन, XIV ऑफ 1818-1835
एक्ट, XVII ऑफ 1835-1862 } के अनुसार

मानक भार = 165 ग्रेन्स शुद्ध चाँदी

15 ग्रेन्स अन्य (मिलावट)

कुल भार = 180 ग्रेन्स या 1 तोला या 11.66 ग्राम

मानक मूल्य = 1 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी रुपया'

प्रति 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी रुपया' की तुलना में शुद्ध स्वर्ण मूल्य (क्रय शक्ति) = 0.712733 ग्राम या 712 मिलीग्राम था।

रेगुलेशन, XIV ऑफ 1818-1835
एक्ट, XVII ऑफ 1835-1862 } के अनुसार

मानक (स्टैण्डर्ड) भार = 165 ग्रेन्स शुद्ध सोना

15 ग्रेन्स अन्य (मिलावट)

कुल भार (वजन) = 180 ग्रेन्स या 1 तोला या 11.664 ग्राम

मानक मूल्य = 15 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी रुपया' या 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी मोहर'

कूटकृत 'गवर्नमेंट रुपया' ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेंट काल

सन् 1862-1870 एक्ट VIII ऑफ 1862

एक्ट, VIII ऑफ 1862 में पूर्व के एक्ट, XVII ऑफ 1835 के मानक भार एवं मानक मूल्य को हू-ब-हू अपनाते हुए, सिर्फ नाम का परिवर्तन 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी रुपया' का नाम बदलकर 'गवर्नमेंट रुपया' तथा 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी मोहर' का 'गवर्नमेंट मोहर' नाम रखा गया।

प्रति 'गवर्नमेंट रुपया' की तुलना में

शुद्ध स्वर्ण मूल्य (क्रय शक्ति) = 0.712733 ग्राम या 712 मिलीग्राम था।

ब्रिटेन द्वारा ब्रिटिश मुद्रा 'सोवरेंज (Sovereign) के द्वारा लूटपाट शोषण

सन् 1870-1906 एक्ट,XXIII ऑफ 1870

एक्ट, XXIII ऑफ 1870 में एक्ट, VIII ऑफ 1862 के 'गवर्नमेंट रुपया' एवं 'गवर्नमेंट मोहर' के मानक भार एवं मानक मूल्य को हू-ब-हू अपनाते हुए। ब्रिटेन की मुद्राओं को भारत पर थोपा गया। ब्रिटेन द्वारा ब्रिटिश मुद्रा सोने के पौण्ड, सोवरेंज एवं चाँदी की मुद्रा सिलिंग से लेन-देन शुरू। जिसमें सोना की मुद्रा 'सोवरेंज' के भार मानक का मनमाना मूल्य भारत में लागू। ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेंट

द्वारा चाँदी के मानक मूल्य को छोड़ सोना के ब्रिटिश मुद्रा सोवरेंज से लेन-देन शुरू, जिसके परिणाम स्वरूप मनमाना मूल्य मानक से भारत का भयंकर शोषण शुरू हुआ।

ब्रिटिश मुद्रा 'सोवरेंज' (Sovereign)

मानक भार = 122.50000 ग्रेन्स शुद्ध सोना

0.77447 ग्रेन्स अन्य (मिलावट)

कुल भार = 123.27447 ग्रेन्स या 7.98805 ग्राम

मानक मूल्य = 15 'गवर्नमेंट रुपया' = 1 'सोवरेंज'

प्रति 'गवर्नमेंट रुपया' की तुलना में शुद्ध स्वर्ण मूल्य (क्रय शक्ति) = 0.529191 ग्राम था।

ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेंट द्वारा पेपर करेंसी एक्ट, 1882 लागू

एक्ट, XX ऑफ 1882

ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेंट द्वारा एक्ट, XX ऑफ 1882 'द इण्डियन पेपर करेंसी एक्ट' भारत में लागू किया गया। जिसमें पेपर करेंसी को वैध निविदा या वैध दस्तावेज घोषित करते हुए। पेपर करेंसी को सोने के सिक्के की वैध निविदा या वैध दस्तावेज या सर्टिफिकेट (प्रमाण-पत्र) कहा गया है। जिसे धारक द्वारा मागे जाने पर पेपर करेंसी के बदले सोने का सिक्का या बुलियन देना है।

ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेंट द्वारा 'भारतीय सिक्का अधिनियम' एक्ट, III ऑफ 1906 भारत के संसद में पारित

ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेंट द्वारा भारत की संसद में 'भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 पारित हुआ। जिसमें एक्ट नं. XVII ऑफ 1835, नं. XXI ऑफ 1838, नं. XIII ऑफ 1862, नं. XXIII ऑफ 1870 के 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी रुपया', 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी मोहर' एवं 'गवर्नमेंट रुपया' 'गवर्नमेंट मोहर' तथा ब्रिटिश मुद्रा 'सोवरेंज'(Sovereign) के भार मानक मूल्य मानक (स्टैण्डर्ड) को हू-ब-हू अपनाते हुए, ब्रिटिश मुद्रा 'सोवरेंज' के मानक (स्टैण्डर्ड) मोहर मानक को छोड़कर अपनाया। यही भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 आज भी विधि द्वारा मान्य रुपए का वैध निविदा या वैध दस्तावेज या लीगल टेण्डर है।

'गवर्नमेंट मोहर' के अनुसार प्रति रुपया शुद्ध स्वर्ण मूल्य (क्रय शक्ति) = 0.712733 ग्राम या 712 मिलीग्राम था।

712 मिलीग्राम से ब्रिटिश मुद्रा 'सोवरेंज' में परिवर्तित होकर प्रति रुपया शुद्ध स्वर्ण मूल्य (क्रय शक्ति) = 0.529191 ग्राम या 529 मिलीग्राम हो गयी।

ब्रिटिश 'रॉयल कमीशन' या 'हिल्टन यंग आयोग' के सुझाव पर भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना

ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेंट द्वार 'हिल्टन यंग कमीशन' के सिफारिश पर भारत में केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का 'भारतीय रिजर्व बैंक' के नाम से स्थापना करते हुए। 6 मार्च 1934 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम-1934 भारत में लागू किया। जिसके अन्तर्गत 'मानिटरी सिस्टम' (गुलाम बनाने की प्रणाली) लागू किया।

इस अधिनियम में कठिन शब्दावली एवं बहुअर्थी भाषा का प्रयोग करते हुए शब्दों के मकड़जाल में उलझाया गया है।

1 अप्रैल 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य प्रारम्भ भारत में लागू भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रस्तावना के कुछ पंक्तियों की सरल व्याख्या एवं कुछ प्रमुख धाराओं का उल्लेख-

प्रस्तावना के अनुसार-

बैंक नोटों का निर्गमन (निकासी) करने और ब्रिटेन में मुद्रा स्थित की सुदृढ़ता (मजबूती) बनाए रखने की दृष्टि से आरक्षित राशियों (सोना, चाँदी, हक दस्तावेज आदि) का रखा जाना नियंत्रित (आर्थिक गुलामी) करने के लिए तथा समष्टिगत (सामूहिक) रूप से देश (ब्रिटेन) की करेंसी (गवर्नमेंट रुपया) और प्रत्यय (प्रामाण, विश्वास, वचन-पत्र) व्यवस्था को देश (ब्रिटेन) के लाभार्थ (खजाना भरने) चलाने के लिए भारत के लिए एक रिजर्व बैंक, का गठित करना समीचीन (आवश्यक) है।

धारा-29 के अनुसार- रिजर्व बैंक का भारत में सरकारी कारोबार का संव्यवहार करने का अधिकार होगा।

"केन्द्रीय सरकार ऐसी शर्तों पर, जैसी करार पाई जाए अपने सब धन-संबंधी, विप्रेषणादेश संबंधी, विनिमय संबंधी और भारत में बैंककारी संबंधी संव्यवहार रिजर्व बैंक को सुपुर्द कर देगी और विशेषतया, बिना ब्याज लिए अपने नगद अतिशेष रिजर्व बैंक में निक्षिप्त करेगी।"

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

1934 का अधिनियम संख्यांक 2[1]

[6 मार्च, 1934]

भारतीय रिज़र्व बैंक गठित करने के लिए अधिनियम

बैंक-नोटों का निर्गमन करने और [2][भारत] में मुद्रा-स्थिति की सुदृढ़ता बनाए रखने की दृष्टि से आरक्षित राशियों का रखा जाना नियंत्रित करने के लिए तथा समष्टिगत रूप से देश की करेंसी और प्रत्यय व्यवस्था को देश के लाभार्थ चलाने के लिए भारत के लिए एक रिजर्व बैंक का गठित करना समीचीन है;

और संसार की मुद्रा पद्धतियों की वर्तमान अव्यवस्था में यह अवधारित करना कि भारतीय मुद्रा पद्धति के लिए स्थायी आधार के रूप में क्या यथोचित होगा, संभव नहीं है;

किंतु विद्यमान मुद्रा पद्धति के आधार पर अस्थायी उपबंध करना और भारत के लिए सबसे उपयुक्त मुद्रा मान के प्रश्न को उस ससमय सोचे जाने के लिए छोड़ देना समीचीन है जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्थिति इतनी स्पष्ट और स्थायी हो जाए कि स्थायी उपाय करना संभव हो;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 है।

[3][(2) इसका विस्तार [4]**** संपूर्ण भारत पर है।]

---

[1] उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए देखिए भारत का राजपत्र, 1933, भाग 5, पृ 160 और प्रवर समिति की रिपोर्ट के लिए देखिए भारत का राजपत्र, 1933, भाग 5, पृ 197-207 ।

बर्मा के भारत से पृथक् होने पर रिज़र्व बैंक के बर्मा में या बर्मा के संबंध में कृत्यों के लिए इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 देखिए।

यह अधिनियम 1941 के अधिनियम सं.4 द्वारा बरार को; 1962 के विनियम सं.6 द्वारा गोवा, दमण और दीव को, 1963 के विनियम सं.6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली को; 1965 के विनियम सं.8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा संपूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर अधिसूचना सं. का.आ.208 (अ), तारीख 16-5-1975, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3(ii), पृ.1213 द्वारा सिक्किम राज्य को विस्तारित किया गया और (14-8-1976) से सिक्किम में प्रवृत्त हुआ देखिए अधिसूचना सं.का.आ.547 (अ), तारीख 13-8-1976 ।

यह अधिनियम 1964 के अधिनियम सं.28 द्वारा अनुपूरित किया गया है।

[2] भारतीय स्वतंत्रता (केंद्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश) आदेश, 1948 द्वारा "ब्रिटिश भारत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित

[4] 1956 के अधिनियम सं.62 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया।

विभिन्न प्रकार की करेंसी देने की बाध्यता
धारा-39 के शब्दों में

1906 का 3 (1) रिजर्व बैंक मांग किए जाने पर बैंक- नोटों और भारत सरकार के करेंसी नोटों के विनिमय में रुपए के सिक्के देगा और जो सिक्का भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 के अधीन वैध निविदा है उसके विनिमय में मांग किए जाने पर करेंसी नोट या बैंक-नोट देगा।

1906 का 3 (2) रिजर्व बैंक दो रुपए या उससे ऊपर के करेंसी नोटों या बैंक-नोटों के विनिमय में कम मूल्य के बैंक-नोट या करेंसी नोट या ऐसे अन्य सिक्के, जो भारतीय सिक्का अधिनियम, 1906 के अधीन वैध निविदा है, इतनी मात्रा में देगा, जितनी रिजर्व बैंक की राय में परिचानल के लिए आवश्यक है, और केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक को ऐसे सिक्के उसके लिए मांग होने पर देगी। यदि केन्द्रीय सरकार किसी समय ऐसे सिक्के देने में असफल रहती है तो रिजर्व बैंक जनता को उन्हें देने की अपनी बाध्यता से मुक्त हो जाएगा। मूल रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा, 59 के अनुसार- 8.47512 ग्रेन्स शुद्ध सोना प्रति रुपया निर्धारित या प्रति रुपया 0.549103 ग्राम या 549 मिलीग्राम शुद्ध सोना निर्धारित था।

ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 'गवर्नमेंट रुपया' का प्रथम कूटकरण

एक्ट नं. VI ऑफ 1940 दिनाँक 11.03.1940

ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने 'गवर्नमेंट रुपया' का एक्ट नं. VI ऑफ 1940 के द्वार अपने ही बनाये नियम एवं कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए, चाँदी के 'गवर्नमेंट रुपया' का प्रथम कूटकरण (अवमूल्यन) किया। जिसके बाद चाँदी के सिक्का (रुपया) में लगभग 50% (प्रतिशत) मिलावट अन्य धातु कि की गयी।

जिससे-

प्रति रुपया शुद्ध स्वर्ण मूल्य (क्रय-शक्ति) = 8.47512 ग्रेन्स या, 0.549103 ग्राम या, 549 मिलीग्राम से परिवर्तित होकर प्रति रुपया शुद्ध स्वर्ण मूल्य (क्रय-शक्ति) = 0.268601 ग्राम या, 268 मिलीग्राम हो गयी।

आजाद हिन्द सरकार का सैद्धान्तिक वैध रुपया जारी, सन् 1944

'आर्जी हुकूमत-ए-आजाद हिन्द' आजाद हिन्द सरकार द्वारा आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेता जी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा 05 अप्रैल 1944 को 'नेशनल बैंक ऑफ आजाद हिन्द' की स्थापना।

सैद्धान्तिक वैध भारतीय रुपया की पुनः वापसी।

ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेंट द्वार अवैध रुपया के माध्यम से की जा रही भारत का शोषण, लूटपाट का वैध रुपया से करारा जवाब था।

मानक भार =1 तोला या, 11.664 ग्राम शुद्ध चाँदी सिक्का

मानक भार =1 रुपया (आर्जी हुकूमत-ए-आजाद हिन्द)

प्रति रुपए की तुलना में शुद्ध स्वर्ण मूल्य (क्रय-शक्ति) = **1.1664** ग्राम है।

इस 'आजाद हिन्द रुपए' को 12 स्वतंत्र राष्ट्रों ने मान्यता दिया। इस रुपए को आजतक किसी सरकार ने बन्द नहीं किया। नियमतः यह 'आजाद हिन्द रुपया' आज भी चनल में हैं।

चाँदी का 'गवर्नमेंट रुपया' बन्द, सन् 1947

ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेंट ने सन् 1947 में कूटकृत चाँदी के रुपए को बनाना बन्द कर, 11 मार्च 1947 को शुद्ध निकेल धातु का 'गवर्नमेंट रुपया' जारी किया।

15 अगस्त 1947 'ट्रान्सफर ऑफ पावर' (कुर्सी का आदान-प्रदान)

ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेंट ने 'ट्रान्सफर ऑफ पावर' (कुर्सी का आदान-प्रदान) के द्वारा भारत को ब्रिटिश उपनिवेश घोषित करते हुए उपनिवेश भारत (गुलाम भारत) के प्रथम प्रधानमंत्री पं. ज्वाहर लाल नेहरू को बनाया।

प्रधानमंत्री पं. ज्वाहर लाल नेहरू ने उपनिवेश (गुलाम) धर्म का पालन करते हुए, वैध भारतीय 'आजाद हिन्द रुपया' को छोड़कर, अवैध एवं कूटकृत ब्रिटिश 'गवर्नमेंट रुपया' सहित भारत को गुलामी में रखने वाले सभी नियम एवं कानूनों को अपनाया तथा ब्रिटेन की उपनिवेश का परिचय देते हुए-

20 सितम्बर 1949 को ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेंट द्वारा 'गवर्नमेंट रुपए' का कूटकरण या अवमूल्यन किया गया।

जिसके परिणाम स्वरूप सोने के संदर्भ में-

प्रति रुपए की तुलना में शुद्ध स्वर्ण का मूल्य (क्रय-शक्ति) = 0.268601 ग्राम या, 268 मिलीग्राम से परिवर्तित होकर प्रति रुपया शुद्ध स्वर्ण का मूल्य (क्रय-शक्ति) = 0.186621 ग्राम या, 186 मिलीग्राम हो गयी।

ब्रिटिश इण्डिया 'गवर्नमेंट रुपए' का पुनः कूटकरण- 1966

06 जून सन् 1966 को ब्रिटिश इण्डिया गवर्नमेंट द्वारा 'गवर्नमेंट रुपए' का पुनः कूटकरण या अवमूल्यन किया गया।

जिसके परिणाम स्वरूप प्रति रुपए की तुलना में शुद्ध स्वर्ण का मूल्य (क्रय-शक्ति) = 0.186621 ग्राम या,186 मिलीग्रा. से परिवर्तित होकर- प्रति रुपया शुद्ध स्वर्ण का मूल्य (क्रय-शक्ति) = 0.118489 ग्राम या, 118 मिलीग्राम हो गयी।

रिजर्व बैंक द्वारा जनता के साथ छल, कपट, धोखाधड़ी- सन् 1968

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक नोट, पेपर करेंसी जो सेना का दस्तावेज या सोना का प्रमाण-पत्र है। जिससे रिजर्व बैंक के 'गवर्नर का वचन' खण्ड होता है। उस गवर्नमेंट के वचन खण्ड जो सिर्फ अंग्रेजी में लिखे जाते थे, जो इस प्रकार होते थे-

"I PROMISE TO PAY THE BEARER ON DEMAND THE SUM OF .... RUPEES AT ANY OFFICE OF ISSUE"

सन् 1968 में रिजर्व बैंक द्वारा गवर्नर के वचन खण्ड का रद्दो-बदल, कूट-रचना करते हुए, अंग्रेजी एवं हिन्दी में छापा जाने लगा। जो इस प्रकार है-

अंग्रेजी- “I PROMISE TO PAY THE BEARER THE SUM OF..............................RUPEES”

हिन्दी- “मैं धारक को .... रुपए अदा करने का वचन देता हूँ।”

1. इस प्रकार गवर्नर के वचन खण्ड का रद्दो-बदल या, कूटरचना कर के रिजर्व बैंक ने महा अपराध किया है। भारतीय दण्ड संहिता अध्याय-18 धारा, 489 क ख ग घ ड़ तक करेंसी नोटों या, बैंक-नोटों के कूटकरण से सम्बन्धित अपराधिक धाराएं है। जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। (संशोधित नियम – भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 10 धारा 178 से 188 तक सिक्को, करेंसी नोटों, बैंक नोटों ओर सरकारी स्टैम्प के कूटकरण से सम्बन्धित अपराधिक धारा है।)

2. बैंक-नोटों या करेंसी नोटों पर दूसरा छल, कपट, धोखाधड़ी यह है कि- प्रत्येक बैंक-नोटों पर लिखा गया है कि “केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत” जबकि रिजर्व बैंक से प्रतिभूति संबंधित सूचना मांगने पर यह सूचना दी गयी है कि जो सोना रखा गया है वह बैंक-नोटों के ‘समर्थन’ में रखा गया है।
क्या गवर्नर के बचन खण्ड एवं ‘प्रतिभूत’ को ‘समर्थन’ में बदलना भारत की जनता के साथ छल, कपट, धोखा, विश्वासघात है या नहीं?

~~ब्रिटिश~~ इण्डिया गवर्नमेंट द्वारा 'गवर्नमेंट रुपया' का पुनः कुटकरण-1991

~~ब्रिटिश~~ इण्डिया गवर्नमेंट द्वारा पुनः 01 और 03 जुलाई सन् 1991 में 'गवर्नमेंट रुपया' का दो चरणों में अवमूल्यन या कूटकरण किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप-

प्रति रुपए की तुलना में शुद्ध स्वर्ण मूल्य (क्रय-शक्ति) = 0.118489 ग्राम या, 118 मिलीग्राम से परिवर्तित होकर प्रति रुपया शुद्ध स्वर्ण मूल्य (क्रय-शक्ति) = 0.000000 हो गयी।

और 'गवर्नमेंट रुपया' मुद्रा बाजार के हवाले कर दिया गया।

इस तरह 'गवर्नमेंट रुपए' से कूटकरण कर के मानक के रूप में चाँदी एवं सोना को खत्म करने पर भी आज भी 'गवर्नमेंट रुपया' ही कहकर लेन-देन किया जाता है, और करवाया जाता है। जो भारत की जनता का खुलेआम शोषण तथा लूटपाट है। यह रुपया नहीं कागज़ का टुकड़ा है, जिसकी कोई मूल्य (कीमत) नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि-

(क) 'गवर्नमेंट रुपया' मूल्य की मापक है या लूटने शोषण करने का साधन?

(ख) रिजर्व बैंक और ~~ब्रिटिश~~ इण्डिया गवर्नमेंट ने बिना मानक का मापक मूल्य मापने का बाट 'गवर्नमेंट रुपया' कैसे बना दिया? बिना मानक का मापक कैसे?

(ग) 'गवर्नमेंट रुपए का अवमूल्यन' या कूटकरण करने का प्राविधान किस अधिनियम, नियम या संविधान में उल्लेखित है?

(घ) यह कूटकरण भारत तथा भारत की जनता के साथ छल, कपट, धोखाधड़ी, विश्वासघात एवं राष्ट्रद्रोह है या नहीं?

अमेरिका की मुद्रा 'डालर' वैध या अवैध?

अमेरिका की मुद्रा 'डालर' आज के वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में जानी जाती है, तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सर्व मान्य मुद्रा है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन विनिमय होता है। जिससे दुनिया के लगभग हर देश अपने राष्ट्र के कोष में विदेशी मुद्रा भण्डार के रूप में अमेरिकन 'डालर' का कोष रखते है।

भारत भी इसी विदेशी मुद्रा भण्डार के रूप में, भारत के पास लगभग 500 अरब अमेरिकन डालर मौजूद है।

प्रश्न यह है कि अमेरिका की मुद्रा 'डालर' वैध है या अवैध?

मेरे द्वारा आर.टी.आई. दिनाँक 20.07.2015 को प्रश्न सं. 2 भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक को भेज कर सूचना के रूप में 'डालर' का एक्ट एवं मानक (स्टैण्डर्ड) की सूचना मांगी गयी।

जिसके उत्तर में भारत सरकार के पास एक्ट एवं मानक का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। एवं रिजर्व बैंक उत्तर देने से बचाव करते हुए जवाब दिया कि "प्रश्न स्पष्ट नहीं है" इन उत्तरों ने मुझे आश्चर्य चकित कर दिया।

अन्तः 'डालर' एक्ट की मैने खोज शुरू किया और वह सुखद समय आया जब मुझे उस 'डालर का वैध' एक्ट प्राप्त हुआ। उस वैध 'डालर' एक्ट का 12 फरवरी सन् 1873 को अमेरिकी संसद में पारित किया गया।

वैध डालर एक्ट के अनुसार-

'डालर' मानक

शुद्ध चाँदी = 24.1 ग्राम या, 371 ग्रेन्स

अन्य (मिलावट) = 2.9 ग्राम या, 45 ग्रेन्स

(Dollars) डालर का कुल भार = 27.0 ग्राम या, 416 ग्रेन्स

प्रति 'डालर' की तुलना में शुद्ध स्वर्ण मूल्य (क्रय-शक्ति) = 1.600 ग्राम था या है।

(Eagles) 'इग्लस' मानक

शुद्ध सोना = 16.0 ग्राम या 247 ग्रेन्स

अन्य (मिलावट) = 1.5 ग्राम या 23 ग्रेन्स

इग्लस का कुल भार (वजन) = 17.5 ग्राम या 270 ग्रेन्स

अब भारत सरकार और रिजर्व बैंक यह स्पष्ट करें कि-

1. भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा भण्डार के रूप में रखा हुआ 'डालर' वैध है या अवैध?
2. यदि 'डालर' कूटकृत तथा अवैध है, तो इस अवैध 'डालर' का प्रति 'डालर' स्वर्ण मूल्य (क्रय-शक्ति) क्या है?
3. इस अमेरिकी अवैध एवं कूटकृत 'डालर' का जवाब देह और जिम्मेदार कौन ? उसका नाम, पद, पता क्या है?

रुपया के सिक्कों के मानक (स्टैन्डर्ड) एवं मानक मूल्य का दस्तावेज

British / INDIA 303

Y#	Date	Mintage	Fine	VF	XF	Unc
	1905B	(restrike)	—	—	Proof	25.00
34	1906C	104.797	4.50	7.50	11.50	20.00
	1906B	158.953	4.50	7.50	11.50	20.00
	1906B	—	—	—	Proof	150.00
	1906B	(restrike)	—	—	Proof	25.00
	1907C	81.338	4.50	7.50	11.50	20.00
	1907C	—	—	—	Proof	150.00
	1907B	170.912	4.50	7.50	150.00	90.00
	1907B	—	—	—	Proof	150.00
	1907B	(restrike)	—	—	Proof	25.00
	1908C	20.218	4.50	7.50	12.50	22.50
	1908C	—	—	—	Proof	150.00
	1908B	10.715	4.50	7.50	12.50	22.50
	1908B	—	—	—	Proof	150.00
	1908B	(restrike)	—	—	Proof	25.00
	1909C	12.759	4.50	7.50	12.50	22.50
	1909C	—	—	—	Proof	150.00
	1909B	9.539	4.50	7.50	12.50	22.50
	1909B	—	—	—	Proof	150.00
	1909B	(restrike)	—	—	Proof	25.00
	1910C	12.627	4.50	7.50	12.50	22.50
	1910C	—	—	—	Proof	150.00
	1910B	10.885	4.50	7.50	12.50	22.50
	1910B	—	—	—	Proof	150.00
	1910B	(restrike)	—	—	Proof	25.00

NOTE: Calcutta Mint issues have no mintmark. Bombay Mint issues have a small raised bead or dot in the space below the lotus flower at the bottom of the reverse.

Obverse Dies

Type I Type II

Type I - Obv. die w/elephant with piglike feet and short tail. Nicknamed "pig rupee".

Type II - Obv. die w/redesigned elephant with outlined ear, heavy feet and long tail.

The Rupees dated 1911 were rejected by the public as the elephant of the Order of the Indian Empire shown on the King's robe supposedly resembled a pig, an animal considered to be unclean by Indians. These coins were withdrawn from circulation. Out of a total of 9.4 million pieces struck at both mint, only 700,000 were issued. The remainder and the withdrawn pieces were melted down. The issues dated 1912 and later have a re-designed elephant.

Y#	Date	Mintage	Fine	VF	XF	Unc
45.1	1911C	4.300	6.50	11.50	17.50	35.00
	1911C	—	—	—	Proof	150.00
	1911B	5.143	6.50	11.50	17.50	35.00
	1911B	(restrike)	—	—	Proof	25.00
		Redesigned elephant.				
45.2	1912C	45.122	5.00	8.50	13.50	25.00
	1912C	—	—	—	Proof	125.00
	1912B	79.067	4.50	7.50	12.50	20.00
	1912B	—	—	—	Proof	125.00
	1913C	75.800	4.50	7.50	12.50	20.00
	1913C	—	—	—	Proof	125.00
	1913B	87.466	4.50	7.50	12.50	20.00
	1913B	—	—	—	Proof	125.00
	1913B	(restrike)	—	—	Proof	20.00
	1914C	33.100	4.50	7.50	12.50	20.00
	1914C	—	—	—	Proof	125.00
	1914B	15.270	4.50	7.50	12.50	20.00
	1914B	—	—	—	Proof	125.00
	1914B	(restrike)	—	—	Proof	20.00
	1915C	9.900	4.50	7.50	12.50	20.00
	1915C	—	—	—	Proof	125.00
	1915B	5.372	4.50	7.50	12.50	20.00
	1915B	—	—	—	Proof	125.00
	1915B	(restrike)	—	—	Proof	20.00
	1916C	115.000	4.50	7.50	12.50	20.00
	1916C	—	—	—	Proof	125.00
	1916B	97.900	4.50	7.50	12.50	20.00
	1916B	—	—	—	Proof	125.00
	1916B	(restrike)	—	—	Proof	20.00
	1917C	114.974	4.50	7.50	12.50	20.00
	1917C	—	—	—	Proof	125.00
	1917B	151.583	4.50	7.50	12.50	20.00
	1917B	—	—	—	Proof	125.00
	1917B	(restrike)	—	—	Proof	20.00
	1918C	205.420	4.50	7.50	12.50	20.00
	1918C	—	—	—	Proof	125.00
	1918B	210.550	4.50	7.50	12.50	20.00
	1918B	—	—	—	Proof	125.00
	1918B	(restrike)	—	—	Proof	20.00
	1919C	211.206	4.50	7.50	12.50	20.00

Y#	Date	Mintage	Fine	VF	XF	Unc
45.2	1919C	—	—	—	Proof	125.00
	1919B	226.706	4.50	7.50	12.50	20.00
	1919B	—	—	—	Proof	125.00
	1919B	(restrike)	—	—	Proof	20.00
	1920C	50.500	4.50	7.50	12.50	20.00
	1920C	—	—	—	Proof	125.00
	1920B	55.937	4.50	7.50	12.50	20.00
	1920	—	—	—	Proof	125.00
	1921B	5.115	4.50	7.50	12.50	20.00
	1921B	—	—	—	Proof	125.00
	1922B	2.051	4.50	7.50	13.50	22.50
	1922B	—	—	—	Proof	125.00
	1935C	—	—	—	Proof	125.00
	1935C	(restrike)	—	—	Proof	20.00
	1936C	—			Proof only	250.00

NOTE: No rupees with the "First Head" were struck for circulation. Those dated 1938-39 were struck in 1940 before the fineness of the silver coins was reduced to .500.

The pieces struck at Calcutta have no mintmark. Bombay issues dated 1938-41 and 1944-45 have a bead below the lotus flower at the bottom of the reverse while those dated 1942-44 have a small diamond mark in the same position. On the specimens dated 1944 with Reverse B the mintmark appears to be a "bead over a diamond". Lahore Mint issues have a small raised "L" in the same position as the Bombay coins. The last issue nickel rupees struck at Bombay have a small diamond below the date on the reverse. The rupees dated 1943 occur with large and small "Second Head" and with large and small date figure "3".

Y#	Date	Mintage	Fine	VF	XF	Unc
		Obv: Large "Second Head", reeded edge.				
57	1938C	—	8.50	11.50	16.50	27.50
	1938C	—	—	—	Proof	100.00
	1938B	9.807	7.50	11.50	16.50	27.50
	1939B	—	100.00	175.00	250.00	400.00
	1939C	—	—	—	Proof	100.00
	1939C	(restrike)	—	—	Proof	25.00
		11.6600 g, .500 SILVER, .1874 oz ASW				
		Security edge				
57a	1939B	—	200.00	350.00	700.00	1250.
	1940B	153.120	2.50	4.00	7.50	12.50
	1941B	111.480	2.50	4.00	7.50	12.50
	1943B	Inc. Be.	3.50	6.00	8.50	15.00

Y#	Date	Mintage	Fine	VF	XF	Unc
		Obv: Small "Second Head", security edge.				
57b	1942B	244.500	2.50	4.00	7.50	12.50
	1943B	65.995	2.50	4.00	7.50	12.50
	1943B Rev. B	Inc. Ab.	2.50	4.00	7.50	12.50
	1944B Rev. B	146.206	2.50	4.00	7.50	12.50
	1944B	Inc. Ab.	2.50	4.00	7.50	12.50
	1944L small L	91.400	2.50	4.00	7.50	12.50
	1944L large L	Inc. Ab.	2.50	4.00	7.50	12.50
	1945B small date	142.666	2.50	4.00	7.50	12.50
	1945B large date	Inc. Ab.	2.50	4.00	8.50	15.00
	1945L	118.126	2.50	4.00	7.50	12.50
		Reeded edge				
57	1945B	—	—	—	—	—

NICKEL

Rev: New design, security edge.

Y#	Date	Mintage	Fine	VF	XF	Unc
60	1947B	118.130	1.50	2.50	4.50	7.00
	1947B	—	—	—	Proof	75.00
	1947L	41.911	1.50	2.50	4.50	7.00

5 RUPEES

3.8870 g, .917 GOLD, .1146 oz AGW

Obv: Young bust

Y#	Date	Year	Fine	VF	XF	Unc
13	1862	—	—		Proof only	500.00
	1870	—	—	—	Rare	—
	1870	—	—	—	Proof	375.00
	1870	(restrike)	—	—	Proof	275.00
	1872	—	—		Proof only	650.00
	1873	—	—		Proof only	650.00

Y#	Date	Mintage	Fine	VF	XF	Unc
		Obv: Mature bust				
13a	1870	013	2?0.00	300.00	350.00	450.00
	1870	—	—	—	Proof	375.00
	1870	(restrike)	—	—	Proof	275.00
		SILVER (OMS)				
13b	1870	—	—	—	Proof	—
		3.8870 g, .917 GOLD, .1146 oz AGW				
24	1879	—	—	—	Proof	375.00
	1879	(restrike)	—	—	Proof	275.00

10 RUPEES

7.7740 g, .917 GOLD, .2291 oz AGW

Obv: Young bust

Y#	Date	Mintage	Fine	VF	XF	Unc
14	1862	—	—	—	Proof	650.00
	1870	—	—	—	Rare	—
	1870	—	—	—	Proof	450.00
	1870	(restrike)	—	—	Proof	275.00
	1872	—	—	—	Proof	650.00
	1875	—	—	—	Proof	650.00
	1878	(restrike)	—	—	Proof	—
		Obv: Mature bust				
14a	1870	—	—	—	Rare	—
	1870	—	—	—	Proof	350.00
	1870	(restrike)	—	—	Proof	275.00
25	1879 Bom.	—	—	—	Rare	—
	1879 Bom.	(restrike)		—	Proof	275.00

15 RUPEES

7.9881 g, .917 GOLD, .2354 oz AGW

Y#	Date	Mintage	Fine	VF	XF	Unc
46	1918B	—	225.00	275.00	375.00	400.00
	1918B	(restrike)	—	—	Proof	275.00

NOTE: The above issue was equal in weight and fineness to the British sovereign.

MOHUR

11.6600 g, .917 GOLD, .3437 oz AGW

Obv: Young bust

Y#	Date	Mintage	Fine	VF	XF	Unc
15	1862	—	200.00	275.00	350.00	450.00
	1862	—	—	—	Proof	600.00
	1862	(restrike)	—	—	Proof	300.00
	1862 w/V on bust	—	225.00	300.00	400.00	150.00
	1862 w/V on bust and on rev.	—	250.00	325.00	400.00	500.00

पेपर करेंसी, बैंक नोटों का मानक (स्टैन्र्डड) एवं मानक मूल्य का दस्तावेज

Private Banks / INDIA-BRITISH 442

INDIA — BRITISH

The civilization of India, which began about 2500 B.C., flourished under a succession of empires — notably those of Chandragupta, Asoka and the Mughals — until undermined in the 18th and 19th centuries by European colonial powers.

The Portuguese were the first to arrive, off Calicut in May 1498. It was not until 1612, after the Portuguese and Spanish power had begun to wane, that the British East India Company established its initial settlement at Surat. Britain could not have chosen a more propitious time. The northern Mogul Empire, the central girdle of petty states, and the southern Vijayanagar Empire were crumbling and ripe for foreign exploitation. By the end of the century English traders were firmly established in Bombay, Madras, Calcutta and lesser places elsewhere, and Britain was implementing its announced policy to create such civil and military institutions 'as may be the foundation of secure English domination for all time'. By 1757, following the successful conclusion of a war of colonial rivalry with France during which the military victories of Robert Clive, a young officer with the British East India Company, made him the most powerful man in India, the British were firmly settled in India as not only traders but as conquerors. During the next 60 years, the British East India Company acquired dominion over most of India by bribery and force, and governed it directly or through puppet princelings.

Because of the Sepoy Mutiny of 1857-58, a large scale mutiny among Indian soldiers of the Bengal army, control of the government of India was transferred from the East India Company to the British Crown, 1858. At this point in world history, India was the brightest jewel in the imperial diadem of the British lords of the earth, but even then a movement for greater Indian representation in government presaged the Indian Empire's twilight hour less than a century hence — it would pass into history on August 15, 1947.

PRIVATE BANKS

MONETARY SYSTEM:
1 Rupee = 16 Annas

Bank of Bengal

Established in 1809

1000 RUPEES, Black and gold; Back blue, Calcutta (P-)

Unissued remainders w/ o sign.

KM #	Date	G	VG	F
BRI-1	18xx			Unc 250.00

Proofs w/ "SPECIMEN" ovpt.

BRI-2p	18xx Face proof	Unc 500.00

100 RUPEES, Calcutta (P-)

Proofs

BRI-3p	17.11.1857	Unc 500.00

1000 RUPEES (P-)

Proofs w/ "SPECIMEN" ovpt.

KM #	Date	G	VG	F
BRI-4p	ND			Unc 500.00

Bank of Bombay

Established in 1840

Elphinstone Malcolm

10 RUPEES, Uniface, Bombay (P-)

BRI-6	1.5.1857	200.00	300.00	450.00

Government building

10 RUPEES, PBC, Black w/ maroon underprint, Uniface, Bombay, 191 x 114 mm (P-)

BRI-7	2.1.1858	—	—

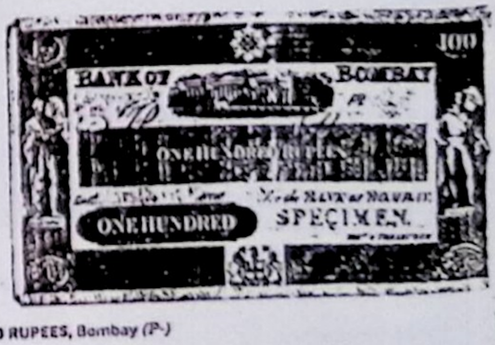

100 RUPEES, Bombay (P-)

Proofs

BRI-8p	18xx Proof w/ "SPECIMEN" ovpt.	Unc 500.00

Bank of Hindostan
Established ca. 1770

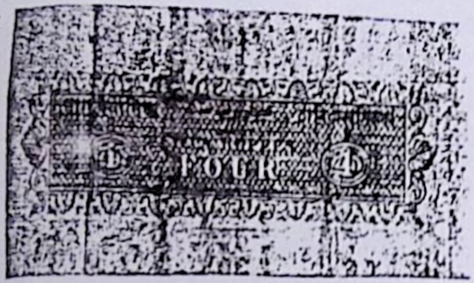

4 RUPEES, Calcutta *(P-)*

W/o finished dates or signs.

KM #	Date	G	VG	F
BRI-9	183x	120.00	200.00	400.00

16 RUPEES, Calcutta *(P-)*

W/o finished dates or signs.

KM #	Date	G	VG	F
BRI-10	183x	150.00	250.00	450.00

20 RUPEES, Uniface, Calcutta *(P-)*

W/o finished dates or signs.

KM #	Date	G	VG	F
BRI-11	18xx	—	—	—

50 RUPEES, Calcutta *(P-)*

W/o finished dates or signs.

KM #	Date	G	VG	F
BRI-12	18xx	—	—	—

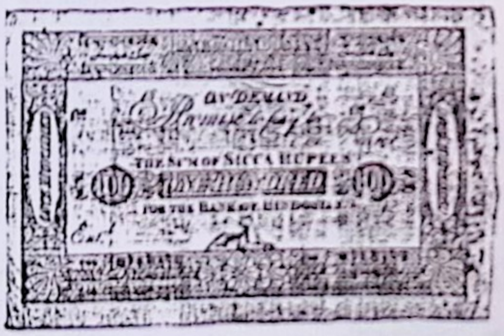

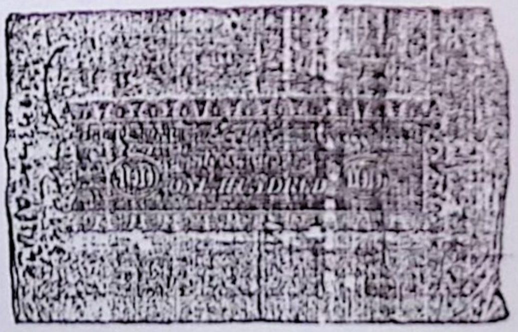

100 RUPEES, Calcutta *(P-)*

W/o finished dates or signs.

KM #	Date	G	VG	F
BRI-13	18xx	—	—	—

164

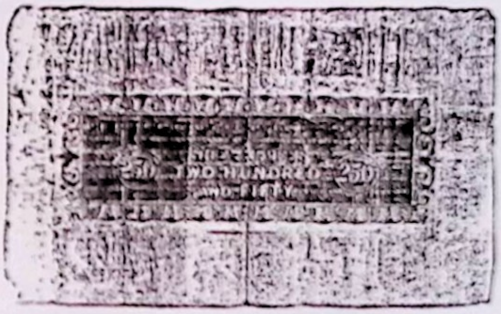

250 RUPEES, Calcutta (P-)

W/o finished dates and signs.

KM #	Date	G	VG	F
BRI-14	18xx	—	—	—

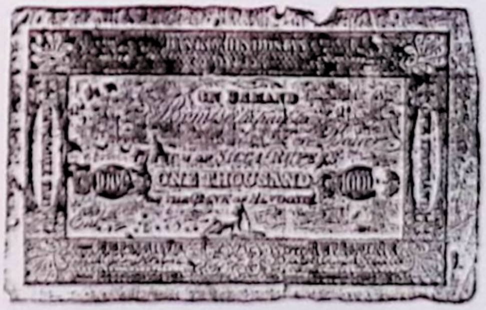

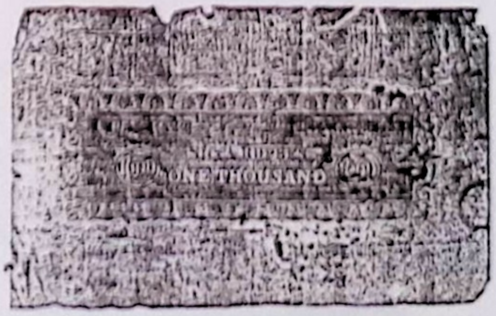

1000 RUPEES, Calcutta (P-)

W/o finished dates and signs.

BRI-15	18xx	—	—	—

Calcutta Bank

Established in 1824

10 RUPEES (P-)

KM #	Date	G	VG
BRI-16	5.1.1825	—	—

500 RUPEES, Calcutta (P-)

Proofs

BRI-17	18xx Face Proof	—	—

Commercial Bank

Established in 1819

5 RUPEES, Calcutta (P-)

Proofs

BRI-18	18xx Face Proof

10 RUPEES (P-)

Proofs

KM #	Date	G	VG	F
9S-19	18xx Face Proof			Unc 500.00

NOTE: Other note-issuing early banks are reported as follows: Bank of Calcutta, The Bank of Ceylon, Bank of India, Bank of Madras, Bank of Mirzapore, Bank of Western India, Bengal Bank, General Bank, Government Bank, The Oriental Bank and Oriental Banking Corporation, The Union Bank, United Service Bank. All private bank issues ceased by 1862.

GOVERNMENT OF INDIA

"Colonial-type" notes

Offices:
Allahabad
B Bombay
C Calcutta
Calicut
A Cawnpore
Karachi
L Lahore
M Madras
R Rangoon, refer to Burma listings

Language Chart

The denominations appear in the following languages:

- Bengali

- Burmese

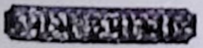
- Gujarati

- Hindi

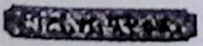
- Kannada

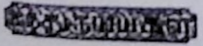
- Tamil

- Telugu

- Urdu

Signature Varieties

NOTE: All notes were dated at the time they were printed, but signatures were left off until the notes were actually issued. This sometimes occurred many years after the notes were originally printed.

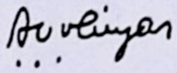
A.V.V. Aiyar

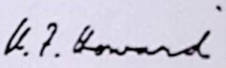
H.F. Howard

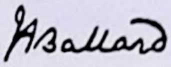
J.A. Ballard

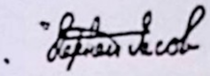
Stephen Jacob

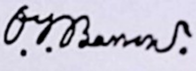
O.T. Barrow

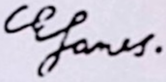
C.E. Jones

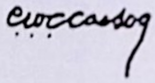
C.W.C. Cassog

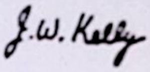
J.W. Kelly

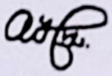
A.F. Cox

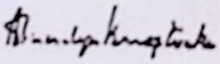
A.K. Jubbocke

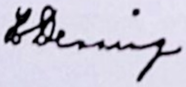
H. Denning

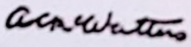
A.C.M. Watters

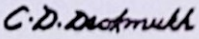
C.D. Deshmukh

—
W.H. Michael

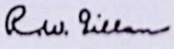
R.W. Gillan

—
Hugh Landeman

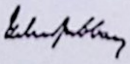
M.M.S. Gubbay

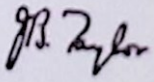
J.B. Taylor

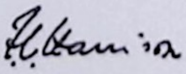
F.C. Harrison

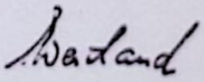
J. Westland

—
D. Hastings

First Issue: 1861-64 w/ portrait

Victoria

10 RUPEES Uniface, 211 x 132 mm *(P-)*

W/ two language panels

XM #	Office	Letter	Sign.	Date	G	F	XF
BRI-20	Bombay		J.A. Ballard	6.8.1861; 7.6.1862; 8.6.1863	—	—	—

Second Issue: 1872-1927 "Colonial" type w/ o portrait

5 RUPEES, 1884/1901, Green underprint, 144 x 88 mm *(P-1)*

W/ four language panels and two serial nos.

XM #	Office	Letter	Sign.	Date	G	F	XF
BRI-21	BOMBAY		A.F. Cox	7.5.1891; 5.2.1899; 5.6.1899; 8.6.1899	100.00	200.00	400.00
BRI-22	BOMBAY		O.T. Barrow	9.1.1901	100.00	200.00	400.00
BRI-23	CALCUTTA		—	10.5.1884	150.00	250.00	500.00

NOTE: An issue dated 1.1.1873 is reported, but city of issue is unknown.

5 RUPEES, 1901/1903, Green underprint, 153 x 96 mm *(P-1)*

W/ six language panels and four serial nos.

XM #	Office	Letter	Sign.	Date	G	F	XF
BRI-24	BOMBAY		A.F. Cox	1.8.1903	70.00	150.00	275.00
BRI-25	BOMBAY		O.T. Barrow	1.3.1902	70.00	150.00	275.00

XM #	Office	Letter	Sign.	Date	G	F	XF
BRI-26	CALCUTTA		A.F. Cox	4.2.1901	70.00	150.00	275.00

5 RUPEES, 1903, Black and pink *(P-)*

W/ eight language panels and four serial nos., and "at any Office Not Situated in Burma"

XM #	Office	Letter	Sign.	Date	G	F	XF
BRI-27	(Lahore)	L	A.F. Cox	1903	Reported, not confirmed		

5 RUPEES, 1907/1915, Red-pink underprint, 176 x 106 mm *(P-9)*

W/ eight language panels and four serial nos., and added text "at any Office of Issue." W/ letter instead of city name.

XM #	Office	Letter	Sign.	Date	G	F	XF
BRI-28	(Bombay)	B	H.F. Howard	9.11.1907; 7.2.1912; 13.10.1913	25.00	50.00	100.00
BRI-29	(Bombay)	?	M.M.S. Gubbay	8.4.1915	25.00	50.00	100.00
BRI-30	(Calcutta)		R.W. Gillan	20.5.1907; 12.10.1907	25.00	50.00	100.00
BRI-31	(Cawnpore)	A	—	2.2.1915	25.00	50.00	100.00
BRI-32	(Madras)	M	M.M.S. Gubbay	1914	25.00	50.00	100.00

5 RUPEES, 1914/1924, Black and pink *(P-9)*

W/ three serial nos. W/ letter

XM #	Office	Letter	Sign.	Date	G	F	XF
BRI-33	(Bombay)	B	M.M.S. Gubbay	3.1.1916; 8.8.1916; 11.8.1916	20.00	40.00	[illegible]
BRI-34	(Calcutta)	C	M.M.S. Gubbay	1912/1914; 11.1.1915; 1916	25.00	50.00	[illegible]
BRI-35	(Cawnpore)	A	M.M.S. Gubbay	2.2.1915	20.00	40.00	[illegible]
BRI-36	(Lahore)	L	—	31.7.1916	30.00	60.00	[illegible]
BRI-37	(Madras)	M	M.M.S. Gubbay	12.8.1914/23.10.1918	20.00	40.00	[illegible]

W/ o letter

XM #	Office	Letter	Sign.	Date	G	F	XF
BRI-38	—	—	M.S.S. Gubbay	26.10.1918/11.2.1924	15.00	30.00	[illegible]
BRI-39	—	—	A.C. McWatters	1922	15.00	30.00	[illegible]
BRI-40	—	—	H. Denning	11.2.1924	15.00	30.00	[illegible]

Specimens

XM #	Office	Letter	Sign.	Date	G	F	XF
BRI-41s	(Madras)	M	—	12.8.1914		—	—

Note: For similar note w/ "R" (Rangoon) see Burma.

10 RUPEES, 1872/1901, Green underprint, 214 x 129 mm *(P-2)*

W/ four languages on two panels, w/ two serial nos.

KM #	Office	Letter Sign.	Date	G	F	XF
[illegible]-42	BOMBAY	—	16.6.1899	100.00	200.00	400.00
[illegible]-43	CALCUTTA	Hugh Sandeman	1872	100.00	200.00	400.00
[illegible]-44	CALCUTTA	J. Westland	15.4.1882	100.00	200.00	400.00
[illegible]-45	CALCUTTA	Stephen Jacob	1893	100.00	200.00	400.00
[illegible]-46	CALCUTTA	A.F. Cox	17.1.1898; 14.3.1901; 14.10.1901	100.00	200.00	400.00
[illegible]-47	LAHORE or CALCUTTA	Stephen Jacob	25.11.1896	—	Rare	—
[illegible]-48	MADRAS/ Rangoon	—	(1896)	Reported, not confirmed		
[illegible]-49	MADRAS/L	—	(1896)	—	Rare	—

10 RUPEES, 1912/1920, Red underprint, 208 x 130 mm *(P-10)*

W/ eight language panels, and four serial nos, added text "at any Office of issue". W/ letter

KM #	Office	Letter	Sign.	Date	G	F	XF
BRI-53	(Bombay)	B	H.F. Howard	1914	17.50	35.00	80.00
BRI-54	(Bombay)	B	M.M.S. Gubbay	1916/1919	17.50	35.00	80.00
BRI-55	(Calcutta)	C	H.F Howard	31.5.1912/ 13.8.1914	17.50	35.00	80.00
BRI-56	(Calcutta)	C	M.M.S. Gubbay	1916/1919	17.50	35.00	80.00
BRI-57	(Cawnpore)	A	M.M.S. Gubbay	1916/1919	20.00	40.00	80.00
BRI-58	(Madras)	M	M.M.S. Gubbay	30.10.1914; 1916/ 1919	20.00	40.00	80.00

10 RUPEES, 1903/1906, Green underprint, 210 x 130 mm *(P-10)*

W/ four language panels and four serial nos.

[illegible]-50	BOMBAY	O.T. Barrow	14.8.1903; 19.8.1903; 1.9.1905	60.00	125.00	250.00
[illegible]-50A	BOMBAY	F.C. Harrison	6.9.1905; 12.10.1905	60.00	125.00	250.00

W/ a letter

BRI-59	—	—	M.M.S. Gubbay	2.6.1919/ 1.5.1920	15.00	30.00	60.00

NOTE: For similar issues w/ "R" (Rangoon), see Burma.

20 RUPEES, 1899, Green underprint *(P-3)*

W/ four language panels and two serial nos.

BRI-60	BOMBAY	—	—	5.7.1899	125.00	250.00	500.00

10 RUPEES, 1903/1906, Green underprint, 210 x 130 mm *(P-10)*

W/ four languages on two panels, w/ four serial nos.

[illegible]-61	CALCUTTA	A.F. Cox	10.6.1903; 20.12.1904; 5.8.1904	60.00	125.00	250.00
[illegible]-62	CALCUTTA	O.T. Barrow	4.9.1906; 3.12.1906	60.00	125.00	250.00

20 RUPEES, 1902/1906, Green underprint, 211 x 130 mm *(P-11)*

W/ four language panels and four serial nos.

BRI-61	BOMBAY	—	F.C. Harrison	11.1.1904; 12.1.1904	100.00	200.00	400.00
BRI-62	BOMBAY	—	W.H. Michael	16.1.1906	100.00	200.00	400.00

20 RUPEES, 1901/1902, Green underprint, 211 x 130 mm *(P-11)*

W/ four languages on two panels

KM #	Office	Letter	Sign.	Date	G	F	XF
BRI-63	ALLAHABAD or CALCUTTA	—	—	26.2.1901	—	Rare	—

W/ four languages on two panels, and four serial nos.

KM #	Office	Letter	Sign.	Date	G	F	XF
BRI-64	CALCUTTA	—	A.F. Cox	3.2.1902	100.00	200.00	400.00
BRI-65	CALCUTTA	—	O.T. Barrow	—	100.00	200.00	400.00

50 RUPEES, 1913/1920, Red underprint, 209 x 131 mm *(P-12)*

W/ eight language panels and four serial nos., w/ letters

KM #	Office	Letter	Sign.	Date	G	F	XF
BRI-66	(Bombay)	B	H. F. Howard	11.6.1913; 17.6.1913	—	Rare	—
BRI-67	(Calcutta)	C	H. Denning	10.3.1920	—	Rare	—
BRI-68	(Lahore)	L	—	21.3.1918	—	Rare	—
BRI-69	(Madras)	M	H.F. Howard	23.6.1913	—	Rare	—

100 RUPEES, 1900, Green underprint, 212 x 128 mm *(P-5)*

W/ four languages panels, and two serial nos.

KM #	Office	Letter	Sign.	Date	G	F	XF
BRI-70	BOMBAY	—	O.T. Barrow	1.7.1900; 15.10.1900	150.00	275.00	450.00

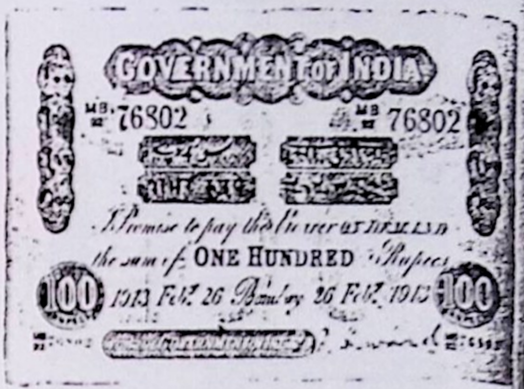

100 RUPEES, 1904/1925, Green underprint, 212 x 128 mm *(P-5)*

W/ four language panels and four serial nos.

KM #	Office	Letter	Sign.	Date	G	F	XF
BRI-71	BOMBAY	—	H.F. Howard	25.2.1913	100.00	150.00	300.00
BRI-72	BOMBAY	—	M.M.S. Gubbay	25.4.1916	100.00	150.00	300.00
BRI-73	BOMBAY	—	A.C. McWatters	27.6.1918	100.00	150.00	300.00
BRI-74	BOMBAY	—	H. Denning	17.7.1920	100.00	150.00	300.00
BRI-75	CALCUTTA	—	A.F. Cox	22.9.1904; 13.3.1905	100.00	150.00	300.00
BRI-76	CALCUTTA	—	A.C. McWatters	[illegible].1.1918/ 22.11.1925	100.00	150.00	300.00
BRI-77	CAWNPORE	—	H. Denning	11.3.1918; 6.6.1919; 14.6.1919; 10.4.1920	100.00	150.00	300.00
BRI-78	KARACHI	—	—	30.12.1915	125.00	175.00	[illegible]

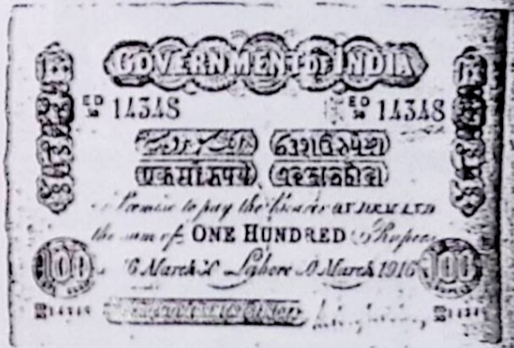

KM #	Office	Letter	Sign.	Date	G	F	XF
BRI-79	LAHORE	—	M.M.S. Gubbay	26.9.1913/ 24.5.1920	100.00	150.00	300.00
BRI-80	LAHORE	—	—	19[illegible]1/1927	100.00	150.00	300.00
BRI-81	MADRAS	—	H. Denning	5.3.1920/ 1.2.1925	100.00	150.00	300.00

500 RUPEES, 1907/1919, Green underprint, 210 x 127 mm *(P-6)*

W/ four language panels, and four serial nos.

KM #	Office	Letter	Sign.	Date	G	F	XF
BRI-82	BOMBAY	—	—	10.5.1913	—	Rare	
BRI-83	CALCUTTA	—	A.V.V. Aiyar	22.4.1919	—	Rare	

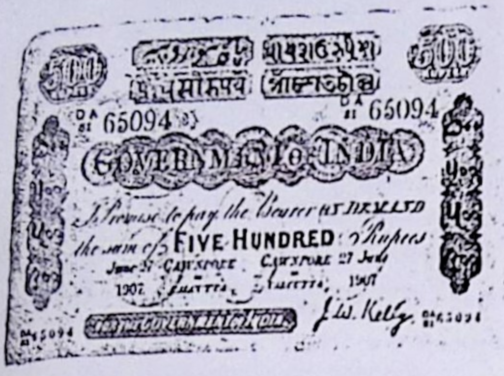

KM #	Office	Letter	Sign.	Date	G	F	XF
BRI-84	CAWNPORE or CALCUTTA	—	J.W. Kelly	27.6.1907	—	Rare	—

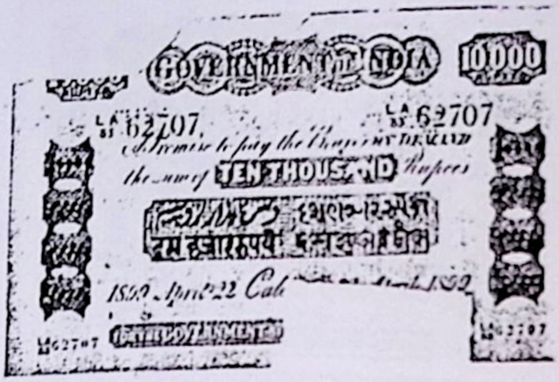

10,000 RUPEES, 1899, Green underprint *(P-8)*

W/ four l guage panels and four serial nos.

KM #	Office	Letter	Sign.	Date	G	F	XF
BRI-89	CALCUTTA	—		22.4.1899	700.00	—	—

1000 RUPEES, 1913/1927, Green underprint, 210 x 130 mm *(P-7)*

W/ four language panels, and four serial nos.

BRI-85	BOMBAY	—	A. Kingstocke	2.6.1913	225.00	350.00	600.00
BRI-86	BOMBAY	—	C.W.C. Cassog	20.9.1915	225.00	350.00	600.00
BRI-87	BOMBAY	—	A.V.V. Aiyar	10.8.1918, 12.8.1925 /7.7.1926	225.00	350.00	600.00

BRI-88	CALCUTTA	—	H. Denning	6.4.1920; 19.8.1927	225.00	350.00	600.00

KING GEORGE V PORTRAIT NOTES, BRI-90/148

Coin w/ King George V

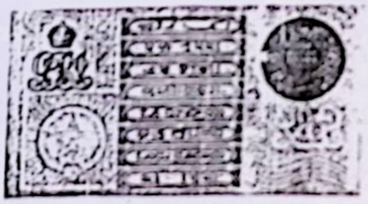

Coin w/ date

1 RUPEE, Red underprint 127 x 70 mm *(P-14)*

W/ or w/ o perforation on left border. Also issued in booklets of 25 notes

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
	W/ wmk. ra, ed star in plain field at right				
BRI-90	1917	M.M.S. Gubbay	4.00	8.00	20.00
BRI-91	1917	A.C. McWatters	4.00	8.00	20.00
BRI-92	1917	H. Denning	6.00	12.00	27.50
	W/ wmk. rayed star in square at right. W/ smaller letters in last line (Gujarati) on back				
BRI-93	1917	H. Denning	4.00	8.00	20.00
	W/ larger letters in last line (Gujarat.) on back				
BRI-94	1917	A.C. McWatters	3.00	7.00	15.00
BRI-95	1917	H. Denning	3.00	7.00	15.00
	Specimens				
BRI-96s	1917	M.M.S. Gubbay	—	—	—

King George V

170

2 RUPEES / 8 ANNAS, Green underprint, 134 x 76 mm *(P-15)*

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
BRI-97	ND (1917)	M.M.S. Gubbay	40.00	90.00	200.00

5 RUPEES, Brown-violet, green and light brown, 151 x 95 mm *(P-16)*

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
BRI-98	ND (1925)	H. Denning	10.00	20.00	50.00
BRI-99	ND (1925)	J.B. Taylor	10.00	20.00	50.00

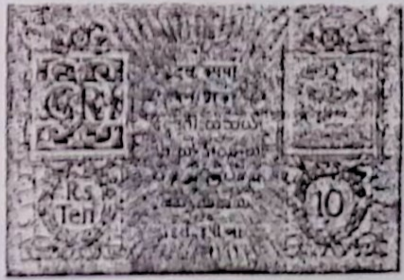

10 RUPEES, Blue and brown, 160 x 102 mm *(P-18)*

W/ ser. no. at upper left and lower right

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
BRI-100	ND (1923)	A.C. McWatters	20.00	37.50	75.00
BRI-101	ND (1925)	H. Denning	20.00	37.50	75.00

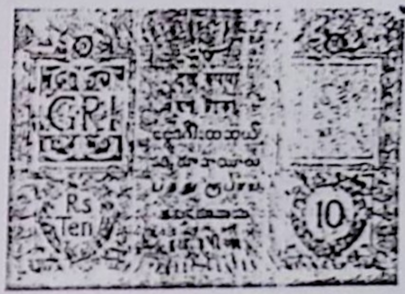

10 RUPEES, Green and brown, 160 x 102 mm *(P-17)*

W/ ser. no. at upper right and lower left

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
BRI-102	ND (1925)	H. Denning	15.00	30.00	[illegible]

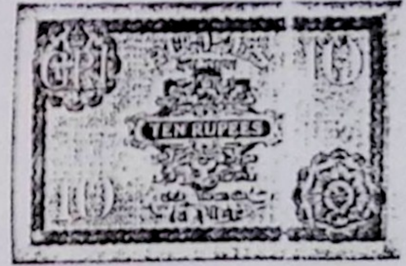

10 RUPEES, Dark blue, 158 x 102 mm *(P-19)*

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
BRI-104	ND (1926)	H. Denning	7.50	15.00	30.00
BRI-105	ND (1926)	J.B. Taylor	7.50	15.00	30.00

Coin w/ King George V

Coin w/ date

1 RUPEE, Green-blue, 91 x 58 mm (P-20)

W/ or w/o perforation on left border. Also issued in booklets of 25 ... es. W/ portrait wmk.

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
BRI-106	1935	J.W. Kelly	1.50	4.50	[illegible]

171

W/ different wmk. (no portrait)

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
BRI-107	1935	J.W. Kelly	3.00	7.50	15.00

5 RUPEES, Brown-violet and light brown, 127 x 73 mm *(P-21)*

BRI-108	ND (1933)	J.B. Taylor	2.50	7.50	15.00
BRI-109	ND (1935)	J.W. Kelly	2.50	7.50	15.00

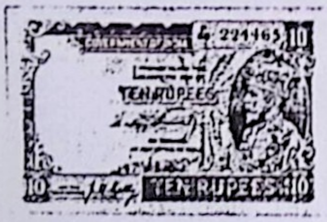

Palm tree

Elephants

10 RUPEES, Blue or dark blue, 133 x 79 mm *(P-22)*

BRI-110	ND (1933)	J.B. Taylor	3.50	10.00	20.00
BRI-111	ND (1935)	J.W. Kelly	3.50	10.00	20.00

BRI-113/148 w/ place names.

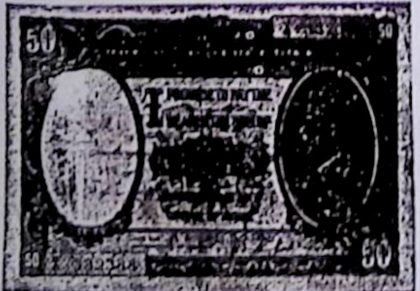

King George V

50 RUPEES, Blue, green and brown, 165 x 108 mm *(P-)*

W/o sign. Essay of proposed issue, Uniface

KM #	Office	Date	Sign.	VG	VF	Unc
BRI-120	CAWNPORE	ND (1926)	—			Unc 500.00

50 RUPEES, Lilac and brown, 165 x 109 mm *(P-23)*

BRI-113	BOMBAY	ND (1930)	H. Denning	100.00	225.00	350.00
BRI-114	BOMBAY	ND (1930)	J.B. Taylor	100.00	225.00	350.00
BRI-115	CALCUTTA	ND (1930)	H. Denning	100.00	225.00	350.00
BRI-116	CALCUTTA	ND (1930)	J.B. Taylor	100.00	225.00	350.00
BRI-117	CAWNPORE	ND (1930)	J.B. Taylor	110.00	240.00	400.00
BRI-118	KARACHI	ND (1930)	J.B. Taylor	110.00	240.00	400.00
BRI-119	MADRAS	ND (1930)	J.B. Taylor	110.00	240.00	400.00

NOTE: For 50 Rupees type of BRI-113 w/ RANGOON see Burma.

50 RUPEES, Brown, red and yellow, 165 x 108 mm *(P-)*

W/o sign. Essay of proposed issue, Uniface

BRI-121	CAWNPORE	ND (1926)	—	Unc 500.00

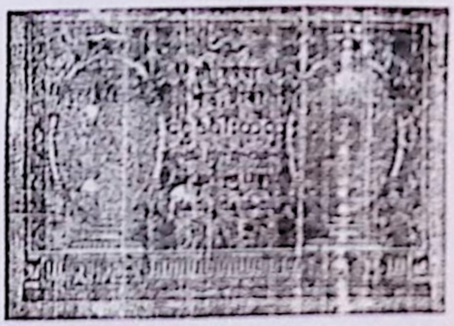

100 RUPEES, Violet and green, 171 x 115 *(P-24)*

KM #	Date	Sign.	G	F	XF
	BOMBAY in small black letters				
BRI-122	ND (1927)	H. Denning	30.00	70.00	150.00
	BOMBAY in large green letters (13 mm width)				
BRI-123	ND (1927)	J.B. Taylor	30.00	70.00	150.00
	BOMBAY in large green letters w/ prefix letter T				
BRI-124	ND (1927)	J.W. Kelly	30.00	70.00	150.00
	CALCUTTA in small black letters				
BRI-125	ND (1927)	H. Denning	30.00	70.00	150.00
	CALCUTTA in small or large green letters				
BRI-126	ND (1927)	H. Denning	30.00	70.00	150.00
	CALCUTTA in large green letters				
BRI-127	ND (1927)	J.B. Taylor	30.00	70.00	150.00
	CALCUTTA in large green letters, w/ prefix letter T				
BRI-128	ND (1927)	J.B. Taylor	30.00	70.00	150.00
BRI-129	ND (1927)	J.W. Kelly	30.00	70.00	150.00
	CAWNPORE in small green letters				
BRI-130	ND (1927)	H. Denning	30.00	70.00	150.00
	CAWNPORE in large green letters				
BRI-131	ND (1927)	J.B. Taylor	30.00	70.00	150.00

172

CAWNPORE in large green letters, w/ prefix letter T

KM #	Date	Sign.	G	F	XF
BRI-1"	ND (1927)	J.W. Kelly	30.00	70.00	150.00

KARACHI in small or large green letters

BRI-133	ND (1927)	H. Denning	30.00	70.00	150.00

LAHORE in large green letters

BRI-134	ND (1927)	H. Denning	30.00	70.00	150.00
BRI-135	ND (1927)	J.B. Taylor	30.00	70.00	150.00

LAHORE in large green letters, w/ prefix letter T

BRI-136	ND (1927)	J.W. Kelly	30.00	70.00	150.00

MADRAS in small green letters

BRI-137	ND (1927)	H. Denning	30.00	70.00	150.00

MADRAS in large green letters

BRI-138	ND (1927)	J.B. Taylor	30.00	70.00	150.00

MADRAS in large green letters, w/ prefix letter T

BRI-139	ND (1927)	J.W. Kelly	30.00	70.00	150.00

NOTE: For 100 Rupees type of BRI-122 w/ RANGOON see Burma.

NOTE: The letter "T" may have been an official designation for thinner paper, as all notes w/ "T" are on such paper.

500 RUPEES *(P-25)*

BRI-140	ND (1928)	—	—	Rare	—

Man plowing w/ oxen

1000 RUPEES, Violet and green, 203 x 127 mm *(P-26)*

KM #	Office	Date	Sign.	VG	VF	Unc
BRI-141	BOMBAY	ND (1928)	J.B. Taylor	150.00	350.00	—
BRI-142	CALCUTTA	ND (1928)	J.B. Taylor	150.00	350.00	—
BRI-143	CALCUTTA	ND (1928)	J.W. Kelly	150.00	350.00	—
BRI-144	LAHORE	ND (1928)	J.B. Taylor	150.00	350.00	—

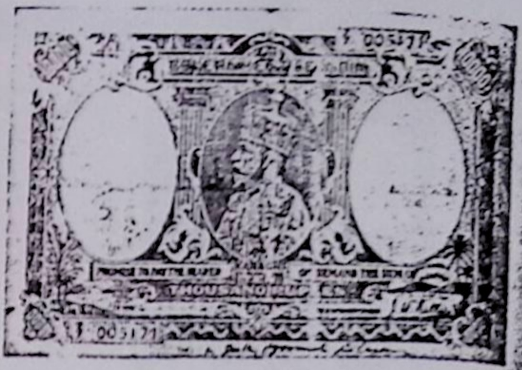

10,000 RUPEES, 203 x 127 mm *(P-26A)*

W/ oval medallions at either side containing wmk.

KM #	Office	Date	Sign.	VG	VF	Unc
BRI-145	BOMBAY	ND (1928)	J.B. Taylor	—	Rare	—
BRI-146	CALCUTTA	ND (1928)	J.B. Taylor	—	Rare	—
BRI-147	KARACHI	ND (1928)	J.W. Kelly	—	Rare	—

Specimens, w/ "SPECIMEN C.N.P. INDIA" on wmk. at left

BRI-146s	CALCUTTA	ND	—	—	—	—

RESERVE BANK OF INDIA

King George VI Portrait notes BRI-149/158 w/ o place names, BRI-159/180 w/ place names similar to BRI-113/148.

King George VI

2 RUPEES, Lilac and multicolored, 114 x 63 mm *(P-27)*

W/ black serial no.

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
BRI-149	ND (1943)	J.B. Taylor	1.00	2.50	5.00
BRI-150	ND (1943)	C.D. Deshmukh	1.00	2.50	5.00

W/ red serial no.

BRI-151	ND (1943)	C.D. Deshmukh	2.00	4.50	8.00

173

5 RUPEES, Green and brown. 127 x 72 mm *(P-28)*

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
BRI-152	ND (1938)	J.B. Taylor	1.50	3.00	6.00
BRI-153	ND (1943)	C.D. Deshmukh	1.50	3.00	6.00

5 RUPEES, Green and multicolored, 127 x 72 mm *(P-29)*

	W/ black serial no.				
BRI-154	ND (1947)	C.D. Deshmukh	1.75	4.00	8.00
	W/ red serial no.				
BRI-155	ND (1947)	C.D. Deshmukh	5.00	15.00	30.00

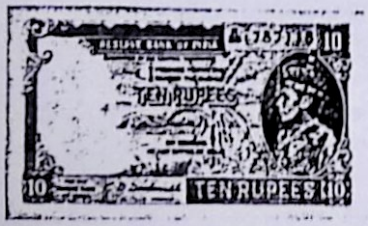

Elephants

10 RUPEES, Blue-violet and olive; Back blue. 145 x 82 mm *(P-30)*

BRI-156	ND (1938)	J.B. Taylor	2.00	5.00	10.00
BRI-157	ND (1943)	C.D. Deshmukh	2.00	5.00	10.00

King George VI

10 RUPEES, Violet and multicolored, 145 x 82 mm *(P-31)*

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
BRI-158	ND (1944)	C.D. Deshmukh	1.50	4.00	8.00

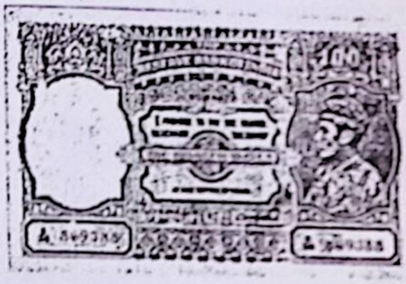

Tiger

100 RUPEES, Dark green and lilac; Back dark green, 170 x 108 mm *(P-32)*

KM #	Office	Date	Sign.	VG	VF	Unc
	W/ umk. profile of King George VI					
BRI-159	BOMBAY	ND (1938)	J.B. Taylor	15.00	30.00	60.00
BRI-160	BOMBAY	ND (1943)	C.D. Deshmukh	15.00	30.00	60.00
	W/ facing umk.					
BRI-161	BOMBAY	ND (1938)	C.D. Deshmukh	16.00	35.00	70.00
	W/ profile umk.					
BRI-162	CALCUTTA	ND (1938)	J.B. Taylor	15.00	30.00	60.00
BRI-163	C/LCUTTA	ND (1943)	C.D. Deshmukh	15.00	30.00	60.00
	W/ facing umk.					
BRI-164	CALCUTTA	ND (1943)	C.D. Deshmukh	16.00	35.00	70.00
	W/ profile umk.					
BRI-165	CAWNPORE	ND (1938)	J.B. Taylor	15.00	30.00	60.00
BRI-166	CAWNPORE	ND (1943)	C.D. Deshmukh	15.00	30.00	60.00
	W/ profile umk.					
BRI-167	DELHI	ND (1943)	C.D. Deshmukh	17.00	37.50	75.00
	W/ profile umk.					
BRI-168	KARACHI	ND (1943)	C.D. Deshmukh	15.00	30.00	60.00
	W/ profile umk.					
BRI-169	LAHORE	ND (1938)	J.B. Taylor	15.00	30.00	60.00
BRI-170	LAHORE	ND (1943)	C.D. Deshmukh	15.00	30.00	60.00
	W/ profi'· umk.					
BRI-171	MADRAS	ND (1938)	J.B. Taylor	15.00	30.00	60.00
BRI-172	MADRAS	ND (1943)	C.D. Deshmukh	15.00	30.00	60.00
	W/ facir umk.					
BRI-173	MADRAS	ND (1943)	C.D. Deshmukh	16.00	35.00	70.00

174

Mountain scene

1000 RUPEES, Lilac, violet and green, 203 x 127 mm *(P-33)*

KM #	Office	Date	Sign.	VG	VF	Unc
BRI-174	BOMBAY	ND (1938)	J.B. Taylor	50.00	100.00	200.00
BRI-175	CALCUTTA	ND (1938)	J.B. Taylor	50.00	100.00	200.00
BRI-176	CAWNPORE	ND (1938)	J.B. Taylor	50.00	100.00	200.00
BRI-177	KARACHI	ND (1938)	J.B. Taylor	50.00	100.00	200.00
BRI-178	LAHORE	ND (1938)	J.B. Taylor	50.00	100.00	200.00
BRI-179	MADRAS	ND (1938)	J.B. Taylor	50.00	100.00	200.00

10,000 RUPEES *(P-34)*

BRI-180	—	ND (1938)	—	—	Rare	—

GOVERNMENT OF INDIA

Coin w/ King George VI

1 RUPEE, Blue-gray and multicolored, 101 x 63 mm *(P-35)*

W/ o letter A, w/ black serial no.

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
BRI-181	1940 (1941)	C.E. Jones	.30	1.00	2.00

W/ red serial no.

BRI-182	1940 (1941)	C.E. Jones	2.00	5.00	15.00

W/ letter A, green serial no.

BRI-183	1940 (1944)	C.E. Jones	.30	1.00	2.00

Haj Pilgrim Receipt

1 RUPEE, Red

Coin dated 1920

KM #	Date	G	F	[illegible]
BRI-184	1920	7.50	12.50	20.00

INDIA — REPUBLIC

The Republic of India, a subcontinent jutting southward from the mainland of Asia, has an area of 1,259,346 sq. mi. (3,287,590 sq. km.) and a population of 672.5 million, second only to that of the People's Republic of China. Capital: New Delhi. India's economy is based on agriculture and industrial activity. Engineering goods, cotton apparel and fabrics, handicrafts, tea, iron and steel are exported.

The people of India have had a continuous civilization since about 2,500 B.C., when an urban culture based on commerce and trade, and to a lesser extent, agriculture, was developed by the inhabitants of the Indus River Valley. The origins of this civilization are uncertain, but it declined about 1,500 B.C., when the region was conquered by the Aryans. Over the following 2,000 years, the Aryans developed a Brahmanic civilization and introduced the caste system. Several successive empires flourished in India over the following centuries, notably those of the Mauryans, Guptas and Mughals. In the 7th and 8th centuries A.D., the Arabs expanded into western India, bringing with them the Islamic faith. A Muslim dynasty (the Mughal Empire) controlled virtually the entire subcontinent during the period preceding the arrival of the Europeans; an Indo-Islamic style of art and architecture evolved, of which the Taj Mahal is a splendid example.

The Portuguese were the first to arrive, off Calicut in May 1498. It was not until 1612, after Portuguese and Spanish power began to wane, that the British East India Company established its initial settlement at Surat. By the end of the century, English traders were firmly established in Bombay, Madras and Calcutta, as well as in some parts of the interior, and Britain was implementing a policy to create the civil and military institutions that would insure British dominion over the country. By 1757, following the successful conclusion of a war of colonial rivalry with France, the British were firmly established in India as not only traders, but as conquerors. During the next 60 years, the British East India Company acquired dominion over most of India by bribery and force, and ruled directly or through puppet princelings.

The Indian Mutiny (also called Sepoy Mutiny) of 1857-59, begun by Indian troops in the service of the British East India Company, revealed the intensity of the growing resentment against British domination. The widespread rebellion against British rule was unsuccessful, but resulted in the transfer of government from the company to the British crown, and was a source of inspiration to later Indian nationalists. Agitation for representation in the government continued.

Following World War I, in which India sent six million troops to fight at the side of the Allies, Indian nationalism intensified under the banner of the Indian National Congress and the leadership of Mohandas Karamchand Gandhi, who called for non-violent revolt against British authority. The Government of India Act of 1935 proposed a federal status linking the British India provinces with the many princely states; in addition, provincial legislatures were to be created. The federal status was never implemented, but the legislatures were created after the election of 1937, with the National Congress winning majorities in most of the provinces.

When Britain declared war on Germany in September 1939, the viceroy declared India also to be at war with a common enemy. The Congress, however, demanded independence as a condition for cooperation; Britain refused. But as the Japanese advanced into Asia, Britain offered to transfer to Indians power over all but military affairs during the war, and set forth a plan for postwar independence. Congress was willing to accept the wartime transfer of power, but both Congress and the Muslim League rejected Britain's plan for independence; Congress because it did not sufficiently safeguard Indian unity, the Muslims (who wanted a separate Muslim state) because of fears of what would happen to Muslims within a united India.

Early in 1947, Prime Minister Clement Attlee announced that Britain would leave India "by a date not later than June 1948," even though the Hindus and Muslims could not agree among themselves on a plan for self-government. The National Congress, aware that the Muslim League would revolt rather than accept an all-India government, reluctantly agreed to the formation of a separate Muslim state. The Muslim-populated provinces of the northwest frontier, Sindh and West Punjab in the west and East Bengal in the east, were separated from India to form the Muslim state of Pakistan, which became independent on August 14, 1947. India became independent on the following day. Initially, Pakistan consisted of East and West Pakistan, two areas separated by 1,000 miles of Indian territory. East Pakistan seceded from Pakistan on March 26, 1971, and with the support of India established itself as the independent People's Republic of Bangladesh.

The Republic of India is a member of the Commonwealth of Nations. The president is the Chief of State. The prime minister is the Head of Government.

Language Chart

See India — British

RULERS:

British until 1947
Independent 1947-

MONETARY SYSTEM:

1 Rupee = 16 Annas to 1957
1 Rupee = 100 Naye Paise, 1957-1963
1 Rupee = 100 Paise, 1964-

Signature Varieties

Governors, Reserve Bank of India (all except 1 Rupee notes)

C.D. Deshmukh
February 1943 — June 1949

B.N. Adarkar
May 1970 — June 1970

B. Rama Rau
July 1949 — January 1957

S. Jagannathan
June 1970 — May 1975

K.G. Ambegaokar
January 1957 — February 1957

N.C. Sen Gupta
May 1975 — August 1975

H.V.R. Iengar
March 1957 — February 1962

K.R. Puri
August 1975 — May 1977

P.C. Bhattacharyya
March 1962 — June 1967

M. Narasimham
May 1977 — November 1977

L.K. Jha
July 1967 — May 1970

I.G. Patel
December 1977 —

Secretaries, Ministry of Finance (1 Rupee notes only)

K.R.K. Menon 1950

S. Jagannathan 1967

K.G. Ambegaokar 1950

I.G. Patel 1969

H.M. Patel 1956

M.G. Kaul 1973

A.K. Roy 1958

Manmohan Singh 1976

L.K. Jha 1960

R.N. Malhotra 1980

S. Boothalingam 1965

176

RESERVE BANK OF INDIA

Notes w/ larger size, 1949/1966. Large letters A, B, etc. are found in the underprint beneath the serial no. Wmk: on all notes is the Asoka Pillar.
Varieties: REP-2/4, 12/13, 23/24, 34/36, 44/45, 51/53 and 55/56 have large heading in Hindi expressing value incorrectly in the singular form ("Rupia").

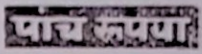

Incorrect Hindi

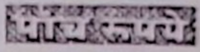

Correct Hindi

2 RUPEES, Red-brown, violet and green *(P-36)*

Value only in English on face and lower left corner on back

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-1	ND	B. Rama Rau	Reported, not confirmed		

Asoka pillar

Head of tiger

2 RUPEES, Red-brown, violet and green, 114 x 64 mm *(P-36)*

Face w/ Gujarati numeral 2 at upper right, back w/ eight value lines. Value in English and in error Hindi "Rupia" on face and back

REP-2	ND	B. Rama Rau	1.00	3.50	10.00

2 RUPEES, Red-brown, violet and green *(P-36)*

W/ a Gujarati 2; redesigned panels on face. Back w/ seven value lines; third line is 18 mm long

REP-3	ND	B. Rama Rau	1.00	3.50	10.00

Specimens

REP-4s	ND	B. Rama Rau	—	—	—

2 RUPEES, Red-brown, violet and green, 114 x 64 mm *(P-37)*

W/ corrected Hindi value in plural, face and back. Third value line on back is 24 mm long

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-5	ND	B. Rama Rau	1.00	3.50	10.00

REP-6	ND	H.V.R. Iengar	1.00	3.50	10.00

Specimens

REP-7s	ND	H.V.R. Iengar	—	—	

2 RUPEES, Brown, 114 x 64 mm *(P-37A)*

W/ thirteen value lines on back

REP-8	ND	P.C. Bhattacharyya	1.00	3.50	10.00

Specimens

REP-9s	ND	P.C. Bhattacharyya	—	—	

Head of tiger

2 RUPEES, Olive, 114 x 64 mm *(P-38)*

REP-10	ND	P.C. Bhattacharyya	1.00	3.50	10.00

Asoka pillar

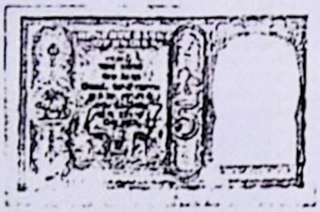

Antalope

5 RUPEES, Green and brown, 127 x 73 mm *(P-39)*

Value on face in English only, w/ serial no. in center. "Rs.5" on back

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-11	ND	B. Rama Rau	1.50	5.00	12.50

5 RUPEES, Green and brown, 127 x 73 mm *(P-40)*

W/ value in English and error in Hindi "Rupia" on face, w/ ser. no. at right. Eight value lines on back, fourth line is [illegible] mm long

REP-12	ND	B. Rama Rau	1.25	4.00	10.00

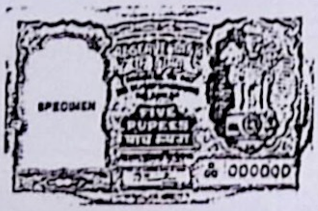

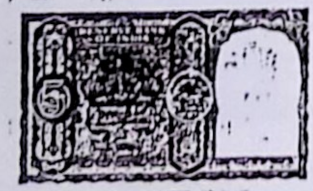

Specimens

REP-13s	ND	B. Rama Rau	—	—	—

5 RUPEES *(P-40)*

W/ corrected Hindi value. Fourth line on back is 26 mm long

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-14	ND	B. Rama Rau	1.25	4.00	10.00

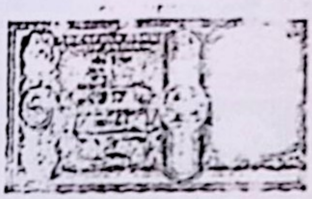

5 RUPEES *(P-40)*

	W/ redesigned panels left and right. W/o letter				
REP-15	ND	H.V.R. Iengar	1.25	4.00	10.00
	W/ letter A				
REP-16	ND	H.V.R. Iengar	1.25	4.00	10.00
	Specimens w/ letter A				
REP-17s	ND	H.V.R. Iengar	—	—	—

Note: For similar note but in orange, see REP-212

5 RUPEES, Green and brown, 127 x 73 mm *(P-41)*

	W/ "Governor" title centered. Thirteen value lines on back. W/ letter A				
REP-18	ND	P.C. Bhattacharyya	1.25	4.00	10.00
	W/ letter B				
REP-19	ND	P.C. Bhattacharyya	1.25	4.00	10.00
	Specimens w/ letter A				
REP-20s	ND	P.C. Bhattacharyya	—	—	—

10 RUPEES, Violet and brown, 146 x 83 mm *(P-42)*

Value on face in English only, w/ one serial no. Back w/ English in both lower corners

REP-21	ND	C.D. Deshmukh	6.00	12.00	28.00

178

Asoka pillar

Dhow

KM #	Date	Sigs.	VG	VF	Unc
REP-22	ND	B. Rama Rau	3.00	7.50	15.00

Asoka pillar

Dhow

10 RUPEES, Violet and brown, 146 x 83 mm *(P-43)*

W/ value in English and error in Hindi "Rupia" on face and back. Two serial nos. Third line on back is 24 mm long

REP-23	ND	B. Rama Rau	1.75	4.50	12.50

Specimens

REP-24s	ND	B. Rama Rau	—	—	—

10 RUPEES, Violet and brown, 146 x 83 mm *(P-44)*

W/ corrected Hindi value. Third line on back is 29 mm long. W/o letter

REP-25	ND	B. Rama Rau	1.75	4.50	12.50
REP-26	ND	H.V.R Iengar	1.75	4.50	12.50

Asoka pillar

Dhow

W/ letter A

KM #	Date	Sigs.	VG	VF	Unc
REP-27	ND	H.V.R. Iengar	1.75	4.50	12.50

Specimens w/ letter A

REP-28s	ND	H.V.R. Iengar	—	—	

NOTE: For similar note but in red see REP-214; in blue, see REP-218.

10 RUPEES, Violet and brown, 146 x 83 mm *(P-45)*

W/ "Governor" title centered. Thirteen value lines on back. W/ letter A

REP-29	ND	P.C. Bhattacharyya	1.75	4.50	12.50

Asoka pillar

Dhow

W/ letter B

REP-30	ND	P.C. Bhattacharyya	1.75	4.50	12.[illegible]

Specimens w/ letter B

REP-31s	ND	P.C. Bhattacharyya	—	—	

Asoka pillar

Bank logo Elephants

100 RUPEES, Blue and brown, 171 x 108 mm *(P-46)*

Value on face in English only. "Rs 100" in upper left and right. Eight value lines on back. Light blue

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-32	ND	B. Rama Rau	50.00	100.00	200.00
Dark blue					
REP-33	ND	B. Rama Rau	40.00	90.00	175.00

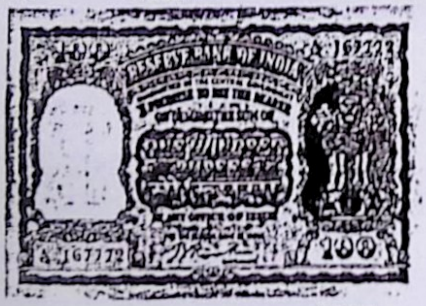

Asoka pillar

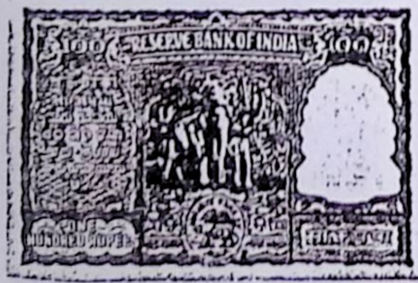

Elephants and bank logo

100 RUPEES, Dark blue and brown, 171 x 108 mm *(P-47)*

W/ value in English and error in Hindi "Rupia" on face and back. Serial no. in lower left and upper right. Seven value lines on back; third line is 27 mm long. W/ black serial no.

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-34	ND	B. Rama Rau	20.00	45.00	85.00
W/ red serial no.					
REP-35	ND	B. Rama Rau	20.00	45.00	85.00
Specimens					
REP-36s	ND	B. Rama Rau	—	—	—

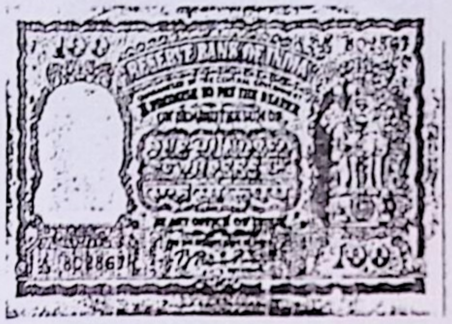

100 RUPEES, Blue and brown, 171 x 108 mm *(P-48)*

W/ corrected Hindi value, face and back. Thir 1 value line on back is 40 mm long. W/o letter, thin or thick paper

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-37	ND	B. Rama Rau	30.00	60.00	125.00
REP-38	ND	H.V.R. Iengar	30.00	60.00	125.00
W/ letter A, thick paper					
REP-39	ND	H.V.R. Iengar	30.00	60.00	125.00
Specimens					
REP-40s	ND	H.V.R. Iengar	—	—	—

NOTE: For similar note but in green, see REP-216; in red see REP-220.

100 RUPEES, Violet, 171 x 108 mm *(P-49)*

Heading in rectangle at top, w/ serial no. in upper left and lower right. "Governor" title at right center. Thirteen value lines on back

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-41	ND	H.V.R. Iengar	12.50	25.00	50.00

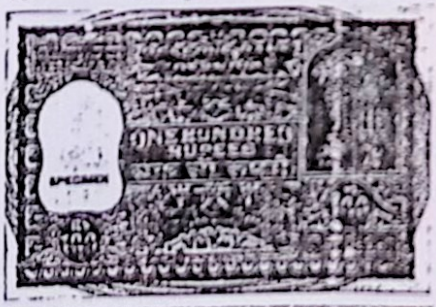

Water dam

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
Specimens					
REP-41s	ND	H.V.R. Iengar	—	—	—

180

100 RUPEES, Violet *(P-49)*

W/ "Governor" title centered

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-42	ND	P.C. Bhattacharyya	12.50	25.00	50.00

Specimens

REP-43s	ND	P.C. Bhattacharyya	—	—	—

1000 RUPEES, Brown, green and blue, 203 x 127 mm *(P-50)*

Value in English and w/ error in Hindi "Rupia" on face and back. Seven value lines

KM #	Office	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-44	BOMBAY	ND	B. Rama Rau	100.00	300.00	—

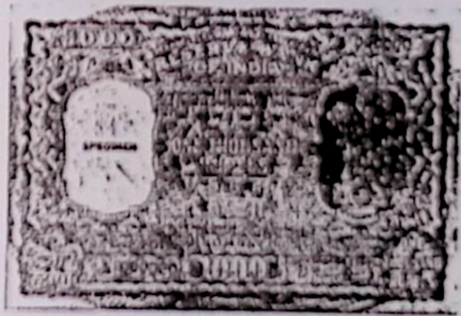

Asoka pillar

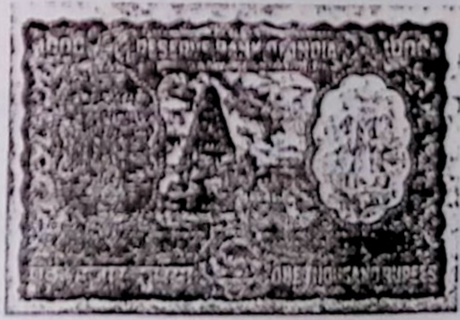

Temple

Specimens

REP-45s	BOMBAY	ND	B. Rama Rau	—	—	—

1000 RUPEES, Brown, green and blue, 203 x 127 mm *(P-51)*

W/ corrected Hindi value on face and back. Thirteen value lines on back

KM #	Office	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-46	BOMBAY	ND	P.C. Bhattacharyya	85.00	250.00	—

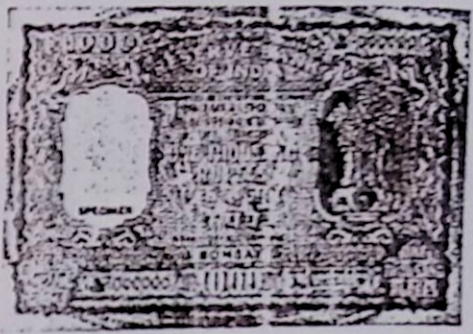

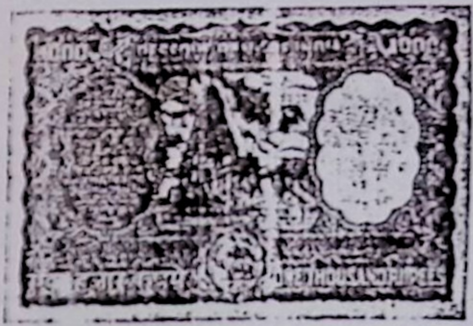

Specimens

REP-47s	BOMBAY	ND	P.C. Bhattacharyya	—	—	—

1000 RUPEES, Brown, green and blue, 203 x 127 mm *(P-51A)*

Redesigned, text in English and Hindi on face

REP-48	BOMBAY	ND	N.C. Sen Gupta	45.00	90.00	175.00
REP-49	BOMBAY	ND	K.R. Puri	45.00	90.00	175.00

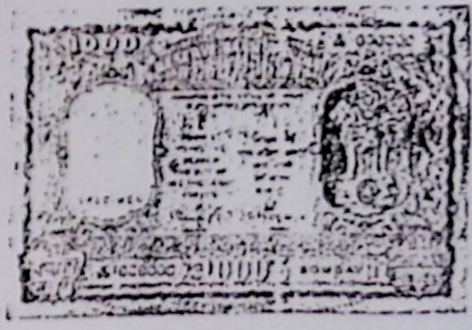

Specimens

REP-50	BOMBAY	ND	N.C. Sen Gupta	—	—

5000 RUPEES. Green, violet and brown, 203 x 127 mm *(P-52)*

Value in English and w/ error in Hindi "Rupia" on face and back

KM #	Office	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-51	BOMBAY	ND	B. Rama Rau	—	Rare	—
REP-52	DELHI	ND	B. Rama Rau	—	Rare	—

Asoka pillar

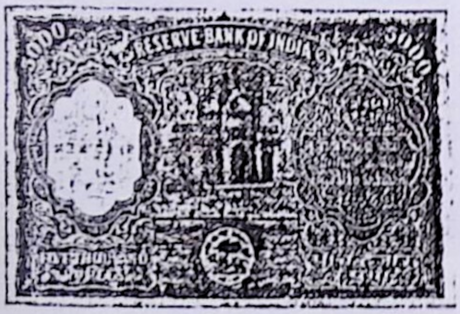

Temple

Specimens

REP-53s	BOMBAY	ND	B. Rama Rau	—	—	—

5000 RUPEES, Green, violet and brown *(P-52)*

W/ corrected Hindi value on face and back

REP-54	BOMBAY	ND	H.V.R Iengar	—	Rare	—

10,000 RUPEES, Blue, violet and brown, 203 x 127 mm *(P-53)*

Value in English and w/ error in Hindi "Rupia" on face and back

REP-55	BOMBAY	ND	B. Rama Rau	—	Rare	—

Asoka pillar

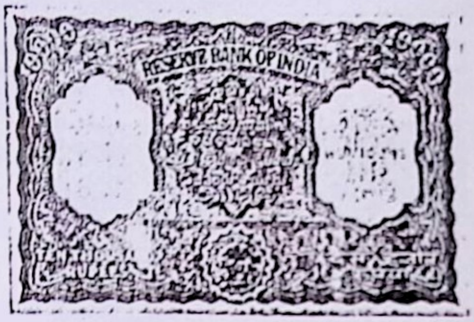

Specimens

KM #	Office	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-56s	BOMBAY	ND	B. Rama Rau	—	—	—

Notes of reduced size, from 1967.

Varieties: REP-57/63, 71/77, 83/92, 107/114 have last value line on back in Urdu expressing value incorrectly in the singular form ("Rupia").

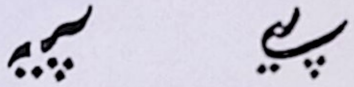

Incorrect Urdu　　Corrected Urdu

2 RUPEES, Brown, 107 x 63 mm *(P-54)*

Numeral "2" in center is 7 mm high. "Governor" title centered at bottom

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-57	ND	P.C. Bhattacharyya	.50	1.00	3.00

Asoka pillar

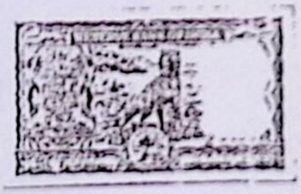

Tiger

Specimens

REP-58	ND	P.C. Bhattacharyya	—	—	—

"Governor" title at right center

REP-59	ND	L.K. Jha	.50	1.00	3.00

182

Asoka pillar

Gandhi

2 RUPEES, Dark pink, 107 x 63 mm *(P-55)*

Numeral "2" in center is 15 mm high. Gandhi commemorative

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-60	ND	L.K. Jha	.50	1.00	3.00
REP-61	ND	B.N. Adarkar	.50	1.00	3.00
Specimens					
REP-62a	ND	L.K. Jha	—	—	—

Asoka pillar

Tiger

2 RUPEES, Pink, 107 x 63 mm *(P-56)*

Numeral "2" in center is 15 mm high

REP-63	ND	S. Jagannathan	.40	.80	2.50

Asoka pillar

Tiger

2 RUPEES, Pink, 107 x 63 mm *(P-56)*

W/ corrected Urdu value line on back. W/o letter

REP-64	ND	S. Jagannathan	.40	.80	2.50
REP-65	ND	K.R. Puri	.40	.80	2.50
W/ letter A					
REP-66	ND	I.G. Patel	.40	.80	2.50
REP-67	ND	K.R. Puri	.40	.80	2.50
REP-68	ND	M. Narasimham	.40	.80	2.50
Specimens					
REP-69a	ND	I.G. Patel	—	—	—
REP-70a	ND	K.R. Puri	—	—	—

Antelope

5 RUPEES, Green, 117 x 63 mm *(P-57)*

Numeral "5" is 11 mm high. "Governor" title centered at bottom

REP-71	ND	P.C. Bhattacharyya	.75	1.50	4.00

Specimens

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-72	ND	P.C. Bhattacharyya	—	—	—
"Governor" title at right center					
REP-73a	ND	L.K. Jha	.75	1.50	4.00

Gandhi

5 RUPEES, Green, 117 x 63 mm *(P-58)*

Numeral "5" in center is 17 mm high. Gandhi commemorative

REP-74	ND	L.K. Jha	.75	1.50	4.00
REP-75	ND	B.N. Adarkar	.75	1.50	4.00
Specimens					
REP-76a	ND	L.K. Jha	—	—	—

Antelope

5 RUPEES, Green, 117 x 63 mm *(P-59)*

Numeral "5" in center is 17 mm high

REP-77	ND	S. Jagannathan	.60	1.25	3.00

5 RUPEES, Green, 117 x 63 mm *(P-59)*

W/ corrected Urdu value line on back. W/o letter

REP-78	ND	S. Jagannathan	.60	1.25	3.00

Asoka pillar

183

W/ letter A

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-79	ND	S. Jagannathan	.60	1.25	3.00
REP-80	ND	K.R. Puri	.60	1.25	3.00
REP-81	ND	M. Narasimham	.60	1.25	3.00

Specimens w/ letter A

REP-82a	ND	S. Jagannathan	—	—	—

Dhow

10 RUPEES, Violet, 137 x 63 mm *(P-60)*

Numeral "10" in center is 30 mm broad. "Governor" title centered at bottom

REP-83	ND	P.C. Bhattacharyya	1.25	2.50	7.50

Specimens

REP-84	ND	P.C. Bhattacharyya	—	—	—

"Governor" title at right center

REP-85	ND	L.K. Jha	1.25	2.50	7.50

Asoka pillar

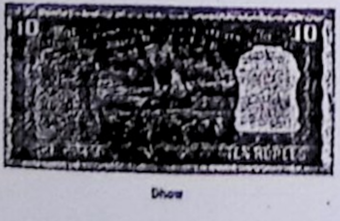

Dhow

10 RUPEES, Brown, orange and green, 137 x 63mm *(P-61)*

Numeral "10" in center is 18mm broad. Back w/ heading in English and Hindi

REP-86	ND	L.K. Jha	3.00	7.50	15.00

Asoka pillar

Gandhi

10 RUPEES, Brown, 137 x 63 mm *(P-62)*

Gandhi commemorative

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-87	ND	L.K. Jha	1.00	2.00	7.00
REP-88	ND	B.N. Adarkar	1.00	2.00	7.00

Specimens

REP-89s	ND	L.K. Jha	—	—	—

Asoka pillar

Dhow

10 RUPEES, brown, 137 x 63 mm *(P-63)*

Back w/o English "Reserve Bank of India". W/o letter

REP-90	ND	S. Jagannathan	1.00	2.00	7.00

W/ letter A

REP-91	ND	S. Jagannathan	1.00	2.00	7.00

Specimens w/ letter A

REP-92a	ND	S. Jagannathan	—	—	—

10 RUPEES, Brown *(P-63)*

W/ corrected Urdu value line on back. W/ letter A

REP-93	ND	S. Jagannathan	1.00	2.00	7.00

184

W/ letter B

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-94	ND	S. Jagannathan	1.00	2.00	7.00
REP-95	ND	K.R. Puri	1.00	2.00	7.00
REP-96	ND	M. Narasimham	1.00	2.00	7.00

Specimens

REP-97s	ND	K.R. Puri	—	—	—

W/ letter C

REP-98	ND	I.G. Patel	1.00	2.00	7.00
REP-99	ND	M. Narasimham	1.00	2.00	7.00

W/ letter D

REP-100	ND	I.G. Patel	1.00	2.00	7.00

Incorrect Kashmiri

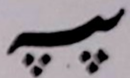

Corrected Kashmiri

Asoka pillar

Parliament House

20 RUPEES, Orange, 147 x 63mm (P-64)

W/ dark colors under sign., and error in Kashmiri (fifth line on back)

REP-101	ND	S. Jagannathan	2.50	4.50	10.00

W/ light colors under sign., and error in Kashmiri line

REP-102	ND	S. Jagannathan	2.00	4.00	8.00

W/ corrected Kashmiri line on back

REP-103	ND	S. Jagannathan	2.00	4.00	8.00

Specimens w/ dark colors under sign., and error in Kashmiri

KM #	Date	Sign.	VG	VF
REP-107s	ND	S. Jagannathan	—	—

100 RUPEES, Blue, olive and violet, 157 x 73 mm (P-65)

Numeral "100" in center is 43 mm broad. Heading in English only

REP-108	ND	P.C. Bhattacharyya	8.00	15.00	35.00
REP-109	ND	L.K. Jha	8.00	15.00	35.00

Water dam

Specimens

REP-110s	ND	P.C. Bhattacharyya	—	—

Asoka pillar

Gandhi

100 RUPEES, Blue, green and violet, 157 x 73mm (P-66)

Numeral "100" in center is 28 mm broad. Gandhi commemorative

REP-111	ND	L.K. Jha	8.00	15.00	35.00
REP-112	ND	B.N. Adarkar	8.00	15.00	35.00

Specimens

REP-113s	ND	L.K. Jha	—	—	—

100 RUPEES, Blue, green and violet, 157 x 73 mm (P-67)

Numeral "100" in center is 28 mm broad. Back w/ heading in Hindi only

REP-114	ND	S. Jagannathan	7.00	14.00	30.00

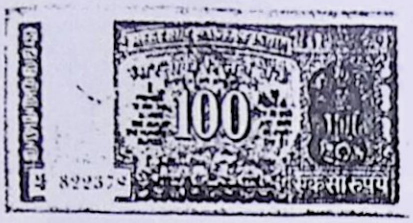

Asoka pillar

Water dam

100 RUPEES, Blue, green and violet, 157 x 73 mm *(P-67)*

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
		W/ corrected Urdu value line on back. W/o letter			
REP-116	ND	S. Jagannathan	7.00	14.00	30.00
REP-117	ND	K.R. Puri	7.00	14.00	30.00
REP-118	ND	M. Narasimham	7.00	14.00	30.00
		W/ letter A			
REP-119	ND	I.G. Patel	7.00	14.00	30.00
		Specimens			
REP-120s	ND	K.R. Puri	—	—	—

GOVERNMENT OF INDIA

Asoka pillar

1 RUPEE, Green-gray, 101 x 64 mm *(P-68)*

		W/o coin on face and back			
REP-121	ND	K.R.K. Menon	.50	1.50	4.00
REP-122	ND	K.G. Ambegaokar	.50	1.50	4.00

Asoka pillar on coin — Coin dated 1951

1 RUPEE, Green-gray, 101 x 64 mm *(P-69)*

REP-123	ND	K.G. Ambegaokar	.50	1.50	4.00
		Specimens			
REP-124s	ND	K.G. Ambegaokar	—	—	—

Asoka pillar on coin — Coin dated 1951

1 RUPEE, Violet, 101 x 64 mm *(P-70)*

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-125	ND	K.G. Ambegaokar	.40	1.25	3.00

1 RUPEE, Violet *(P-70)*

		W/ different rendition of all value lines on back			
REP-127	ND	H.M. Patel	.40	1.25	3.00

Asoka pillar on redesigned coin — Coin dated 1957

1 RUPEE, Violet *(P-70)*

		Coin on back w/ "100 Naye Paise" in Hindi. Seven value lines. W/ "Secretary" title			
REP-128	ND	H.M. Patel	.30	.75	1.50

		W/ "Principal Secretary" title, letter A			
REP-129	ND	H.M. Patel	.30	.75	1.50
		W/ letter B			
REP-130	ND	L.K. Jha	.30	.75	1.50
REP-131	ND	A.K. Roy	.30	.75	1.50

		W/ letter C			
REP-132	ND	L.K. Jha	.30	.75	1.50
		W/ letter D			
REP-133	ND	L.K. Jha	.30	.75	1.50
		Specimens w/ letter B, C or D			
REP-134s	ND	L.K. Jha	—	—	—
REP-135s	ND	A.K. Roy	—	—	—

NOTE: For similar note but in red, see REP-210.

186

Asoka pillar Coin

1 RUPEE, 1963-1965, Violet, 101 x 64 mm *(P-71)*

Redesigned note. Coin on back w/ various date, and "1 RUPEE" in Hindi. Thirteen value lines. W/ letter A

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-136	1963	L.K. Jha	.25	.60	1.25
	W/ letter B				
REP-137	1964	S. Boothalingam	.25	.60	1.25
	W/ letter B				
REP-138	1965	S. Boothalingam	.25	.60	1.25
	Specimens w/ letter A				
REP-139s	1963	L.K. Jha	—	—	—

1 RUPEE, 1966-1980, Violet, 97 x 63 mm *(P-72)*

Redesigned face and back. Coin on back w/ various dates. Ser. no. at left. W/o letter

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-140	1966	S. Boothalingam	.20	.40	1.00
	W/ letter A				
REP-141	1967	S. Jagannathan	.20	.40	1.00
	W/ letter A				
REP-142	1968	S. Jagannathan	.20	.40	1.00

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
	W/ "Special Secretary" title, letter B				
REP-143	1968	I.G. Patel	.20	.40	1.00
	W/ title as "Special Secretary", letter B				
REP-144	1969	I.G. Patel	.20	.40	1.00
	W/ title as "Special Secretary", letter C				
REP-145	1969	I.G. Patel	.20	.40	1.00
	W/ letter C				
REP-146	1970	I.G. Patel	.20	.40	1.00
	W/ letter C				
REP-147	1971	I.G. Patel	.20	.40	1.00
	W/ letter D				
REP-148	1971	I.G. Patel	.20	.40	1.00
	W/ letter D				
REP-149	1972	I.G. Patel	.20	.40	1.00
	W/ letter E				
REP-150	1972	S.G. Patel	.20	.40	1.00
	W/ letter E				
REP-151	1973	M.G. Kaul	.20	.40	1.00
	W/ letter F				
REP-152	1973	M.G. Kaul	.20	.40	1.00
	W/ letter F				
REP-153	1974	M.G. Kaul	.20	.40	1.00
	W/ letter G				
REP-154	1974	M.G. Kaul	.20	.40	1.00
	W/ letter G				
REP-155	1975	M.G. Kaul	.20	.40	1.00
	W/ letter H				
REP-156	1975	M.G. Kaul	.20	.40	1.00
	W/ letter H				
REP-157	1976	M.G. Kaul	.20	.40	1.00
	W/ letter I				
REP-158	1976	M.G. Kaul	.20	.40	1.00
	W/ small nos. in ser. no.				
REP-159	1976	Manmoham Singh	.20	.40	1.00
	W/ ser. no. as REP-159				
REP-160	1977	Manmoham Singh	.20	.40	1.00
	W/ letter A				
REP-161	1978	Manmoham Singh	.20	.40	1.00
	W/ letter A				
REP-162	1979	Manmoham Singh	.20	.40	1.00
	W/ letter A				
REP-1..3	1980	Manmoham Singh	.20	.40	1.00

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
	W/ letter A				
REP-164	1980	R.H. Malhotra	.20	.40	1.00
	W/ letter B				
REP-165	1980	R.H. Malhotra	.20	.40	1.00
	Specimen w/ letter H				
REP-166s	1975	M.G. Kaul	—	—	—
	Specimen w/ small nos. in ser. no.				
REP-167s	197.	Manmoham Singh	—	—	—

Coin w/ Mahatma Gandhi "1869-1948"

1 RUPEE, Violet; Back violet and blue, 97 x 63 mm *(P-73)*

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
	Gandhi commemorative				
REP-168	ND	I.G. Patel	.20	.40	1.00
	Specimens				
REP-169	ND	I.G. Patel	—	—	—

Asoka pillar on coin

Oil drilling platform

1 RUPEE, Blue, brown and multicolored, 96 x 63 mm (P-)

Back w/ coin dated 1981

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-170	1981	R.N. Malhotra	—	.25	.50
Specimens					
REP-171s	1981	R.N. Malhotra	—	—	—

NEW SERIES, RESERVE BANK OF INDIA

Asoka pillar

Space craft

2 RUPEES, Orange and multicolored, 107 x 63 mm (P-79)

W/ two wmk. varieties

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-172	ND	K.R. Puri	—	.35	.75
REP-173	ND	Manmohan Singh	—	.35	.75
REP-174	ND	M. Narasimham	—	.35	.75
REP-175	ND	I.G. Patel	—	.35	.75
REP-176	ND	R.N. Malhotra	—	.35	.75

Specimens

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-177	ND	K.R. Puri	—	—	—
REP-178	ND	I.G. Patel	—	—	—

Asoka pillar

Tractor

5 RUPEES, Green and multicolored, 117 x 63 mm (P-74)

KM #	Date	Sign.	VF	XF	Unc
W/o letter					
REP-179	ND	S. Jagannathan	—	.50	1.00
REP-180	ND	K.R. Puri	—	.50	1.00
W/ letter A					
REP-181	ND	K.R. Puri	—	.50	1.00
REP-182	ND	I.G. Patel	—	.50	1.00
REP-183	ND	M. Narasimham	—	.50	1.00
W/ letter B					
REP-184	ND	I.G. Patel	—	.50	1.00

Specimens w/ o letter

KM #	Date	Sign.	VF	XF	Unc
REP-185s	ND	S. Jagannathan	—	—	—

Asoka pillar

Tree w/ peacocks

10 RUPEES, Brown, lilac and multicolored, 137 x 63 mm (P-75)

KM #	Date	Sign.	VF	XF	Unc
REP-186	ND	S. Jagannathan	—	1.25	2.00
REP-187	ND	K.R. Puri	—	1.25	2.00
REP-188	ND	I.G. Patel	—	1.25	2.00
REP-189	ND	M. Narasimham	—	1.25	2.00

188

Specimens

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-190a	ND	S. Jagannathan	—	—	—

Asoka pillar

Buddhist Wheel of Life

20 RUPEES, Orange and multicolored, 147 x 63 mm *(P-76)*

REP-191	ND	S. Jagannathan	—	2.75	4.00
REP-192	ND	K.R. Puri	—	2.75	4.00
REP-193	ND	I.G. Patel	—	2.75	4.00
REP-194	ND	M. Narasimham	—	2.75	4.00

Specimens

REP-195a	ND	S. Jagannathan	—	—	—

Parliament house

50 RUPEES, Violet and multicolored, 147 x 73 mm *(P-77)*

W/o flag at top of flagpole on back

REP-196	ND	S. Jagannathan	—	6.00	8.50
REP-197	ND	K.R. Puri	—	6.00	8.50

W/ ... ag at top of flagpole on back

KM #	Date	Sign.	VG	VF	Unc
REP-198	ND	I.G. Patel	—	6.00	8.50
REP-199	ND	K.R. Puri	—	6.00	8.50
REP-200	ND	M. Narasimham	—	6.00	8.50

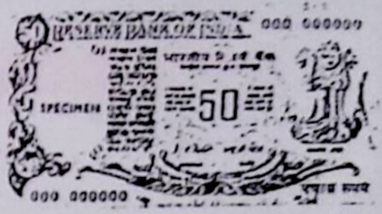

Specimens w/ or w/o flag at top of flagpole

REP-201a	ND	I.G. Patel	—	—	—
REP-202a	ND	S. Jagannathan	—	—	—

100 RUPEES, Blue, brown and multicolored, 157 x 73 mm *(P-78)*

REP-203	ND	S. Jagannathan	—	15.00	20.00
REP-204	ND	K.R. Puri	—	15.00	20.00
REP-205	ND	I.G. Patel	—	15.00	20.00
REP-206	ND	M. Narasimham	—	15.00	20.00

Dam and agricultural work

Specimens

REP-207a	ND	S. Jagannathan	—	—	—

100 RUPEES, Blue, green and multicolored, 157 x 73 mm *(P-)*

Red in center w/ redesigned border at bottom right

REP-208	ND	I.G. Patel	—	15.00	20.00

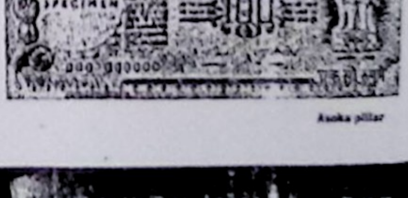

Asoka pillar

भारत के विकास दर के आंकड़े

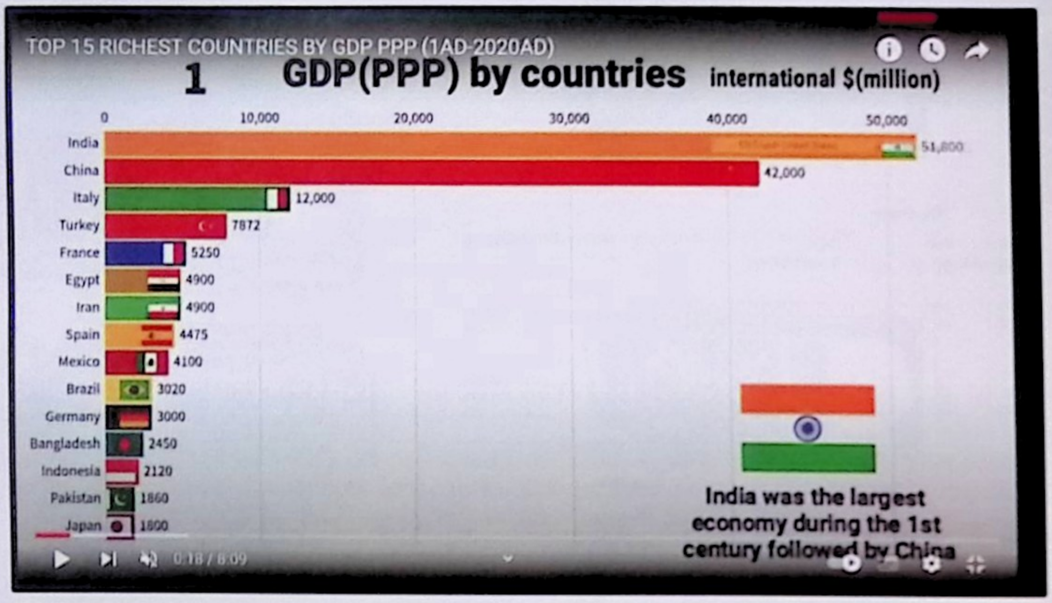

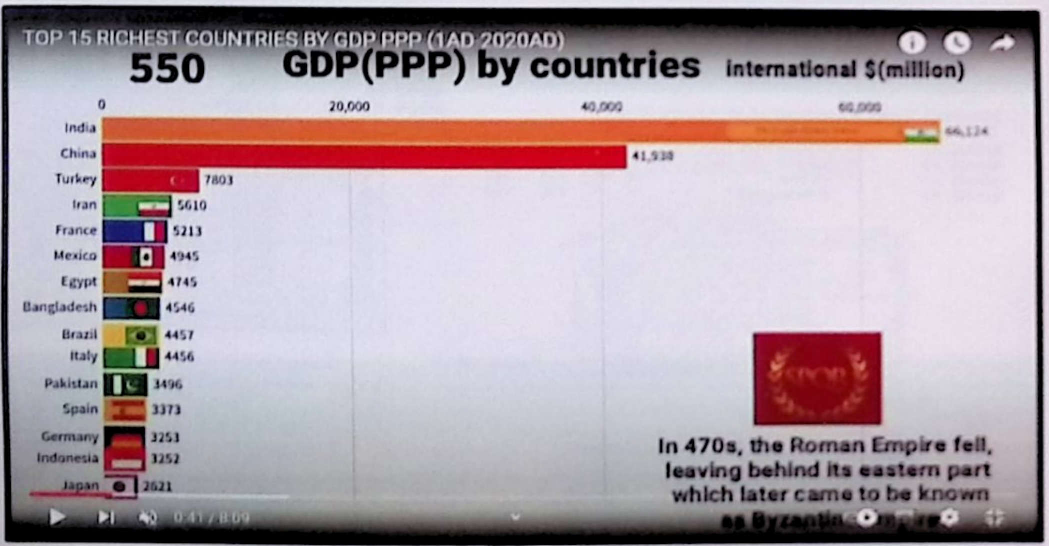

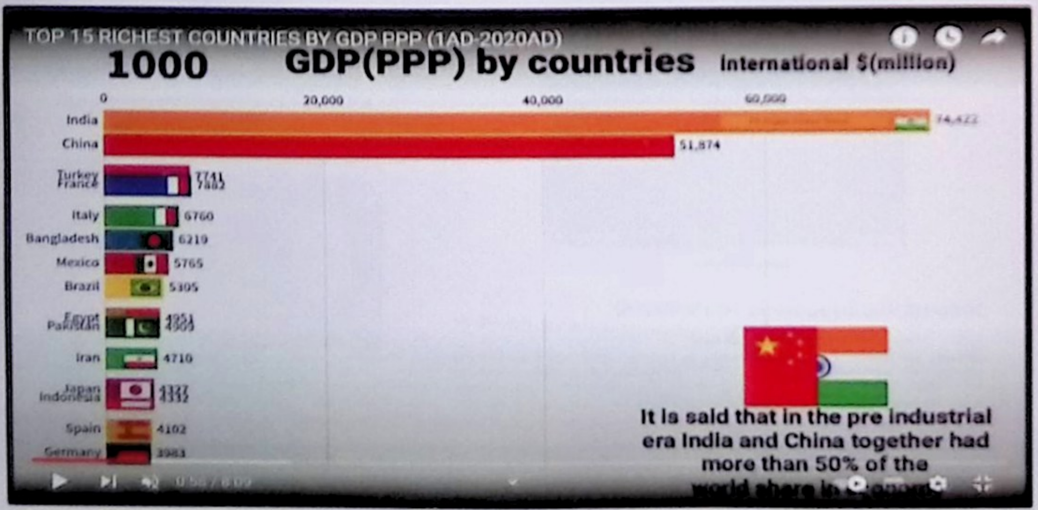

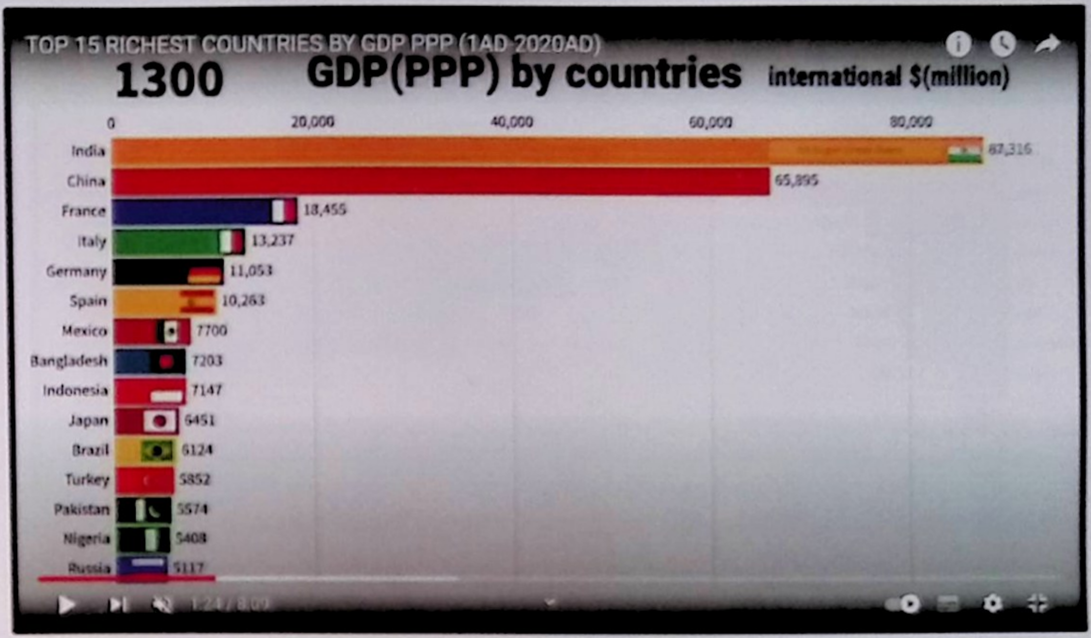
TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
1300
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
India 87,316
China 65,895
France 18,455
Italy 13,237
Germany 11,053
Spain 10,263
Mexico 7700
Bangladesh 7203
Indonesia 7147
Japan 6451
Brazil 6124
Turkey 5852
Pakistan 5574
Nigeria 5408
Russia 5117

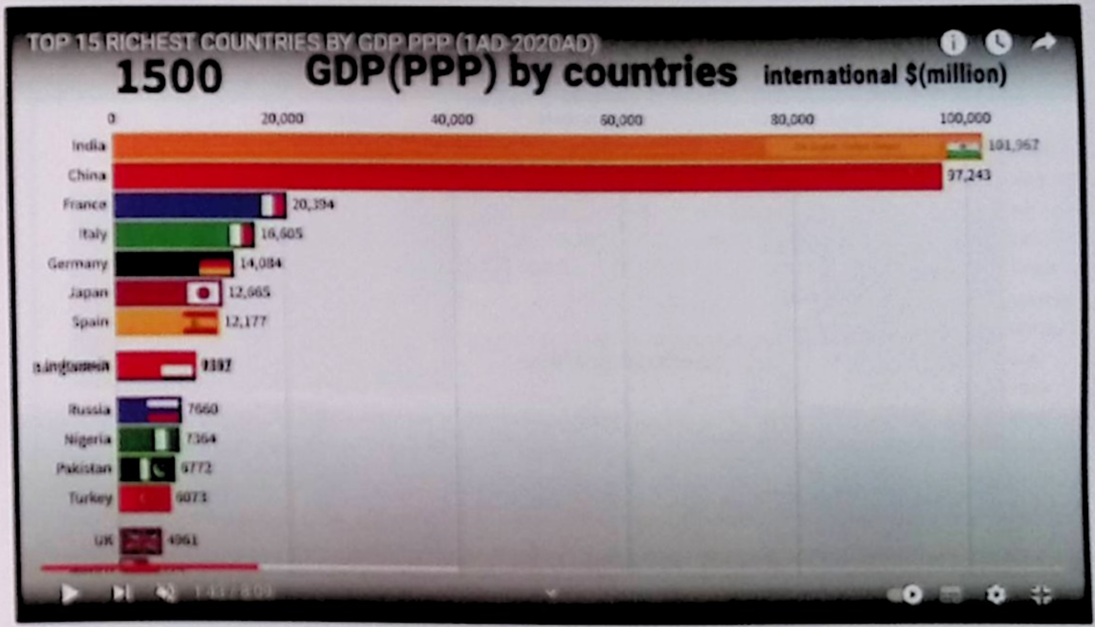
TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
1500
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
India 101,967
China 97,243
France 20,394
Italy 16,605
Germany 14,084
Japan 12,665
Spain 12,177
Russia 7660
Nigeria 7364
Pakistan 6772
Turkey 6073
UK 4961

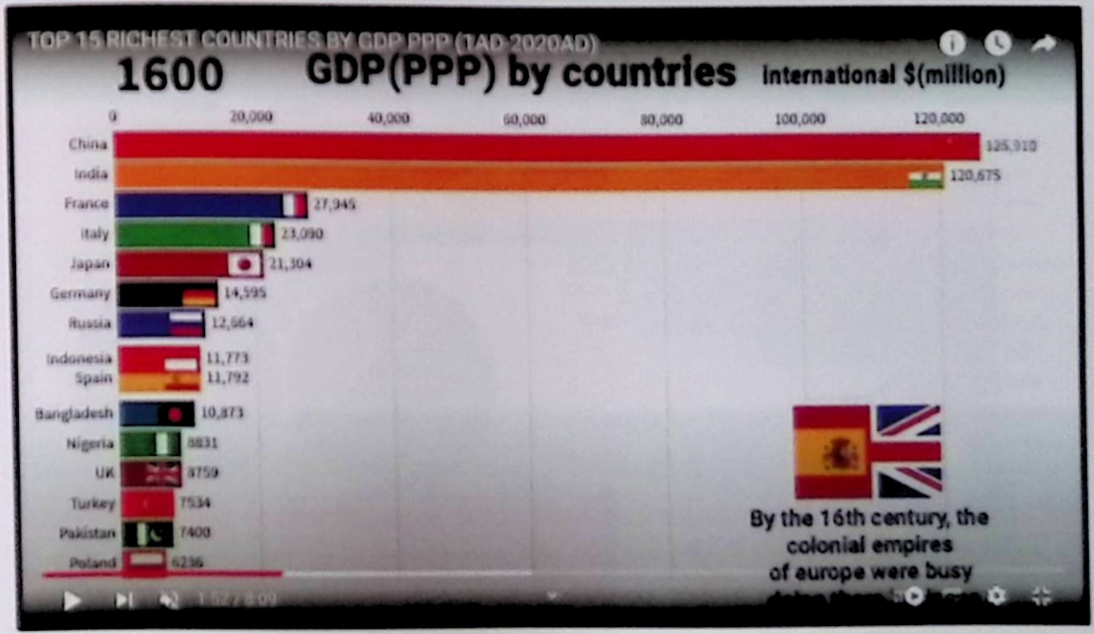
TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
1600
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
China 125,910
India 120,675
France 27,945
Italy 23,090
Japan 21,304
Germany 14,595
Russia 12,664
Indonesia 11,773
Spain 11,792
Bangladesh 10,873
Nigeria 8831
UK 8759
Turkey 7534
Pakistan 7400
Poland 6236
By the 16th century, the
colonial empires
of europe were busy

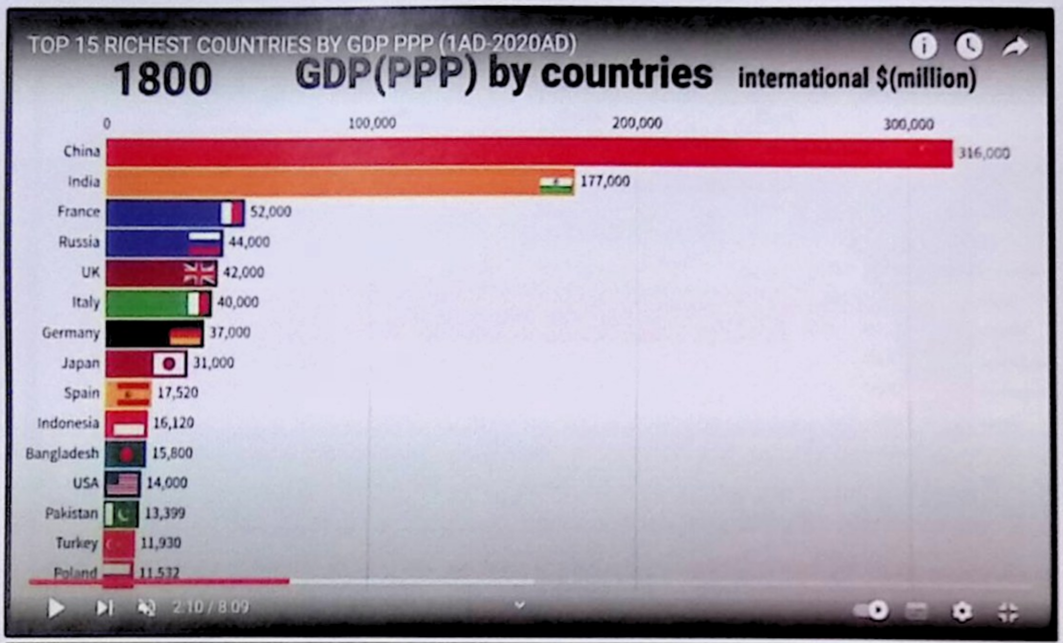
TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
1800
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
100,000
200,000
300,000
China 316,000
India 177,000
France 52,000
Russia 44,000
UK 42,000
Italy 40,000
Germany 37,000
Japan 31,000
Spain 17,520
Indonesia 16,120
Bangladesh 15,800
USA 14,000
Pakistan 13,399
Turkey 11,930
Poland 11,532

TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
1857
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
100,000
200,000
300,000
China
India 205,702
UK 121,460
USA 109,045
France 81,850
Germany 80,231
Russia 76,703
Italy 58,469
Japan 37,849
Spain 27,101
Indonesia 23,826
Bangladesh 20,826
Poland 20,457
Belgium 18,749
Turkey 16,642
GOVERNMENT of INDIA.
FIVE
5 RUPEES
The British Raj in the
Indian subcontinent
started by 1858

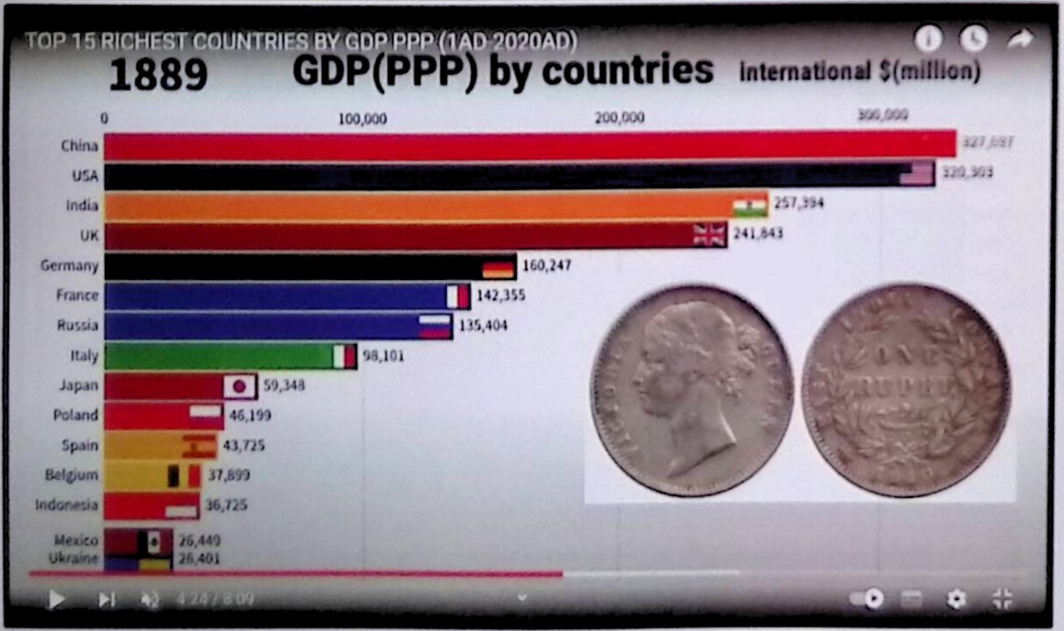
TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
1889
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
100,000
200,000
300,000
China
USA
India 257,394
UK 241,843
Germany 160,247
France 142,355
Russia 135,404
Italy 98,101
Japan 59,348
Poland 46,199
Spain 43,725
Belgium 37,899
Indonesia 36,725
Mexico 26,449
Ukraine 26,401

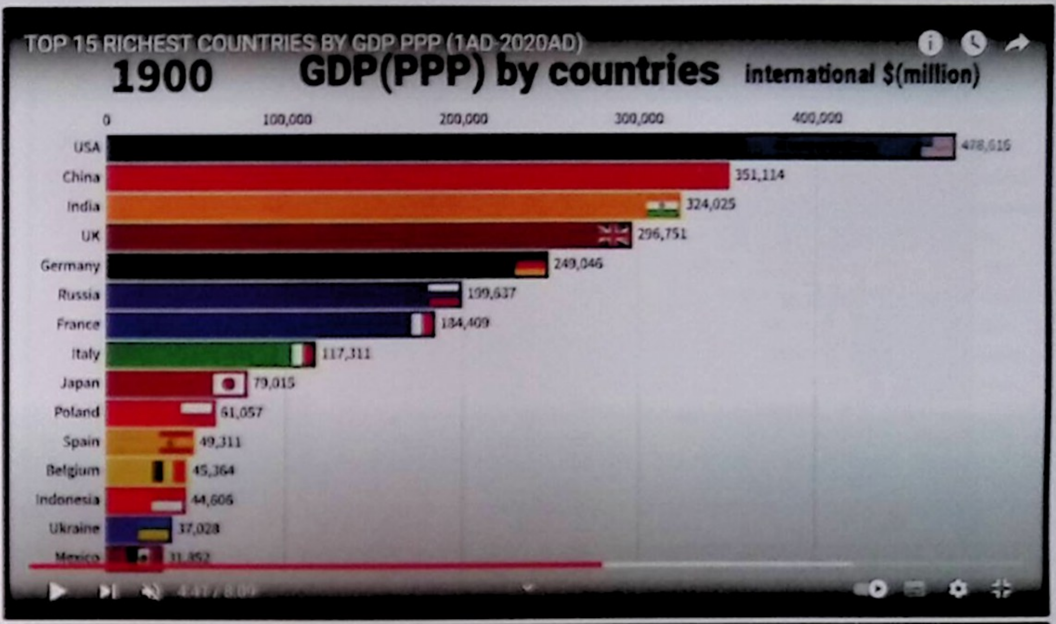
TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
1900
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
100,000
200,000
300,000
400,000
USA
China
India
UK
Germany
Russia
France
Italy
Japan
Poland
Spain
Belgium
Indonesia
Ukraine
351,114
324,025
296,751
249,046
199,637
184,409
117,311
79,015
61,057
49,311
45,364
44,606
37,028

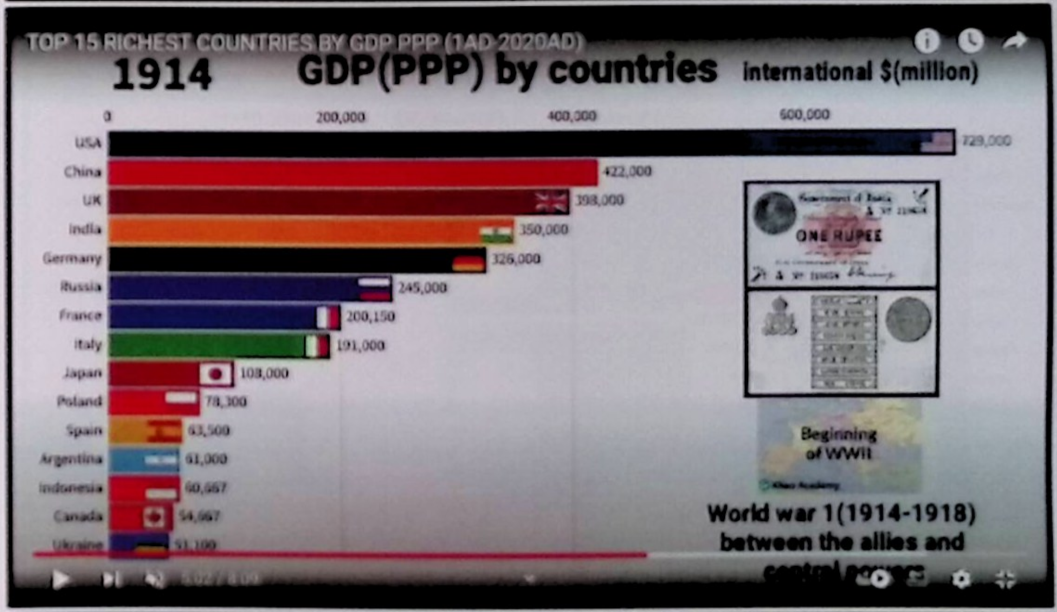
TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
1914
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
200,000
400,000
600,000
USA
China
UK
India
Germany
Russia
France
Italy
Japan
Poland
Spain
Argentina
Indonesia
Canada
Ukraine
422,000
398,000
350,000
326,000
245,000
200,150
191,000
108,000
78,300
63,500
61,000
60,667
ONE RUPEE
Beginning of WWII
World war 1(1914-1918) between the allies and

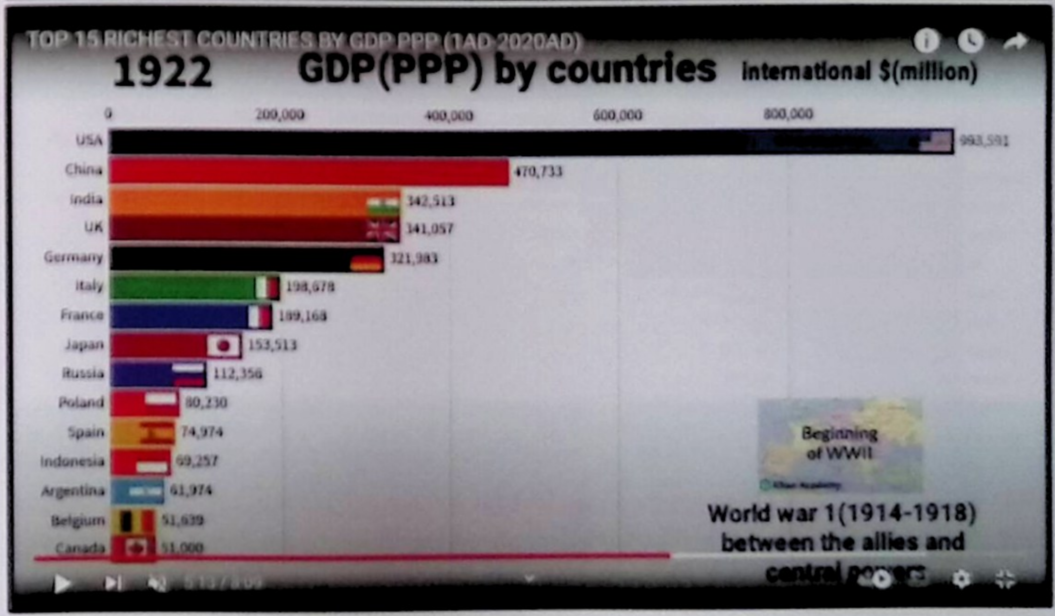
TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
1922
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
200,000
400,000
600,000
800,000
USA
China
India
UK
Germany
Italy
France
Japan
Russia
Poland
Spain
Indonesia
Argentina
Belgium
Canada
470,733
342,513
341,057
321,983
198,678
189,168
153,513
112,356
80,230
74,974
69,257
61,974
51,639
51,000
Beginning of WWII
World war 1(1914-1918) between the allies and

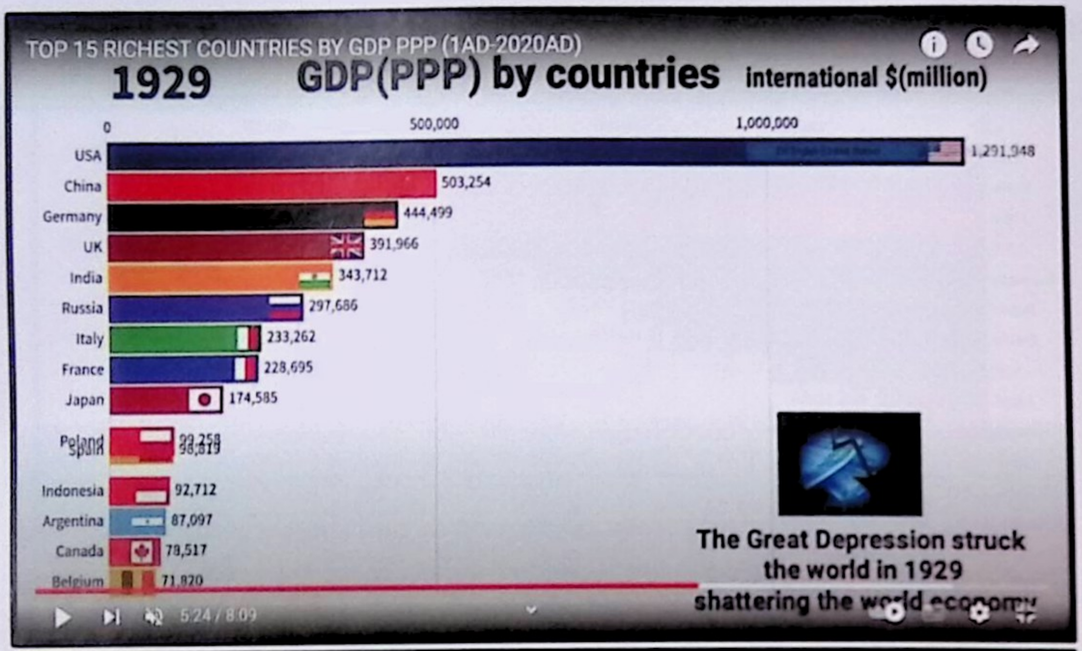
TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
1929
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
500,000
1,000,000
USA 1,291,948
China 503,254
Germany 444,499
UK 391,966
India 343,712
Russia 297,686
Italy 233,262
France 228,695
Japan 174,585
Indonesia 92,712
Argentina 87,097
Canada 78,517
Belgium 71,820
The Great Depression struck
the world in 1929
5:24 / 8:09

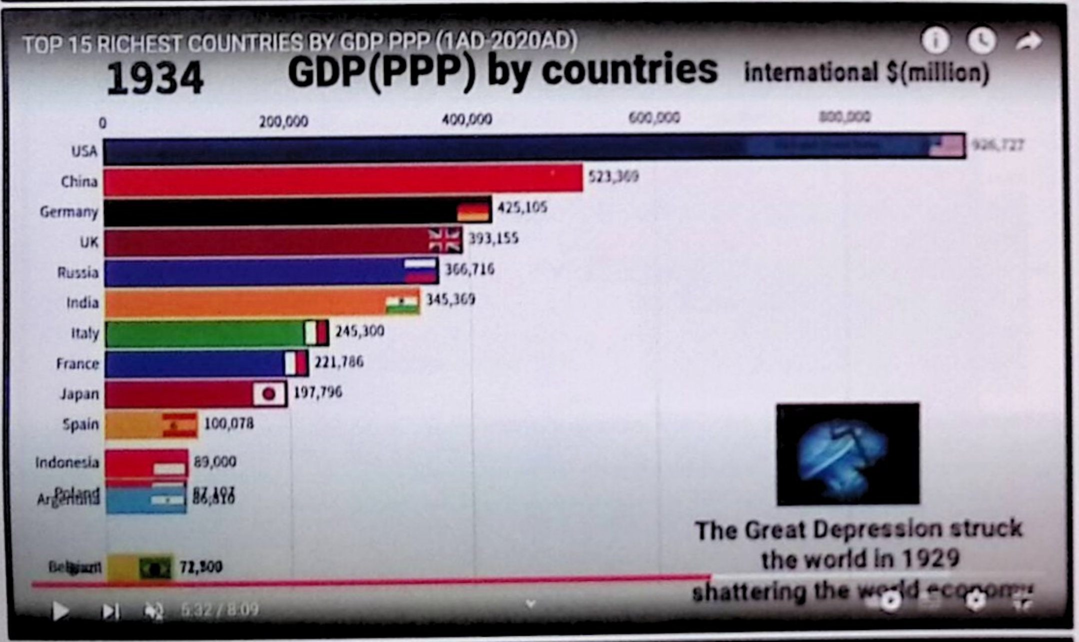
TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
1934
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
200,000
400,000
600,000
800,000
USA
China 523,369
Germany 425,105
UK 393,155
Russia 366,716
India 345,369
Italy 245,300
France 221,786
Japan 197,796
Spain 100,078
Indonesia 89,000
72,300
The Great Depression struck
the world in 1929

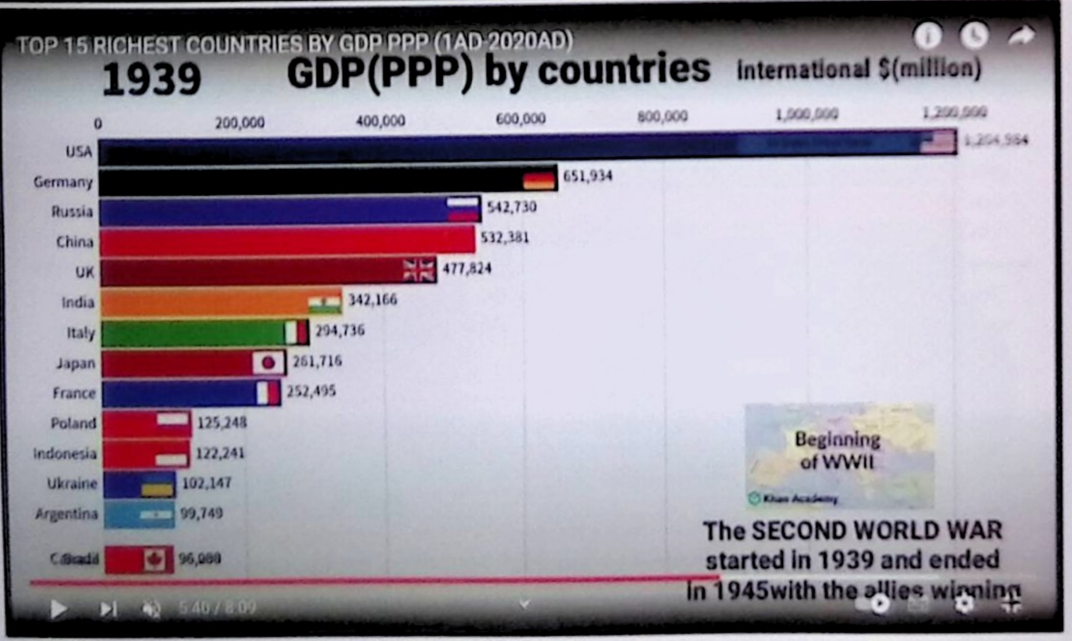
TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
1939
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
USA
Germany 651,934
Russia 542,730
China 532,381
UK 477,824
India 342,166
Italy 294,736
Japan 261,716
France 252,495
Poland 125,248
Indonesia 122,241
Ukraine 102,147
Argentina 99,749
96,988
Beginning of WWII
The SECOND WORLD WAR
started in 1939 and ended

TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
1945
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
USA 2,483,158
Germany 667,688
Russia 520,283
UK 497,150
India 335,243
China 330,529
Japan 271,640
Italy 238,745
France 186,897
Canada 145,955
Argentina 113,814
Brazil 113,085
Spain 100,557
Ukraine 97,381
Beginning of WWII
The SECOND WORLD WAR
started in 1939 and ended
in 1945with the allies winning

TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
1947
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
USA 2,320,000
UK 518,583
Russia 513,000
India 313,250
China 312,750
Germany 287,000
France 231,214
Italy 212,500
Japan 146,040
Canada 144,500
Brazil 126,500
Argentina 124,000
Spain 105,833
India got its Independence
in 1947 from the British.

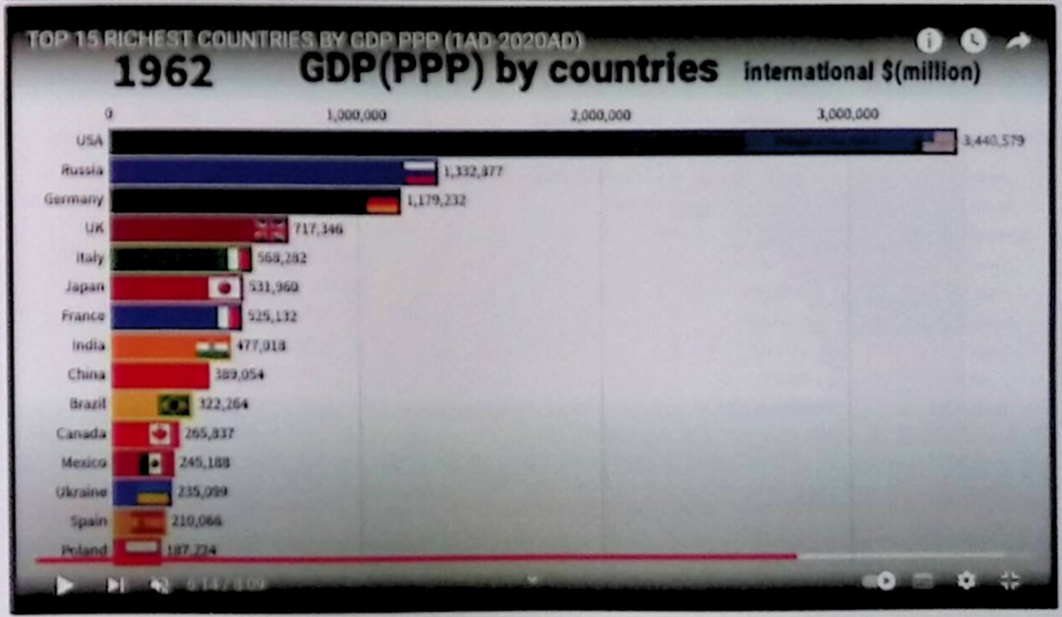
TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
1962
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
USA 3,440,579
Russia 1,332,877
Germany 1,179,232
UK 717,346
Italy 568,282
Japan 531,960
France 525,132
India 477,018
China 389,054
Brazil 322,264
Canada 265,837
Mexico 245,188
Ukraine 235,099
Spain 210,066
Poland 187,224

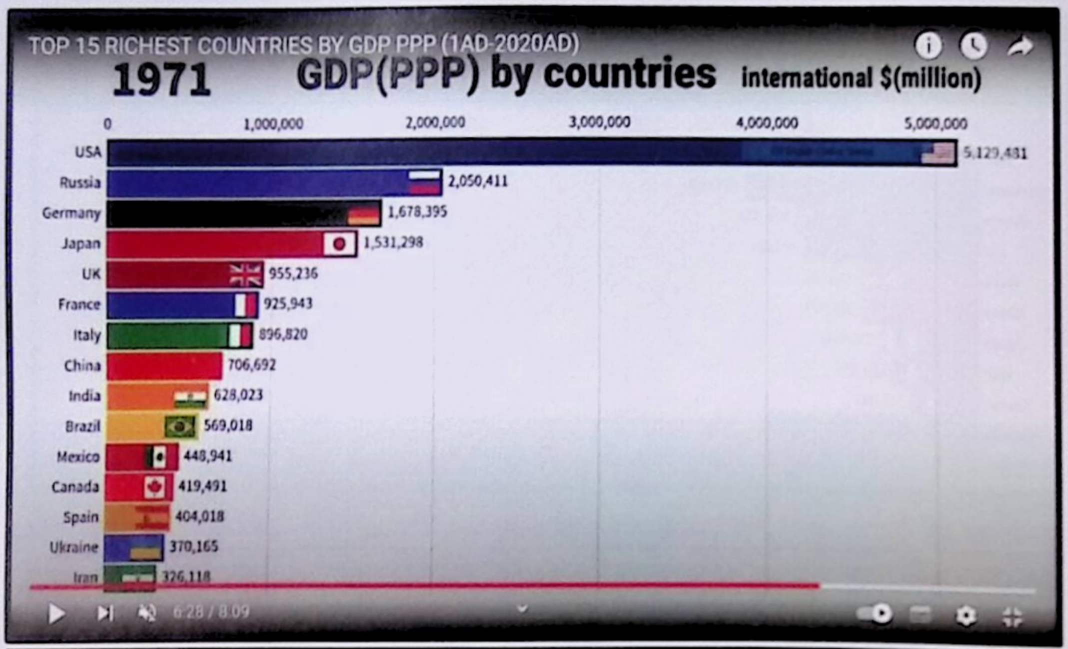
TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
1971
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
USA 5,129,481
Russia 2,050,411
Germany 1,678,395
Japan 1,531,298
UK 955,236
France 925,943
Italy 896,820
China 706,692
India 628,023
Brazil 569,018
Mexico 448,941
Canada 419,491
Spain 404,018
Ukraine 370,165
Iran 326,118
6:28 / 8:09

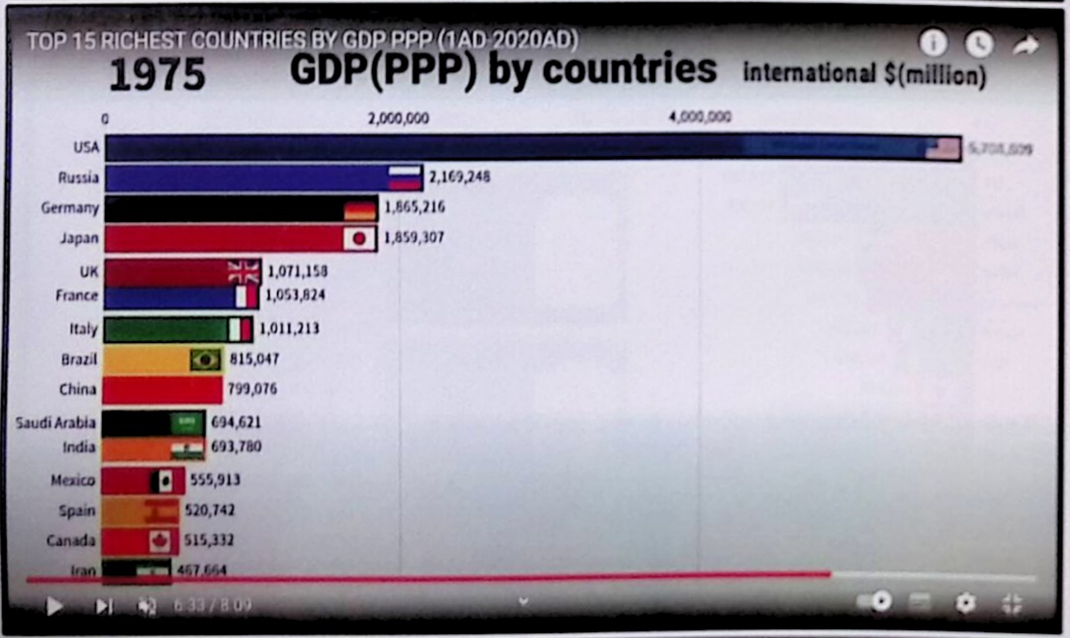
TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
1975
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
2,000,000
4,000,000
USA
Russia 2,169,248
Germany 1,865,216
Japan 1,859,307
UK 1,071,158
France 1,053,824
Italy 1,011,213
Brazil 815,047
China 799,076
Saudi Arabia 694,621
India 693,780
Mexico 555,913
Spain 520,742
Canada 515,332
Iran 467,664
6:33 / 8:09

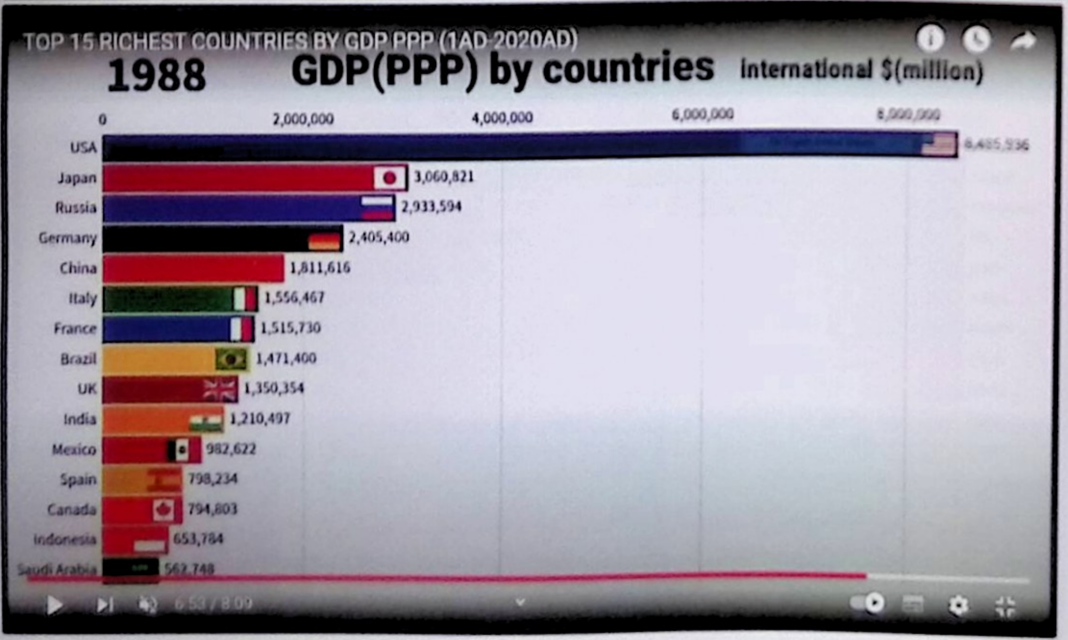
TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
1988
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
USA
Japan 3,060,821
Russia 2,933,594
Germany 2,405,400
China 1,811,616
Italy 1,556,467
France 1,515,730
Brazil 1,471,400
UK 1,350,354
India 1,210,497
Mexico 982,622
Spain 798,234
Canada 794,803
Indonesia 653,784
Saudi Arabia 562,748
6:53 / 8:09

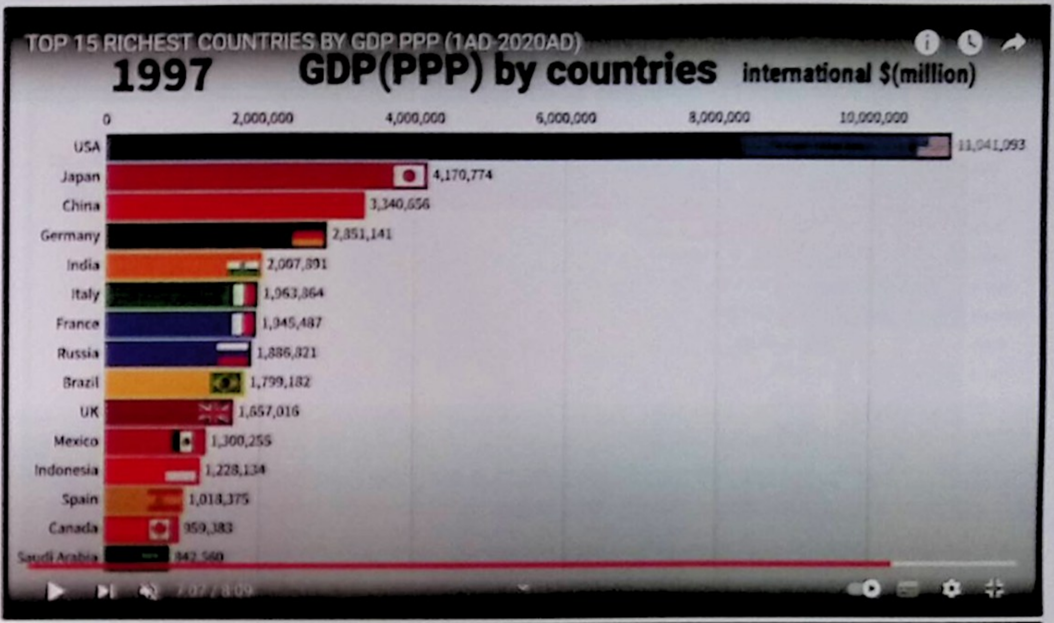
TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
1997
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
USA 11,041,093
Japan 4,170,774
China 3,340,656
Germany 2,851,141
India 2,007,891
Italy 1,963,864
France 1,945,487
Russia 1,886,821
Brazil 1,799,182
UK 1,657,016
Mexico 1,300,255
Indonesia 1,228,134
Spain 1,018,375
Canada 959,383
Saudi Arabia 842,560

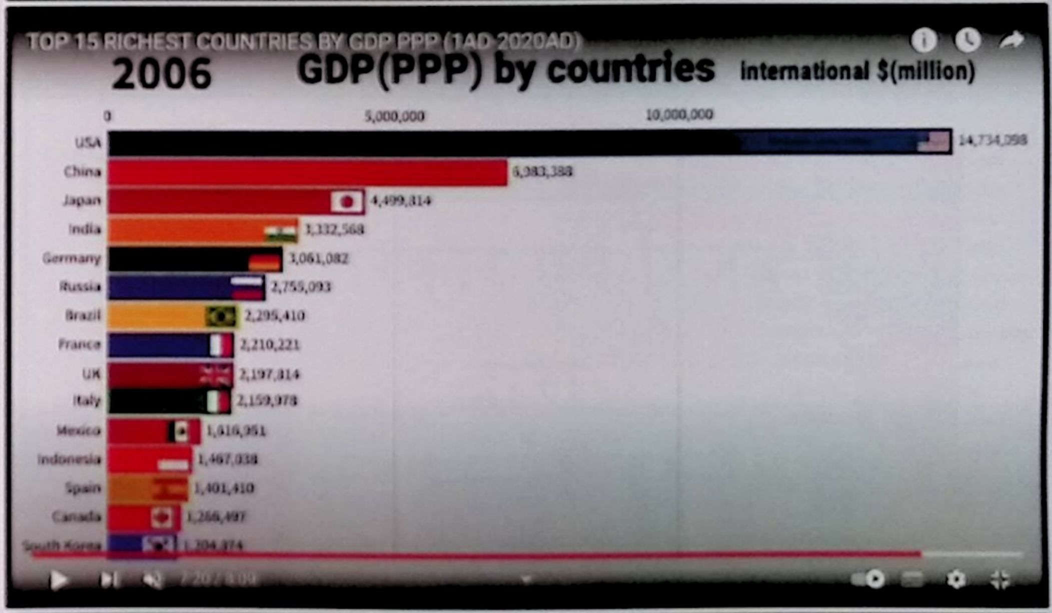
TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
2006
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
5,000,000
10,000,000
USA 14,734,098
China 6,983,388
Japan 4,499,814
India 3,332,568
Germany 3,061,082
Russia 2,755,093
Brazil 2,295,410
France 2,210,221
UK 2,197,814
Italy 2,159,978
Mexico 1,616,951
Indonesia 1,467,038
Spain 1,401,410
Canada 1,266,497

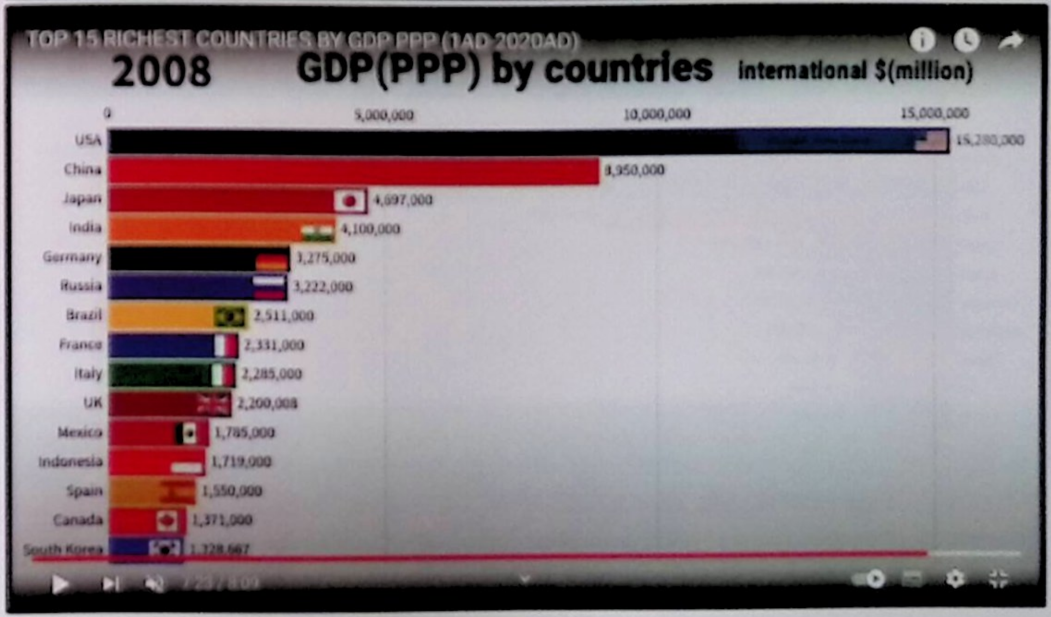
TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
2008
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
USA 15,280,000
China 8,950,000
Japan 4,697,000
India 4,100,000
Germany 3,275,000
Russia 3,222,000
Brazil 2,511,000
France 2,331,000
Italy 2,285,000
UK 2,200,008
Mexico 1,785,000
Indonesia 1,719,000
Spain 1,550,000
Canada 1,371,000
South Korea 1,328,667

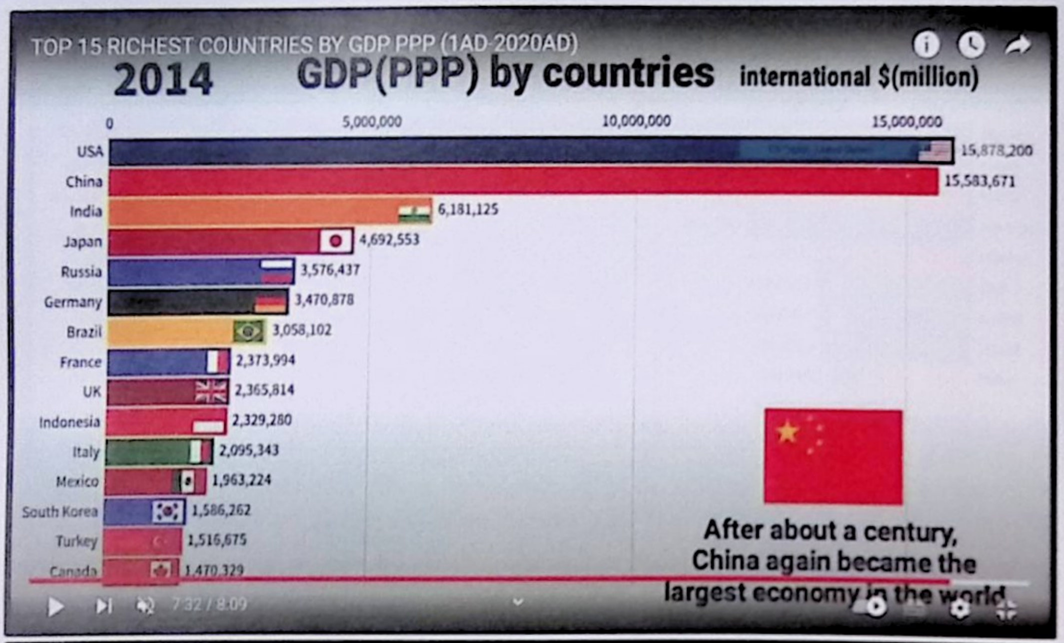

TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
2014
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
USA 15,878,200
China 15,583,671
India 6,181,125
Japan 4,692,553
Russia 3,576,437
Germany 3,470,878
Brazil 3,058,102
France 2,373,994
UK 2,365,814
Indonesia 2,329,280
Italy 2,095,343
Mexico 1,963,224
South Korea 1,586,262
Turkey 1,516,675
Canada 1,470,329
After about a century,
China again became the
largest economy in the world
7:32 / 8:09

TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
2019
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
China 21,809,253
USA 17,676,065
India 8,878,243
Japan 4,935,251
Germany 3,678,006
Russia 3,528,384
Indonesia 2,996,075
Brazil 2,963,776
UK 2,628,195
France 2,513,930
Mexico 2,212,461
Italy 2,075,643
Turkey 1,993,782
South Korea 1,838,899
Saudi Arabia 1,663,098
7:40 / 8:09

TOP 15 RICHEST COUNTRIES BY GDP PPP (1AD-2020AD)
2020
GDP(PPP) by countries
international $(million)
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
China 24,025,000
USA 18,378,480
India 10,024,900
Japan 4,950,000
Russia 3,759,300
Germany 3,716,100
Indonesia 3,370,400
Brazil 3,000,000
UK 2,590,000
France 2,500,000
Mexico 2,281,500
Turkey 2,074,100
Italy 2,017,410
South Korea 1,880,000
Saudi Arabia 1,685,000
7:44 / 8:09

‘सूचना का अधिकार अधिनियम-2005’ के अन्तर्गत भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये सूचना, प्रश्न-उत्तर

आर टी आई रिजर्व बैंक दिनांक 19.06.2015

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी / भारतीय रिजर्व बैंक
मुम्बई - 01

प्रेषक,

घनश्याम वर्मा
जि० - देवरिया (उ०प्र०) - 274701

सूचना का विवरण: प्रार्थी भारत का सम्प्रभुता, रुपया से सम्बन्धित कुछ सूचनाएं चाहता है, अतः जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्नांकित सूचनाएं प्रार्थी को देने की कृपा करें–

1. *भार की मापक किग्रा है, इसका मानक (स्टैन्डर्ड) 1000 ग्राम होता है।
   *दूरी की मापक फीट है, इसका मानक (स्टैन्डर्ड) 12 इंच होता है।
   *समय की मापक मीनट है, इसका मानक (स्टैन्डर्ड) 60 सेकेण्ड होता है।
   ठीक उसी प्रकार
   *मूल्य की मापक रुपया है, इसका मानक (गोल्ड स्टैन्डर्ड) .... क्या होता है ? इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
2. ब्रिटिश सरकार के किस कमीशन द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना किस दिनांक एवं सन् में की गयी ? कमीशन का नाम, स्थापना का दिनांक व सन् की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
3. जिस सिक्के के बदले पेपर करेन्सी जारी किया जा रहा है। उस सिक्के का प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावें।
4. जिस रुपयें से हम सभी लेन–देन करते है, उस रुपयें का विधिक प्रारुप (एक्ट) क्या है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ?
5. 15 अगस्त 1947 को भारतीय रुपया एवं अमेरिकन प्रति डालर की कीमत क्या थी ? सन् 1947 से 31 मार्च 2015 तक प्रत्येक वर्ष भारतीय रुपया करेन्सी का मूल्य प्रति डालर प्रतिवर्ष जितनी कम हुई है, उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
6. आजाद भारत की बैंक "नैशनल बैंक ऑफ आजाद हिन्द लिमिटेड" है या "भारतीय रिजर्व बैंक" इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जायें ?
7. "नैशनल बैंक ऑफ आजाद हिन्द लिमिटेड" की करेन्सी की लेन–देन किसके द्वारा बन्द कराया गया? किस कारण बन्द कराया गया ? किस दिनांक व किस सन् से बन्द है ? इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाए।
   कृपया प्रार्थी को सूचना हिन्दी में ही दी जाए।

दिनांक: 19/06/2015

प्रार्थी

घनश्याम वर्मा

संलग्नक.

1. भारतीय पोस्टल 10रु0 मूल्यका,
   पोस्टल आर्डर सं. ....।

1. " " " – 70C 089560 ५०/– 5/–
2. " " " – 70C 089561 ५०/– 5/–

अनुबंध

आरआईए संख्या – RBIND/R/2015/01813/2 – श्री घनश्याम वर्मा

प्रश्न संख्या	प्रश्न	हमारा उत्तर
2.	ब्रिटिश सरकार के किस कमीशन द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना किस दिनांक एवं सन् मे की गयी? कमीशन का नाम, स्थापना का दिनांक व सन् की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की एक प्रति संलग्न है।
6.	आज़ाद भारत की बैंक नेशनल बैंक ऑफ आज़ाद हिन्द लिमिटेड है या भारतीय रिज़र्व बैंक इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जायें?	प्रश्न स्पष्ट नहीं है तथापि, हम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की एक प्रति संलग्न कर रहे हैं। यह सूचना हमारे वेबसाइट https://rbi.org.in>प्रकाशन>सामयिक> भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम पर उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र

Application under the Right to Information Act, 2005

पंजीकरण सं Registration No.	:	**RBIND/R/2015/01813/1**
आवेदक Applicant	:	**घनश्याम वर्मा**
आवेदन की तारीख Date of application		**19 जून 2015**

सं	विषयवस्तु	सूचना
1	मूल्य की मापक रुपया हैं , इसका मानक (गोल्ड स्टैंडर्ड) क्या होता हैं ? इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।	वांछित सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
3	जिस सिक्के के बदले पेपर करेंसी जारी किया जा रहा है । उस सिक्के का प्रमाणित छायाप्रति एवं उपलब्ध करावे ।	वांछित सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
4	जिस रुपये से हम सभी लेन-देन करते हैं , उस रुपये का विधिक प्रारूप (एक्ट) क्या है , उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे?	वांछित सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
7	"नॅशनल बैंक ऑफ आजाद हिन्द लिमिटेड" की करेंसी की लेन-देन किसके द्वारा बंद कराया गया? किस कारण बंद कराया गया ? किस दिनांक व किस सन से बंद हैं ? इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाए ।	वांछित सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

विबापवि/आरआईए सं. 66 /03.10.019/2015-16 जुलाई 21, 2015

श्री घनश्याम वर्मा,

जिल्हा - देवरिया
उत्तर प्रदेश - 274 701

प्रिय महोदय,

जन सूचना अधिकार अधिनियम- 2005

कृपया उपर्युक्त विषय पर आप अपना दिनांक 19 जून 2015 का प्रधानमंत्री, भारत सरकार को प्रेषित पत्र का संदर्भ लें। आपके पत्र का प्रश्नबिंदु 5 उत्तर के लिए हमारे विभाग को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में हमारा प्रत्युत्तर निम्नानुसार है:

प्रश्न	हमारा प्रत्युत्तर
15 अगस्त 1947 को भारतीय रुपया एवं अमेरिकन प्रति डॉलर की कीमत क्या थी? सन् 1947 से 31 मार्च 2015 तक प्रत्येक वर्ष भारतीय रुपया करेंसी का मूल्य प्रति डॉलर प्रतिवर्ष जितनी कम हुई है, उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।	इस संबंध में हमारे रिकार्ड में वर्ष 1945 से वर्ष 1972 तक की उपलब्ध जानकारी इस पत्र के साथ संलग्न है । वर्ष 1970-71 से वर्ष 2013-14 तक की जानकारी निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: http://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications -> Handbook of Statistics on the Indian Economy -> Part I -> Annual Series -> Trade & Balance of Payments -> Table 147 - EXCHANGE RATE OF THE INDIAN RUPEE VIS-À-VIS THE SDR, US DOLLAR, POUND STERLING, D. M. /EURO AND JAPANESE YEN (Financial Year - Annual Average and End-year Rates) वर्ष 2015 की दैनिक जानकारी निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://www.rbi.org.in/scripts/ReferenceRateArchive.aspx

2

...

कृपया पृष्ठ पलटें

वित्तीय बाजार परिचालन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, पहली मंजिल, मुख्य भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001. भारत
फोन : (91-22) 2261 0642 फैक्स : (91-22) 2263 0981 ई-मेल : cgmfmod@rbi.org.in

Financial Markets Operation Department, Central Office, 1st Floor, Main Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001. India
Tel: (91-22) 2261 0642 Fax: (91-22) 2263 0981 E-mail: cgmfmod@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

XXIV. RAILWAYS—GROSS EARNINGS, WAGON LOADINGS AND TONNAGE LIFTED ‡

	Gross Earnings (Lakhs of Rupees)	No. of Tons Lifted (In thousands)	No. of Wagons Loaded (In Thousands): Coal and coke for the public and for Foreign Railways*	Grains and Pulses*	Oil Seeds*	Cotton*	Total §
	1	2	3	4	5	6	7
1945-46	2,27,45†	93,008†	1,169	612	166	131	7,519†
1946-47	2,02,25†	83,363†	1,133	630	142	126	6,851†
June 1946	17,81	7,110	99	69	8	8	555
July ,,	17,53	7,045	95	53	10	8	563
August ,,	15,89	6,465	91	44	10	9	515
September ,,	15,74	6,399	93	48	9	9	509
October ,,	16,09	6,636	96	49	11	12	500
November ,,	15,74	6,725	87	53	12	17	511
December ,,	16,18	6,717	104	55	20	13	[illegible]
January 1947	16,69	7,625	78	51	7	12	531
February ,,	16,26	6,663	90	52	12	10	[illegible]
March ,,	18,84	7,304	95	49	15	11	[illegible]
April ,,	16,73	6,717	96	63	15	10	541
May ,,	17,59	6,872	93	56	12	8	542
[illegible]	17,09	6,777	95	58	12	8	477
[illegible]	16,94	6,033	98	52	11	8	[illegible]

‡ Relates to Broad and Metre Gauges of Class I Railways. § Including Miscellaneous smalls, Miscellaneous full wagons, and Home line Stores and materials. * Worked out from progressive figures. † Adjusted.

Source: Government of India—Ministry of Transport.

XXV. FOREIGN

Average of working days	Burma	Ceylon	†U.S.A.‡	Canada	London	South Africa	Iraq	Australia	Egypt
	Rs. to 100 Burma Rupees	Rs. to 100 Ceylon Rupees	Rs. to $100	Rs. to $100	s. & d. to Re.	s. & d. to Re.	Rs. to 100 Dinars	s. d. to Rs.	Rs. to £
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1945-46	100[illegible]	100[illegible]	332[illegible]	302	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1333	1—10[illegible]	13[illegible]
1946-47	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	323[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1333	1—10[illegible]	13[illegible]
October 1946	100[illegible]	100[illegible]	332	332[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1333	1—10[illegible]	13[illegible]
[illegible]ber ,,	100[illegible]	100[illegible]	332	332[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1333	1—10[illegible]	13[illegible]
[illegible]ber ,,	100[illegible]	100[illegible]	332	332[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1333	1—10[illegible]	13[illegible]
[illegible]uary 1947	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	332[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1333	1—10[illegible]	13[illegible]
February ,,	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1333	1—10[illegible]	13[illegible]
March ,,	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1333	1—10[illegible]	13[illegible]
April ,,	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1333	1—10[illegible]	13[illegible]
May ,,	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1333	1—10[illegible]	13[illegible]
June ,,	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1333	1—10[illegible]	13[illegible]
July ,,	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1333	1—10[illegible]	13[illegible]
August ,,	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1333	1—10[illegible]	13[illegible]
September ,,	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1333	1—10[illegible]	13[illegible]
October ,,	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1333	1—10[illegible]	13[illegible]
November ,,	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1333	1—10[illegible]	13[illegible]

* Rates as quoted in Bombay. † From [illegible]. ‡ From 5.10.1946.

8

June 1948.

XXV. RAILWAYS—GROSS EARNINGS, WAGON LOADINGS AND TONNAGE LIFT[ED]

	Gross Earnings (Lakhs of Rupees)	No. of Tons Lifted (In thousands)	No. of Wagons Loaded (In Thousands): Coal and coke for the public and for Foreign Railways*	Grains and Pulses*	Oil-Seeds*	Cotton*
	1	2	3	4	5	6
1945-46	2,27,45†	93,068†	1,159	612	486	131
1946-47	2,02,25†	83,363†	1,133	630	142	126
November 1946	15,74	6,725	87	53	12	12
December	16,19	6,717	104	55	20	13
January 1947	16,69	7,025	78	51	7	12
February	16,26	6,863	90	52	12	10
March	18,84	7,304	95	49	16	11
April	18,73	6,717	96	53	15	10
May	17,59	6,872	98	56	12	9
June	17,09	6,777	97	58	12	8
July	16,94	6,633	98	53	11	8
August**	11,64 @	5,369 ¶	..	..	..	..
September	11,39 @	5,443	..	..	..	..
October	11,13	5,214	80	34	8	8
November	11,58	5,421	88	29	10	7
December	12,33	5,540	91	30	10	9

‡ Relates to Broad and Metre-Gauges of Class I Railways. * Worked out from progressive figures. § Inc[luding] Miscellaneous smalls, Miscellaneous full wagons, and Home line Stores and materials. † Adjusted. ** Figure[s] [from] August 1947 exclude E. P. and Assam Railways. @ Excluding B. A., N. W. & Jodhpur-Hyderabad (British Section) Rail[ways]. ¶ Excluding B. A. and N. W. Railways. †† Excluding B. A. and N. W. Railways from 1st to 14th.

Source: Government of India—Ministry of Railway[s]

XXVI. FOREIGN [EXCHANGE RATES]

Average of working days	Burma Rs. to 100 Burma Rupees	Ceylon Rs. to 100 Ceylon Rupees	U.S.A. Rs. to $100	Canada Rs. to $100	London S. & d. to Re.	South Africa S. & d. to Re.	Iraq Rs. to 100 Dinars	Australia S. & d. to Re.	Egypt Rs. to [illegible]
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1946-47	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	333[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1338	1—10[illegible]	13[illegible]
1947-48	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1338	1—10[illegible]	13[illegible]
March 1947	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1338	1—10[illegible]	13[illegible]
April ..	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1338	1—10[illegible]	13[illegible]
May ..	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1338	1—10[illegible]	13[illegible]
June ..	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1338	1—10[illegible]	13[illegible]
July ..	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1338	1—10[illegible]	13[illegible]
August ..	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1338	1—10[illegible]	13[illegible]
September ..	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1338	1—10[illegible]	13[illegible]
October ..	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1338	1—10[illegible]	13[illegible]
November ..	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1338	1—10[illegible]	13[illegible]
December ..	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1338	1—10[illegible]	13[illegible]
January 1948	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1338	1—10[illegible]	13[illegible]
February ..	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1338	1—10[illegible]	13[illegible]
March ..	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1338	1—10[illegible]	13[illegible]
April ..	100[illegible]	100[illegible]	331[illegible]	331[illegible]	1—5[illegible]	1—5[illegible]	1338	1—10[illegible]	13[illegible]

* Selling Rates for T. T's in Bombay.

XXXII. FOREIGN EXCHANGES *

Average of working days	Burma Rs. to 100 Burma Rupees	Ceylon Rs. to 100 Ceylon Rupees	U.S.A. Rs. to $100	Canada Rs. to $100	London S. & d. to Re.	South Africa S. & d. to Re.	Iraq Rs. to 100 Dinars	Australia S. & d. to Re.	Egypt Rs. to £	East Africa Rs. to 100 Shillings	Hong-kong Rs. to $100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1948-49 ..	100	100	331	331	1—5	1—5	1338	1—10	1331	67	84
1949-50 ..	100	100	407	384	1—5	1—5	1335	1—10	[illegible]	67	83
March 1949	100	100	331	331	1—5	1—5	1338	1—10	1331	67	84
April ..	100	100	331	331	1—5	1—5	1338	1—10	1331	67	84
May ..	100	100	331	331	1—5	1—5	1338	1—10	1331	67	83
June ..	100	100	331	331	1—5	1—5	1338	1—10	1331	67	83
July ..	100	100	331	331	1—5	1—5	1335	1—10	1331	67	83
August ..	100	100	331	331	1—5	1—5	1338	1—10	[illegible]	67	83
September ..	100	100	382	367	1—5	1—5	1335	1—10	[illegible]	67	83
October ..	100	100	477	434	1—5	1—5	1338	1—10	[illegible]	67	83
November ..	100	100	477	434	1—5	1—5	1338	1—10	[illegible]	67	83
December ..	100	100	477	434	1—5	1—5	1338	1—10	[illegible]	67	83
January 1950	100	100	477	434	1—5	1—5	1338	1—10	[illegible]	67	83
February ..	100	100	477	434	1—5	1—5	1333	1—10	[illegible]	67	83
March ..	100	100	477	434	1—5	1—5	1339	1—10	[illegible]	67	83
April ..	100	100	477	434	1—5	1—5	1338	1—10	[illegible]	67	83

XXXII. FOREIGN EXCHANGES * (contd.)

Average of working days	Malaya Rs. to $100	Switzerland Francs to Rs. 100	France Francs to Rs. 100	Belgium Francs to Rs. 100	Netherlands Florin to Rs. 100	Norway Kroner to Rs. 100	Sweden Kronor to Rs. 100	Denmark D. Kroner to Rs. 100	Philippines Rs. to Pesos 100	London on New York $ to £	New York on London
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1948-49 ..	157	129	7035	1310	79	145	107			4.02	4.03
1949-50 ..	156	109	7040	1168	79	145	107	144	201	3.35	3.60
March 1949	157	129	7560	1310	79	145	107	144	165	4.02	4.03
April ..	157	129	7686	1310	79	145	107	144	165	4.02	4.03
May ..	157	129	8100	1310	79	145	107	144	165	4.02	4.03
June ..	157	129	8100	1310	79	145	107	144	165	4.02	4.03
July ..	156	129	8100	1310	79	145	107	144	165	4.02	4.03
August ..	156	129	8100	1310	79	145	107	144	165	4.02	4.03
September ..	158	115	7802	1216	79	145	107	144	172	3.60	[illegible]
October ..	156	90	7250	1038	78	145	107	144	235	2.79	2.80
November ..	156	90	7250	1038	78	145	107	144	235	2.79	2.80
December ..	156	90	7250	1038	78	145	107	144	235	2.79	2.80
January 1950	156	90	7250	1038	78	145	107	144	235	2.79	2.80
February ..	156	90	7250	1038	78	145	107	144	235	2.79	2.80
March ..	156	90	7250	1038	78	145	107	144	235	2.79	2.80
April ..	156	90	7250	1038	78	145	107	144	235	2.79	2.80

* Selling Rates for T.T.'s in Bombay.

Source: Bombay Exchange Banks' Association.

1965

90 RESERVE BANK OF INDIA BULLETIN January 1965

No. 13—FOREIGN EXCHANGE RATES

Average of working day	Canada $	U.S.A. $	Hong kong $	Malaya $	Belgium Francs	Denmark Kroner	France Francs	Italy[2] Lire	Netherlands[3] Guilders	Norway Kroner	Sweden Kronor	Japan[4] Yen	Switzerland Francs	W. Germany[5] Mks.	London on New York
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Rs. to 100 units of foreign currency		Units of foreign currency to Rs. 100												$ to £
1951-52	462·63	478·10	119·40	63·63	1038	143 [illegible]	7263 [illegible]		73 [illegible]	148 [illegible]	107 [illegible]		90 [illegible]		2.79
1955-56	483·13	478·98	120·39	63·60	1038 [illegible]	143 [illegible]	7300 [illegible]	13071 [illegible]	73 [illegible]	143 [illegible]	108 [illegible]		92 [illegible]	87 [illegible]	2.79
1956-57	493·75	479·22	120·48	64·09	1040 [illegible]	144 [illegible]	7323 [illegible]	13069 [illegible]	73 [illegible]	143 [illegible]	107 [illegible]		91 [illegible]	87 [illegible]	2.79
1957-58	487·16	478·42	120·63	64·16	1042 [illegible]	144 [illegible]	7233 [illegible]	13039	73 [illegible]	143 [illegible]	108 [illegible]		91 [illegible]	87 [illegible]	2.79
1958-59	493·76	476·34	120·63	64·08	1037 [illegible]	144 [illegible]	3788 [illegible] / 102 [illegible]	12996 [illegible]	73 [illegible]	143 [illegible]	108 [illegible]		91	87 [illegible]	2.80
1959-60	501·04	476·60	119·96	63·89	1049·23	144·42	102·60	12981·06	73·00	143·43	108·40		90·57	87.45	2.80
1960-61	488·66	476·82	119·69	63·37	1041.10	144·44	102·41	12984·74	77·01 / 75·93	143·47	108·20	7564.54	90·36	87.35 / 82.60	2.80
1961-62	466·99	477·20	119·34	63·98	1040.74	144·46	102·65	12972·10	75·35	149·45	108·19	7581.66	90·41	82.46	2.80
1962-63	446·41	477·20	119·61	63·91	1036.30	144·60	102·56	12971·70	75·29	149·56	108·03	7563.12	90·10	82.67	2.80
1963-64	445·41	478·29	119·31	63·93	1036.57	144·26	102·28	12969·56	75·17	149·12	108·30	7567.57	90·00	83·07	2.79
December 1963	446·79	478·57	119·60	63·80	1037.80	144·03	102·19	12960·36	75·10	149·41	108.49	7583.08	90·01	82·90	2.80
January 1964	445·10	476·37	119·60	63·80	1037·58	144·30	102·30	12970·60	75·10	149·43	108·36	7580.36	90·09	82·99	2.79
February ..	445·42	478·59	119·60	63·80	1037.13	144·42	102·10	12970·53	75·19	149·51	108·21	7580.81	90·22	82·87	2.79
March ..	445·17	478.50	119·60	63.30	1037.23	144·16	102·26	13001·00	75·24	149·47	107·48	7589.74	90.30	82·82	2.79
April ..	445·69	478·32	119·60	63·93	1037.04	144·14	102·31	13072·15	75·13	149·14	107·37	7583.00	90·24	82·99	2.79
May ..	444·73	478·19	119·60	64·10	1037.00	144·20	102·35	13031·30	75·41	149·34	107·32	7587.82	90·10	82·90	2.79
June ..	445·46	478·98	119·60	64·10	1037.00	144·16	102·14	13009·79	75·42	149·16	107·09	7583.32	89·94	82·81	2.79
July ..	448·92	479·77	119·60	64·10	1034·44	144·00	102·03	12968·70	75·22	149·04	107·05	7570·04	89·92	82·70	2.79
August ..	447·33	480·28	119·60	64·10	1031.57	144·07	101·59	12972·17	75·09	148·95	106·83	7544·19	89·79	82·65	2.78
September ..	449·05	480·33	119·60	64·10	1029·06	143·94	101·30	12956·20	74·91	148·87	106·69	[illegible]	89·67	82·55	2.78
October ..	449·45	480·94	119·60	64·00	1025.50	143·97	101·78	12955·30	74·77	148·80	107·16	7526.50	89·60	82.53	2.759
November ..	449·72	480·09	119·60	63·76	1023.12	144·07	101·31	12981·38	74.60	145·98	107·30	7499.29	89·63	82·57	2.784
December ..	448·62	479·70	119·60	63·90	1030·0	144·03	102·04	12997·00	74·75	149·00	107·09	7504·72	89·50	82·70	2.79

Country	Currency 1	Present rate 2	Date effective 3
Burma ..	Kyats to Rs. 100	99·50	10-6-1963
Ceylon ..	C. Rs. to Rs. 100	99·69	4-1-1960
E. Africa ..	Rs. to 100 Sh.	67·13	26-9-1941
Egypt ..	Rs. to £	13·81	April 1942
Iraq ..	Rs. to 100 Dinars	1333·00	21-9-1949
Pakistan ..	P. Rs. to Rs. 100	99·00	31-1-1951
Australia ..	S. & d. to Re.	1-10[illegible]	21-9-1948
London ..	S. & d. to Re.	1-6[illegible]	19-9-1949
New Zealand ..	S. & d. to Re.	1-6[illegible]	Oct. 1949
S. Africa ..	S. & d. to Re.	1-6[illegible]	7-1-1952
New York on London ..	$ to £	2·80	18-12-1931

Effective Buying Rates of Sterling bills (per cent per annum) —delivery upto 4th month*	Present rate	Date effective
90 days sight	9.01	27-11-1964
180 days sight	7.36	27-11-1964

*Rate is the actual interest charge paid by the trader and higher rates are charged for bills submitted after longer period as the fifth, sixth and later months.

Note :—Authorised Dealers' selling rates for T. T.'s in Bombay; the rates for all the currencies except for London/New York were obtained from Bombay Exchange Banks' Association and were fixed by them upto June 14, 1955 when individual Authorised Dealers were given freedom to quote their own rates for currencies other than U. S. Dollar, Canadian Dollar, Pakistan Rupee and U. K. Sterling. The freedom was extended to U.S. and Canadian Dollars from September 3, 1956 and to Pakistan Rupee from September 2, 1958. [1] Franc devaluation December 27, 1958; subsequent rates relate to 'Heavy Franc'. [2] From September 21, 1955. [3] Guilders revalued on March 7, 1961. [4] From February 4, 1961. [5] From April 5, 1954. Marks revalued on March 6, 1961.

Source:—For current data, P. & C. Ltd., and Shuttleworth & Brew

No. 20—FOREIGN EXCHANGE RATES §

Average of working days	Canada $ 1	U.S.A. $ 2	Hongkong[1] $ 3	Malaysia $ 4	Singapore[2] $ 5	Belgium Francs 6	Denmark[3] Krone 7	France[4] Francs 8	Italy Lire 9	Netherlands[5] Guilders 10	Norway Krone 11	Sweden Krona 12	Japan[6] Yen 13	Switzerland[7] Francs 14	W. Germany[8] Mkt. 15	London on New York[9] 16
	Units of foreign currency to Rs. 100															$ to £
1960-61 ..	20·47	20·97	119·69	63·82		1041·40	144·44	102·41	12984·74	79·01 / 74·92	149·47	108·20	7504·64	90·34	87·26 / 83·66	2·8071
1965-66 ..	22·41	20·90	120·07	63·97		1034·19	144·30	102·31	13021·07	76·22	149·29	107·54	7537·03	90·33	83·82	2·7976
1966-67 ..	22·35	20·86	120·10	64·00		1036·43	144·00	102·12	12992·14	76·59	149·20	107·45	7531·76	90·05	83·65	2·7912
	14·10	13·20	76·91	40·46		666·06	91·13	64·96	8316·14	47·68	94·26	67·88	4784·15	56·96	52·45	
1967-68 ..	14·22	13·22	76·00 / 80·85	39·15	38·80	654·03	91·28 / 99·02	64·86	8239·64	47·50	94·41	68·12	4700·70	57·14	52·57	2·7883 / 2·4071
1968-69 ..	14·06	13·12	80·29	40·15	40·16	664·92	98·40	64·81	8170·66	47·47	93·72	67·79	4720·17	56·48	52·36	2·3894
1969-70 ..	14·06	13·26	80·36	40·31	40·31	656·74	99·09	65·36 / 73·32	8262·10	47·75	94·29	68·15	4726·33	56·79	52·57 / 48·67	2·3933
1970-71 ..	13·47	13·23	80·30	40·55	40·56	653·27	99·03	72·91	8246·62	47·58	94·37	68·45	4731·16	56·57	47·83	[illegible]
May 1971	13·36	13·33	80·30	40·58	40·58	654·39	99·55	73·48	8274·35	47·02	94·62	68·72	4762·96	57·30 / 54·30	46·36	2·4187
December ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2·5256
January 1972	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	[illegible]
February ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2·6036
March ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2·6133
April ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2·6100
May ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2·6126

Country	Currency 1	Average rate for May 1972 2
Ceylon ..	C. Rs. to Rs. 100	..
Australia ..	$A. to Rs. 100	..
London ..	£ to Rs. 100	5·26
Kenya† ..	Sh. to Rs. 100	..
Uganda† ..	Sh. to Rs. 100	..
Tanzania† ..	Sh. to Rs. 100	..
Iraq ..	Dinars to Rs. 100	..
New Zealand ..	$ N.Z. to Rs. 100	..
S. Africa ..	Rands to Rs. 100	..

Effective Buying Rates of Sterling bills (per cent per annum) —delivery upto 4th month*	[illegible]	[illegible]
90 days sight	7·51@	19-4-1971
180 days sight	7·41@	19-4-1971

* Rate is the actual interest charge paid by the trader and higher rates are charged for bills submitted after longer period say the fifth and sixth month.

Note :—Authorised Dealers' selling rates for T. T.s in Bombay.

§ Indian rupee devalued on June 6, 1966.

[1] Hongkong dollar devalued on November 18, 1967 and subsequently revalued on November 22, 1967. [2] From June 22, 1967. [3] Krone devalued on November 21, 1967. [4] French Franc devalued on August 11, 1969. [5] Guilders revalued on March 7, 1961. [6] From February 4, 1961. [7] Swiss Franc revalued on May 10, 1971. [8] Mark revalued on March 6, 1961 and October 27, 1969. [9] Pound Sterling devalued on November 18, 1967.

† The currency issued by East African Currency Board has been replaced by Kenya Shilling, Uganda Shilling and Tanzania Shilling. East African Currency Board notes ceased to be legal tender on September 14, 1967.

@ Upto August 16, 1971. The rates for the subsequent period are not available.

Source : P.T.I. Ltd., and Shuttleworth & Brett

<u>अनुलग्नक</u>

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग को प्रस्तुत अपील
अपील सं CIC/MP/A/2015/002163
अपीलकर्ता : घनश्याम वर्मा
सुनवाई की तारीख :13 जनवरी 2017

अपीलकर्ता द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग को संबोधित दिनांक 13-1-2017 में के पत्र में उल्लिखित प्रश्नों के बारे में स्पष्टीकरण

प्रश्न सं	*विषयवस्तु*	*स्पष्टीकरण*
1	यह कि किलोग्राम भार की मापक है, इसका मानक स्टैंडर्ड 1000 ग्राम होता है। फीट दूरी की मापक है। इसका मानक स्टैंडर्ड 12 इंच होता है। मिनिट समय की मापक है। इसका मानक स्टैंडर्ड 60 सेकंड होता है। उसी संदर्भ में भारतीय रुपया मूल्य की मापक है। उसका वास्तविक मानक क्या है, तथा क्या भारतीय रुपये के मूल्य का कोई गोल्ड स्टैंडर्ड है ? जब कि पूर्व में वर्णित सभी मानक का एक निश्चित एवं अपरिवर्तनीय मान है।	भारतीय रुपया (इंडियन नेशनल रूपी) का मूल्य दशमलव स्टैंडर्ड (जिसका अवलंब सन 1957 से शुरू हुआ) के अनुसार 100 पैसे है। इस संबंध में गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र में आस्ति तथा देयता के विषय में विस्तुत जानकारी (जिसमे गोल्ड भी शामिल है) , जो हमारी वैबसाइट www.org.in पर निम्न लिंक पर उपलब्ध है – प्रकाशन > वार्षिक> वार्षिक रिपोर्ट>वार्षिक रिपोर्ट-पूर्ण दस्तावेज़>XI.2015-2016 के लिए बैंक का लेखा
2	अपिलार्थी " नैशनल बैंक ऑफ आज़ाद हिन्द लिमिटेड" जिसकी स्थापना नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा 5 अप्रैल 1944 में की गयी थी के संबंध में सूचना के रूप में जानकारी उपलब्ध करायें।	वांछित जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नहीं है।

<u>केंद्रीय सूचना आयोग को सादर प्रस्तुत</u>

प्रेषक –
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
मुद्रा प्रबंध विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक , केंद्रीय कार्यालय, अमर भवन , 4 थी मंजिल,
फोर्ट, मुंबई 400001
ई –मेल : cgmincdcm.rbi.org.in

आर टी आई वित्त मंत्री भारत सरकार दिनांक 19.06.2015

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी/वित्त मंत्री महोदय,
भारत सरकार, नई-दिल्ली

प्रेषक,

घनश्याम वर्मा

..., जि०-देवरिया (उ०प्र०)-274701

सूचना का विवरण: प्रार्थी भारत की सम्प्रभुता, रुपया से सम्बन्धित कुछ सूचनाएं चाहता है, अतः जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्नांकित सूचनाएं प्रार्थी को देने की कृपा करें–

1. *भार की मापक किग्रा है, इसका मानक (स्टैन्डर्ड) 1000 ग्राम होता है।
   *दूरी की मापक फीट है, इसका मानक (स्टैन्डर्ड) 12 इंच होता है।
   *समय की मापक मीनट है, इसका मानक (स्टैन्डर्ड) 60 सेकेण्ड होता है।
   ठीक उसी प्रकार
   *मूल्य की मापक रुपया है, इसका मानक (गोल्ड स्टैन्डर्ड) ________ क्या होता है ? इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
2. ब्रिटिश सरकार के किस कमीशन द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना किस दिनांक एवं सन् में की गयी ? कमीशन का नाम, स्थापना का दिनांक व सन् की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
3. जिस सिक्के के बदले पेपर करेन्सी जारी किया जा रहा है। उस सिक्के का प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावें।
4. जिस रुपयें से हम सभी लेन–देन करते है, उस रुपयें का विधिक प्रारुप (एक्ट) क्या है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ?
5. 15 अगस्त 1947 को भारतीय रुपया एवं अमेरिकन प्रति डालर की कीमत क्या थी ? सन् 1947 से 31 मार्च 2015 तक प्रत्येक वर्ष भारतीय रुपया करेन्सी का मूल्य प्रति डालर प्रतिवर्ष जितनी कम हुई है, उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
6. आजाद भारत की बैंक "नैशनल बैंक ऑफ आजाद हिन्द लिमिटेड" है या "भारतीय रिजर्व बैंक" इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जायें ?
7. "नैशनल बैंक ऑफ आजाद हिन्द लिमिटेड" की करेन्सी की लेन–देन किसके द्वारा बन्द कराया गया? किस कारण बन्द कराया गया ? किस दिनांक व किस सन् से बन्द है ? इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाए।
   कृपया प्रार्थी को सूचना हिन्दी में ही दी जाए।

दिनांक: 19/06/2015

प्रार्थी
घनश्याम वर्मा

संलग्नक.

1. भारतीय पोस्टल 10रु0 मूल्यका,
   पोस्टल आर्डर सं. ....।

1- " "-70C089566 मुल्य 5/-80
2 " "-70C089567 मुल्य 5/-10

सं. 2(1)/2015-ईडीएमयू
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई)

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
दिनांक 31 जुलाई, 2015

विषय: श्री घनश्याम वर्मा की ओर से प्राप्त दिनांक 19.06.2015 का आरटीआई आवेदन ।

यह आवेदन श्री घनश्याम वर्मा की ओर से दिनांक 30 जुलाई, 2015 के पत्र सं. 24(1)/(7)/ आ.प्र./2015 द्वारा आर्थिक प्रभाग की समन्वय इकाई के माध्यम से प्राप्त किए गए आरटीआई आवेदन के संदर्भ में है।

आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना आर्थिक कार्य विभाग के विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई के कार्य-क्षेत्र में नहीं आती है। अतः इस इकाई से सूचना शून्य मानी जाए। इस आरटीआई आवेदन को पहले ही सभी संबंधित एजेंसियों को अग्रेषित कर दिया गया है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

श्री आर. सतीश
अपर आर्थिक सलाहकार
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
कमरा नं. 56, नार्थ ब्लाक
नई दिल्ली 110001

जे. के. राठी
(जे. के. राठी)
सहायक सलाहकार

श्री घनश्याम वर्मा
[illegible]
जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश-274701

सं.6/1/2015- करेंसी- I
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(करेंसी -I)

*****

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
दिनांक 30 जुलाई, 2015

सेवा में,

श्री घनश्याम वर्मा,
[illegible]
[illegible]
उत्तर प्रदेश, पिन- 274701

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी।

महोदय,

मुझे आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए आपके दिनांक 24.06.2015 के आरटीआई आवेदनों का उल्लेख करना है जो व्यय विभाग और प्रधानमंत्री कार्यालय से स्थानांतरित होकर अधोहस्ताक्षरी को 29.6.2015 और 02.07.2015 को प्राप्त हुए हैं।

2. आपके आवेदन के बिंदु 1, 4, और 7 के संदर्भ में उत्तर निम्नानुसार है:-

अधोहस्ताक्षरी सीपीआईओ के पास विनिमय माध्यम के रूप में सोने के सिक्के के मानक अथवा डॉलर के प्रयोग के मानक हेतु विधिक प्ररूप की किसी वैध मुद्रा का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

3. कृपया इस संदर्भ में ध्यान दें कि इस अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान की जा सकती है जो उपलब्ध और विद्यमान होती है और सरकारी प्राधिकारी के पास अथवा उनके नियंत्रणाधीन होती है। जन सूचना अधिकारी के लिए ऐसी सूचना सृजित करना अपेक्षित नहीं है जो सरकारी प्राधिकरण के रिकार्ड का हिस्सा नहीं है।

यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आप निम्नलिखित को अपील कर सकते हैं:-

श्री जी. पार्थसारथी,
उप सचिव एवं अपीलीय प्राधिकारी,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
कमरा सं. 241-सी, नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-1 (दूरभाष सं.- 23092300)

भवदीया,

ईप्सिता मित्रा

(ईप्सिता मित्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: (011) 23092707

प्रतिलिपि:-
आरटीआई प्रकोष्ठ, आर्थिक कार्य विभाग को दिनांक 26.6.2015 की आईडी संख्या 2/131403/2015 तथा दिनांक 01.07.2015 की आईडी सं. 2/133241 के संदर्भ में।

आर टी आई रिजर्व बैंक दिनांक 15.07.2015

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी/भारतीय रिजर्व बैंक

मुम्बई-01

प्रेषक,

घनश्याम वर्मा

जि0- देवरिया (उ0 प्र0)-274701

<u>सुचना का विवरण:</u> प्रार्थी "भारतीय रिजर्व बैंक" से सम्बधित कुछ सूचनाएं चाहता है,

अत: जन सुचना अधिकार 2005 के अन्तर्गत निम्नांकित

सुचनाएं प्रार्थी को देने की कृपा करे-

1. महात्मा गांधी की फोटो,बैंक-नोटो(रूपये) पर किस दिनांक व सन् से लग रहे है ? गाँधी जी की फोटो लगाने का आदेश किसके द्वारा किस दिनांक व सन् मे दिया गया ? इसका प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्द्ध करावें।
2. भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्द्ध करावें ?
3. क्वायनेज एक्ट-1906, (भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906)के मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्द्ध करावें ?

कृप्या प्रार्थी को सूचना हिन्दी में ही दी जाए।

दिनांक: 15-07-2015

प्रार्थी

घनश्याम वर्मा

संलग्नक.

1. भारतीय पोस्टल 10रू0 मूल्य का,

पोस्टल आर्डर सं. 31F 885545.........।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र

Application under the Right to Information Act, 2005

पंजीकरण सं. Registration No.	:	***RBIND/R/2015/02234***
आवेदक Applicant	:	***घनश्याम वर्मा***
आवेदन की तारीख	:	***15 जुलाई 2015***

सं.	विषयवस्तु	सूचना
1	महात्मा गांधी की फोटो बैंक नोटों (रुपये) पर किस दिनांक व सन से लग रहे हैं ? गांधीजी के फोटो लगाने का आदेश किसके द्वारा किस दिनांक व सन में दिया गया ? इसका प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे ।	उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, वर्तमान में प्रचलित महात्मा गांधी शृंखला के बैंकनोट(जिन में वाटरमार्क में तथा बैंक नोटों के दाहिने तरफ महात्मा गांधी का चित्र मुद्रित हुआ हैं), निम्न अनुसार क्रमिक रूप से जारी किए गए- **मूल्यवर्ग** — **कब जारी किए** रु. 5 — नवंबर 2001 रु. 10 — 13-6 1996 रु 20 — 24-8-2001 रु 50 — 14-3-1997

P

सं.	विषयवस्तु	सूचना
		रु 100 4-6-1996 रु500 20-10-1997 रु 1000 9-10-2000 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 25 के तहत बैंकनोटों की डिजाईन, रुप और सामग्री ऐसी हो जो बैंक की केंद्रीय बोर्ड द्वारा की गयी सिफारिशों पर विचार करने के बाद केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की हुई हो । बैंकनोटो पर वाटरमार्क एरिया में महात्मा गांधी का चित्र मुद्रित करने की तथा बैंक नोटों के दाहिने तरफ भी यह चित्र मुद्रित करने की सिफारिश केंद्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की दिनांक 15 जुलाई 1993 एवं 13 जुलाई 1994 को संपन्न बैठक में क्रमशः की गयी । यह निर्णय केंद्रीय सरकार के द्वारा लिया गया। उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त के उध्दरण की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है (अनुलग्नक 1 और 2)(पत्र दिनांक 3-8-1993 और

२

3

सं.	विषयवस्तु	सूचना
		20.7.1994 क्रमशः)@ केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुमति पत्र , इत्यादि की प्रति हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
2	भारतीय स्वतन्त्रता (केंद्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन)आदेश 1948 की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे?	यह विषयवस्तु भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यक्षेत्र के बाहर हैं । सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं ।
3	क्वाइनेज एक्ट -1906 (भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम,1906)के मूल दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे ?	प्रस्तुत अधिनियम केंद्रीय सरकार द्वारा पारित किया गया था । सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत यह विषयवस्तु निम्न लोक प्राधिकारी को अंतरित किया गया है - *श्री पंकज गुप्ता* *अवर सचिव(सिक्का व एमपीएमसी)* *केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी* *भारत सरकार* *वित्त मंत्रालय* *आर्थिक कार्य विभाग* *कक्ष सं 63* *नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली 110001*

*संलग्नक-2

R

RBIND/R/2015/02234
अनुलग्नक - 1

Memorandum - 3 AUG 1993

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE.
(Secretary's Department) BOMBAY NO. 1.

TO The Chief Officer,
Department of Currency Management,
Reserve Bank of India,
Central Office,
Bombay.

Extract from the Minutes of the meeting of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India held on Thursday, July 15, 1993 at the Reserve Bank of India, Madras

12. <u>Proposed new family of notes of reduced sizes</u>

After considering the Executive Director's Memorandum dated July 8, 1993 on the above subject, the Board passed the following resolution.

RESOLVED

That the proposal contained in the Executive Director's Memorandum dated July 8, 1993 to introduce the new family of notes of reduced sizes in denominations Rs.10/-, Rs.20/-, Rs.50/-, Rs.100/- and Rs.500/- be and is hereby approved.

R

सचिव/Secretary
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

RBIND/R/2015/02234

अनुलग्नक- 2

SYD.No.302/020502-9

Memorandum

July 20, 1994
Aashadha 29, 1916 (S)

FROM
RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
(Secretary's Department) BOMBAY No. 1.

TO The Chief Officer,
Department of Currency Management
Reserve Bank of India,
Central Office, Bombay.

Extract from the Minutes of the meeting of the Central Board of Directors held on Wednesday, July 13, 1994 at Reserve Bank of India, Madras.

11. Developments in the Introduction of a New Family of Notes

The Board considered the Executive Director's Memorandum dated July 4, 1994 on the above subject and passed the following resolution :

RESOLVED

that the Executive Director's Memorandum dated July 4, 1994 on the 'Developments in the introduction of new family of notes' be, and is hereby recorded.

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

Urgent/RTI Matters

File No. 12/01/2015- Coin-/575
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(C&C Division)
****

North Block, New Delhi
Dated the 01st September, 2015

To

Shri Ghanshyam Verma,
[redacted]

Sub: Information sought under RTI Act, 2005.

Sir,

I am directed to refer to your application dated 15.07.2015, received by the undersigned on 11.08.2015 through Reserve Bank of India (RBI) for point no.3, under Section 6(3) of the Right to Information Act, 2005 on the above mentioned subject and to inform that the Act is available on website www.finmin.nic.in/ under Act & Rules.

2. If you are not satisfied with the reply, you may prefer an appeal within 30 days from the receipt of the letter to:

Shri G. Parthasarathi,
Deputy Secretary & Appellate Authority,
Ministry of Finance, Department of Economic Affairs,
Room No.241-C, North Block, New Delhi-110001
(Phone No.23092300) Email: - parthasarthi.g@nic.in

Yours faithfully,

(Pankaj Gupta)
CPIO & Under Secretary (SPMC&Coin)
Phone: 23095768

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी/वित्त मंत्री,महोदय

भारत सरकार,नई दिल्ली

प्रेषक,

घनश्याम वर्मा

- देवरिया (उ0 प्र0)-274701

<u>सुचना का विवरण:</u> प्रार्थी "देश हित" से सम्बंधित कुछ सूचनाएं चाहता है,

अत: जन सुचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्नांकित

सुचनाएं प्रार्थी को देने की कृपा करें।

1. ब्रिटिश सरकार एवं पं० जवाहर लाल नेहरू के बीच, वह कौन-सा समझौता हुआ था, जिसके बाद भारत मे आजादी की घोषणा की गयी। उस समझौते की मूल प्रपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्द्ध करावे ?
2. भारत के खजाने (कोष) में रखे हुए विदेशी मुद्रा भण्डार (अमेरिकन डालर,आदि) की भारत सरकार के पास उसका विधिक प्रारूप (एक्ट) एवं मुद्रामान (मानक स्टैन्डर्ड) हैं ? अमेरिका की मुद्रा "डालर" तथा ब्रिटेन की मुद्रा "पौन्ड" की विधिक प्रारूप एवं मुद्रामान (मानक स्टैन्डर्ड) की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्द्ध करावें ?

कृप्या प्रार्थी को सूचना हिन्दी में दी जाए।

दिनांक: २०।७।२०१५

प्रार्थी
घनश्याम वर्मा

संलग्नक.

1. भारतीय पोस्टल 10रू0 मूल्य का,

पोस्टल आर्डर सं. 31F 885543..........।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

विबापवि/रिया सं. 230 /03.10.019/2015-16 www.rbi.org.in अगस्त 31, 2015

श्री घनश्याम वर्मा

जिला: देवरिया
उत्तर प्रदेश- 274701

प्रिय महोदय,

<u>जन सूचना अधिकार अधिनियम- 2005</u>
<u>हमारा संदर्भ क्र.RBIND/R/2015/02658</u>

कृपया उपर्युक्त विषयपर आप अपना दिनांक 20 जुलाई, 2015 का वित्त मंत्री, भारत सरकार को संबोधित पत्र, जो हमें दिनांक 21 अगस्त 2015 को प्राप्त हुआ, का संदर्भ लें।

2. इस संदर्भ में हमारा प्रत्युत्तर निम्नानुसार है:

प्रश्न	हमारा प्रत्युत्तर
1. ब्रिटिश सरकार एवं पं. जवाहर लाल नेहरू के बीच, वह कौन-सा समझौता हुआ था, जिसके बाद भारत में आज़ादी की घोषणा की गयी उस समझौते की मूल प्रपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें?	यह जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है ।
2. भारत के खजाने (कोष) में रखे हुए विदेशी मुद्रा भंडार (अमेरिकन डॉलर, आदि) की भारत सरकार के पास उसका विधिक प्रारूप (एक्ट) एवं मुद्रामान (मानक स्टैण्डर्ड) हैं? अमेरिका की मुद्रा "डॉलर" तथा ब्रिटेन की मुद्रा "पौंड" की विधिक प्रारूप एवं मुद्रामान (मानक स्टैण्डर्ड) की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें?	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 33 (2) के अनुसार 'आस्तियों के रूप में धारित सोने के सिक्कों, सोने की सिल्लियों और विदेशी प्रतिभूतियों का कुल मूल्य और प्रकार से धारित सोने के सिक्कों और सोने की सिल्लियों का कुल मूल्य किसी भी समय क्रमश: दो सौ करोड़ रुपए और एक सौ पंद्रह करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। विदेशी मुद्रा के लिए यह सांविधिक प्रावधान मूल रूप में है और इसमें किसी विशिष्ट करेंसी को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

3. आपकी जानकारी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्रीमती डॉ.दीपाली पंत जोशी, कार्यपालक निदेशक है और पता भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय बाजार परिचालन विभाग, पहली मंजिल, मुख्य भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400 001 है। उपरोक्त के संबंध में यदि कोई अपील हो तो इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

भवदीय,

म राजेश्वर राव

(म. राजेश्वर राव)
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

वित्तीय बाजार परिचालन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, पहली मंजिल, मुख्य भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001. भारत
फोन : (91-22) 2261 0642 फैक्स : (91-22) 2263 0981 ई-मेल : cgmfmod@rbi.org.in

Financial Markets Operation Department, Central Office,1st Floor, Main Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001, India
Tel: (91-22) 2261 0642 Fax: (91-22) 2263 0981 E-mail: cgmfmod@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

DEPARTMENT OF EXTERNAL INVESTMENTS AND OPERATIONS
Administration Section

जन सूचना अधिकार – दिनांक 20 जुलाई 2015 का आवेदन

क्र.सं.	प्रश्न	हमारा जवाब
2	भारत के खजाने (कोष) में रखे हुए विदेशी मुद्रा भण्डार (अमेरिकन डालर आदि) की भारत सरकार के पास उसका विधिक प्रारूप (एक्ट) एवं मुद्रामान (मानक स्टैण्डर्ड) हैं? अमेरिका की मुद्रा "डालर" तथा ब्रिटेन की मुद्रा "पौन्ड" की विधिक प्रारूप एवं मुद्रामान (मानक स्टैन्डर्ड) की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें?	प्रश्न स्पष्ट नही है।

भारतीय रिज़र्व बैंक/R.B.I.
कें. का. मुंबई
C.O. MUMBAI

आर टी आई रिजर्व बैंक दिनांक 26.10.2015

सूचना के लिए आवेदन पत्र

समक्षः केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया,

मुम्बई भारत।

आवेदक का नामः घनश्याम वर्मा

आवेदक का पताः जिला देवरिया उ0प्र0

पिन 274701

सूचना के लिए अपेक्षित बिन्दुः निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना अपेक्षित है—

1. क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 01.04.1935 के बाद, उसके द्वारा धारण किये जाने वाले सोने को भारत राज्य क्षेत्र के बाहर किसी देश या किसी प्राधिकारी के अधीन किसी संव्यवहार के तहत रखा गया है ? यदि हां तो उस देश या प्राधिकारी के नाम का उल्लेख करें। जिसके संव्यहार में रखे गये सोने की मात्रा का भी उल्लेख करें, एवं ऐसे संव्यवहार को कार्यान्वित कराने का आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
2. 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 2015 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितना बैंक नोट/करेन्सी नोट निर्गत किया गया ? ऐसे निर्गमन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
3. क्या गांधी सीरिज के सभी बैंक नोट, विशेष बैंक नोट है ? या अन्य बैंक नोट की तरह ही सामान्य बैंक नोट है।
4. क्या अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपयें के मूल्य को मापने के लिए कोई मापक है ? यदि हां तो उस मापक का नाम तथा मानक स्टैण्डर्ड बताएं, और यदि नही है तो भारतीय रुपये का अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य कैसे निर्धारित होता है ? ऐसे निर्धारण का आदेश देने वाले अधिकारी का नाम, पद एवं दिनांक तथा आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
5. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की मूल कापी उपलब्ध करावें, जिसमें उक्त अधिनियम के पारित होने के पश्चात् कोई संसोधन अन्तर्विष्ट न किया गया हों।

सूचना हम प्रार्थी को हिन्दी में दी जाय।

दिनांक– 26.10.2015

प्रार्थी

घनश्यामवर्मा

संलग्नकः

घनश्याम वर्मा

1. भारतीय पोस्टल आर्डर 10रू0 मूल्य का
   पोस्टल आर्डर सं0 31एफ 885549

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

विबापवि/रिया सं. 509/03.10.019/2015-16

नवम्बर 10, 2015

श्री घनश्याम वर्मा,
[illegible]
जिल्हा - देवरिया
उत्तर प्रदेश - 274 701

प्रिय महोदय,

जन सूचना अधिकार अधिनियम- 2005
हमारा संदर्भ क्रं. RBIND/R/2015/03850/2

कृपया उपर्युक्त विषय पर आप अपना भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित दिनांक 26-10-2015 का पत्र (जो हमें 04-11-2015 प्राप्त हुआ) देखें। आपका प्रश्नबिंदु 4 उत्तर के लिए हमारे विभाग को भेजा गया है।
2. इस संबंध में हमारा प्रत्युत्तर निम्नानुसार है:

प्रश्न	हमारा प्रत्युत्तर
क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपये के मूल्य को मापने के लिए कोई मापक है ? यदि हां तो उस मापक का नाम तथा मापक स्टैण्डर्ड बताएं, और यदि नहीं है तो भारतीय रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कैसे निर्धारित होता है ? ऐसे निर्धारण का आदेश देने वाले अधिकारी का नाम, पद एवं दिनांक तथा आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ।	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपये का मूल्य विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा की मांग और पूर्ती पर निर्भर है । रुपये के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य को मापने का कोई विशिष्ट मापक नहीं है । भारतीय रिज़र्व बैंक मे लागू रुपये के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण नीति के बारे मे विवरण नीचे दिए लिंक पर उपलब्ध है । https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=12252#EXC Path :-> Exchange Rates and Exchange Rate Policy in India: A Review

3. जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, जानकारी की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी बाध्य नहीं है ।

2

...

वित्तीय बाजार परिचालन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, पहली मंज़िल, मुख्य भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001. भारत
फोन : (91-22) 2261 0642 फैक्स : (91-22) 2263 0981 ई-मेल : cgmfmod@rbi.org.in
Financial Markets Operations Department, Central Office,1st Floor, Main Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001. India
Tel: (91-22) 2261 0642 Fax: (91-22) 2263 0981 E-mail: cgmfmod@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

स्पीड पोस्ट

संदर्भःबानिपवि.कैंका.जीपीएस.आरआईए. सं. 839 /21.04.034/2015-16 24 नवंबर 2015

श्री घनश्याम वर्मा
[illegible]
[illegible]
[illegible]
उत्तर प्रदेश - पिन 274701

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के लिए अनुरोध-
हमारा संदर्भ सं. रिया RBIND/R/2015/03850/1

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए 26 अक्तूबर 2015 का अपना आवेदन देखें।

2. इस संबंध में हम निम्नानुसार सूचित करते हैं:

प्रश्न सं	प्रश्न	हमारा उत्तर
1	क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 01.04.1935 के बाद, उसके द्वारा धारण किये जाने वाले सोने को भारत राज्य क्षेत्र के बाहर किसी देश या किसी प्राधिकारी के अधीन किसी संव्यवहार के तहत रखा गया है ?	हाँ।
	यदि हाँ तो उस देश या प्राधिकारी के नाम का उल्लेख करें ।	बैंक ऑफ इंग्लैंड और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
	जिसके संव्यवहार में रखे गये सोने की मात्रा का भी उल्लेख करें, एवं ऐसे संव्यवहार को कार्यान्वित कराने का आदेश की प्रमाणित प्रतितिपि उपलब्ध करावें ।	स्वर्ण की मात्रा 265.49 टन सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के खण्ड 8 (1) (क) के अनुसार आदेश की प्रतिलिपि प्रदान नहीं किया जा सकता

बाह्य निवेश और परिचालन विभाग,केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय भवन,शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट,मुंबई -400 001
फोन नं: 022-2262 4423 फैक्स नं: 022-2263 1031 ई मेल : cpiodeio@rbi.org.in
Department of External Investments and Operations, Central Office, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai 400 001
Tel: 022-2262 4423 Fax: 022-2261 1031 Email: cpiodeio@rbi.org.in

हिन्दी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

		क्योंकि इससे भारत के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

3. आपकी जानकारी के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रथम अपील प्राधिकारी डॉ. (श्रीमती) दीपाली पन्त जोशी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बाह्य निवेश और परिचालन विभाग, 22वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400001 हैं। उपर्युक्त जवाब के संदर्भ में कोई अपील करनी हो तो उसे 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील प्राधिकारी के पास भेजी जा सकती है।

भवदीय,

एस के बल

(एस.के.बल)

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी

अनुबंध

आरआईए सं. RBIND / R / 2015 / 03850 / 3 – श्री घनश्याम वर्मा

प्र.सं.	मांगी गई जानकारी	हमारा उत्तर
5	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की मूल कापी उपलब्ध करावें, जिसमें उक्त अधिनियम के पारित होने के पश्चात् कोई संसोधन अन्तर्ष्टि न किया गया हों।	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की मूल प्रति की फोटो प्रति संलग्न करते हैं।

पंजीकरण सं. Registration No.	:	***RBIND/R/2015/03850***
		घनश्याम वर्मा

सं.	विषयवस्तु	सूचना
2	15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 2015 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितना बैंक नोट/करेंसी नोट निर्गत किया गया ? ऐसे निर्गमन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।	वर्ष 1970-71 (अप्रैल-मार्च) से वर्ष 2014-15 तक संचलन में जारी नोटों के मूल्यवर्गवार आंकड़े (मूल्य) भारतीय रिजर्व बैंक के dbie.rbi.org.in नामक वैबसाइट पर उपलब्ध हैं और जिन्हें निम्नलिखित पाथ का उपयोग करते हुए प्राप्त किया जा सकता हैं: dbie.rbi.org.in > Time-series Publications > Handbook of Statistics on the Indian Economy > Currency and Coinage > 160. Notes and Coins Issued वर्ष 1947 से 1970 तक संचलन में जारी नोटों के आकड़ें तथा निर्गमन आदेश के प्रतिलिपि के संबंध में - यह सूचना जिस रूप में मांगी गयी है उस रूप में उपलब्ध नहीं है तथा उक्त सूचना एकत्र करने के लिये संसाधनों को अत्यधिक मात्रा में लगाना पड़ेगा। अत: मांगी गयी सूचना को सूचना के अधिकार 2005 की धारा 7(9) के अंतर्गत प्रदान नहीं किया जा सकता।
3	क्या गांधी सीरीज के सभी नोट , विशेष बैंकनोट हैं ? या अन्य बैंक नोट की तरह ही सामान्य बैंक नोट हैं ।	प्रचलित महात्मा गांधी शृंखला के बैंकनोट(जिन में वाटरमार्क में तथा बैंक नोटों के दाहिने तरफ महात्मा गांधी का चित्र मुद्रित हुआ हैं), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 में अभिप्रेत सामान्य बैंक नोट हैं ।

आर टी आई रिजर्व बैंक दिनांक 22.02.2016

-ı.

सूचना के लिए आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

समक्ष – केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी / रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, मुम्बई भारत सरकार।

अवेदक का नाम– घनश्याम वर्मा

आवेदक का पता– . जिला देवरिया (उ0प्र0)274701।

सूचना के लिए आपेक्षित बिन्दु– निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना अपेक्षित है–

1. बैंक ऑफ इंग्लैण्ड एवं अर्न्तराष्ट्रीय निपटान बैंक में रखे गये 265.49 टन स्वर्ण को भारत सरकार द्वारा किस सव्यवहार के तहत रखा गया है एवं उसका उददेश्य क्या है ?
2. भारतीय रिजर्व बैंक में रखे गये सोने, चॉंदी एवं विदेशी मुद्रा भण्डार की क्या मात्रात्मक परिणाम है?
3. क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई विशेष बैंक नोट निगर्त किया गया है? यदि हां तो निर्गत का दिनांक एवं बैंक नोट के प्रकार को सूचना के रुप में प्रकट करें ?
4. भारतीय रुपये का 1 अप्रैल 1935 से आज की तिथि तक कितनी बार अवमूल्यन किया गया है ? कृपया दिनांक सहित अवमूल्यन प्रतिशत को सूचना के रुप में प्रकट करें ?

प्रार्थी को सूचना हिन्दी मे दी जाय।

स्थानः जनपद देवरिया।

दिनांकः 22-02-2016

सूचना के लिए फीस के रुप में पोस्टल आर्डर का विवरण–

पोस्टल आर्डर सं0: xxxxx

नगद दस रुपये

नं0: 15H 73009J

प्रार्थी / आवेदक

घनश्याम वर्मा

Speed Post

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

डीजीबीए.एकाउंट्स(डीबीए)सं. 2852/57.02.020/2015 -16 08 मार्च 2016

स्पीड पोस्ट द्वारा

श्री घनश्याम वर्मा

उत्तर प्रदेश 2747011

महोदय

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु अनुरोध -
अनुरोध सं. RBIND / R / 2016 / 00867 / 2 - श्री घनश्याम वर्मा

उपर्युक्त विषय में कृपया 22 फरवरी 2016 के अपने आवेदनपत्र का अवलोकन करें ।

2. इस संबंध में अपेक्षित सूचना निम्नवत् है:-

क्रम सं.	मांगी गई सूचना	भाग 1 एवं 2 के लिए हमारा उत्तर
2	भारतीय रिजर्व बैंक में रखे गए सोने, चांदी एवं विदेशी मुद्रा भंडार की क्या मात्रात्मक परिणाम है ?	सोना : बैंक के पास 557.75 मीट्रिक टन सोना है, जिसमें से 292.26 मीट्रिक टन सोना जारी किए गए नोटों के समर्थन में रखा गया है और इसे निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में अलग से प्रदर्शित किया जाता है। शेष 265.49 मीट्रिक टन सोने को बैंकिंग विभाग की आस्ति माना जाता है। यह सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर यूआरएल https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualReportPublications.aspx?Id=1157 पर भी उपलब्ध है। चांदी : वर्तमान में आस्तियों में चांदी शामिल नहीं है।

कृ. प. ऊ.

सरकारी एव बैंक लेखा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 4 थी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई - 400 008
Department of Government & Bank Accounts, Opp. Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai 400 008.
Telephone : (022) 2308 4121, Fax No. (022) 2300 0370/2301 6072/2301 0095, e-mail : cgmicdgbaco@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए ।

<u>का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र °</u>

Application under the Right to Information Act, 2005

पंजीकरण सं Registration No.	:	***RBIND/R/2016/00867***
आवेदक Applicant	:	***घनश्याम वर्मा***
आवेदन की तारीख		***22 फरवरी 2016***

सं .	विषयवस्तु	सूचना
3	क्या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई विशेष बैंक नोट निर्गत किया गया है ? यदि हाँ तो निर्गत का दिनांक एवं बैंक नोट के प्रकार को सूचना के रूप में प्रकट करे।	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 28 A में अभिप्रेत विशेष नोट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निम्न प्रकार के जारी किए गए थे – **उपलक्ष्य / देश जिसके लिए नोटों का मुद्रण किया** — **कब जारी किया था** ----------------- ------------------------------ बर्मा — 1938 हज यात्रा — मई 1959 आखाती देश — 1959 (कुवैत, बहरीन, क़तार, यूएई)

अनुबंध

<table>
<tr><th>प्रश्न सं</th><th>प्रश्न</th><th>हमारा उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बैंक ऑफ इंग्लैण्ड एवं अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक में रखे गये 265.49 टन स्वर्ण को भारत सरकार द्वारा किस संव्यवहार के तहत रखा गया है एवं उसका उद्देश्य क्या है ?</td><td>भारत सरकार द्वारा किसी स्वर्ण संबंधी लेन-देन के बारे में हमको सूचना नहीं है। किन्तु, जैसे दिनांक 26 अक्तूबर 2015 के आपके रिया आवेदन सं RBIND/R/2015/03850/1 के उत्तर में दिनांक 24 नवंबर 2015 के हमारे पत्र संदर्भः बानिपवि. कैंका. जीपीएस. आरआईए.सं. 839 /21.04.034/2015-16 द्वारा सूचित किया गया, भंडार प्रबंध संचालन के हिस्से के रूप में,बैंक ऑफ इंग्लैण्ड एवं अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण रखा है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>भारतीय रिजर्व बैंक में रखे गये सोने,चाँदी एवं विदेशी मुद्रा भंडार की क्या मात्रात्मक परिणाम है ?</td><td>वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक में रखे गये सोने स्वर्ण की मात्रा 557.75 टन है। 11 मार्च 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक में रखे गये विदेशी मुद्रा भंडार का विवरण निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th>मद</th><th>₹ बिलियन</th><th>अमरीकी डॉलर मिलियन</th></tr>
<tr><td>विदेशी मुद्रा आस्तियां</td><td>22,014.9</td><td>329,999.2</td></tr>
<tr><td>स्वर्ण</td><td>1,326.0</td><td>19,324.8</td></tr>
<tr><td>विशेष आहरण अधिकार (एस डी आर)</td><td>99.7</td><td>1,486.6</td></tr>
<tr><td>आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति</td><td>174.2</td><td>2,597.2</td></tr>
<tr><td>**कुल भंडार**</td><td>**23,614.8**</td><td>**353,407.8**</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

प्रश्न क्र.4 :- उत्तर

आजादी के बाद से भारतीय रुपए का अवमूल्यन 1949, 1966 और 1991 में हुआ है। 22 सितम्बर 1949 को पाउंड स्टर्लिंग का अवमूल्यन के फलस्वरूप, स्वचालित रूप से रुपए का 30.5 फीसदी अवमूल्यन हुआ था।1966 में देश की भारत के बाह्य क्षेत्र में तनाव गंभीर सूखे और पश्चिमी देशों से सहायता बंद होने की वजह से और बढ़ गया था। इसके कारण 6 जून 1966 में रुपए का 36.5 फीसदी अवमूल्यन किया गया था (आर.बी.आई, हिस्टरी वॉल्यूम 1951-1968)। बड़े बजट घाटे और खाड़ी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के कारण बढ़ते आयात बिल की वजह से भारत को 1991 में भुगतान संतुलन के संकट का सामना करना पड़ा। इस कारण रुपए की विनिमय दर दो चरणों में करीब 9 फीसदी और 11 फीसदी अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में 1 और 3 जुलाई 1991 में अवमूल्यन किया था।

स्त्रोत:- (मुद्रा और वित्त, 2001-02 पर रिपोर्ट, आर. बी. आई.)।

सूचना के लिए आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

समक्ष– केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, मुम्बई

आवेदक का नाम– घनश्याम वर्मा

आवेदक का पता– [illegible], जि0 देवरिया, उ0प्र0।

सूचना के लिए आपेक्षित बिन्दु– प्रार्थी को निम्न बिन्दुओं पर हिन्दी में सूचना चाहिए।

1. क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक नोटों के विनिमय में, केन्द्रीय सरकार से परिचालन हेतु आवश्यक वैद्य भारतीय सिक्कों की मांग किया था ? यदि हां तो कब और कितनी मात्रा में ? इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
2. क्या करेन्सी नोंटों या बैंक नोटों के विनिमय में केन्द्रीय सरकार परिचालन हेतु आवश्यक वैद्य भारतीय सिक्का देनें में सफल रही है या असफल ? इसे सूचना के रुप में प्रकट करें।
3. भारतीय बैंक नोटों पर दर्शित "केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत" से क्या तात्पर्य है ? भारत सरकार द्वारा प्रतिभूति के तौर पर क्या व कितना रखा व दिया जाता है ?
4. वर्ष 1949, 1966, और 1991 में भारतीय रुपयें के अवमूल्यन के फलस्वरुप भारत के विकास दर, आयात–निर्यात तथा भारत की इकोनामी पर क्या असर हुआ ? कृप्या इस बिन्दु पर सन् 1935 से 2015 तक वार्षिक विवरण दीजिए।
5. भारतीय रु0 के अवमूल्यन का प्राधिकार देने वाले अधिनियम, नियम, आदेश की सूचना देवें।
6. भारतीय रुपया तथा पाउण्ड स्टर्लिंग के आपस में क्या सम्बन्ध है ? जिससे "22 सितम्बर 1949 को पाउण्ड स्टर्लिंग के अवमूलयन के फलस्वरुप रुपये का 30.5 फीसदी अवमूल्यन स्वचालित रुप से हुआ था" इसे सूचना के रुप में प्रकट करें।
7. क्या भारतीय रिजर्व बैंक का जन्म हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशो के फलस्वरुप हुआ है ? हिल्टंन यंग की भारतीय इकोनामी में क्या प्रास्थिति (Status) थी ? सूचना के रुप में प्रकट करें।

प्रार्थी
घनश्याम वर्मा

स्थानः जिला देवरिया।
दिनांकः 13.05.2016
पोस्टल आर्डर फीस का विवरण
नगद दस रुपये
नं.: 40T 266147

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

विबाविवि. क्र.549/RIA.02119/14.02.005/2015-16 मई 25, 2016

श्री घनश्याम वर्मा

जि. देवरिया,
उत्तर प्रदेश -274701

महोदय ,

सूचना अधिकार अधिनियम आवेदन - पत्र क्र. RBIND/R/2016/02119

सूचना अधिकार अधिनियम (2005) आवेदन के अंतर्गत आपके दिनांक 17 मई 2016 का पत्र क्र. RBIND/R/2016/02119 के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार है।

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
5.	भारतीय रु0 के अवमूल्यन का प्राधिकार देने वाले अधिनियम, नियम, आदेश की सूचना देवें ।	यह सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है । आपका प्रश्न वितीय बाजार परिचालन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है जो आपको इस प्रश्न का उत्तर देंगे ।

आपकी जानकारी हेतु हम सूचित करते है कि भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी डॉ. (श्रीमती) दीपाली पंत जोशी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 हैं। उपरोक्त प्रत्युत्तर के संबंध में अपील, यदि कोई हो, तो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को 30 दिनों के भीतर की जानी चाहिए।

भवदीय,

सुब्रमणियन

(आर सुब्रमणियन)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

वितीय बाज़ार विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय भवन, 23 वी मंज़िल, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400001.
फोन: (91-22) 22601000, फैक्स: (91-22) 22702290 ई-मेल: fmrd@rbi.org.in

Financial Markets Regulation Department, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai – 400001.
Tel: (91-22) 22601000, Fax: (91-22) 22702290 e-mail- fmrd@rbi.org.in

हमारा उत्तर: - प्रश्न क्र 4 & 6

प्रश्न सं.4: भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर तथा पण्य निर्यात एवं आयात के ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं.

यह नोट किया जाए कि रुपये की विनिमय दर के अलावा, निर्यात और आयात पर घरेलू मांग, बाह्य मांग, क्षेत्रवार स्पर्धात्मकता, व्यापार नीति इत्यादि का भी प्रभाव पड़ता है।

Table 1: Annual GDP growth and Exports, Imports of India

	GDP growth rate (%)	Exports	Imports
			US$ Mn
1951-52	2.3	1527	2023
1952-53	2.8	1411	1462
1953-54	6.1	1105	1271
1954-55	4.2	1234	1368
1955-56	2.6	1269	1511
1956-57	5.7	1291	1768
1957-58	-1.2	1325	2163
1958-59	7.6	1187	1666
1959-60	2.2	1341	1808
1960-61	7.1	1338	2337
1961-62	3.1	1376	2274
1962-63	2.1	1428	2357
1963-64	5.1	1653	2548
1964-65	7.6	1701	2810
1965-66	-3.7	1678	2934
1966-67	1.0	1865	3229
1967-68	8.1	1577	2614
1968-69	2.6	1787	2513
1969-70	6.5	1880	2090
1970-71	5.0	2031	2162
1971-72	1.0	2152	2442
1972-73	-0.3	2569	2433
1973-74	4.6	3238	3793
1974-75	1.2	4192	5691
1975-76	9.0	4649	6064
1976-77	1.2	5728	5652
1977-78	7.5	6299	7012
1978-79	5.5	6960	8279
1979-80	-5.2	7926	11291
1980-81	7.2	8485	15867
1981-82	5.6	8704	15173

1982-83	2.9	9108	14787
1983-84	7.9	9449	15311
1984-85	4.0	9878	14412
1985-86	4.2	8905	16067
1986-87	4.3	9745	15727
1987-88	3.5	12089	17156
1988-89	10.2	13970	19497
1989-90	6.1	16613	21219
1990-91	5.3	18145	24073
1991-92	1.4	17865	19411
1992-93	5.4	18537	21882
1993-94	5.7	22238	23306
1994-95	6.4	26331	28654
1995-96	7.3	31795	36675
1996-97	8.0	33470	39132
1997-98	4.3	35006	41485
1998-99	6.7	33219	42389
1999-00	8.0	36822	49671
2000-01	4.1	44560	50537
2001-02	5.4	43827	51413
2002-03	3.9	52719	61412
2003-04	8.0	63843	78149
2004-05	7.1	83536	111517
2005-06	9.5	103091	149166
2006-07	9.6	126414	185735
2007-08	9.3	162904	251439
2008-09	6.7	185295	303696
2009-10	8.6	178751	288373
2010-11	8.9	251136	369769
2011-12	6.7	305964	489320
2012-13	4.5	300401	490737
2013-14	4.7	314416	450214
2014-15		310338	448033

Source: RBI

प्रश्न सं.6: जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के बुलेटिन, नवंबर 1949 में उल्लेख है कि "भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहमति से, 20 सितंबर 1949 को रुपये का अवमूल्यन स्टर्लिंग के मूल्य के बराबर करने की घोषणा थी। यह भी घोषणा की गई थी कि अमरीकी मुद्रा के संबंध में रुपये का मूल्य रुपये में 30.225 सेंट्स से परिवर्तित होकर 21 सेंट्स होगा और सोने के संदर्भ में रुपये की तुलना में शुद्ध स्वर्ण का मूल्य 0.268601 से परिवर्तित होकर 0.186621 ग्राम होगा तथा रुपये और पाउंड स्टर्लिंग की विनिमय दर अपरिवर्तित रहेंगी"।

Annex

पंजीकरण सं. RBIND/R/2016/02119/4 - श्री घनश्याम वर्मा

Sr No	Question asked	Our comments
7.	क्या भारतीय रिज़र्व का जन्म हिल्टन यंग कमीशन की सिफ़ारिशो के फलस्वरूप हुआ है?	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुई थी । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में इस बैंक के कार्य के लिए सांविधिक आधार दिया गया है। इस बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से कार्य प्रारंभ किया । हम आपकी सूचना हेतू भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की एक प्रति संलग्न कर रहे हैं जो कि हमारे वेबसाइट (https://rbi.org.in>प्रकाशन>सामयिक>भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम) पर भी उपलब्ध है।
	हिल्टन यंग की भारतीय इकोनोमी में क्या प्रास्थिति(Status) थी? सूचना के रूप में प्रकट करें।	यह जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

RBIND/R/2016/02119- श्री घनश्याम वर्मा

प्र.सं.	मांगी गयी जानकारी	हमारा जवाब
1	क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक नोटों के विनिमय मे, केन्द्रीय सरकार से परिचालन हेतु आवश्यक वैध भारतीय सिक्कों की मांग किया था ? यदि हा तो कब और कितनी मात्र मे? इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।	हाँ । यह जानकारी हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in में Home → Publications → Annual → Annual Report of the RBI→ Currency Management के link पर उपलब्ध है।
2	क्या करेंसी नोटों या बैंक नोटों के विनिमय मे केन्द्रीय सरकार परिचालन हेतु आवश्यक वैध भारतीय सिक्का देने मे सफल रही है या असफल ? इसे सूचना के रूप मे प्रकट करे।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(f) के तहत यह सूचना नहीं है, राय है।
3	भारतीय नोटों पर दर्शित "केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत से क्या तात्पर्य है ? भारत सरकार द्वारा प्रतिभूति के तौर पर क्या व कितना रखा व दिया जाता है ?	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26 की प्रावधानों के तहत बैंकनोट भारत में किसी भी स्थान में उसमे अभिव्यक्त राशि की आदायगी में या लेखे वैध निविदा होगा और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत होगा। जारी किए गए बैंक नोट इसी अधिनियम की धारा 33 में उल्लिखित आस्तियों के अधीन है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

विबाविवि. क्र. 577/RIA.02119/14.02.005/2015-16 जून 16, 2016

श्री घनश्याम वर्मा

उत्तर प्रदेश -274701

महोदय ,

सूचना अधिकार अधिनियम आवेदन - पत्र क्र. RBIND/R/2016/02119

कृपया हमारें दिनांक 25 मई 2016 के पत्र का संदर्भ ले। इस संबंध में जानकारी इस प्रकार है।

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
5.	भारतीय रु0 के अवमूल्यन का प्राधिकार देने वाले अधिनियम, नियम, आदेश की सूचना देवें ।	यह सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है ।

आपकी जानकारी हेतु हम सूचित करते है कि भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी डॉ. (श्रीमती) दीपाली पंत जोशी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 हैं। उपरोक्त प्रत्युतर के संबंध में अपील, यदि कोई हो, तो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को 30 दिनों के भीतर की जानी चाहिए।

भवदीय,

16.6.2016

(मनोज कुमार)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय भवन, 23 वी मंज़िल, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400001.
फोन: (91-22) 22601000, फैक्स: (91-22) 22702290 ई-मेल: fmrd@rbi.org.in

Financial Markets Regulation Department, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai – 400001.
Tel: (91-22) 22601000, Fax: (91-22) 22702290 e-mail- fmrd@rbi.org.in

अनेक्स –ए

प्रश्न	हमारा प्रत्युत्तर
5. भारतीय रु0 के अवमूल्यन का प्राधिकार देनेवाले अधिनियम, नियम, आदेश की सूचना देवें।	यह प्राधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत दिया गया है।

RESERVE BANK OF INDIA
F.M.O.D.
C. O. MUMBAI

DEPARTMENT OF CURRENCY MANAGEMENT

RESOURCE MANAGEMENT & MOVEMENT OF TREASURE DIVISION

Appeal under the Right to Information Act, 2005

Compliance with the order of the Appellate Authority

Reference No:	Appeal No. 00463(DCM)/ 2015-16 (arising from RIA No. RBIND/R/2016/02119)
Appellant :	Ghanshyam Varma

The captioned application (RIA No. RBIND/R/2016/02119) under the RTI Act, 2005 from Ghanshyam Varma was decided by the CPIO, DCM and the applicant was suitably advised.

The applicant preferred an appeal under Section 19(1) of the RTI Act, 2005. The Appellate Authority (AA) passed an order dated August 19, 2016 which has been received at our end from IFCD Division. The appeal has been partially allowed with certain directions and observations.

In view of the directions of the appellate authority we may reply as for the draft attached in respect of Query No. 1

Q. No.	Information Sought	Our Answer
1	The appellant had at query No.1 sought information on whether Reserve Bank had demanded valid Indian coins in exchange of notes for circulation and if yes, when and in what quantity, CPIO, DCM had replied to the query in affirmative and provided the appellant the website link from which the information could be accessed. In the appeal before me, the appellant contends that he is unable to operate the website and has therefore requested for a photocopy of the reply available on the website.	Information in respect of indents for coins for the years 2013-14, 2014-15, 2015-16 and 2016-17, printed from the website is enclosed.

Put up for approval please.

Table VIII.5: Indent and Supply of Coins by Mints (April-March)

(Million pieces)

Denomination	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17
	Indent	Supply	Indent	Supply	Indent	Supply	Indent
1	2	3	4	5	6	7	8
50 Paise	50	40	40	20	40	30	30
₹1	5,418	3,092	6,000	3,247	6,100	3,753	6,300
₹2	3,546	2,424	4,000	2,367	4,000	2,899	4,200
₹5	1,819	1,393	2,000	1,091	2,100	1,492	2,270
₹10	1,200	728	1,800	1,187	2,000	1,084	2,200
Total	12,033	7,677	13,840	7,912	14,240	9,258	15,000

हमारा उत्तर : -

प्रश्न सं.4: भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर तथा पण्य निर्यात एवं आयात के ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं. जीडीपी तथा तुलनीय पण्य निर्यात एवं आयात के ब्यौरे 1935 से 1951 तक आरबीआई के पास उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त अवधि के लिए जीडीपी वृद्धि दर से जुड़ी सूचना के लिए प्राथमिक स्रोत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट (http://www.mospi.nic.in) देखें तथा तुलनीय पण्य निर्यात एवं आयात के ब्यौरे इस संबंध में डीजीसीआई एंड एस से, जो डेटा का प्राथमिक स्रोत है, परामर्श किया जा सकता है। यह नोट किया जाए कि रुपये की विनिमय दर के अलावा, निर्यात और आयात पर घरेलू मांग, बाह्यमांग, क्षेत्रवार स्पर्धात्मकता,व्यापार नीति इत्यादि का भी प्रभाव पड़ता है।

Table I: Annual GDP growth and Exports. Imports of India

			US$ Mn
	GDP growth rate (%)	Exports	Imports
1951-52	2.3	1527	2023
1952-53	2.8	1411	1462
1953-54	6.1	1105	1271
1954-55	4.2	1234	1368
1955-56	2.6	1269	1511
1956-57	5.7	1291	1768
1957-58	-1.2	1325	2159
1958-59	7.6	1187	1666
1959-60	2.2	1341	1808
1960-61	7.1	1338	2337
1961-62	3.1	1376	2274
1962-63	2.1	1428	2357
1963-64	5.1	1653	2548
1964-65	7.6	1701	2810
1965-66	-3.7	1678	2934
1966-67	1.0	1866	3229
1967-68	8.1	1577	2614
1968-69	2.6	1787	2513
1969-70	6.5	1880	2090
1970-71	5.0	2031	2162
1971-72	1.0	2152	2442
1972-73	-0.3	2569	2433
1973-74	4.6	3238	3793
1974-75	1.2	4192	5691
1975-76	9.0	4649	6064

1976-77	1.2	5728	5652
1977-78	7.5	6299	7012
1978-79	5.5	6960	8279
1979-80	-5.2	7926	11291
1980-81	7.2	8485	15867
1981-82	5.6	8704	15173
1982-83	2.9	9108	14787
1983-84	7.9	9449	15311
1984-85	4.0	9878	14412
1985-86	4.2	8905	16067
1986-87	4.3	9745	15727
1987-88	3.5	12089	17156
1988-89	10.2	13970	19497
1989-90	6.1	16613	21219
1990-91	5.3	18145	24073
1991-92	1.4	17865	19411
1992-93	5.4	18537	21882
1993-94	5.7	22238	23306
1994-95	6.4	26331	28654
1995-96	7.3	31795	36675
1996-97	8.0	33470	39132
1997-98	4.3	35006	41485
1998-99	6.7	33219	42389
1999-00	8.0	36822	49671
2000-01	4.1	44560	50537
2001-02	5.4	43827	51413
2002-03	3.9	52719	61412
2003-04	8.0	63843	78149
2004-05	7.1	83536	111517
2005-06	9.5	103091	149166
2006-07	9.6	126414	185735
2007-08	9.3	162904	251439
2008-09	6.7	185295	303696
2009-10	8.6	178751	288373
2010-11	8.9	251136	369769
2011-12	6.7	305964	489320
2012-13	4.5	300401	490737
2013-14	4.7	314416	450214
2014-15*	7.6	310338	448033

*: Growth rate is based on GDP constant prices (2011-12)

आर टी आई रिजर्व बैंक दिनांक 28.09.2017

सूचना के लिए आवेदन पत्र अन्तगर्त धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

समक्षः केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, मुम्बई।

आवेदक का नामः घनश्याम वर्मा

आवेदक का पताः जिला देवरिया उ0प्र0 274701।

आपेक्षित सूचना का विवरणः प्रार्थी को निम्न बिन्दुओं पर हिन्दी में सूचना चाहिए:—

1. यदि कोई व्यक्ति सन् 1935 के सोने के सिक्के जिस पर 15 रु0 दर्शित है और सन् 1870 के सोने के सिक्के जिस पर 15 रु0 दर्शित है उक्त दोनों के वर्षों के पांच—पांच सोने के सिक्के व चादी के 50 सिक्के (वर्ष 1916 के 25 सिक्के एवं सन् 1940 के 25 सिक्के) है, व जिसपर एक रुपयें दर्शित है, उन्हे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या आपके समक्ष जमा करें, तो उसे कुल कितने रुपये जमा अंकित होगा ? सूचना के रुप में प्रगट करें।
2. भारतीय रिजर्व बैंक रुपये को मूल्य की मापक मानती है ? या बाजार में बिकने वाली कोई वस्तु मानती है ? सूचना के रुप में प्रगट करें।
3. क्या वर्तमान में बैंक नोटों का निर्गमन प्रतिभूति रखकर किया जाता है ? यदि हां तो कौन सी प्रतिभूति व कितनी मात्रा प्रति रुपयें में रखी जाती है। इसे सूचना के रुप में प्रगट करें।
4. क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1934 का कोई नियम (रुल) एवं शासक (रुलर) है ? यदि हां तो उसे सूचना के रुप में प्रगट करें।
5. क्या 01 अप्रैल 1935 से 15 अगस्त 1947 के बीच रुपये का अवमूल्यन किया गया है ? यदि हां तो उसकी दिनांक, सन, एवं प्रतिशत को सूचना के रुप में प्रगट करें।
6. क्या भारत में प्रचलित बैंक नोटों और रुपये के सिक्कों में विशेष बैंक — नोट एवं विशेष रुपयों के सिक्के प्रचलन में है ? जो भारत में वैद्य निविदा न होंगें। यदि हां तो वह विशेष बैंक नोट एवं विशेष रुपयों के सिक्के किस किस दिनांक व सन में कौन कौन से नोट एवं सिक्का कितने—कितने मात्रा में निर्गमन किये गये ? इसे सूचना के रुप में प्रगट करे।
7. क्या जिस विदेशी मुद्रा को भारत की विदेशी मुद्रा भण्डार के रुप में रिजर्व बैंक रखती है। वह विदेशी मुद्रा डालर एवं पाउण्ड आदि का वैद्य निविदा (लिगल टेण्डर) है ? यदि हां तो इसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
8. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 1991 से 31 मार्च 2017 तक एक, दो, पांच, दस, बीस, पचास, सौ, पांच सौ, एक हजार, दो हजार, के बैंक नोट एवं रुपये के सिक्के प्रतिवर्ष कितनी—कितनी मात्रा में निर्गमन किये गये ? सम्पूर्ण ब्यौरे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
9. क्या ब्याज का रुपया वैद्य रुपया है ? यदि हां तो ब्याज के रुपये को वैध बताने वाले अधिनियम, नियम, या आदेश के वैध निविदा (लिगल टेण्डर) की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

प्रार्थी

घनश्यामवर्मा

दिनांक:28.09.2017

~~पोस्टल आर्डर सं0~~..................दस. रुपये नगद.................।

J4C 630066

आरआईए क्र RBIND/R/2017/04682 –Ghanshyam Varma

Sr No	Query	Information provided
1	यदि कोई व्यक्ति सन 1935 के सोने के सिक्कें जिस पर रु दर्शित है और सन 15 के सोने के सिक्कें जिस 1870 रु दर्शित है उक्त दोनों 15 पर पाँच सोने के -वर्षों के पाँच सिक्कें 50 सिक्कें व चादी के (वर्ष सिक्के एवं 25 के 1916 है (सिक्के 25 के 1940 सान, व जिसपर एक रुपये दर्शित है, उन्हें किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या आपके समक्ष जमा करें, तो उस कुल कितने रुपये जमा अंकित होगा? सूचना के रूप में प्रगट करें।	काल्पनिक स्थिति पर आधारित इस विषयवस्तु में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से राय देने की अपेक्षा की गयी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की धारा 2(f) में अभिप्रेत यह 'सूचना' नहीं है।
2	भारतीय रिज़र्व बैंक रुपये को मूल्य की मापक मानती है? या बाज़ार में बिकने वाली कोई वस्तु मानती है? सूचना के रूप में प्रगट करें।	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंक नोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, के प्राव 1934धानों के तहत जारी किए जाते हैं। वांछित सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
3	क्या वर्तमान में बैंक नोटों का निर्गमन प्रतिभूति रखकर किया जाता है? यदि हाँ तो कौन सी प्रतिभूति व कितनी मात्रा प्रति रूपाएँ में रखी जाती है। इसे सूचना के रूप में प्रगट करें।	रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी बैंक नोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 33 (1) में परिभाषित रूप में पात्र संपत्तियों द्वारा समर्थित हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 17-2016XI में दिए गए "वर्ष 2016-17 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा" का संदर्भ लें जो की निम्न लिंक पर दी गयी है: https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/AnnualReport.aspx

4	क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1934 का कोई नियम (रूल) एवं शासक (रूलर) है ? यदि हा तो उसे सूचना के रूप मे प्रगट करे।	आपके द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में हम आपका ध्यान हमारे website https://www.rbi.org.in/Scripts/OccasionalPublications.aspx?head=Reserve%20Bank%20of%20India%20Act की ओर आकर्षित करते हैं जहॉ भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित जानकरी मौजूद हैं।
5	क्या 01 अप्रैल 1935 से 15 अगस्त 1947 के बीच रुपये का अवमूल्यन किया गया है? यदि हा तो उसकी दिनांक, सन, एवं प्रतिशत को सूचना के रूप मे प्रगट करे।	उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1941- 42 से 1947-48 तक भारतीय रुपए का अवमूल्यन नहीं हुआ था । 1935 से 1940 के लिए जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।
6	क्या भारत में प्रचलित बैंक नोटों और रुपये के सिक्कों बैंक नोट एवं विशेष -रुपयों के सिक्कें प्रचलन में है? जो भारत में वैध निविदा न होंगे। यदि हाँ तो वह विशेष बैंक नोट एवं विशेष रुपयों के सिक्कें किस किस दिनांक व सन में कौन कौन से नोट एवं सिक्का कितनेकितने मात्रा में निर्गमन -किए गए? इसे सूचना के रूप में प्रगट करे।	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 28A में अभिप्रेत विशेष नोट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निम्न प्रकार के जारी किए गए थे- उपलक्ष्य देश जिसके / लिए नोटों का मुद्रण किया — कब जारी किया बर्मा — 1938 हज यात्रा — मई 1959 आखाती देश — 1959 (कुवैत, बहरीन, क्वतार, यूएई(सिक्कों के संबंध में सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत विषय वस्तु का यह अंश निम्न लोक प्राधिकारी को अंतरित किया गया है- श्री पंकज गुप्ता अवर सचिव (सिक्का व एसपीएमसी) केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, कक्ष सं 63 नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली 110001

7	क्या जिस विदेशी मुद्रा को भारत की विदेशी मुद्रा भंडार के रूप मे रिजर्व बैंक रखती है। वह विदेशी मुद्रा डालर एवं पाउंड आदि का वैद्य निविदा (लिगल टेंडर) है? यदि हां तो इसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।	इस संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 33 का संदर्भ ले।
8	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 1991 से 31 मार्च 2017 तक एक, दो, पाँच, दस, बीस, पचास, सौ, पाँच सौ, एक हजार, दो हजार, के बैंक नोट एवं रुपये के सिक्के प्रतिवर्ष कितनी - कितनी मात्रा में निर्गमन किए गये? सम्पूर्ण ब्योरे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।	यह सूचना जिस रूप में मांगी गयी है, उस रूप में हमारे पास उपलब्ध नहीं है तथा इसे एकत्र करने में बैंक के संसाधन असंगत रूप से विपथ होंगे, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के अंतर्गत नहीं दी जा सकती है।
9	क्या ब्याज का रुपया वैध रुपया है? यदि हाँ तो ब्याज के रुपये को वैध बताने वाले अधिनियम, नियम या आदेश के वैध निविदा (लिगल टेंडर) की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवें।	इस संबंध में, कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम का संदर्भ ले। 26 की धारा 1934

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited
मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

No. CHO(HR)/RTI/10-9/2017/Vol.IX/4761 Date: 01-12-2017

श्री घनश्याम वर्मा,

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गयी जानकारी ।

महोदय,

कृपया सीपीआईओ तथा अवर सचिव (एसपीएमसी व. कॉइन), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पत्र सं 12/02/2017-कॉइन/672 दिनांक 16.11.2017 का अवलोकन करें जो इस कार्यालय में दिनांक 24.11.2017 को प्राप्त हुआ। जिसमें उन्होने एसपीएमसीआईएल को आपके द्वारा किए गए आरटीआई के बिन्दु सं. 6 (केवल सिक्कों के संबंध) पर सूचना देने का अनुरोध किया है। आपके द्वारा मांगी गई जानकारी एसपीएमसीआईएल के विभाग के रिकोर्डो के अनुसार इस प्रकार है:

<u>बिन्दु सं. 6 का उत्तर</u>

वर्तमान में भारत में 50 पैसे, 1, 2, 5 तथा 10 के सिक्कों <u>के अलावा</u> जितने भी सिक्के बनाए जाते हैं वो सब स्मारक सिक्के कहलाते हैं, आपकी सूचना के लिए एक हज़ार तक के बनाए गए सिक्के वैध निविदा हैं।

अधिक जानकारी के लिए आप India Coinage Act 2011 का संदर्भ लें सकते हैं जो https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/COIN281114.pdf पर उपलब्ध हैं।

2. यदि आपको दी गई जानकारी आपके आरटीआई आवेदन के अनुसार नहीं है तो आप एसपीएमसीआईएल में अपील प्राधिकारी से अपील कर सकते हैं। अपील प्राधिकारी का नाम श्री वी.जे. गुप्ता, अपर महाप्रबंधक तथा पता- 16वां तल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001 है।

भवदीय,

(के.पी. श्रीवास्तव) 01/12/17
जन सूचना अधिकारी

011-23701225-26 पंजीकृत कार्यालयः 16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली–110001 फैक्स/Fax : 011-23701223
011-43582200 Regd. Office: 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110001 E-mail : info@spmcil.com
CIN : U22213DL2006GOI144763

DEPARTMENT OF CURRENCY MANAGEMENT

Before the Appellate Authority under the Right to Information Act, 2005, Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai.

Appeal No.	**RBIND/A/00830** **(arising from RTI No. RBIND/R/2017/04682)**
Appellant:	**Shri Ghanshyam Verma**

Compliance by the Central Public Information Officer with the Order dated December 26, 2017 of the Appellate Authority

Query nos. in the application	Gist of the direction of the Appellate Authority	Compliance
4. क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1934 का कोई नियम (रूल) एवं शासक (रूलर) है? यदि हा तो उसे सूचना के रूप मे प्रगत करे।	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रासंगिक प्रावधानों के हिंदी संस्करण की एक प्रति प्रदान किया जाए।	आपके द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में हम आपका ध्यान हमारे website https://www.rbi.org.in/Scripts/OccasionalPublications.aspx?head=Reserve%20Bank%20of%20India%20Act%20 की ओर आकर्षित करते हैं जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित जानकारी मौजूद हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रासंगिक प्रावधानों के हिन्दी संस्करण की प्रति संलग्न है।
7. क्या जिस विदेशी मुद्रा को भारत की विदेशी मुद्रा भंडार के रूप मे रिजर्व बैंक रखती है। वह विदेशी मुद्रा डॉलर एवं पाउंड आदि का वैद्य निविदा (लीगल टेंडर) है? यदि हाँ तो इसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं।		आवेदन की पुनः समीक्षा की गयी है। विदेशी मुद्रा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 33 का संदर्भ लें।
9. क्या ब्याज का रुपया वैद्य रुपया है? यदि हाँ तो ब्याज के रुपये को वैद्य बटने वाले अधिनियम, नियम या आदेश के वैद्य निविदा (लीगल टेंडर) की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।		ब्याज का रुपया के संबंध में, कृपया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26 का संदर्भ लें। अपीलीय प्राधिकारी के निर्देशानुसार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26 और 33 के हिंदी संस्करण की एक प्रति संलग्न की गई है।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य भारत के लिए एक रिजर्व बैंक का गठन करना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की परिसंघ संरचना उपसमिति ने यह सिफारिश की थी कि "भारतीय प्रत्यय और करेंसी के प्रबंध में विश्वास सुनिश्चित करने के लिए....,..........ठोस नींव पर और किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव से मुक्त एक रिजर्व बैंक की यथासंभव शीघ्र स्थापना करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए जिसे करेंसी और विनिमय का प्रबंध सौंपा जाएगा।" तृतीय गोलमेज सम्मेलन की वित्तीय सुरक्षा समिति ने यह सिफारिश की थी कि "यथासंभव शीघ्र उपरोक्त आधार पर एक रिजर्व बैंक विधेयक भारतीय विधान-मंडल में पुरःस्थापित करने के लिए कदम उठाना चाहिए।" उस समिति की रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि "सेक्रेटरी आफ स्टेट ने वचन दिया है कि रिजर्व बैंक की स्थापना की प्रस्थापनाओं को, जिनके अंतर्गत आरक्षिती से संबंधित प्रस्थापनाएं भी हैं, तैयार करने में प्रतिनिधिक भारतीय राय पर भी विचार किया जाएगा।"

2. उस वचन को प्रभावी करने के लिए एक प्रतिनिधि समिति का गठन किया गया था और उसकी रिपोर्ट की एक प्रति उपाबंध के रूप में संलग्न है। वर्तमान विधेयक का प्रारूप उस समिति की सिफारिशों के अनुसार तैयार किया गया है।

शिमला;
4 सितंबर, 1933

जार्ज शुस्टर

आर टी आई रिजर्व बैंक दिनांक 07.05.2018

सूचना के लिए आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सक्षम– केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी /रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया, मुम्बई

आवेदन का नाम– घनश्याम वर्मा

आवेदन का पता– ... **जिला–देवरिया उ०प्र०।**

अपेक्षित सूचना का विवरण– प्रार्थी को निम्न बिन्दुओं पर हिन्दी में सूचना चाहिए।

1. क्या भारतीय रूपये का अवमूल्यन भरतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अन्तर्गत किया जाता है? यदि हाँ तो उक्त अधिनियम में उल्लेखित धारा की सूचना देते हुए उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
2. क्या प्रार्थी या कोई नागरिक सोने, चाँदी, लोहा, या कागज का रूपया बैंक में जमा करें तो उस पर अंकित मूल्य पर बैंक जमा करेगा या बाजार मूल्य पर जमा करेगा? इसे सूचना के रूप में प्रकट करें।
3. क्या रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नोटों पर लिखे "मै धारक को..........रूपये अदा करने का वचन देता हूँ।" यह वचन रिजर्व बैंक के प्रारम्भिक काल से है या परिवर्तन किया गया वचन है?
   यदि परिवर्तन किया हुआ है,तो
   - रिजर्व बैंक के प्रारम्भ में नोटों पर गवर्नर का वचन क्या होता था?
   - वर्तमान बैंक नोटो पर दिये गये गवर्नर का बचन किस दिनांक व सन् से चल रहा है।
   - रिजर्व बैंक के प्रारम्भ से अब तक कितने बार गवर्नर के वचनों में परिवर्तन किस–किस दिनांक को किये गये है? उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

प्रार्थी

घनश्याम वर्मा

घनश्याम वर्मा

स्थानः ... **जिला देवरिया।**

दिनांकः 07.05.2018

पोस्टल आर्डर फीस का विवरण

44F 272163

सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 हमारी संदर्भ संख्या :RBIND/R/2018/02215

प्रश्न	हमारा उत्तर
1.क्या भारतीय रूपये का अवमूल्यन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत किया जाता है? यदि हाँ , तो युक्त अधिनियम मैं उल्लेकित धारा की सूचना देते हुए उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाए।	हाँ। आरबीआई अधिनियम,1934 की प्रस्तावना से और धाराएं 17(3)(ए), 40 और 45डब्ल्यू से आरबीआई को फॉरेक्स मार्केट परिचालनों के लिए शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रमाणित प्रतिलिपि संगलन है।
2. क्या प्रार्थी या कोई नागरिक सोने, चाँदी लोहा या कागज़ का रुपया बैंक मैं जमा करे तो उसस पर अंकित मूल्य पर बैंक जमा करेगा या बाज़ार मूल्य पर जमा करेगा? इस्रो सूचना के रूप मैं प्रस्तुस्त करें	पूछा गया प्रश्न अस्पष्ट है और मांगी गई जानकारी भी स्पष्ट नहीं है।
3.क्या रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नोटों पर लिखे "मैं धारक को .... रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। " यह वचन रिजर्व बैंक के प्रारम्भिक काल से है या परिवर्तन किया गया वचन है? यदि परिवर्तन किया हुआ है, तो ■ रिजर्व बैंक के प्रारम्भ में नोटों पर गवर्नर का वचन क्या होता था? ■ वर्तमान बैंक नोटो पर दिये गए गवर्नर का वचन किस दिनांक व सन से चल रहा है। रिजर्व बैंक के प्रारम्भ से अब तक कितने बार गवर्नर के वचनों में परिवर्तन किस- किस दिनांक को किया गए हैं? उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रारम्भिक काल से निर्गमित बैंक नोटों पर वचन खंड सिर्फ अंग्रेजी में छापा जाता था, जो था "I promise to pay the bearer a sum of Rupees............" इसके बाद सन 1968 से बैंक नोटों पर अंग्रेज़ी के साथ – साथ हिन्दी मे भी वचन खंड को छापे जाने की प्रथा शुरू की गयी, जिसे आज तक जारी रखा गया है।

भा. रि. बैं., के. का., मुंबई
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग
FINANCIAL MKTS. OPERATIONS DEPTT.
R.B.I., C.O., MUMBAI

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

अधिनियम की प्रस्तावना

भारतीय रिज़र्व बैंक गठित करने के लिए अधिनियम

बैंक-नोटों का निर्गमन करने और [2][भारत] में मुद्रा-स्थिति की सुदृढता बनाए रखने की दृष्टि से आरक्षित राशियों का रखा जाना नियत्रित करने के लिए तथा समष्टिगत रूप से देश की करेंसी और प्रत्यय व्यवस्था को देश के लाभार्थ चलाने के लिए एक रिज़र्व बैंक का गठित करना समीचीन है;

धारा 17

रिज़र्व बैंक एतत्पश्चात विनिर्दिष्ट अनेक प्रकार के कारबार चलाने और उनका निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत होगा, अर्थात :-

3 (क) [विदेशी मुद्रा] अनुसूचित बैंको,''' से खरीदना और उनको बेचना;''''

धारा 40

रिज़र्व बैंक किसी ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति को या से, जो मुंबई, कलकता, दिल्ली या मद्रास के उसके कार्यालय में [9][या उसकी ऐसी शाखाओं में, जैसी केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे,] इसकी बाबत मांग करता है, विनिमय की ऐसी दरो पर और ऐसी शर्तों पर, जो केंद्रीय सरकार जहां तक विनिमय दरों का संबंध है अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा निधि की अपनी बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय करेगा;

धारा 45W

डेरिवेटिव, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंटस आदि मे लेनदेन को विनियमित करने की शक्ति। (1) रिज़र्व बैंक, सार्वजनिक हित मे, या अपने फायदे के लिए देश की वितीय प्रणाली को विनियमित करने, ब्याज दरों या ब्याज दर उत्पादों से संबंधित नीति का निर्धारण कर सकता है और उस तरफ सभी एजेंसियों या उनमें से कोई भी निर्देश दे सकता है प्रतिभूतिया, मुद्रा बाजार के साधन, विदेशी मुद्रा, डेरिवेटिव या अन्य तरह के औजार जैसे कि बैंक समय-समय पर निर्दिष्ट हो सकते हैं:

THE RESERVE BANK OF INDIA ACT 1934

Preamble to the Act

An Act to constitute a Reserve Bank of India

WHEREAS it is expedient to constitute a Reserve Bank for India to regulate the issue of Bank notes and the keeping of reserves with a view to securing monetary stability in 2[India] and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage

Section 17
The Bank shall be authorized to carry on and transact the several kinds of business hereinafter specified, namely:-

B. (3) *(a)* the purchase from and sale to scheduled banks 1* * * of foreign exchange* * *

Section **40.** The Bank shall sell to or buy from any authorised person who makes a demand in that behalf at its office in Bombay, Calcutta, Delhi or Madras 3[or at such of its branches as the Central Government may, by order, determine], foreign exchange at such rates of exchange and on such conditions as the Central Government may from time to time by general or special order determine, having regard so far as rates of exchange are concerned to its obligations to the International Monetary Fund

45W. Power to regulate transactions in derivatives, money market instruments, etc.

(1) The Bank may, in public interest, or to regulate the financial system of the country to its advantage, determine the policy relating to interest rates or interest rate products and give directions in that behalf to all agencies or any of them, dealing in securities, money market instruments, foreign exchange, derivatives, or other instruments of like nature as the Bank may specify from time to time:

आर टी आई रिजर्व बैंक दिनांक 12.09.2018

सूचना के लिए आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005

समक्ष– केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/ भारतीय रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, मुम्बई।

आवेदक का नामः घनश्याम वर्मा

आवेदक का पताः जि0 देवरिया उ0प्र0।

आपेक्षित सूचना का विवरण– प्रार्थी को निम्न बिन्दुओं पर हिन्दी में सूचना चाहिए।

1. क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारम्भिक काल से निर्गमित बैंक नोटों पर गर्वनर का बचन खण्ड सिर्फ अंग्रेजी में **"I PROMISE TO PAY THE BEARER ON DEMAND THE SUM OF————RUPEES AT ANY OFFICE OF ISSUE"** लिखा (छापा) जाता था या नही ?
   यदि यही उपरोक्त बचन खण्ड लिखा (छापा) जाता था तो,
   यह गर्वनर का बचन खण्ड किस दिनांक व सन् में परिवर्तन किया गया ? इसकी प्रमाणिक सूचना उपलब्ध करावें।
2. क्या भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक नोटों पर लिखें गर्वनर के बचन खण्ड के परिवर्तन करने का प्राविधान किसी अधिनियम, नियम, या संविधान में उल्लेखित है ? यदि हां तो उस उल्लेखित अधिनियम, नियम, या संविधान की धारा की जानकारी देते हुए उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्द्ध करावें।
3. क्या रिजर्व बैंक के परिचालन हेतु प्रारम्भिक काल में शेयर होल्डर थे ? यदि हां तो रिजर्व बैंक के प्रारम्भिक काल में शेयर होल्डरों की संख्या कुल कितनी थी ? उनका नाम एवं परिचय क्या है/था ? इसकी प्रमाणिक प्रतिलिपि उपलब्द्ध करावें।
4. क्या धातुओं से बने रुपयें के सिक्कों को बैंक द्वारा सिक्कों पर अंकित मूल्य के अनुसार जमा करता है ? या धातुओं के बाजार दर के अनुसार जमा करता है ?
   इसकी प्रमाणिक सूचना उपलब्द्ध करावें।
5. क्या बैंक प्राप्त ब्याज के रुपयें को मूलधन में परिवर्तन करता है या नही ? यदि हां तो – 01 अप्रैल सन 1960 से 31 मार्च सन् 2018 तक प्राप्त रुपयें के ब्याज को मूलधन में परिवर्तन किये गये रुपयें की मात्रा कितनी है ? प्रत्येक वर्ष कितने–कितने ब्याज के रुपयें को मूलधन में परिवर्तन किया गया ? इसका ब्यौरा उपलब्ध कराते हुए सूचना के रुप में प्रगट करें।
6. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की स्थापना किस शासक (RULER) के द्वारा स्थापित किया गया ? उस शासक के नाम को सूचना के रुप में प्रकट करें

स्थानः जिला देवरिया

दिनाकः 12·9·2018

पोस्टल आर्डर का विवरणः
नं. 44 F 272355

प्रार्थी

घनश्याम वर्मा

घनश्याम वर्मा

मो0 :

Annex

RBIND/R/2018/03918/2

Shri Ghanshyam Verma

प्रश्न संख्या	प्रश्न	जवाब
1	क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारम्भिक काल से निर्गमित बैंक नोटों पर गवर्नर का बचन खंड सिर्फ अँग्रेजी में "I PROMISE TO PAY THE BEARER ON DEMAND THE SUM OF ____ RUPEES AT ANY OFFICE OF ISSUE" लिखा छापा जाता था या नहीं? यदि यही उपरोक्त बचन खंड लिखा (छापा) जाता था तो, यह गवर्नर का बचन खंड किस दिनांक व सन में परिवर्तन किया गया? इसकी प्रमाणिक सूचना उपलब्ध करावें।	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रारम्भिक काल से निर्गमित बैंक नोटों पर वचन खंड सिर्फ अंग्रेज़ी में छापा जाता था, जो था "I promise to pay the bearer a sum of Rupees............" इसके बाद सन 1968 से बैंक नोटों पर अंग्रेज़ी के साथ - साथ हिन्दी मे भी वचन खंड को छापे जाने की प्रथा शुरू की गयी, जिसे आज तक जारी रखा गया है।
2	क्या भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक नोटों पर लिखे गवर्नर के बचन खंड के परिवर्तन करने का प्रावधान किसी अधिनियम, नियम या संविधान में उल्लेखित है? यदि हाँ तो उस उल्लेखित अधिनियम, नियम, या संविधान क धारा की जानकारी देते हुए उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के धारा 25 के अनुसार बैंक नोट के डिज़ाइन, रूप और सामग्री से संबन्धित सभी निर्णय केन्द्रीय बोर्ड द्वारा की गयी सिफ़ारिश पर विचार करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का होता है।
3	क्या रिजर्व बैंक के परिचालन हेतु प्रारम्भिक काल मे शेयर होल्डर थे?यदि हाँ तो रिजर्व बैंक के परिचालन हेतु प्रारम्भिक काल मे शेयर होल्डरों की संख्या कुल कितनी थी? उनका नाम एवं परिचय क्या है / था? इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।	भारतीय रिज़र्व बैंक के मूल शेयरधारकों की संख्या विभिन्न रजिस्टरों में निम्नानुसार थी: बॉम्बे - 28,000 कलकत्ता - 23,890 दिल्ली - 23,000 मद्रास - 14,000, एवं रंगून - 3,157 उपरोक्त शेयरों के आबंटन से संबंधित जानकारी पुणे स्थित हमारे अभिलेखागार में उपलब्ध चार रजिस्टरों में हैं। प्रत्येक रजिस्टर में लगभग 240 पृष्ठ हैं। चूंकि सभी अभिलेख बड़े हैं, अत: यदि आपकी ऐसी इच्छा हो तो, अपनी

		लागत पर निम्नलिखित पते पर स्थित हमारे अभिलेखागार की पूर्व अनुमति से इन रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकते हैं: डॉ. आर. एल. साहू, मुख्य पुरालेखपाल कृषि बैंकिंग महाविद्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक विश्वविद्यालय रोड पुणे – 411 016 फोन : 020 2553 7086 ईमेल : rbiarchives@rbi.org.in
4	क्या धातुओं से बने रुपये के सिक्कों को बैंक द्वारा सिक्कों पर अंकित मूल्य के अनुसार जमा करता है? या धातुओं के बाज़ार दर के अनुसार जमा करता है? इसकी प्रमाणिक सूचना उपलब्ध काराएँ।	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के धारा 33 (4) के प्रावधानों के अंतर्गत रुपये के सिक्कों का मूल्य अपने अंकित मूल्य के अनुसार लगाया जाता है।
5	क्या बैंक प्राप्त ब्याज के रुपये को मूलधन में परिवर्तन करता है या नहीं ? यदि हाँ तो -01 अप्रैल सन 1960 से 31 मार्च सान 2018 तक प्राप्त रूप ये के ब्याज को मूलधन में परिवर्तन किए गाय रूपये की मात्रा कितनी है? प्रत्येक वर्ष कितने - कितने ब्याज के रुपये को मूलधन में परिवर्तन किया गया? इसका ब्योरा उपलब्ध कराते हुए सूचना के रूप में प्रगत करे।	वांछित जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
6	रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्थापना किस शासक (RULER) के द्वारा स्थापित किया गया? उस शासक के नाम को सूचना के रूप मेन प्रकट करें।	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में 'शासक' या 'रूलर' का कोई प्रावधान नहीं है|

भारतीयरिज़र्वबैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

कें.का. मा.सं.प्र.वि. आर.आई.ए. सं. S752 /07.50.05/2020-21 26 मार्च 2021

By Speed Post

श्री घनश्याम वर्मा
जि. देवरिया
उत्तर प्रदेश 274701

महोदय, **केंद्रीय सूचना आयोग – द्वितीय अपील सं. CIC/RBIND/A/2019/103258**	Sir, **Central Information omission- 2nd appeal No. CIC/RBIND/A/2019/103258**
द्वितीय अपील सं. CIC/RBIND/A/2019/103258 के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग के दिनांक 08 मार्च 2021 के आदेशानुसार कृपया अपने प्रश्नों के उत्तर संलग्न प्राप्त करें।	In terms of Central Information Commission order dated March 08, 2021 in respect of your 2nd appeal No. CIC/RBIND/A/2019/103258, please find attached reply to your queries.

भवदिय/Yours faithfully

(अशोक जे परीख)
केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
Central Public Information Officer

संलग्न: यथोक्त

मानवसंसाधनप्रबंधविभाग, आर.आई.ए.प्रभाग, केन्द्रीयकार्यालय, 21 मंजिल, भारतीयरिजर्वबैंक, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई 400 001,
टेली022-2264 2678, फैक्स 022 2263 2480, E-mail: cpiorbi@rbi.org.in
Human Resource Management Department, RIA Division, Central Office, Reserve Bank of India, 21st Floor, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai 400 001. Tel 022-2264 2678फैक्स022 22632480 – E-mail: cpiorbi@rbi.org.in

RIA No. RBIND/R/2018/03918

No.	प्रश्न	जवाब
1	क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारम्भिक काल से निर्गमित बैंक नोटों पर गवर्नर का बचन खंड सिर्फ अँग्रेजी में "I PROMISE TO PAY THE BEARER ON DEMAND THE SUM OF RUPEES AT ANY OFFICE OF ISSUE" लिखा (छापा) जाता था या नहीं? यदि यही उपरोक्त बचन खंड लिखा (छापा) जाता था तो, यह गवर्नर का बचन खंड किस दिनांक व सन में परिवर्तन किया गया? इसकी प्रमाणिक सूचना उपलब्ध करावें।	प्रारंभिक काल से निर्गमित बैंक नोटों पर गवर्नर का वचन खंड सिर्फ अँग्रेजी में निम्न प्रकार छापा जाता था। "I PROMISE TO PAY THE BEARER ON DEMAND THE SUM OF RUPEES AT ANY OFFICE OF ISSUE" उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसे बाद में द्विभाषी रूप में नीचे दिये गए वचन खंड से बदला गया : "I promise to pay the bearer the sum of Rupees मैं धारक को रुपये अदा करने का वचन देता हूँ इस संबंध में, कृपया हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर निम्लिखित लिंक पर उपलब्ध जानकारी को भी देखें: https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/PDFs/90042.pdf https://www.rbi.org.in/hindi1/Upload/content/pdfs/04HMC010/2020_AN/.pdf
2	क्या भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक नोटों पर लिखे गवर्नर के बचन खंड के परिवर्तन करने का प्रावधान किसी अधिनियम, नियम या संविधान में उल्लेखित है? यदि हाँ तो उस उल्लेखित अधिनियम, नियम, या संविधान की धारा की जानकारी देते हुए उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक नोट जारी किए जाते है। इस अधिनियम की धारा 25 के अनुसार बैंक नोट के डिज़ाइन, रूप और सामग्री से संबन्धित सभी निर्णय केन्द्रीय बोर्ड द्वारा की गयी सिफ़ारिश पर विचार करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का होता है। यह अधिनियम हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in > प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत उपलब्ध है।
5	क्या बैंक प्राप्त ब्याज के रुपए को मूलधन मे परिवर्तन करता है या नहीं? यदि हाँ तो 01 अप्रैल सन 1960 से 31 मार्च सन 2018 तक प्राप्त रुपए के ब्याज को मूलधन मे परिवर्तन किए गए रुपए की मात्र कितनी है? प्रत्येक वर्ष कितने कितने ब्याज के रुपए को मूलधन मे परिवर्तन किया गया? इसका ब्योरा उपलब्ध कराते हुए सूचना के रूप मे प्रगट करें।	वांछित जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

आर टी आई वित्त मंत्री भारत सरकार दिनांक 23.09.2020

सूचना के लिए आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

समक्ष- केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/वित्तमंत्री, भारत सरकार
वित्तमंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

आवेदक का नाम- घनश्याम वर्मा

आवेदक का पता- . जिला- देवरिया (उ.प्र.)

आपेक्षित सूचना का विवरण- प्रार्थी को निम्न बिन्दुओं पर हिन्दी में सूचना चाहिए।

1- क्या भारतीय रूपये के अवमूल्यन करने का प्रावधान किसी अधिनियम, नियम या संविधान में उल्लेखित है? यदि हाँ, तो उस अधिनियम, नियम या संविधान में उल्लेखित धारा की जानकारी देते हुए। उसकी प्रमाणिक प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

2- क्या भारत सरकार ने 15 अगस्त 1947 के बाद, उसके द्वारा धारण किये गये सोना(स्वर्ण) को भारत राज्य क्षेत्र के बाहर किसी देश या किसी प्राधिकारी के अधीन किसी संव्यवहार के तहत रखा गया है? यदि हाँ, तो उस देश या प्राधिकारी के नाम का उल्लेख करे।
जिसके संव्यवहार में रखे गये सोने(स्वर्ण) की मात्रा व दिनाँक का उल्लेख करें। एवं ऐसे संव्यवहार को कार्यान्वित कराने का आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

3- क्या करेंसी नोटों पर उल्लेखित "केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत" से क्या तात्पर्य है? केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिभूति के लिए क्या दिया जाता है व मात्रात्मक परिणाम क्या होता है? इसे सूचना के रूप में प्रकट करें।

4- क्या रिजर्व बैंक भारत सरकार को स्टाम शुल्क, आयकर एवं अधिकर देती है या नहीं? यदि नही, तो-
इस प्रकार के छुट देने वाले शासक (RULER) का नाम सूचना के रूप में प्रकट करें।

5- भारत सरकार के पास रखे हुए कोष में सोने, चाँदी के सिक्के, सिलियों एवं विदेशी मुद्रा भण्डार की मात्रात्मक परिणाम क्या है? इसे सूचना के रूप में प्रकट करें।

स्थान- जिला- देवरिया
दिनाँक- 23-09-2020
पोस्टल आर्डर फीस का विवरण-
पोस्टल आर्डर नम्बर :
51F 636042

प्रार्थी
घनश्याम वर्मा
घनश्याम वर्मा
मो.नं.

सं . 6/1/2020- मुद्रा
भारत सरकार
वित मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(मुद्रा और सिक्का प्रभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 21.10.2020

सेवा में,

श्री घनश्याम वर्मा,

....र,

जिला- देवरिया

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में

महोदय,

कृपया व्यय विभाग के पत्र संख्या 11(17)/2020-आर. टी. आई. दिनांक 01.10.2020 द्वारा हस्तांतरित सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपने आवेदन दिनांक 23.09.2020 जिसे इस विभाग के आर टी आई सेल से रजिस्ट्रेशन न. DOEAF/R/P/20/00141 दिनांक 12/10/2020 के द्वारा प्राप्त हुआ, का संदर्भ लें । इसके संदर्भ में निम्नलिखित सूचना प्रदान की जाती है:-

बिन्दु संख्या 1: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के धारा 26(2) की प्रति एवं दिनांक 08.11.2016 की अधिसूचना की प्रति संलग्न है। इस केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

बिन्दु संख्या 2: श्री रितेश कुमार , सहायक निदेशक & केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, डब्लयू एंड एम (W & M) सेक्शन तथा श्रीमति तरुणा ओलिया, उप निदेशक & केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, एफ डी आई (FDI) सेक्शन, नॉर्थ ब्लॉक , नई दिल्ली को इलेक्ट्रोनिक माध्यम (RTIMIS) द्वारा भेज दिया गया है।

बिन्दु संख्या 3: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के धारा 26(1) की प्रति संलग्न है।

बिन्दु संख्या 4: इस केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

बिन्दु संख्या 5: श्रीमति प्रेरणा जोशी , सहायक निदेशक & केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ट्रेड, बैलेन्स ऑफ पेमेंट & ग्लोबल इकोनॉमी डेब्लपमेंट सेक्शन तथा श्रीमति तरुणा ओलिया, उप निदेशक & केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, एफ डी आई (FDI) सेक्शन, नॉर्थ ब्लॉक , नई दिल्ली को इलेक्ट्रोनिक माध्यम (RTIMIS) द्वारा भेज दिया गया है।

3. यदि आप उतर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप श्री अखिलेश कुमार मिश्रा, निदेशक,कमरा न. 70 –सी , आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -01, दूरभाष सं. 23092995 को उतर प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,
राजसिंह 23/10/2020
(राजीव रंजन सिंह)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाष 23095753

प्रतिलिपि:

1. श्री मनीष कुमार मितल, अवर सचिव (समन्वय), वितीय सेवा विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, कमरा न. 32, तीसरा ताल, संसद मार्ग, नई दिल्ली

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2653] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 8, 2016/कार्तिक 17, 1938

No. 2653] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 8, 2016/KARTIKA 17, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवंबर, 2016

का.आ. 3408(अ).—केंद्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 8 नवंबर, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 10/3/2016-सीवाई-I तारीख 8 नवंबर, 2016 द्वारा यह घोषणा की है कि पांच सौ रुपए तथा एक हजार रुपए के अंकित मूल्य की विद्यमान शृंखलाओं के बैंक नोट (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट बैंक नोट कहा गया है) 9 नवंबर, 2016 से ही वैध मुद्रा नहीं रहेगी ;

और विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का प्रयोग करने वाले कतिपय आपातिक और अत्यावश्यक संव्यवहार करने में जनता की सुविधा के लिए कतिपय छूटों को अधिसूचित करना आवश्यक हो गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि विनिर्दिष्ट बैंक नोट 9 नवंबर, 2016 से 11 नवंबर, 2016 तक नीचे विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के विस्तार तक वैध मुद्रा नहीं रहेगी, अर्थात् :–

(क) चिकित्सकों के नुस्खों के साथ औषधियां क्रय करने के लिए सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार और फार्मेसी के लिए सरकारी अस्पतालों में संदाय करने हेतु ;

(ख) रेल टिकट काउंटरों, सरकारी या पब्लिक सेक्टर उपक्रम की बसों के टिकट काउंटरों पर और टिकट के क्रय के लिए विमानपत्तनों पर एयरलाइन टिकट काउंटरों पर ;

(ग) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के प्राधिकार के अधीन प्रचालित उपभोक्ता सहकारी भंडारों पर क्रय के लिए ;

(घ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे दुग्ध बूथों पर क्रय के लिए ;

5200 GI/2016 (1)

प्रमाणित 23/10/2020

R. SINGH
Under Secretary
Deptt. of Eco. Affairs
Ministry of Finance
Govt. of India
New Delhi

(ङ) पब्लिक सेक्टर तेल विपणन कंपनियों के प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे स्टेशनों से पेट्रोल, डीजल और गैस के क्रय के लिए ;

(च) शवदाह गृहों और कब्रिस्तानों में संदाय के लिए ;

(छ) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों में, आगमन और प्रस्थान करने वाले ऐसे यात्रियों के लिए, जो ऐसे विनिर्दिष्ट बैंक नोट रखते हैं, जिनका मूल्य वैध मुद्रा विशेषता रखने वाले नोटों के लिए उनका विनिमय करने के लिए पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है ;

(ज) विदेशी पर्यटकों के लिए, विदेशी मुद्रा या विनिर्दिष्ट बैंक नोट, जिनका मूल्य, वैध मुद्रा की विशेषता रखने वाले नोटों के लिए उनका विनिमय करने के लिए पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है, का विनिमय करने के लिए।

2. पैरा 1 में निर्दिष्ट सभी स्थापन 9 नवंबर, 2016 और 11 नवंबर, 2016 के बीच की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोटों से किए गए संव्यवहारों के स्टॉक और विक्रय के अभिलेख का पूरा लेखा-जोखा रखेंगे।

[फा.सं. 10/03/2016-सीवाई. I]

डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2016

S.O. 3408(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, *vide* F. No. 10/3/2016-Cy.I dated 8th November, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 8th November, 2016, the Central Government declared that the bank notes of existing series of denomination of the value of five hundred rupees and one thousand rupees (hereinafter referred to as the specified bank notes), shall cease to be legal tender on and from the 9th November, 2016;

And whereas, it has become necessary to notify certain exemptions for the convenience of the members of public in carrying out certain emergent and urgent transactions using the specified bank notes;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby declares that the specified bank notes shall not be ceased to be legal tender, with effect from the 9th November, 2016 until the 11th November, 2016, to the extent of transactions specified below, namely:—

(a) for making payments in Government hospitals for medical treatment and pharmacies in Government hospitals for buying medicines with doctor's prescription;

(b) at railway ticketing counters, ticket counters of Government or Public Sector Undertakings buses and airline ticketing counters at airports for purchase of tickets;

(c) for purchases at consumer cooperative stores operated under authorisation of Central or State Governments;

(d) for purchase at milk booths operating under authorisation of the Central or State Governments;

(e) for purchase of petrol, diesel and gas at the stations operating under the authorisation of Public Sector Oil Marketing Companies;

(f) for payments at crematoria and burial grounds;

(g) at international airports, for arriving and departing passengers, who possess specified bank notes, the value of which does not exceed five thousand rupees to exchange them for notes having legal tender character;

(h) for foreign tourists to exchange foreign currency or specified bank notes, the value of which does not exceed five thousand rupees to exchange them for notes having legal tender character.

2. All establishments referred to in paragraph 1, shall maintain complete account of record of stock and sale of transactions made with the specified bank notes during the period between 9th November, 2016 and 11th November, 2016.

[F. No. 10/03/2016-Cy. I]
Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.

22/10/2020

राजीव रंजन सिंह / RAJIV R. SINGH
अवर सचिव / Under Secretary
आर्थिक कार्य विभाग / Deptt. of Eco. Affairs
वित्त मंत्रालय / Ministry of Finance
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के द्वारा उद्धरित

(क) उसके धन संबंधी, विप्रेषणादेशों संबंधी, विनिमय संबंधी और भारत में के बैंककारी संबंधी सब संव्यवहार, जिसके अंतर्गत बिना ब्याज के रिजर्व बैंक में निक्षिप्त नकद अतिशेष विशेष रूप से है, कर सकेगा; और

(ख) उस राज्य के लोक ऋण का प्रबंध और नए उधारों का निर्गमन कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया कोई करार किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के समक्ष रखा जाएगा।

[1][**21ख. रिजर्व बैंक और कुछ राज्यों की बीच सन् 1956 की पहली नवम्बर से पूर्व किए गए करारों का प्रभाव**—(1) रिजर्व बैंक और निम्नलिखित स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के बीच, धारा 21 या धारा 21क के अधीन किया गया और 1956 के नवम्बर के प्रथम दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त, कोई करार उस दिन से ऐसे प्रभाव रखेगा मानो वह रिजर्व बैंक और तत्स्थानी राज्य की सरकार के बीच धारा 21क के अधीन उस दिन उस करार के साधारण प्रवर्तन को प्रभावित न करने वाले ऐसे उपान्तरों सहित, यदि कोई हों, किया गया करार हो जैसे रिजर्व बैंक और तत्स्थानी राज्य की सरकार के बीच करार पाए जाएं या ऐसे करार के अभाव में जैसे केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा किए जाएं।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "तत्स्थानी राज्य" से,—

(क) रिजर्व बैंक और आन्ध्र राज्य के बीच करार की दशा में आन्ध्र प्रदेश राज्य;

(ख) रिजर्व बैंक और किसी अन्य भाग क राज्य के, जैसा वह 1956 के नवम्बर के प्रथम दिन के पूर्व वर्तमान था, बीच करार की अवस्था में उसी नाम वाला राज्य; और

(ग) रिजर्व बैंक और भाग ख राज्य मैसूर या तिरुवांकुर-कोचीन के बीच, जैसा वह 1956 के नवम्बर के प्रथम दिन से पूर्व वर्तमान था, करार की दशा में क्रमशः मैसूर या केरल राज्य अभिप्रेत है।

(2) रिजर्व बैंक और भाग ख राज्य हैदराबाद, मध्य भारत या सौराष्ट्र की सरकार के बीच धारा 21क के अधीन हुए किसी करार की बाबत यह समझा जाएगा कि उसका पर्यवसान सन् 1956 के अक्तूबर के 31वें दिन को हो गया है।]

22. बैंक-नोट निर्गमित करने का अधिकार—(1) रिजर्व बैंक को [2][भारत] में बैंक-नोट निर्गमित करने का एकल अधिकार होगा और वह उस काल के लिए जिसे केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिश पर नियत करेगी, [3][केन्द्रीय सरकार] द्वारा अपने को दिए गए करेंसी नोट निर्गमित कर सकेगा और जब तक कि कोई प्रतिकूल आशय न प्रतीत हो बैंक-नोटों को इस अधिनियम के जो उपबन्ध लागू हैं वे [3][केन्द्रीय सरकार] द्वारा या रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित किए गए भारत सरकार के सारे करेन्सी नोटों को उसी रीति से लागू होंगे मानो ऐसे करेन्सी नोट बैंक-नोट हों और इस अधिनियम में बैंक-नोटों के प्रति निर्देशों का अर्थ तदनुसार किया जाएगा।

(2) उस तारीख से ही जिससे यह अध्याय प्रवृत्त होता है [3][केन्द्रीय सरकार] कोई करेन्सी नोट निर्गमित नहीं करेगी।

23. निर्गमन विभाग—(1) बैंक-नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमन विभाग से किया जाएगा जो बैंककारी विभाग से पृथक् कर दिया जाएगा और पूर्णतः सुभिन्न रहेगा और निर्गमन विभाग की आस्तियां धारा 34 में एतत्पश्चात् यथापरिभाषित निर्गमन विभाग के दायित्वों से भिन्न किसी दायित्व के अधीन नहीं होंगी।

(2) निर्गमन विभाग, बैंककारी विभाग या किसी अन्य व्यक्ति को बैंक-नोट या अन्य बैंक नोटों के या ऐसे सिक्कों, सोना-चांदी या प्रतिभूतियों के विनिमय में ही निर्गमित करेगा जिनका आरक्षित निधि का एक भाग होना इस अधिनियम द्वारा अनुज्ञात है अन्यथा नहीं।

[4]* * * * *

[5][**24. नोटों का अंकित मूल्य**—(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए बैंक नोट दो रुपए, पांच रुपए, दस रुपए, बीस रुपए, पचास रुपए, सौ रुपए, पांच सौ रुपए, एक हजार रुपए, पांच हजार रुपए और दस हजार रुपए या दस हजार रुपए से अनधिक ऐसे अन्य अंकित मूल्य के होंगे जो केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(2) केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिश पर यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे अंकित मूल्य के बैंक-नोटों का, जो वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, निर्गमन न किया जाए या निर्गमन करना बन्द कर दिया जाए।]

25. बैंक-नोटों का रूप—बैंक-नोट ऐसे डिजाइन, रूप और सामग्री के होंगे जो केन्द्रीय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् [3][केन्द्रीय सरकार] द्वारा अनुमोदित की जाए।

26. नोट वैध निविदा होंगे—(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक बैंक-नोट [2][भारत] में किसी भी स्थान में उसमें अभिव्यक्त राशि की अदायगी में या लेखे वैध निविदा होगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत होगा।

प्रमाणित
3/11/2022
राजीव रंजन / RAJIV R. SINGH

[1] 1956 के अधिनियम सं० 37 की धारा 104 द्वारा (1-11-1956 से) अंतःस्थापित।
[2] 1951 के अधिनियम सं० 32 की धारा 2 द्वारा (1-11-1951 से) "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मोनेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[4] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मोनेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंतःस्थापित उपधारा (3) का 1947 के अधिनियम सं० 11 की धारा 13 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।
[5] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 25 द्वारा (1-2-1969 से) धारा 24 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के द्वारा उद्धरित

(2) केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि ऐसी तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, किसी अंकित मूल्य के बैंक-नोटों का कोई क्रम [1][रिजर्व बैंक के ऐसे कार्यालय या अभिकरण ही या ऐसे विस्तार तक में वैध निविदा रहेगा जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, अन्यथा नहीं।]

[2]* * * * * *

[3][26क. **कुछ बैंक-नोट वैध निविदा न रहेंगे**—धारा 26 में किसी बात के होते हुए भी 1946 की जनवरी के तेरहवें दिन के पूर्व निर्गमित पांच सौ रुपए, एक हजार रुपए या दस हजार रुपए के अंकित मूल्य का कोई बैंक-नोट उसमें अभिव्यक्त राशि की अदायगी या लेखे वैध निविदा नहीं रहेगा।]

27. नोटों पर पुन: निर्गमन—रिजर्व बैंक ऐसे बैंक-नोटों को, जो फटे हुए, विरूपित या अत्यधिक मैले हैं, फिर से निर्गमित नहीं करेगा।

28. खोए गए, चोरी किए गए, विकृत या अपूर्ण नोटों का प्रत्युद्धरण—[4]*** किसी अधिनियमिति या विधि-नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक से भारत सरकार के किसी खोए हुए, चोरी किए गए, विकृत या अपूर्ण करेन्सी-नोट का मूल्य अधिकारेण प्रत्युद्धृत करने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु रिजर्व बैंक [5][केन्द्रीय सरकार] की पूर्व मंजूरी से वे परिस्थितियां जिनमें और वे शर्तें और परिसीमाएं विहित कर सकेगा, जिनके अधीन, ऐसे करेन्सी-नोटों या बैंक-नोटों का मूल्य अनुग्रह स्वरूप प्रतिदत्त किया जा सकेगा, और इस परन्तुक के अधीन बनाए गए नियम [6]*** [7][संसद] के पटल पर रखे जाएंगे।

[4]* * * * * *

[8][28क. **कुछ दशाओं में विशेष बैंक-नोटों और एक रुपए के विशेष नोटों का निर्गमन**—(1) भारत के बाहर बैंक-नोटों के परिचालन को नियंत्रित करने के प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, पांच रुपए, दस रुपए और एक सौ रुपए के अंकित मूल्यों वाले ऐसे डिजाइन, रूप और सामग्री के, जो उपधारा (3) के अधीन अनुमोदित की जाए, बैंक-नोट (जिन्हें एतत्पश्चात् इस धारा में विशेष बैंक-नोट कहा गया है) निर्गमित कर सकेगा।

(2) भारत के बाहर सरकार के एक रुपए के नोटों के परिचालन को नियंत्रित करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या करेन्सी अध्यादेश, 1940 (1940 का अध्यादेश सं० 4) में किसी बात के होते हुए भी, एक रुपए के अंकित मूल्य वाले ऐसे डिजाइन, रूप और सामग्री के, जो उपधारा (3) के अधीन अनुमोदित की जाए, भारत सरकार के नोट (जिन्हें एतत्पश्चात् इस धारा में एक रुपए का विशेष नोट कहा गया है) निर्गमित कर सकेगी।

(3) विशेष बैंक-नोटों का डिजाइन, रूप और सामग्री ऐसी होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उन सिफारिशों पर, जो गवर्नर द्वारा की गई है, विचार करने के पश्चात् अनुमोदित की जाए और एक रुपए के विशेष नोटों का डिजाइन, रूप और सामग्री ऐसे होगी जिसे अपनाना केन्द्रीय सरकार ठीक समझे।

(4) न तो विशेष बैंक-नोट और न एक रुपए के विशेष नोट ही भारत में वैध निविदा होंगे।

(5) एक रुपए के विशेष नोट के बारे में यह समझा जाएगा कि वह धारा 39 के सिवाय इस अधिनियम के सब प्रयोजनों के लिए "रुपए का सिक्का" पद के अन्तर्गत है किन्तु यह न समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी के लिए करेन्सी नोट है।

(6) जहां विशेष बैंक-नोट में उसका किसी विनिर्दिष्ट कार्यालय या रिजर्व बैंक की शाखा में देय होना अभिव्यक्त है वहां धारा 39 द्वारा अधिरोपित बाध्यता केवल उस विनिर्दिष्ट कार्यालय या शाखा पर होगी किन्तु ऐसे विनियमों के अधीन रहते हुए ही होगी जो इस धारा के अधीन बनाए जाएं।

(7) इस धारा के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए जिन विषयों के लिए उपबन्ध करना आवश्यक या सुविधापूर्ण है उन सब विषयों के लिए और विशिष्टतया उस रीति के लिए जिससे और उन शर्तों और परिसीमाओं के लिए जिनके अधीन रहते हुए—

(i) भारत के बाहर किसी देश में परिचालित बैंक-नोटों और एक रुपए के नोटों को इस धारा के अधीन निर्गमित विशेष नोटों से बदला जा सकेगा;

---

[1] 1951 के अधिनियम सं० 32 की धारा 13 द्वारा (1-11-1951 से) "बैंक के किसी कार्यालय या अभिकरण के सिवाय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मोनेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंत:स्थापित उपधारा (3) का 1947 के अधिनियम सं० 11 की धारा 14 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।

[3] 1956 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) अंत:स्थापित।

[4] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मोनेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंत:स्थापित कोष्ठक और अंक "(1)" और उपधारा (2) का 1947 के अधिनियम सं० 11 की धारा 15 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।

[5] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मोनेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "दोनों सदनों के" शब्दों का लोप किया गया।

[7] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "केन्द्रीय विधान-मंडल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[8] 1959 के अधिनियम सं० 14 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

DCM (IFCD) No. 56791 /06.08.05/2021-22 May 18, 2021

Speed Post

Shri Ghanshyam Verma

Dist – Devariya
Uttar Pradesh – 274701

RTI No. RBIND/R/P/20/03143 dated 09/12/2020
Appeal No. RBIND/A/P/20/00139 dated 16/03/2021

महोदय,

कृपया अपनी 16 मार्च, 2021 की अपील देखें। इस संबंध में, हम आपकी जानकारी के लिए प्रथम अपीलकर्ता प्राधिकारी (एफएए) का दिनांक 11 मई, 2021 का आदेश अग्रेषित करते हैं। प्रथम अपीलकर्ता प्राधिकारी के निर्देश के अनुसार, उत्तर नीचे दिया गया है।

Sr. No.	Query	Reply
02.	क्या भारत सरकार ने 15 अगस्त 1947 के बाद उसके द्वारा धारण किए गये सोने(स्वर्ण) को भारत राज्य क्षेत्र के बाहर किसी देश या किसी प्राधिकारी के अधीन किसी संव्यवहार के तहत रखा गया गया है? यदि हाँ तो उसस देश या प्राधिकारी के नाम का उल्लेख करें। जिसके संव्यवहार में रखे गए सोने की मात्र व दिनांक का भी उल्लेख करें एवं ऐसे संव्यवहार को कार्यान्वित कराने का आदेश की प्रमाणित उपलब्ध करायें।	आरक्षित निधि प्रबंधन नीति के भाग और संसाधन जुटाने के एक तरीके के रूप में, जुलाई 1991 में, रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ जापान (बीओजे) और बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) के पास 46.91 टन स्वर्ण गिरवी रखा और 405.0 मिलियन यूएस $ का ऋण लिया। इस ऋण का मोचन रिज़र्व बैंक ने सितंबर और नवंबर 1991 के बीच चुकौती द्वारा किया। स्रोत: आरबीआई का इतिहास, खंड IV

भवदीय / Yours faithfully

(Subrata Das / सुब्रत दास)

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी / Central Public Information Officer

मुद्रा प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय, अमर भवन, चौथी मंजिल, सर पी. एम. रोड, मुंबई - 400 001
दूरभाष: 91-22-2260 4401 ईमेल आईडी: dcmrla@rbi.org.in

Department of Currency Management, Central Office, Amar Building, 4th Floor, Sir P.M.Road, Mumbai 400 001

Tel No: 91-22-2260 4401 Email ID : dcmrla@rbi.org.in

२

For your information, the First Appellate Authority in Reserve Bank of India is Shri P Vijayakumar, Executive Director, Reserve Bank of India, Central Office, Amar Building, Sir P. M. Road, Mumbai - 400 001. Appeal, if any, in respect of the above reply, should be preferred within 30 days to the First Appellate Authority.

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र

Application under the Right to information Act, 2005

DCM (IFCD) No. 305 /06.08.05/2020-21 December 14, 2020

पंजीकरण सं. Registration no.	:	RBIND/R/P/20/03143
आवेदक Applicant	:	Ghanshyam Verma
आवेदन के तारीख Date of application	:	09/12/2020
उत्तर की तारीख Date of reply	:	14/12/2020

Sr. No.	Query	Reply
01.	क्या भारतीय रुपये के अवमूल्यन करने का प्रावधान किसी अधिनियम, नियम या संविधान में उल्लेखित है ? यदि हाँ तो उस अधिनियम, नियम या संविधान में उल्लेखित धारा की जानकारी देते हुए। उसकी प्रमाणिक प्रतिलिपि उपलब्ध करावे ।	मांगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं है।
02.	क्या भारत सरकार ने 15 अगस्त 1947 के बाद उसके द्वारा धारण किए गये सोने(स्वर्ण) को भारत राज्य क्षेत्र के बाहर किसी देश या किसी प्राधिकारी के अधीन किसी संव्यवहार के तहत रखा गया गया है? यदि हाँ तो उसस देश या प्राधिकारी के नाम का उल्लेख करें। जिसके संव्यवहार में रखे गए सोने की मात्रा व दिनांक का भी उल्लेख करें एवं ऐसे संव्यवहार को कार्यान्वित कराने का आदेश की प्रमाणित उपलब्ध करावे।	30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास 661.41 टन सोना है । जिसमें से 369.11 टन सोना विदेश में, बैंक ऑफ इंग्लैंड और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है, जबकि शेष स्वर्ण घरेलू रूप में रखा गया है। इसी तिथि में स्वर्ण की कोई भी मात्रा गिरवी नहीं रखी गयी है । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (12) भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी विदेशी राष्ट्र के प्रधान मुद्रा प्राधिकारी या अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक या ऐसे किसी वित्तीय संस्था से स्वर्ण खरीदने तथा उनके साथ स्वर्ण खाता खोलने की अनुमति देता है जो इस प्रकार के किसी प्रधान मुद्रा प्राधिकारी या प्राधिकारियों या विदेशी राष्ट्र के सरकार द्वारा निर्मित किए गए हों।

मुद्रा प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय, अमर भवन, चौथी मंजिल, सर पी. एम. रोड, मुंबई - 400 001
दूरभाष: 91-22-2260 4401 ईमेल आईडी dcmria@rbi.org.in

Department of Currency Management, Central Office, Amar Building, 4th Floor, Sir P.M.Road, Mumbai 400 001

Tel No: 91-22-2260 4401 Email ID : dcmria@rbi.org.in

03.	क्या करेंसी नोटों पर उल्लेखित " केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत " से क्या तात्पर्य है ? केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिभूति के लिए क्या दिया जाता है व मात्रात्मक परिणाम क्या होता है ? इसे सूचना के रूप में प्रकट करें।	कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 को देखे। यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in > प्रकाशन >> सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत उपलब्ध है।
04.	क्या रिज़र्व बैंक भारत सरकार को स्टाम शुल्क, आयकर एवं अधिकर देती है या नहीं यदि नहीं तो – इस प्रकार के छूट देने वाले शासक(RULER) का नाम सुचना के रूप में प्रकट करे।	भारतीय रिज़र्व बैंक प्रासंगिक स्टाम्प अधिनियमों के तहत विभिन्न दस्तावेजों के लिए निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 29 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंक नोटों पर छूट प्राप्त है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को आयकर और अधिकर से छूट प्राप्त है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 संसद का अधिनियम होने के कारण पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है तथा इसे निम्न लिंक से एक्सेस किया जा सकता है। https://m.rbi.org.in/hindi/Scripts/PublicationRBIAct.aspx
05.	भारत सरकार के पास रखे हुए कोष में सोने, चाँदी के सिक्कों, सिल्लियों एवं विदेशी मुद्रा भण्डार की क्या मात्रात्मक परिणाम है? इसे सूचना के रूप में प्रकट करें।	**विदेशी मुद्रा भंडार:** 30 अक्तूबर 2020 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 560,715 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 4,155,181 करोड़) है, जिसमें विदेशी मुद्रा आस्ति (एफसीए), स्वर्ण, एसडीआर तथा आईएमएफ में रिज़र्व पोजीशन शामिल है। देश की साप्ताहिक विदेशी मुद्रा भंडार स्थिति भारतीय रिज़र्व की वेबसाइट (https://www.rbi.org.in) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। **निम्नलिखित लिंक का प्रयोग कर साप्ताहिक विदेशी भंडार स्थिति देखी जा सकती है:**

		https://www.rbi.org.in/Scripts/WSSViewDetail.aspx?TYPE=Section&PARAM1=2 **सोना एवं चांदी** कृपया उपर्युक्त प्रश्न 2 के उत्तर को देखें

भवदीय / Yours faithfully

(Subrata Das / सुब्रत दास)

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी / Central Public Information Officer

For your information, the First Appellate Authority in Reserve Bank of India is Shri P Vijayakumar, Executive Director, Reserve Bank of India, Central Office, Amar Building, Sir P. M. Road, Mumbai - 400 001. Appeal, if any, in respect of the above reply, should be preferred within 30 days to the First Appellate Authority.

6/72/2022/-Cy.

सं. 6/72/2022- मुद्रा
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
सिक्का एवं मुद्रा .अनुभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 29 जुलाई, 2022

सेवा में,
घनश्याम वर्मा

उत्तर प्रदेश- 276701

विषय: द्वितीय अपील संख्या सीआईसी/डीओईएएफ/ए/2021/110526 दिनांक 30.06.2022 के संबंध में

महोदय,

कृपया द्वितीय अपील संख्या सीआईसी/डीओईएएफ/ए/2021/110526 दिनांक 30.06.2022 का संदर्भ लें ।

2. आपको दी गई सूचना इस प्रकार है:

प्रश्न संख्या 1 : केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देशानुसार सम्बंधित प्रश्न को सूचना प्राप्त करने हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI), वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, और वित्त बाज़ार अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग को भेजा गया था। सम्बंधित विभागों द्वारा प्राप्त सूचना की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलगित है (अनुलग्नक I-IV) । अन्य किसी भी प्रकार की सूचना उत्तर देनेवाले केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है ।

भवदीया ,

(संजू यादव)
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी &उप निदेशक (मुद्रा)

संलग्न: यथोक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ: श्री हीरालाल सामरिया, सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली

अनुलग्नक - I

mail

Pratibha Toppo

Fwd: Reply to DEA, GOI letter no. 6/72/2022-Mudra

From : Sanju Yadav <sanju.yadav03@gov.in> — Mon, Jul 25, 2022 05:43 PM

Subject : Fwd: Reply to DEA, GOI letter no. 6/72/2022-Mudra — 1 attachment

To : Pratibha Toppo <toppo.pratibha@nic.in>

----- Forwarded Message -----
From: cpiorbi@rbi.org.in
To: "Sanju Yadav" <sanju.yadav03@gov.in>
Cc: mugunthan@rbi.org.in, parulmathur@rbi.org.in, avenugopalan@rbi.org.in, ppketkar@rbi.org.in
Sent: Monday, July 25, 2022 5:04:20 PM
Subject: Reply to DEA, GOI letter no. 6/72/2022-Mudra

Madam / Sir,

Please refer to your captioned letter dated July 19, 2022 wherein you have referred to CIC hearing dated CIC/DOEAF/A/2021/110526 dated June 06, 2022.

2. In this regards we advise that Reserve Bank of India has no information in the matter.

Thanks and Regards

RIA Division

Human Resource Management Department

Central Office

Reserve Bank Of India

Mumbai

Caution: The Reserve Bank of India never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information such as your bank account details,

अनुलग्नक- II

Email **Pratibha Toppo**

Second appeal No. CIC/DOEAF/A/2021/110526 dated 06.06.2022- regarding

---

From : Suraj Kumar <uscoord-dfs@nic.in> Wed, Jul 20, 2022 03:12 PM

Subject : Second appeal No. CIC/DOEAF/A/2021/110526 dated 06.06.2022- regarding 1 attachment

To : Pratibha Toppo <toppo.pratibha@nic.in>

Cc : Sanju Yadav <sanju.yadav03@gov.in>, K M Nandakumar <km.nandakumar@nic.in>

आदरणीय महोदय/ महोदया,

It is stated that the subject matter (in the attachment) does not pertains to this department.

धन्यवाद,
शुभकामनाओं सहित

(के. एम्. नंदकुमार)/(K.M. Nandakumar), अवर सचिव(समन्वय)/ Under Secretary(Coord.), वित्तीय सेवाएं विभाग /Department of Financial Services, वित्त मंत्रालय/Ministry Of Finance, जीवन दीप भवन /Jeevan Deep Building. संसद मार्ग /Sansad Marg, **नईदिल्ली/New Delhi, Phone No. 23748746**

हम हिंदी मे पत्राचार का स्वागत करते हैं

महामारी COVID -19 से स्वयं समाज और देश को बचाने के लिए, (1) मास्क/फेस कवर पहनें (2) दूसरों से कम से कम 2 गज की दूरी रखें (3) अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह साबुन और पानी से धोएं और (4) टीका लगवाएं ।

 # To save Self, Society and Country from pandemic COVID-19, (1) wear mask/face cover (2) maintain a minimum distance of 6 feet from others (3) wash hands, frequently and thoroughly with soap & water and (4) get vaccinated.

निवेदन: कागज़ बचाएँ,पेड़ बचाएँ। जब तक आवश्यक न हो, इस दस्तावेज़ का प्रिंट न लें।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

From: "Pratibha Toppo" <toppo.pratibha@nic.in>

अनुलग्नक - III

File No. 4/7/2022-ECB
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
***

North Block, New Delhi
27th July, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Second appeal No. CIC/DOEAF/A/2021/110526 dated 06.06.2022 –reg.

The undersigned is directed to refer to the OM No. 6/72/2022-Coin dated 22.07. 2022 on the above mentioned subject and to ~~convey~~ say that the EM & ECB Section has no comment to offer.

2. This issues with the approval of the Competent Authority.

(Sant Ram)
Section Officer (ECB)
Ph No 23095220

To,
Sanju Yadav,
DD(Coin & Currency Division)
Department of Economic Affairs
North Block

S.S
28/7/2022
ASO(PI)

अनुलग्नक - IV

7(1)/Ec. Dn./2021
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
Economic Division
(External Sector Unit)
******

Room No. 78-A, North Block, Dated 18.07.2022

Office Memorandum

Subject: Second Appeal No CIC/DOEF/A/2021/110526 Dated 06.06.2022-reg.

The undersigned is directed to refer to O. M. No 6/72/2022-Currency dated 14th July, 2022 and to state that the information pertaining to External Sector Unit of the Economic Division may be treated as "Nil'.

This issues with approval of the competent authority.

(Rajesh Kumar Sharma)
CPIO (External Sector Unit)

Encl.: As per Attachment

Central Public Information Officer
(Shri Sanju Yadav)
Deputy Director (Currency)
Coin & Currency Division,
Department of Economic Affairs,
North Block,
New Delhi

S.Y
18/7/2022
ASO(PP)

CC to : Shri Manoj Kumar Mishra, Deputy Director (EDMU)

आर टी आई प्रधानमंत्री भारत सरकार दिनांक 18.01.2023

सूचना के लिए आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

समक्ष – केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/प्रधानमंत्री, भारत सरकार

कार्यालय – प्रधानमंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली

आवेदक का नाम – घनश्याम वर्मा

आवेदक का पता – (उत्तर प्रदेश) पिन नं. – 274701

अपेक्षित सूचना का विवरण – प्रार्थी निम्न बिन्दुओं पर हिन्दी में सूचना चाहता है।

1) क्या भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 को संसद में किस दिनाँक को अधिनियम लाया गया था? क्या इसके लिए संसद में कोई नोटिफिकेशन दिया गया था? या इसके ऊपर कुछ प्रश्न उठे थे? क्या इन मुद्दों पर कोई बहस हुई है? यदि हाँ तो -
भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 का सदन में पास करने का पूर्ण विवरण जिसमें नोटिफिकेशन, पूछे गए प्रश्न, जवाब, बहस और जिम्मेदार व्यक्तियों के पद नाम सहित समस्त सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

2) समाचार-पत्रों की खबरों के अनुसार क्या भारत सरकार का कुल आन्तरिक कर्ज़ GDP (जी डी पी) के अनुपात में लगभग 92% (प्रतिशत) पहुँच गया है? यदि हाँ तो -
सरकार ने यह कर्ज़ किससे किन-किन शर्तों पर किस प्रक्रिया के अधीन और किस नियम के अन्तर्गत लिया गया है? इसकी पूर्ण रूप से जानकारी देते हुए इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

3) भारत सरकार के GDP (जी डी पी) के अनुपात में 92% (प्रतिशत) कर्ज़ लेने की प्रक्रिया में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के योगदान और भूमिका की स्पष्ट सूचना देते हुए इसकी प्रमाणित जानकारी उपलब्ध करावें।

4) यह कि सामान्य नियमानुसार कर्ज़ देने वाला, कर्ज़ लेने वाले से कर्ज़ की सुरक्षा हेतु वस्तु, प्रापर्टी, सोना, कीमती वस्तु, कागजात इत्यादि बंधक (गारण्टी) के रूप में रखता है। तो भारत सरकार ने भारत की GDP (जी डी पी) के 92% (प्रतिशत) कर्ज़ लेने के लिए भारत सरकार ने क्या-क्या बंधक (गारण्टी) रखा है? इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हुए इसे भी सूचित करें कि -
यदि भारत सरकार यह कर्ज़ नही चुका पाती है तो इसके लिए कर्ज़ देने वाला क्या-क्या कार्यवाही कर सकता है? इस कार्यवाही का देश की सरकार, वर्तमान संसद, सरकारी मंत्री, अधिकारी व देश की जनता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसकी अधिकारिक प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध करावें।

5) क्या कर्ज़ देने से पहले प्रत्येक कर्ज़ देने वाला, कर्ज़ लेने वाले की कर्ज़ लौटाने की क्षमता का मूल्यांकन करता है?

ठीक उसी प्रकार

कर्ज़ देने वाला भी उतना कर्ज़ दे सकता है जितना उसने दिया है या दे रहा है.अर्थात् उसकी कर्ज़ देने की क्षमता का भी क्या कोई मूल्यांकन या कर्ज़ देने की क्षमता का कोई आधार प्रस्तुत करता है?

क) भारत सरकार को GDP (जी डी पी) का 92% (प्रतिशत) कर्ज़ देने वाला कौन है?

ख) उसकी भारत सरकार के GDP (जी डी पी) के 92% (प्रतिशत) के बराबर कर्ज़ देने की क्षमता का आधार क्या है?

ग) उसके कर्ज़ देने की पूँजी क्या है?

घ) उसके स्थाई और अस्थाई प्रापर्टी क्या-क्या है?

ड़) उसके कानूनी आधार क्या-क्या हैं?

(कृ.प.प.)

इस सूचना की अधिकारिक, प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध करावें।

6) अगर कर्ज़ लेने वाला अपने क्षमता से अधिक कर्ज़ ले रहा है तो वह दिवालिया हो जाता है।

ठीक उसी तरह

अगर कर्ज़ देने वाला अपनी क्षमता से अधिक कर्ज़ देता है, (उपलब्ध पूँजी, नकदी, कीमती वस्तु, प्रापर्टी इत्यादि) तो इसका कर्ज़ लेने वाले अर्थात् भारत सरकार के नागरिक, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का व्यापार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इत्यादि पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका जवाबदेह और जिम्मेदार कौन होगा? क्या रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक गवर्नर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, स्टॉप, भारत सरकार, प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री, वित्तसचिव, भारत का संसद, भारत सरकार के अधिकारी या कोई अन्य जवाबदेह या जिम्मेदार होगा? इसकी स्पष्ट सूचना देते हुए इसके अधिकारिक, प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध करावें।

7) क्या महँगी और सस्ती का कोई मानक (स्टैण्डर्ड) है?

जैसे – हम किसी नदी या पुल (ब्रिज) से जाते हैं तो उस पुल (ब्रिज) के खम्भें पर पानी की खतरे की बिन्दु को लाल रंग के चिह्न से दर्शाया जाता है। जिससे यह ज्ञात हो सके कि पानी खतरे के निशान से ऊपर है या नीचे है।

ठीक उसी प्रकार

महँगाई और सस्ती का मानक (स्टैण्डर्ड) या महँगाई और सस्ती के खतरे की बिन्दु क्या है जिससे भारत सरकार महँगाई और सस्ती का मापन करती है? उस मापक के मानक (स्टैण्डर्ड) की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

<u>नोट</u> – 1. यदि आवेदक द्वारा माँगी गई सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित न हो तो आवेदक के आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत सूचना से सम्बन्धित विभाग को पाँच दिनों के अन्दर हस्तांतरित करते हुए सूचना उपलब्ध करावें तथा सूचना उपलब्ध कराने के साथ अपीलीय अधिकारी का नाम व पता भी उपलब्ध करावें।

2. प्रार्थी के सूचना उपलब्ध कराने के दौरान किसी व्यवसायी, लिंक का उल्लेख न करते हुए लिखित प्रतिलिपि में सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रार्थी व्यवसायी या डिजिटल लिंक से सूचना प्राप्त करने में असमर्थ है।

स्थान – , जिला – देवरिया (उत्तर प्रदेश)

दिनाँक – 18/01/2023

पोस्टल आर्डर की विवरण –

पोस्टल आर्डर सं. 57F 032291

प्रार्थी

घनश्याम वर्मा

घनश्याम वर्मा

मो. नं. –

फा.सं. 12/01/2023-सिक्का
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(सीएंडसी प्रभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांकः 15 फरवरी, 2023

सेवा में,

श्री घनश्याम वर्मा,
[illegible]
जिला- देवरिया,
उत्तर प्रदेश-274701

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने ऑनलाइन सूचना का अधिकार आवेदन संख्या डीओईएएफ/आर/टी/23/00037 दिनांक 25.01.2023 का संदर्भ लें जिसे उपरोक्त विषय पर दिनांक 18.01.2022 के आपके सूचना का अधिकार आवेदन पर जानकारी प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय से दिनांक 25.01.2023 को अंतरित किया गया है। इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि आपके सूचना का अधिकार के आवेदन का केवल बिंदु सं. 1 अधोहस्ताक्षरी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है। इससे संबंधित सूचना इस प्रकार है:-

"सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 विधायी विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 सितंबर 2011 की राजपत्रित अधिसूचना के तहत अधिसूचित किया गया था। सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 1(3) के प्रावधान के संदर्भ में यह अधिनियम दिनांक 28.03.2012 से प्रभावी है। इसके अलावा, इस संबंध में, आपके द्वारा मांगी गई तथ्यात्मक जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है। हालांकि, आपको सूचित किया जाता है कि इस अधिनियम के तहत केवल वही सूचना प्रदान की जा सकती है जो उपलब्ध है और मौजूद है और एक सरकारी प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में है। हालांकि, आपके सूचना का अधिकार आवेदन के बिंदु 1 (एक) के संबंध में, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत आंशिक सूचना प्रदान करने हेतु संसदीय कार्य मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है"।

2. इसके अलावा, आपके सूचना का अधिकार आवेदन के बिंदु 1 के अलावा अन्य बिंदु पर जानकारी प्रदान करने हेतु आपके सूचना का अधिकार आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत वित्त सेवा विभाग को अंतरित कर दिया गया है।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर श्री राजीव रंजन सिंह, उप सचिव और अपीलीय प्राधिकारी, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, कमरा सं. 241एफ, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

जेस्सी

(जेस्सी जैकब)
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव (सिक्का)
दूरभाषः 23095753
ईमेलः- jessie.jacob63@nic.in

No. AAAD/Coord/L(1)/2022
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक मामलों का विभाग
सहायता, लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग
5वीं मंजिल, 'बी' विंग, जनपथ भवन
नई दिल्ली-110001.

दिनांक: 21.02.2023

प्रति,

श्री घनश्याम वर्मा,
[illegible]
[illegible]
जिला - देवरिया (उत्तरप्रदेश)
पिन – 274701.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना ।

श्रीमान,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपके आवेदन संख्या DOEAF/R/T/23/00102 दिनांक - 15.02.2023, जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली से सन्दर्भ संख्या MOPAF/R/X/23/00011 दिनांक 15.02.2023 का पत्र, इस विभाग के समन्वय अनुभाग में प्राप्त हुआ है ।

उक्त सन्दर्भ में अवगत कराया जाता है कि यह **भारत सरकार के विदेशी वित्तपोषण से संबंधित कार्यालय है, इसलिए हम केवल विदेशी वित्तपोषण की जानकारी प्रदान करने की स्थिति में हैं ।** आपके द्वारा मांगी गई वांछित जानकारी के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है की क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 7 तक इस कार्यालय से सम्बंधित नहीं है ।

आगे आपको अवगत कराया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के दिशानिर्देशो के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी केवल ऐसी सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य है जो उसके पास उपलब्ध है। जन सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह किसी सूचना का सृजन करे, आवेदक के समस्याओ का निदान करे या परिकल्पित प्रश्नों का उत्तर दे।

सीपीआईओ के जवाब के खिलाफ पहली अपील, यदि कोई हो, सीपीआईओ के जवाब की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को की जानी चाहिए। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पता नीचे दिया गया है:-

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पता :

श्री यशवंत सिंह,
उप-नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग
सहायता, लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग
5 वीं मंजिल, " बी " विंग, जनपथ भवन ,
नई दिल्ली -110001.

(सुभाष चंद्र)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी और सीपीआईओ
दूरभाष: 011-23458515
ईमेल: subhash.mandhana@gov.in

प्रतिलिपि: श्री पी.पी. रवि, एसओ (आरटीआई), वित्त मंत्रालय (डीईए), नई दिल्ली-110001.

तीव्र डाक

एम-11013/1/2019-एनएडी-1

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (राष्ट्रीय लेखा प्रभाग)

••••••

417-बी, खुर्शीद लाल भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 21.02.2023

सेवा में,

श्री घनश्याम वर्मा,

देवरिया, उत्तर प्रदेश। पिन - 274701

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में।

महोदय,

कृप्या सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मंत्रालय के राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (रा.ले.प्र.) में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग से स्थानांतरित समान पत्रों (पंजीकरण सं. DOEAF/R/T/23/00037 दिनॉक 27.01.2023 व DOEAF/R/T/23/00102 दिनॉक 15.02.2023), जो कि इस प्रभाग में पंजीकरण सं. MOSPI/R/T/23/00067 दिनॉक 27.01.2023 व MOSPI/R/T/23/00087 दिनॉक 15.02.2023 के अंतर्गत प्राप्त हुए, का संदर्भ ग्रहण करें जिनमें आपके आवेदन पत्र में माँगी गई जानकारी में से GDP से संबन्धित जानकारी प्रदान करने हेतु आग्रह किया गया है।

2. इस संबंध में सूचित किया जाता है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (रा.ले.प्र.) सकल घरेलू उत्पाद (GDP) सहित राष्ट्रीय लेखा तैयार करता है। आवेदन पत्र के विभिन्न बिन्दुओं में भारत सरकार के GDP के अनुपात में ऋण की जानकारी माँगी गई है। इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि मंत्रालय के रा.ले.प्र. में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के वार्षिक अनुमानों की जानकारी (वर्तमान तथा स्थिर (2011-12) मूल्यों पर) मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.mospi.gov.in) पर सार्वजनिक रूप से मुफ्त डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध है जिसका लिंक निम्न प्रकार से है:-

1

- वर्ष 2011-12 से 2020-21 तक के लिए मंत्रालय के प्रकाशन "National Accounts Statistics 2022" की 'Statement 1.1 - Key aggregates of national accounts at current and constant prices':
http://mospi.gov.in/publication/national-accounts-statistics-2022

- वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक के लिए मंत्रालय के "PRESS NOTE ON FIRST ADVANCE ESTIMATES OF NATIONAL INCOME 2022-23" के Statement 1 & 2: First Advance Estimates of National Income and Expenditure Components of GDP, 2022-23:
http://mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/PressNote_FAE-2022-23.pdf

3. आवेदन पत्र के अन्य बिन्दुओं की अपेक्षित जानकारी इस प्रभाग में उपलब्ध नहीं है। इसलिए, RTI आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को इस निवेदन के साथ स्थानांतरित किया गया है कि आवेदन पत्र से संबन्धित यदि कोई जानकारी उनके पास उपलब्ध हो तो कृपया आवेदक को सीधे प्रदान करें या अन्य संबन्धित मंत्रालय के CPIO को प्रेषित करें।

4. यदि आप उपरोक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के सेक्शन 19 के अंतर्गत इस पत्र की पावती के 30 दिन के अंदर राष्ट्रीय लेखा प्रभाग में प्रथम अपीलीय अधिकारी (श्रीमति अंकिता सिंह, निदेशक) को निम्न पते पर अपील दाखिल कर सकते हैं:-

श्रीमती अंकिता सिंह, निदेशक और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, कमरा नंबर 402, चौथी मंजिल, खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली। पिन -110001. ई-मेल: ankits.3782@gov.in दूरभाष: 011-23455402

21.02.2023

(मनीष बिंदल)
उपनिदेशक व केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
manish.bindal84@gov.in
दूरभाष: 011-23455452

प्रति: आर.टी.आई. अनुभाग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। वेबसाइट (http://www.mospi.gov.in)

2

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आईडीएमडी.सं. S3286 /11.90.001/2022-23 March 13, 2023

Shri. Ghanshyam Verma
Dist – Deoria
Uttar Pradesh - 274701

महोदय / Sir

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - अंतिम जवाब
The Right to Information Act, 2005 – Final Reply
हमारा संदर्भ सं./Our Reference No RBIND/R/X/23/00020/1, RBIND/R/T/23/00181/1 & RBIND/R/P/23/ 00602/1

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना की मांग करते हुए आपके द्वारा प्रस्तुत दिनांक 14 फ़रवरी 2023, 16 फ़रवरी 2023 और 23 फरवरी 2023 के आरटीआई आवेदन को देखें।
Please refer to your RTI applications dated 14 February 2023, 16 February 2023 and 23 February 2023 seeking information under Right to Information Act, 2005.

2. इस संदर्भ में हमारी जानकारी निम्नानुसार है:

2. In this connection, we advise as under:

मांगी गई जानकारी (शब्दशः) Information Sought (Verbatim)	हमारा जवाब Our Response
1. क्या भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 को संसद मे किस दिनांक को अधिनियम लाया गया था? क्या इसके लिए संसद मे कोई नोटिफिकेशन दिया गया था ? या इसके ऊपर कुछ प्रश्न उठे थे? क्या इन मुद्दों पर कोई बहस हुई है? यदि हाँ तो भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 का सदन मे पास करने का पूर्ण विवरण जिस मे नोटिफिकेशन, पूछे गए प्रश्न, जवाब, बहस और ज़िम्मेदारी व्यक्तियों के पद नाम सहित समस्त सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे ।	1. मांगी गई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय,23वीं मंजिल,केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400 001, भारत
फोन : (022) 2266 1602-04, फैक्स : (022) 2264 4158, ई-मेल :cgmidmd@rbi.org.in
Internal Debt Management Department, Central Office, 23rd Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400 001, India
Telephone :0222266 1602-04, Fax:0222264 4158, Email : cgmidmd@rbi.org.in

हिन्दी आसान है इसका प्रयोग बढ़ाइए।

चेतावनी रिज़र्व बैंक द्वारा ईमेल , डाक, एसएमएस या फोन काल के जरिये किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिये।
Caution: RBI never sends emails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

Page 1 of 4

मांगी गई जानकारी (शब्दशः) Information Sought (Verbatim)	हमारा जवाब Our Response
2. समाचार - पत्रो की खबरों के अनुसार क्या भारत सरकार का कुल आंतरिक कर्ज GDP (जी डी पी) के अनुपात मे लगभग 92% (प्रतिशत) पहुँच गया है? आदि हाँ तो सरकार ने यह कर्ज किससे किन-किन शर्तो पर किस प्रक्रिया के अधीन और किस नियम के अंतर्गत लिया गया है? इसकी पूर्ण रूप से जानकारी देते हुए इसकी प्रमाणित प्रतिलीपी उपलब्ध करावे ।	2. (क) भारतीय रिजर्व बैंक मांगी गई सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है, तथापि (i) भारतीय रिजर्व बैंक अपने प्रकाशन "Handbook of Statistics on Indian Economy" में केंद्र और राज्य सरकार की जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देयताओं पर जानकारी संकलित करता है, जिसे नीचे दिये गये लिंक से प्राप्त किया जा सकता है: https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/232T_15092022168BFDF8D651437AA8092A4AECBB270F.PDF वांछित जानकारी की एक प्रति संलग्न है । (ii) केंद्र सरकार की बकाया देनदारी संबन्धित जानकारी नीचे दिये लिंक से प्राप्त किया जा सकता है: https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/108T_15092022EBC9B7BBD029498987F23518F312A68B.PDF वांछित जानकारी की एक प्रति संलग्न है । 2. (ख) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का स्वामित्व पैटर्न का विवरण भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है: https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications#!16 (Internal debt - Marketable >> GOI Dated Securities >> Table No.10 Ownership Pattern of Government of India Date Securities) वांछित जानकारी की एक प्रति संलग्न है ।

Page 2 of 4

मांगी गई जानकारी (शब्दशः) Information Sought (Verbatim)	हमारा जवाब Our Response
3. भारत सरकार के GDP (जी डी पी) के अनुपात मे 92% (प्रतिशत) कर्ज लेने की प्रकिया मे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के योगदान और भूमिका की स्पष्ट सूचना देते हुए इसकी प्रमाणित जानकारी उपलब्ध करावे ।	3. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के अंतरगत रिजर्व बैंक संघ के लोक ऋण का प्रबंधन करती है ।
4. यह कि सामान्य नियमानुसार कर्ज देने वाला, कर्ज लेने वाले से कर्ज की सुरक्षा हेतु वस्तु, प्रॉपर्टी, सोना, कीमती वस्तु, कागजात इत्यादि बंधन (गारंटी) के रूप मे रखता है। तो भारत सरकार ने भारत की GDP (जी डी पी) 92% (प्रतिशत) कर्ज लेने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या बंधक (गारंटी) रखा है? इसकी प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराते हुए इसे भी सूचित करे कि यदि भारत सरकार यह कर्ज नहीं चुका पाती है तो इसके लिए कर्ज देने वाला क्या क्या कार्यवाही कर सकता है? इस कार्यवाही का देश कि सरकार, वर्तमान संसद , सरकारी मंत्री, अधिकारी व देश की जनता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसकी आधिकारिक प्रामाणिक दस्तावेज़ उपलब्ध करावे ।	4. भारत के संविधान का अनुच्छेद 292 के अनुसार: " संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, जिन्हे संसद् समय-समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, जिन्हे इस प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक है । "
5. क्या कर्ज देने से पहले प्रत्येक कर्ज देने वाला, कर्ज लेने वाले की कर्ज लौटाने की क्षमता का मूल्यांकन करता है? ठीक उसी प्रकार कर्ज देने वाला भी उतना कर्ज दे सकता है जितना उसने दिया है या दे रहा है, अर्थात् उसकी कर्ज देने की क्षमता का भी क्या कोई मूल्यांकन या कर्ज देने की क्षमता का कोई आधार प्रस्तुत करता है? (क) भारत सरकार को GDP (जीडीपी) का 92% (प्रतिशत) कर्ज देने वाला कौन है?	5. (क) केंद्र सरकार को दिये जाने वाले कर्ज का विवरण भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है: https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications#!16 (Internal debt - Marketable >> GOI Dated Securities >> Table No.10 Ownership Pattern of Government of India Date Securities) वांछित जानकारी की एक प्रति संलग्न है ।
(ख) उसकी भारत सरकार के GDP (जीडीपी) के 92% (प्रतिशत) के बराबर कर्ज देने की क्षमता का आधार क्या है?	(ख) मांगी गई जानकारी स्पष्ट नहीं है।
(ग) उसके कर्ज देने की पूँजी क्या है?	(ग) मांगी गई जानकारी स्पष्ट नहीं है।
(घ) उसके स्थाई और अस्थाई प्रापर्टी क्या क्या है?	(घ) मांगी गई जानकारी स्पष्ट नहीं है।
(ङ) उसके कानूनी आधार क्या-क्या है? इस सूचना की अधिकारिक प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध करावे ।	(ङ) मांगी गई जानकारी स्पष्ट नहीं है।

मांगी गई जानकारी (शब्दशः) Information Sought (Verbatim)	हमारा जवाब Our Response
6. अगर कर्ज लेने वाला अपनी क्षमता से अधिक कर्ज ले रहा है तो वह दिवालिया हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर कर्ज देने वाला अपनी क्षमता से अधिक कर्ज देता है, (उपलब्ध पूंजी, नकदी, कीमती वस्तु प्रापर्टी इत्यादि) तो इसका लेने वाले अर्थात् भारत सरकार के नागरिक, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का व्यापार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इत्यादि पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका जवाबदेह और जिम्मेदार कौन होगा? क्या रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक गवर्नर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, स्टॉप, भारत सरकार, प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री, वित्तसचिव, भारत का संसद, भारत सरकार के अधिकारी या कोई अन्य जवाबदेह या जिम्मेदार होगा? इसकी स्पष्ट सूचना देते हुए इसके अधिकारिक, प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध करावे ।	मांगी गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के पारा 2(च) के अंतर्गत परिभाषित एक "सूचना" नहीं है।
7. क्या महंगी और सस्ती का कोई मानक (स्टैंडर्ड) है? जैसे - हम किसी नदी या पूल (ब्रिज) से जाते है तो उस पुल (ब्रिज) के खम्भे पर पानी की खतरे की बिन्दु को लाल रंग के चिन्ह से दर्शाया जाता है। जिससे यह ज्ञात हो सके कि पानी खतरे के निशान से ऊपर है या नीचे है। ठीक उसी प्रकार महँगाई और सस्ती का मानक (स्टैण्टर्ड) या महँगाई और सस्ती के खतरे की बिन्दु क्या है जिससे भारत सरकार महँगाई और सस्ती का मापन करती है? उस मापक के मानक (स्टैण्डर्ड) की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।	मांगी गई जानकारी स्पष्ट नहीं है।

3. यदि आप उपर्युक्त जवाब के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उसे जवाब प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर श्री आर. एस. रथ, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई–400001 को प्रस्तुत किया जाए।

3. If you wish to prefer an appeal against this reply, the same may be preferred within 30 days from the receipt of this reply, to Shri R. S. Ratho, Executive Director, Reserve Bank of India, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai – 400 001.

भवदीय /Yours faithfully,

रा.त्रिपाठी

(राकेश त्रिपाठी/ Rakesh Tripathy)
केंद्रीय जन सूचना अधिकारी / Central Public Information Officer

Page 4 of 4

TABLE 232 : SELECT DEBT INDICATORS OF THE CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS

(As percentage to GDP)

Year (end-March)	Domestic liabilities of Centre	External liabilities of Centre	Total liabilities of the Centre (2+3)	Total liabilities of the States	Combined domestic liabilities of Centre & States	Combined total liabilities of Centre & States
1	2	3	4	5	6	7
1982-83	36.20	10.28	46.48	18.80	43.01	53.29
1983-84	34.99	10.48	45.47	18.86	42.06	52.55
1984-85	37.72	10.38	48.10	19.77	45.57	55.95
1985-86	41.22	11.16	52.38	21.19	49.35	60.51
1986-87	45.15	11.29	56.44	21.57	53.55	64.85
1987-88	46.80	12.72	59.52	22.05	55.43	68.15
1988-89	46.70	12.38	59.08	21.46	55.32	67.70
1989-90	47.79	13.15	60.94	21.89	56.91	70.06
1990-91	48.28	11.31	59.59	21.86	57.54	68.85
1991-92	47.15	16.28	63.42	21.82	56.61	72.89
1992-93	46.43	15.62	62.05	21.74	56.39	72.01
1993-94	48.31	14.34	62.65	21.08	58.05	72.39
1994-95	46.64	13.63	60.27	20.70	56.41	70.04
1995-96	45.24	12.10	57.34	20.34	55.18	67.28
1996-97	43.79	10.54	54.32	20.14	53.83	64.37
1997-98	45.98	10.27	56.24	21.04	56.02	66.29
1998-99	46.28	9.87	56.14	22.16	57.24	67.11
1999-00	47.58	9.23	56.81	25.19	61.24	70.47
2000-01	50.64	8.73	59.36	27.29	64.94	73.67
2001-02	54.96	8.47	63.44	29.32	70.32	78.79
2002-03	59.12	7.73	66.85	31.01	75.13	82.86
2003-04	59.50	6.48	65.98	31.79	76.75	83.23
2004-05	59.64	5.90	65.53	31.28	76.24	82.13
2005-06	58.64	5.25	63.90	31.08	73.82	79.07
2006-07	56.72	4.68	61.40	28.91	69.98	74.66
2007-08	54.65	4.21	58.86	26.63	67.23	71.44
2008-09	53.93	4.89	58.82	26.11	67.52	72.21
2009-10	52.42	3.85	56.27	25.45	66.76	70.60
2010-11	48.58	3.58	52.16	23.50	62.02	65.60
2011-12	49.76	3.70	53.46	22.82	63.66	67.36
2012-13	49.21	3.34	52.55	22.23	63.31	66.65
2013-14	48.83	3.33	52.16	22.00	63.73	67.06
2014-15	48.48	2.94	51.42	21.69	63.64	66.58
2015-16	48.59	2.95	51.54	23.37	65.58	68.53
2016-17	46.89	2.65	49.54	24.75	66.12	68.77
2017-18	46.87	2.61	49.47	25.12	66.97	69.57
2018-19	47.11	2.51	49.62	25.33	68.02	70.53
2019-20	49.97	2.71	52.68	26.65	72.62	75.33
2020-21	60.01	3.31	63.32	31.05	86.10	89.41
2021-22	59.67	2.95	62.62	31.17	86.31	89.26

Notes : 1. Data for 2020-21 are Revised Estimates and data for 2021-22 are Budget Estimates.
2. External liabilities of the Centre is at current exchange rate.
3. Total liabilities of the States, Combined domestic liabilities of Centre & States and Combined total liabilities of the Centre & States have been revised to include 'reserve funds','deposits and advances' and 'contingency fund' of State Governments.
4. Combined and Centre's liabilities are inclusive of securities/treasury bills under market stabilisation scheme (MSS).
5. GDP data for 2021-22 is taken from Union Budget 2021-22.

Also see Notes on Tables.

Sources : 1. Budget documents of the Government of India.
2. Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and the State Governments in India and Budget documents of the State Governments.

TABLE 108 : OUTSTANDING LIABILITIES OF CENTRAL GOVERNMENT

(₹ Crore)

Year (end-March)	Internal debt	of which Market loans	91-day treasury bills	182/364-day treasury bills	Small savings, deposits & provident funds	Other accounts	Reserve funds and deposits	Total internal liabilities (2+6+7+8)	External liabilities	Total liabilities (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1993-94	245712	110611	32595	8386	87877	72478	24556	430623	127798	558421
1994-95	266467	130908	32327	8165	106435	85787	28993	487682	142514	630196
1995-96	307869	163986	43790	1875	121425	92010	33680	554983	148398	703381
1996-97	344476	184101	56519	8241	138955	100088	37919	621437	149564	771001
1997-98	388998	216598	1601	16243	167780	124087	42097	722962	161418	884380
1998-99	459696	285585	1501	10196	206458	126802	41595	834552	177934	1012486
1999-00	714254	355862	1521	14296	66406	134425	47508	962592	186791	1149383
2000-01	803698	428793	1876	16296	96343	144020	58535	1102596	189990	1292586
2001-02	913061	516517	5047	19584	144511	164157	73133	1294862	199639	1494501
2002-03	1020689	619105	9673	26122	226400	172374	80126	1499589	196067	1695656
2003-04	1141706	707965	7184	26132	288378	168094	92376	1690554	184177	1874731
2004-05	1275971	758995	8338	26148	390477	174107	92989	1933544	191182	2124726
2005-06	1389758	862370	16364	35785	479761	186921	109462	2165902	194070	2359972
2006-07	1544975	972801	30802	42625	539450	220160	131295	2435880	201199	2637079
2007-08	1799651	1104564	30371	41381	553620	245081	127043	2725394	210086	2935480
2008-09	2019841	1338194	75595	65721	553518	334091	128682	3036132	263976	3300108
2009-10	2328339	1746619	71549	62993	620627	327457	119453	3395877	249288	3645165
2010-11	2667115	2072033	70391	64479	680561	304697	128762	3781135	278455	4059590
2011-12	3230622	2516953	124656	142379	704762	277904	133877	4347164	322890	4670054
2012-13	3764566	2984309	105142	194663	731409	257424	139904	4893303	332004	5225307
2013-14	4240767	3441641	125761	213374	772609	315421	156051	5484848	374483	5859331
2014-15	4738291	3891734	128961	220490	802230	315630	188857	6045007	366384	6411391
2015-16	5304835	4298784	132855	231840	868561	319800	198512	6691709	406589	7098298
2016-17	5750876	4649487	106840	227962	936137	321857	208099	7216970	408108	7625078
2017-18	6425537	5068408	138726	246557	1006422	324632	252758	8009349	445282	8454631
2018-19	7164805	5500141	92183	328699	1109484	326619	302510	8903418	474439	9377857
2019-20	8132361	5986127	82583	375827	1161394	433790	304444	10031987	544394	10576381
2020-21	10046915	7135144	93297	597654	1001739	446479	333948	11829081	614829	12443910
2021-22	11715701	8069916	200599	590351	789430	427728	365219	13298078	832409	14130487
2022-23	13310206	9197251	178580	662370	770303	402882	405072	14888463	851660	15740123

Notes : 1. Data for 2021-22 are Revised Estimates and data for 2022-23 are Budget Estimates.
2. External Liabilities are calculated at current exchange rate.
3. Sharp decline in 91-day treasury bills is on account of conversion of adhoc treasury bills into special securities in 1997-98.
4. Internal Debt Data from 2004-05 to 2012-13 include liabilities on account of Market Stabilisation Scheme (MSS).
5. From 2016-17 onwards, borrowings through Extra-Budgetary Resources (EBR) are included in Internal Debt.

Also see Notes on Tables.

Source : Budget documents of the Government of India, Status Paper on Government Debt and Quarterly Report on Public Debt Managment.

Ownership Pattern of Government of India Dated Securities (in percent)

Quarter ended	Total (in Rs. Crore)	Commercial Banks	Non-Bank PDs	Insurance Companies	Mutual Funds	Co-operative Banks	Financial Institutions	Corporates	Foreign Portfolio Investors	Provident Funds	RBI	Others (incl. State Govt.)	State Governments
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dec 2022	9373371.53	37.95	0.44	26.14	2.87	1.70	1.07	1.57	1.31	4.67	14.73	7.55	1.68
Sep 2022	9008788.20	38.29	0.38	25.94	2.58	1.80	0.98	1.58	1.38	4.68	15.28	7.15	1.83
Jun 2022	8784930.98	38.04	0.33	26.34	2.32	1.84	1.09	1.52	1.43	4.77	16.98	6.30	1.84
Mar 2022	8529038.05	37.75	0.29	25.89	2.91	1.81	0.94	1.47	1.56	4.60	16.62	6.15	1.82
Dec 2021	8439811.28	35.40	0.27	25.74	3.08	1.82	1.00	1.37	1.88	4.33	16.92	7.73	1.69
Sep 2021	8235317.81	37.82	0.35	24.18	2.91	1.50	1.17	0.72	1.81	3.77	16.98	6.79	1.67
Jun 2021	7882533.11	35.99	0.34	25.83	2.82	1.82	1.43	1.39	1.79	4.04	17.11	7.43	1.87
Mar 2021	7635901.67	37.77	0.27	25.30	2.94	1.82	1.00	1.08	1.87	4.44	16.20	7.33	1.69
Dec 2020	7357111.05	37.81	0.25	25.64	2.82	1.83	1.00	1.05	2.10	4.81	15.71	7.37	1.76
Sep 2020	7137088.75	38.55	0.34	25.33	2.42	1.88	1.42	0.94	2.05	4.77	15.08	7.32	1.90
Jun 2020	6704983.00	38.98	0.36	26.24	2.02	1.86	1.19	0.78	1.79	4.96	14.70	7.11	1.99
Mar 2020	6486584.55	40.41	0.39	25.09	1.43	1.90	0.53	0.81	2.44	4.72	15.13	7.17	2.05
Dec 2019	6512659.07	39.05	0.39	24.90	1.53	1.97	1.14	0.84	3.33	4.93	14.72	7.23	1.97
Sep 2019	6314426.49	39.66	0.42	24.86	0.77	2.01	1.15	0.92	3.31	4.87	14.99	7.05	1.99
Jun 2019	6072242.86	39.05	0.38	24.88	0.64	2.17	1.05	0.99	3.27	5.35	15.07	6.57	2.02
Mar 2019	5921026.00	40.28	0.31	24.34	0.35	2.29	1.05	0.97	3.22	5.47	15.27	6.46	2.00
Dec 2018	5758102.87	40.51	0.33	24.57	0.64	2.38	1.01	1.35	3.60	5.54	13.81	6.55	1.87
Sep 2018	5602830.13	41.41	0.37	24.61	1.41	2.51	0.97	1.01	3.65	5.71	11.76	6.58	1.99
Jun 2018	5455880.84	41.84	0.33	24.24	1.13	2.59	0.93	1.09	3.84	5.79	11.83	6.56	1.97
Mar 2018	5309777.59	42.68	0.29	23.49	1.00	2.57	0.90	0.91	4.35	5.88	11.62	6.30	1.91
Dec 2017	5281350.18	41.40	0.33	23.83	1.33	2.69	0.92	1.09	4.53	5.32	11.94	6.82	1.91
Sep 2017	5145182.63	40.37	0.33	23.49	1.08	2.62	0.79	1.04	4.58	5.99	12.54	6.11	1.92
Jun 2017	5040093.73	39.68	0.31	23.13	1.44	2.65	0.73	1.29	4.29	6.13	14.29	6.57	1.91
Mar 2017	4810974.56	40.46	0.16	22.90	1.49	2.75	0.81	1.05	3.53	6.27	14.65	5.98	1.92
Dec 2016	[illegible]	40.92	0.28	22.55	1.98	2.83	0.88	1.05	3.13	6.24	14.61	5.77	1.83
Sep 2016	4798748.69	40.00	0.14	22.68	2.13	2.47	0.84	1.09	3.42	6.25	14.50	5.78	1.84
Jun 2016	4642234.00	39.90	0.45	22.83	2.09	2.68	0.71	1.31	3.93	5.99	14.58	5.83	1.84
Mar 2016	4532473.00	41.81	0.33	22.18	2.09	2.75	0.72	1.28	3.65	6.01	13.47	5.72	1.84
Dec 2015	4487080.00	43.59	0.35	21.90	2.52	2.71	0.68	0.95	3.68	7.11	12.07	4.51	1.73
Sep 2015	4343325.00	43.03	0.34	22.09	2.69	2.64	0.60	0.94	3.57	7.17	12.08	4.75	1.75
Jun 2015	4238369.00	43.14	0.35	21.37	2.37	2.73	0.70	1.12	3.59	7.58	13.06	4.49	1.73
Mar 2015	-	43.30	0.31	20.87	1.80	2.82	2.07	1.29	3.67	7.58	13.48	2.86	-
Dec 2014	-	42.77	0.34	21.02	1.68	2.57	0.73	1.12	3.82	7.47	14.50	4.18	-
Sep 2014	-	42.95	0.20	20.55	1.26	2.71	1.44	1.06	3.37	7.13	14.33	4.99	-
Jun 2014	-	43.43	0.28	20.21	1.29	2.78	1.51	0.89	2.45	7.21	15.03	4.94	-
Mar 2014	-	44.48	0.11	19.54	0.79	2.78	0.72	0.79	1.68	7.18	16.05	5.32	-
Dec 2013	-	44.73	0.15	19.27	1.56	2.80	0.57	1.27	1.38	7.37	16.01	4.89	-
Sep 2013	-	44.70	0.04	18.27	1.01	2.73	0.71	1.19	1.40	7.20	16.83	4.32	-
Jun 2013	-	43.85	0.08	19.20	1.24	2.78	0.83	1.20	1.59	7.19	18.22	4.52	-
Mar 2013	-	43.08	0.11	18.58	0.68	2.81	0.75	1.14	1.81	7.37	18.20	6.12	-
Dec 2012	-	43.98	0.15	19.54	1.20	2.89	0.84	1.82	1.24	7.12	15.25	5.58	-
Sep 2012	-	44.54	0.10	21.30	0.55	3.03	0.37	1.81	1.10	7.19	16.02	4.20	-
Jun 2012	-	44.22	0.08	21.19	0.29	3.07	0.34	1.37	0.89	7.31	17.82	3.83	-
Mar 2012	-	46.11	0.10	21.08	0.17	2.98	0.37	1.38	0.88	7.45	14.41	5.07	-
Dec 2011	-	47.11	0.09	22.42	0.27	3.21	0.34	1.58	0.85	7.31	13.58	3.07	-
Sep 2011	-	47.39	0.12	22.37	0.32	3.28	0.35	1.64	0.97	7.23	12.52	3.13	-
Jun 2011	-	47.55	0.10	22.47	0.41	3.31	0.34	1.38	0.89	7.01	12.80	3.15	-
Mar 2011	-	47.03	0.11	22.22	0.18	3.41	0.35	1.34	0.97	7.08	12.84	3.89	-
Dec 2010	-	47.40	0.38	22.11	0.58	3.38	0.33	2.33	0.81	6.89	10.87	5.14	-
Sep 2010	-	48.48	0.29	22.18	0.73	3.50	0.35	2.57	0.55	6.79	8.20	5.38	-
Jun 2010	-	48.27	0.23	22.08	0.38	3.40	0.34	2.82	0.82	6.98	9.87	5.65	-
Mar 2010	-	47.25	0.14	22.16	0.40	3.35	0.35	2.89	0.59	6.79	11.76	4.24	-
Dec 2009	-	47.38	0.18	22.07	0.78	3.24	0.28	3.27	0.59	6.51	10.20	5.50	-
Sep 2009	-	46.80	0.38	22.14	0.75	3.08	0.29	3.05	0.45	6.31	10.57	5.88	-
Jun 2009	-	47.37	0.11	23.07	0.83	3.08	0.40	3.54	0.30	6.41	11.38	4.13	-
Mar 2009	-	46.90	0.28	23.30	0.82	2.92	0.41	4.72	0.24	6.59	8.71	4.20	-
Dec 2008	-	48.32	0.34	24.52	1.10	3.01	0.43	3.82	0.49	6.59	7.52	3.38	-
Sep 2008	-	51.47	0.19	25.52	0.31	3.21	0.42	1.32	0.71	6.25	5.73	4.88	-
Jun 2008	-	51.58	0.23	25.53	0.58	3.37	0.48	1.88	0.47	6.82	5.84	4.33	-
Mar 2008	-	51.28	0.34	24.78	0.79	3.22	0.41	3.46	0.52	6.38	4.78	4.38	-
Dec 2007	-	52.12	0.38	26.14	1.33	2.82	0.49	2.73	0.49	6.50	5.48	1.75	-
Sep 2007	-	52.03	0.40	26.12	1.04	2.90	0.52	3.05	0.37	6.54	5.35	1.68	-
Jun 2007	-	50.21	0.31	27.12	0.89	2.90	0.59	4.38	0.34	6.87	5.80	1.40	-
Mar 2007	-	48.98	0.41	28.19	0.64	2.97	0.70	4.79	0.18	6.68	6.51	1.38	-

Notes: (1) Commercial Banks include Bank-Primary Dealers business also.

(2) Government of India dated securities include securities issued under the Market Stabilisation Scheme and the Special Securities like bonds issued to the Oil Marketing Companies, etc.

(3) State Government Securities include special bonds issued under Ujwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY).

(4) The data is provisional in nature and subject to revisions. The information on category-wise outstanding amounts of Government Securities is disseminated on an annual basis through the Handbook of Statistics on the Indian Economy published by the Bank.

LOK SABHA SECRETARIAT
INFORMATION CELL

No.1(307)IC/2023

31.03.2023

From

K. Sona
Deputy Secretary & CAPIO

To

Shri Ghyanshyam Verma,
[illegible]
District- Deoria, Uttar Pradesh - 274701

Subject: - Supply of information under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

With reference to your RTI application dated 15.03.23 received in this Secretariat on 17.03.23, I am directed to forward information to the extent pertaining to and available in the branch *i.e.* LB-I and G&D Branch of this Secretariat (Annexure), as approved by the CPIO.

2. The details of the CPIO are as follows:

Shri Maheshwar, Director & CPIO, Room No. 132, Parliament House Annexe, New Delhi – 110001 (Tel.23034980).

3. Appellate Authority for the Secretariat is Shri Prasenjit Singh, Additional Secretary, Lok Sabha Secretariat, Room No. 433, Parliament House Annexe, New Delhi – 110001 (Tel. 23034433). In case you want to go for an appeal in connection with above, you may appeal to the Appellate Authority within thirty days from the date of issue of this letter. Format for the Appeal may be downloaded from the website www.loksabha.nic.in .

Yours faithfully,

Sd/-
DEPUTY SECRETARY&CAPIO

Annexure

Name of the Applicant : Shri Ghyanshyam Verma
Application dated: **15.02.2023**
Reference: Lok Sabha Secretariat Letter **No. 1(307)/IC/2023** dated **28.03.2023**

Sl. No.	Points raised (in brief)	Reply
1.	Point no I of the application related to the Coinage Bill, 2011	The Coinage Bill, 2009 was introduced in Lok Sabha on 17.12.2009. The Bill was passed by Lok Sabha on 25.3.2011 as the Coinage Bill, 2011 and transmitted to Rajya Sabha. The Bill was passed by Rajya Sabha on 11.8.2011. After the passage of Bill by both the Houses, Bill was assented to by the President on 1.9.2011 and the Bill was enacted as Act No. 11 of 2011. Or The information related to the Coinage Bill, 2011 is available on below mentioned web address - **https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/734229/1/1163.pdf (17/12/2009)** **https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/737528/1/4150.pdf (25/03/2012)** The same can be accessed on http://eparlib.nic.in
2.	Point No. 2-7	do not pertain to this Secretariat.

लोक सभा सचिवालय
सूचना प्रकोष्ठ

सं.1(307)आईसी/2023 28.03.2023

प्रेषक

के सोना
उप सचिव और सीएपीआईओ

प्रेषित

श्री घनश्याम वर्मा,
[illegible]
जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश - 274701

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना की आपूर्ति।

महोदय,

इस सचिवालय में दिनांक 17.03.23 को प्राप्त आपके आरटीआई आवेदन दिनांक 15.03.23 के संदर्भ में, मुझे इस सचिवालय की शाखा यानी एलबी-। और जीएंडडी शाखा (अनुलग्नक) से संबंधित और उपलब्ध जानकारी को अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया है। जैसा कि सीपीआईओ द्वारा अनुमोदित है।

2. सीपीआईओ का विवरण इस प्रकार है:

श्री महेश्वर, निदेशक और सीपीआईओ, कमरा नंबर 132, संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली - 110001 (दूरभाष: 23034980)।

3. सचिवालय के लिए अपीलीय अधिकारी श्री प्रसेनजीत सिंह, अपर सचिव, लोक सभा सचिवालय, कमरा संख्या 433, संसदीय सौध, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष: 23034433) हैं। यदि आप उपरोक्त के संबंध में अपील करना चाहते हैं, तो आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं। अपील का प्रारूप वेबसाइट www.loksabha.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

आपका विश्वासी,
हस्ता/-
उप सचिव और सीएपीआईओ

अनुलग्नक

आवेदक का नाम : श्री घनश्याम वर्मा
आवेदन दिनांक: 15.02.2023
संदर्भ: लोकसभा सचिवालय पत्र संख्या 1(307)/आईसी/2023 दिनांक 28.03.2023

क्र.सं.	उठाए गए अंक (संक्षेप में)	उत्तर
1.	आवेदन के बिंदु संख्या 1 सिक्का से संबंधित	बिल, 2011 कॉइनेज बिल, 2009 को लोकसभा में 17.12.2009 को पेश किया गया था। यह बिल लोकसभा द्वारा 25.3.2011 को कॉइनेज़ बिल, 2011 के रूप में पारित किया गया था और राज्यसभा को प्रेषित किया गया था। यह विधेयक राज्य सभा द्वारा 11.8.2011 को पारित किया गया था। दोनों सदनों द्वारा विधेयक के पारित होने के बाद, विधेयक को 1.9.2011 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई थी और विधेयक को 2011 के अधिनियम संख्या 11 के रूप में अधिनियमित किया गया था। **या** सिक्का निर्माण विधेयक, 2011 से संबंधित जानकारी नीचे उल्लिखित वेब पते पर उपलब्ध है - https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/734229/1/1163.pdf (17/12/2009) https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/737528/1/4150.pdf (25/03/2012) http://eparlib.nic.in
2.	बिंदु संख्या 2-7	इस सचिवालय से संबंधित नहीं है।

स्पीड पोस्ट द्वारा
BY SPEED POST

भारतीय संसद
PARLIAMENT OF INDIA
राज्य सभा सचिवालय
RAJYA SABHA SECRETARIAT

संसद भवन/संसदीय सौध,
नई दिल्ली-110001
वेबसाईट : http://rajyasabhahindi.nic.in

Parliament House/Annexe,
New Delhi-110001.
Website : http://rajyasabha.nic.in

NO. RS/2(50)/2023-RTI **Dated the 03rd April, 2023**

From

Mohd. Salamuddin
Additional Director(RTI) & CAPIO

To

Shri Ghanshyam Verma,

District-Deoria, Uttar Pradesh-274701.

Subject: Request for information under RTI Act, 2005.

Sir,

I am to refer to your application dated 18th January, 2023 (received on 17th March, 2023) on transfer from Ministry of Parliamentary Affairs only for your point No.1 filed under the RTI Act, 2005, wherein you had desired to have some information under the RTI Act and to enclose herewith information obtained from Bill Office and RS Debates of this Secretariat from whom assistance was sought in the matter.

2. The Appellate Authority under the RTI Act for the Secretariat is Shri Sanjay Kumar Khursija, Joint Secretary (E&T), Rajya Sabha Secretariat, Room No. 239, 2nd Floor, Parliament House Annexe, New Delhi-110001 (Tel. 2303 4239).

3. This issues with the approval of the Director & CPIO.

Yours sincerely,

(Mohd. Salamuddin)
Tel: 2303 5308

राज्यसभा सचिवालय

सन्दर्भ :आरएस2/(50)2023आरटीआई-

मांगी गई सूचना	उत्तर
क्या भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 को संसद में किस दिनांक को अधिनियम लाया गया था? क्या इसके लिए संसद में कोई नोटिफिकेशन दिया गया था? या इसके उपर कुछ प्रश्न ऊठे थे? क्या इन मुद्दो पर कोई बहस हुई थी? यदी हाँ तो- भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 का सदन में पास करने का पूर्ण विवरण जिसमें नोटिफिकेशन, पूछे गए प्रसन्न , जवाब, बहस और जिम्मेदार व्यक्तियो के पद नाम सहित सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	इस अनुभाग में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 129) 17.12.2009 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। यह विधेयक अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा विचार और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 29 दिसम्बर, 2009 को विभाग संबंधित वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया और समिति ने 31 अगस्त, 2010 को संसद की दोनों सभाओं में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया/रखा। तत्पश्चात्, 25.03.2011 को लोक सभा में विधेयक पर विचार करने के लिए वाद-विवाद हुआ और उसी दिन विधेयक पारित हुआ। विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, पर विचार करने के लिए राज्य सभा में 11.08.2011 वाद-विवाद को हुआ और उसी दिन विधेयक पारित हुआ। साथ ही, सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति 01.09.2011 को प्राप्त हुई और 02.09.2011 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा 2011 का अधिनियम संख्यांक 11 बना। उक्त विधेयक के 'लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में', 'लोक सभा द्वारा पारित रूप में', 'दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में' संस्करणों की प्रतियां राज्य सभा की वेबसाइट www.rajyasabha.nic.in पर विधान कार्य→पारित विधेयक (सत्र-वार) - '223'-क्र.सं. 8 पर उपलब्ध हैं और वहाँ देखे जा सकते हैं। सिक्का-निर्माण विधेयक, 2011 पर राज्य सभा के 223वें सत्र के दौरान दिनांक 11.08.2011 को विचार किया गया था और इसे पारित किया गया था। आवेदक वांछित जानकारी राज्य सभा पोर्टल अर्थात् https://rsdebate.nic.in से निम्नलिखित चरणों के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। I - होमपेज पर 'FULL TEXT DATE- WISE DEBATES' पर क्लिक करें। II - ड्रॉपडाउन मेन्यू से सत्र संख्या '223' चयन करें। III - ड्रॉपडाउन मेन्यू से तिथि '11/08/2011' चयन करें। IV - संबंधित पी डी एफ फाइल देखें/डाउनलोड करें उक्त विधेयक के संबंध में लोक सभा में आयोजित वाद विवाद के साथ-साथ विभाग संबंधित वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन लोक सभा सचिवालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

(मो .सलामुदीन)
अतिरिक्त निदेशक (आरटीआई) और सीएपीआईओ

Azadi Ka Amrit Mahotsav

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

DCM(IFCD) No. S360 /06.08.05/2023-24 June 09, 2023

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र

Application under the Right to Information Act, 2005

पंजीकरण संख्या Registration number	:	RBIND/R/P/23/01379
आवेदक का नाम Applicant's Name	:	Shri Ghanshyam Varma
आवेदन की तारीख Date of application	:	28/04/2023
आरटीआई पोर्टल पर आवेदन की पंजीकरण तिथि Date of registration of application on RTI portal	:	11/05/2023
उत्तर की तारीख Date of reply	:	09/06/2023

Sr. No.	Query	Reply
05.	रिजर्व बैंक द्वारा जारी पेपर करेंसी के अनुसार भारत की जनता को कर्ज वितरण करने वाली सरकारी अर्धसरकारी बैंकों या फाइनेंस कम्पनियों का आज दिनांक तक भारत की जनता पर ब्याज सहित कुल कर्ज कितना है? प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराएं।	मांगी गई सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
06.	रिजर्व बैंक द्वारा संचालित कुल नगद पेपर करेंसी भारत की जनता के बीच कितनी चलन में हैं? कुल चलनसार पेपर करेंसी की रूपये में जानकारी उपलब्ध कराएं।	संचलन में जारी बैंकनोट की मूल्यवर्गवार आंकड़ो की जानकारी, भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित हैं, जो www.rbi.org.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और जिसे निम्नलिखित पथ या हायपरलिंक का उपयोग करते हुए प्राप्त किया जा सकता हैं। • पथ www.rbi.org.in>> प्रकाशन >> वार्षिक >> वार्षिक रिपोर्ट >> वार्षिकरिपोर्ट-पूर्ण दस्तावेज >> वर्ष चुनिए >> VIII. मुद्रा प्रबंधन >> सारणी VIII.1 • हायपरलिंक) Hyperlink): https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/AnnualReport.aspx
07.	रिजर्व बैंक द्वारा संचालित पेपर करेंसी में रूपये उपलब्ध कराने के वचन अनुसार धारक को जो	प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

मुद्रा प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय, अमर भवन, चौथी मंजिल, सर पी. एम. रोड, मुंबई - 400 001

दूरभाष: 91-22-2260 4401 ईमेल आईडी: dcmria@rbi.org.in

Department of Currency Management, Central Office, Amar Building, 4th Floor, Sir P.M.Road, Mumbai 400 001

Tel No: 91-22-2260 4401 Email ID : dcmria@rbi.org.in

	रूपया उपलब्ध कराया जाएगा। उस रूपये की छायाप्रति कॉपी उपलब्ध कराएं।	तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंक नोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते है । यह अधिनियम हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in > प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत उपलब्ध है।
08.	जिस सिक्के के बदले पेपर करेंसी जारी की जा रही है, उस सिक्के की प्रमाणित नकल उपलब्ध कराते हुए, सिक्के की वर्तमान कीमत का उल्लेख करे।	

भवदीय / Yours faithfully,

(सुमन राय/ Suman Ray)

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी / Central Public Information Officer

For your information, the First Appellate Authority in Reserve Bank of India is Shri Radha Shyam Ratho, Executive Director, Reserve Bank of India, Central Office, Amar Building, Sir P. M. Road, Mumbai - 400 001. Appeal, if any, in respect of the above reply, should be preferred within 30 days to the Appellate Authority.

हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री राधा श्याम रथ, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुद्रा प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय, अमर भवन, चौथी मंजिल, सर पी. एम. रोड, मुंबई - 400001 हैं । इस उत्तर के संबंध में आप यदि कोई अपील करना चाहें तो उसे इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को भेज सकते हैं।

आर टी आई रिर्जव बैंक दिनांक 25.10.2023

सूचना के लिए आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

समक्ष- केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुम्बई

आवेदक का नाम- घनश्याम वर्मा

आवेदक का पता- , जिला- देवरिया, (उ०प्र०) 274701

अपेक्षित सूचना का विवरण- प्रार्थी को निम्नांकित पर हिन्दी में सूचना चाहिए।

1. क्या बैंक नोटों पर उल्लेखित "केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत" से क्या तात्पर्य है? इसे सूचना के रुप में प्रकट करें।
2. क्या बैंक नोटों पर उल्लेखित "केन्द्रीय सरकार" का आशय क्या है?
   i. लोकतांत्रिक गणराज्य भारत(इंडिया) की संसद से है?

      अथवा

   ii. ब्रिटेन मे स्थित ब्रिटिश पार्लियामेंट(संसद) से है? या अन्य

   इसकी प्रमाणिक सूचना उपलब्ध करावें।
3. प्राप्त सूचना के अनुसार "वर्तमान मे बैंक नोटों के निर्गमन में रिर्जव बैंक द्वारा जारी किए गए सभी नोट भारतीय रिर्जव बैंक अधिनियम की धारा 33(1) में पारिभाषित रूप मे पात्र सम्पत्तियों द्वारा समर्थित है। जबकि बैंक नोटों पर गारंटी के रुप में उल्लेखित है। तो क्या इसे परिवर्तित किया गया है? यदि हाँ—

   तो पात्र सम्पत्तियां जो "गांरटी" के रुप में रखी गयी है, उस सम्पत्ति को "समर्थन" के रूप मे किस दिनांक मे परिवर्तन किया गया है? तथा किस अधिनियम, नियम या आदेश के अन्तर्गत परिवर्तन किया गया है? इस सूचना का प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध कराए।
4. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की प्रस्तावना में "देश के लाभार्थ चलाने के लिए भारत के लिए एक रिज़र्व बैंक का गठित करना समीचीन है ;" यह उल्लेखित है, जबकि भारत "लोकतांत्रिक गणराज्य" है। तो सूचना यह दें कि—

   वह कौन सा देश है जिसके लाभार्थ भारत में रिज़र्व बैंक का गठित करना आवश्यक था। उस देश के नाम की प्रमाणिक सूचना उपलब्ध करावें।

स्थान- देवरिया

दिनांक- 25.10.2023

नगद ₹10 का नोट नं०-

36L 015268

प्रार्थी

घनश्यामवर्मा

घनश्याम वर्मा

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Azadi Ka Amrit Mahotsav

CO.DCM(ADM) No. S 1861 /06.08.05/2023-24

November 29, 2023

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र
Application under the Right to information Act, 2005

पंजीकरण सं. / Registration no.	:	RBIND/R/P/23/03466
आवेदक का नाम / Applicant	:	Ghanshyam Verma
आवेदन की तारीख / Date of application	:	October 31, 2023
आरटीआई पोर्टल पर आवेदन की पंजीकरण तिथि / Date of registration of application on RTI portal	:	October 31, 2023
उत्तर की तारीख/ Date of reply		November 29, 2023

सं	विषय वस्तु	टिप्पणियां
1	क्या बैंक नोटों पर उल्लेखित "केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत" से क्या तात्पर्य है? इसे सूचना के रुप में प्रकट करें।	बैंक नोटों पर उल्लेखित "केंद्रीय सरकार" का अर्थ "भारत सरकार" है।
2	क्या बैंक नोटों पर उल्लेखित "केन्द्रीय सरकार" का आशय क्या है? i. लोकतांत्रिक गणराज्य भारत (इंडिया) की संसद से है? अथवा ii. ब्रिटेन में स्थित ब्रिटिश पार्लियामेंट (संसद) से है? या अन्य इसकी प्रमाणिक सूचना उपलब्ध करावें।	
3	प्राप्त सूचना के अनुसार "वर्तमान में बैंक नोटों के निर्गमन में रिर्जव बैंक द्वारा जारी किए गए सभी नोट भारतीय रिर्जव बैंक अधिनियम की धारा 33 (1) में पारिभाषित रुप मे पात्र सम्पतियों द्वारा समर्थित है। जबकि बैंक नोटों पर गारंटी के रुप में उल्लेखित है। तो क्या इसे परिवर्तित किया गया है? यदि हाँ तो पात्र सम्पतियां जो "गांरटी" के रुप में रखी गयी है, उस सम्पत्ति को "समर्थन" के रूप में किस दिनांक मे परिवर्तन किया गया है? तथा किस अधिनियम, नियम या आदेश के अन्तर्गत परिवर्तन किया गया है? इस सूचना का प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध कराए।	प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

मुद्रा प्रबंध विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, चौथी मंज़िल, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 1379, मुंबई-400001(भारत)
फोन: +91-22-2260 4401; ई-मेल: dcmria@rbi.org.in
Department of Currency Management, Central Office, 4th Floor, Amar Building, Sir P. M. Road, Post Box No.1379, Mumbai – 400 001(India); Tel: +91-22-2260 4401 E-mail: dcmria@rbi.org.in

हिन्दी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाईए

सं	विषय वस्तु	टिप्पणियां
4	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की प्रस्तावना में "देश के लाभार्थ चलाने के लिए भारत के लिए एक रिज़र्व बैंक का गठित करना समीचीन है; " यह उल्लेखित है, जबकि भारत "लोकतांत्रिक गणराज्य" है। तो सूचना यह दें कि- वह कौन सा देश है जिसके लाभार्थ भारत में रिज़र्व बैंक का गठित करना आवश्यक था। उस देश के नाम की प्रमाणिक सूचना उपलब्ध करावें।	प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

भवदीय / Yours faithfully,

(के श्रीनिवासन/ K Srinivasan)

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी / Central Public Information Officer

For your information, the First Appellate Authority in Reserve Bank of India is Dr. Deepak Kumar, Executive Director, Reserve Bank of India, Central Office, Amar Building, Sir P. M. Road, Mumbai - 400 001. Appeal, if any, in respect of the above reply, should be preferred within 30 days to the Appellate Authority.

हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी डॉ दीपक कुमार, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, अमर भवन, चौथी मंजिल, सर पी. एम. रोड, मुंबई - 400001 हैं । इस उत्तर के संबंध में आप यदि कोई अपील करना चाहें तो उसे इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को भेज सकते हैं।

वैदिक कालीन मुद्रा का मानक (स्टैण्डर्ड)

मनुस्मृति अध्याय- ८ के अनुसार मान-

जालान्तर्गते भानौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः।
प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते।।१३२।।
त्रसरेणवोऽष्टौं विज्ञेया लिक्षैका परिमाणतः।
ता राजसर्षिपस्तस्त्रस्ते त्रयो गौरसर्षपः।।१३३।।
सर्षपाः षट् यवो मध्यस्त्रियवं त्वेककृष्णलम्।
पञ्चकृष्णलको माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश।।१३४।।
पलं सुवर्णश्चत्वारः पलानि धरणं दश।
द्वे कृष्णले समधृते व्ज्ञेयो रौप्यमाषकः।।१३५।।
ते षोडश स्याद्धरणं पुराणश्चैव राजतः।
कार्षापणस्तु विज्ञेव्यस्ताम्रिकः कार्षिकः पणः।।१३६।।
धरणानि दश ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः।
चतुः सौवर्णिको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः।।१३७।।

= छिद्र से सूर्य की किरण मार्ग में जो सूक्ष्म धूलि कण दीखते हैं वह त्रसरेणु है जो पहला मान है।

८ त्रसरेणु = १ लिक्षा, ३ लिक्षा = १ राजसर्षप, ३ राजसर्षप = गौरसर्षप।६ गौरसर्षप = मध्ययव, ३ मध्ययव = १ कृष्णल,
५ कृष्णल (रत्ती) = १ माष (माशा),
१६ मासा (१६ आना, शिवसूत्र का आणव मल) = १ सुवर्ण।
४ सुवर्ण = १ पल (भार के माप), १० पल = १ धरण
२ कृष्णल के भार का रौप्यमाषक = इतने वजन का की चाँदी का रूपया।रौप्य का अर्थ चान्दी भी है। इसका अन्य अर्थ करते हैं कि सिक्के पर रूप (अंक, या आकृति) बनाते हैं।
१६ रौप्य माषक = रौप्यधरण या राजत या चान्दी का पुराण।
ताम्बे के कर्ष (पैसे) को कर्ष तथा पण कहते हैं।
१० धरण = शतमान राजत (१००रूपया)
भार से ४ सुवर्ण = १ निष्क।

प्राचीन भारतीय मुद्रा एवं मानक

फूटी कौड़ी	से	कौड़ी
कौड़ी	से	दमड़ी
दमड़ी	से	धेला
धेला	से	पाई
पाई	से	पैसा
पैसा	से	आना
आना	से	रूपया

1.	3 फूटी कौड़ी = 1 कौड़ी
2.	10 कौड़ी = 1 दमड़ी
3.	2 दमड़ी = 1 धेला
4.	1.5 पाई = 1 धेला
5.	3 पाई = 1 पैसा (पुराना)
6.	4 पैसा = 1 आना
7.	16 आना = 1 रूपया

256 दमड़ी = 192 पाई = 128 धेला

64 पैसे (पुराना) = 16 आना = 1 रूपया

प्राचीन मुद्रा की इन्ही ईकाइयों ने हमारी बोलचाल की भाषा को कई कहावते दी है, जो पहले की तरह अब भी प्रचलित है।

जैसे- एक फूटी कौड़ी भी नही दूंगा।

चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए।

धेले का काम नहीं करती हमारी बहु।

पाई-पाई का हिसाब रखना।

सोलह आने सच। इत्यादि

मुगल कालीन मोहरों के भार मानक (स्टैंडर्ड) एवं मानक मुल्य

1. The Shenshahi Mohur of* 101 tolahs, 9 mashas, 7 ratis = 100 Lal Jalali Mohurs at Rs. 10 each.

---

2. A smaller variety of the Shenshahi weighing 91 tolahs and 8 mashas and equal to 100 round mohurs at Rs. 9. each.

3. Rahas = $\frac{1}{2}$ of No. 1 or 2 according to their contents.

4. Atmah = $\frac{1}{4}$ of No. 1.

5. Binsat = $\frac{1}{5}$ of No. 1 and there were similar coins = $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{20}$, and $\frac{1}{25}$ of No. 1.

6. Chahar Goshah (4 sides) weighing 3 tolahs & $5\frac{1}{4}$ ratis = Rs. 30.

7. Chugal weighing 2 Tolahs and Mashas = 3 round Mohurs at Rs. 9 each.

8. Ilahi weighing 1 tolah, 2 mashas, $4\frac{3}{4}$ ratis = Rs. 12.

9. Aftabi weighing 12 mashas, $1\frac{3}{4}$ ratis = Rs. 10.

10. Lal Jalali* weighing 1 tolah and $1\frac{3}{4}$ ratis = Rs. 10.
    = 400 dams.

11. Adal Gutka of 11 Mashas, also known as the round Mohur = Rs. 9.

* The extra weight beyond that allowed in No. 9 was probably due to the lower degree of the fineness of gold used for these coins.

* The derivation of the term Rupee is not quite certain, though the attempts at it are not without interest. Some have traced it from "Rupyam" from the Sanscrit Rupa—shape of figure, having reference to the effigies on the coin. It is improbable that the iconoclast Mohomedans would have adopted—as they did—the term if they had known of such a derivation. A more probable—or at least a more uniformly acceptable origin is from the Sanscrit Rupyam—silver. We do not know when exactly the term Rupaiya began to take the place of the older term tankah, but it is almost certain that it is not earlier than the days of Shir Shah. The Moghuls accepted this designation of the standard coin, extended its use and hence the present name. Mr. Edward Thomas traces the term in reference to its weight to the Sanscrit Shata raktika of 100 ratis or 179 grains.

रैगुलेशन के मानक (स्टैंडर्ड) 1793-1833 तक

Reg. XXXV. 1793.

A.D. 1793. REGULATION XXXV.*

A REGULATION *for re-enacting, with Amendments, the Rules passed on the 20th June, 24th October, and 31st November, 1792, and subsequent Dates, for the Reform of the gold and silver Coin in Bengal, Behar, and Orissa; and for prohibiting the Currency of any gold or silver Coin in those Provinces, but the nineteenth sun Sicca Rupees, and the nineteenth sun Gold Mohur, and their respective Divisions and Subdivisions into Halves and Quarters; and for preventing the counterfeiting, defacing, or debasing of the Coin:* PASSED *by the Governor-General in Council on the 1st May,* 1793.

I. THE principal districts in Bengal, Behar, and Orissa, have each a distinct silver currency, consisting either of the nineteenth sun sicca rupee

* The mint at Moorshedabad was abolished by Regulation LXII. 1795, and the mints at Patna and Dacca have also been abolished, so that the mint at Calcutta is now the only one in the Bengal presidency. By Section x. Act XVII. 1835, the Governor-General in Council is empowered to establish, regulate, and abolish mints. Under Acts XVII. 1835, and XXI. 1838, the "Company's rupee," and its fractional parts of a specified weight and standard, are now the only silver coins issued; and under Act XIII. 1836, the Calcutta sicca rupee ceased to be a legal tender after 1st January, 1838.—Section vii. Act XVII. 1835, prescribes the weight and standard of the gold coins, and Section ix. of the same Act declares that no gold coin shall be a legal tender.

A. D. 1806. REGULATION III.

I

A REGULATION *for defining the weight and ſtandard of the ſilver coin, eſtabliſhed in the ceded and conquered provinces, by Regulation* XLV, 1803, *and Regulation* XI, 1805; *and the weight of the copper coin eſtabliſhed in the ſaid provinces by the regulations abovementioned; alſo for fixing a table of rates for regulating the receipt and payment of rupees of different deſcriptions, during the periods preſcribed by Regulation* XLV, 1803, *for the receipt and payment of rupees not being the rupees declared by that regulation, and by Regulation* XI, 1805, *to be the eſtabliſhed and legal ſilver coin within the ceded and conquered provinces*—PASSED *by the Governor General in Council, on the 27th of March* 1806; *correſponding with the 15th Chyte* 1212 *Bengal era; the 23d Chyte* 1213 *Fuſſily; the 15th Chyte* 1213 *Willaity; the 7th Chyte* 1863 *Sumbut; and the 6th Mohurrum* 1221 *Hegiree.*

WHEREAS it is declared, in Sections III and XLIII, Regulation XLV, 1803, that a ſpecification of the weight and ſtandard of the Lucnow ſicca rupee, eſtabliſhed by Section Preamble.

tion

tion II, of that regulation, and of the correfponding Lucnow and Calcutta ficca weight of the copper coin eftablifhed by Section XLIII, of the regulation aforefaid, would be publifhed in a future regulation: And whereas it is declared in the faid regulation, that a table of rates would be inferted in a future regulation, for determining the receipt and payment of rupees of different defcriptions, during the periods prefcribed by the regulation above mentioned, for the receipt and payment of rupees, not being the rupees declared by that regulation, to be the eftablifhed and legal filver coin in the provinces ceded by the Nawaub Vizier to the Honorable the Englifh East India Company: And whereas Regulation XLV, 1803, has been extended by Regulation XI, 1805, to the conquered provinces, fituated within the Doab, and on the right bank of the river Jumna, ceded to the Honorable the Englifh Eaft India Company by Dowlut Rao Scindiah, and to the territories in Bundlecund, ceded to the Honorable the Englifh Eaft India Company by the Peifhwah; the following rules have been therefore enacted, to be in force in the ceded and conquered provinces.

Specification of weight and ftandard of the Lucnow ficca rupee, ftruck at the mint at Furruckabad, eftablifhed by Regulation XLV, 1803, and Regulation X, 1805.

II. The following is a fpecification of the weight and ftandard of the Lucnow ficca rupee of the forty-fifth fun, ftruck in the Mint at Furruckabad, eftablifhed by Section II, Regulation XLV, 1803, and Regulation XI, 1805.

Troy Weight, one hundred and feventy-three Grains.

Affay,	Touch, or parts of fine Silver, in 100.	95	5
	Alloy, - - - - - - -	4	5

Specification of the weight of copper coins, eftablifhed by the fame regulations.

III. The following is a fpecification of the weight of the copper coin, eftablifhed by Section XLIII, Regulation XLV, 1803, and Regulation XI, 1805;

			Rupees.	Annas.	Pice.
Troy Weight, - -	Grains	284.½			
Lucnow ficca weight, -	Annas		1	10	3½
Calcutta ficca weight, -	Annas		1	9	4

It is to be underftood, however, that pice fhall only be coined

A. D. 1812. REGULATION II.

A REGULATION *for levying a duty on the coinage of silver bullion and on the recoinage of rupees and other coins, with certain exceptions, at the mints established at Calcutta, Furruckabad, and Benares; for defining the weight and standard of the Benares rupee; for modifying the rates of duty at present levied on the coinage of gold bullion in the mint of Calcutta; and also for establishing certain rules for the conduct of the business of the above-mentioned mints respectively.*—PASSED *by the Governor General in Council, on the 21st March 1812; corresponding with the 10th Chyte 1218 Bengal era; the 23d Chyte 1219 Fussily; the 11th Chyte 1219 Willaity; the 9th Chyte 1869 Sumbut; and the 7th Rubbi-ul Awul 1227 Higeree.*

WHEREAS it has been deemed adviſable to eſtabliſh a duty on the coinage of ſilver bullion, and on the recoinage of rupees and other coins, with certain exceptions, at the mints eſtabliſhed at Calcutta, Furruckabad, and Benares, for the purpoſe of defraying the expenſe to which government is ſubject Preamble.

on

or if the coin ſhall be defective in workmanſhip, or in any other reſpect, the aſſay maſter ſhall report the circumſtance to the Governor General in Council for his orders.

Second. The foregoing rule ſhall be conſidered to ſuperſede the proviſion contained in Section XI, Regulation XLV, 1803.

Section XI, Regulation XLV, 1803, declared ſuperſeded.

X. The ſilver coin now current in the province of Benares, under the denomination of the muchleedar rupee, commonly called the Benares rupee, ſhall continue to be the eſtabliſhed coin of that province; and ſhall be received as ſuch in all public and private tranſactions.

The Benares rupees to be the eſtabliſhed coin of that province.

XI. The Benares rupee ſhall continue of the following weight and ſtandard, and halves and quarters of a rupee ſhall be coined of the ſame ſtandard and proportionate weight.

Its weight and ſtandard.

	Troy weight, grains	175
	Touch, or pure ſilver	168,875
	Alloy - - -	6,125
Aſſay	Touch, or parts of pure ſilver in 100	96,5
	Alloy - - -	3·5

XII. *Firſt.* The Benares rupee ſhall hereafter be ſtruck of the ſame ſize and form as the nineteenth ſun ſicca rupee ſtruck in the mint of Calcutta, but ſhall bear the ſame impreſſion as is now in uſe in Benares.

Size, form, and impreſſion of the Benares Rupee.

Second. The halves and quarters of a rupee ſhall be proportionably leſs than the rupee, according to their reſpective value, and ſhall have the ſame impreſſion as the rupee.

And of halves and quarters.

XIII. To guard as far as poſſible, againſt counterfeiting, clipping, drilling, filing, defacing or debaſing the coin, the edges of it ſhall be milled, and the dies ſhall be made of the ſame ſize as

The edges to be milled.

the

A. D. 1818. REGULATION XIV.

A REGULATION *for altering the Standard of the Calcutta Sicca Rupee and Gold Mohur, and for further modifying some of the rules in force respecting those Coins.*—PASSED *by the Governor General in Council, on the 24th December* 1818; *corresponding with the 11th Poose* 1225 *Bengal era; the 12th Poose* 1226 *Willaity; the 12th Poose* 1875 *Sumbut; and the 25th Suffer* 1234 *Higeree.*

THE high standards established for the Gold Mohur and Sicca Rupee, having been found productive of many inconveniencies, both to individuals and the public, in as much as they are ill calculated to resist the wear and defacement to which coins are necessarily exposed, and as they are only to be obtained by having recourse to the expensive process of refining, diminishing consequently the productiveness of most of the sorts of Bullion imported into the Company's territories; and it being desirable also, that as much uniformity as can be established between the currencies Preamble.

Second. The weight and standard of the Calcutta Sicca Rupee and Gold Mohur, and their respective divisions, shall be as follows.

Specification of the weight and standard of the Calcutta Sicca Rupee and Gold Mohur.

	Gold.	*Fine Gold.*	*Alloy.*
Gold Mohur Weight.			
Grs. - - - - - - - - -	204.710	187.651	17.059
Half ditto, - - - - - -	102.355	93.825	8.529
Quarter ditto, - - - - -	51.177	46.912	4.264
	Silver.	*Fine Silver.*	*Alloy.*
Sicca Rupee Weight.			
Grs. - - - - - - - - -	191.916	175.923	15.993
Half ditto, - - - - - -	95.958	87.961	7.997
Quarter ditto, - - - - -	47.979	43.981	3.998

II. All Calcutta Sicca Rupees and Gold Mohurs of the weight and standard specified in Section I. which may be coined in the Calcutta Mint, after the 1st of January, 1819, and also their halves and quarters, are to be considered as legal tender of payment in all public and private transactions throughout the provinces of Bengal, Behar and Orissa, in like manner as the Nineteenth San Sicca Rupees and Gold Mohurs, and the fractional parts of them now in circulation, and any Native officer of Government refusing to receive them, shall be subject to the penalty prescribed in Section III. Regulation XXXV. 1793.

Sicca Rupees and Gold Mohurs of the weight and standard specified in the preceding Section, to be considered as legal tenders.

III. *First.* The following provisions shall be substituted for those of Section II. Regulation II. 1812, which are hereby rescinded.

Section II. Regulation II. 1812, rescinded.

Second. All silver bullion or coin (not being struck at the *Calcutta Mint*) which may be delivered into that Mint for coinage, shall be subject to a duty at the rate of two per cent. on the produce of such bullion or coin, in Sicca Rupees of the above weight and standard, and the amount of the said duty shall be accordingly deducted from the return to be made to the proprietor.

Duty to be levied on bullion or coin delivered into the Calcutta Mint for coinage.

Third.

Scanned with ACE Scanner

A. D. 1833. REGULATION VII.

A REGULATION *for altering the weight of the new Furruckabad Rupee and for assimilating it to the legal currency of the Madras and Bombay Presidencies; for adjusting the weight of the Calcutta Sicca Rupee, and for fixing a standard Unit of weight for India.—Passed by the Governor General in Council on the* 13*th July* 1833, *corresponding with the* 31*st Assar* 1240 *Bengal Era; the* 12*th Assar* 1240 *Fusly; the* 32*d Assar* 1240 *Willaity; the* 11*th Assar* 1890 *Sumbut; and the* 24*th Suffer* 1249 *Higeree.*

BY a Resolution of the Governor General in Council, dated the 10th of September 1824, the Furruckabad Rupee was ordered to be coined of 180 Grains, 165 fine and 15 alloy, and was declared the legal currency of the Saugor and Nerbuddah Territories. It is considered expedient to adopt this Weight and Standard for the Furruckabad Rupee at the Calcutta as well as at the Saugor Mint, instead of that described in Section V. Regulation XI. 1819, from which it differs very slightly, and to make the Furruckabad Currency correspond in weight and intrinsic value with the new Currency of the Madras and Bombay PREAMBLE.

Bombay Presidencies. It is likewise convenient to make a trifling alteration in the weight of the Calcutta Sicca Rupee, as prescribed by Clause 1, Section I. Regulation XIV. 1818. It is further convenient to introduce the weight of the Furruckabad Rupee as the Unit of a general system of Weights for Government transactions throughout India under the Native and well known denomination of the *Tola*. The following Rules have accordingly been enacted by the Governor General in Council to be in force from the date of their promulgation :

Parts of former Regulations rescinded.

II. So much of Clause 2, Section I. Regulation XIV. 1818, as fixes the Weight and Standard of the Nineteenth *Sun* Sicca Rupee, and of Regulation XI. 1819, as fixes the Weight and Standard of the Furruckabad Rupee, is hereby rescinded.

The Weight and Standard of the Calcutta Sicca Rupee and of the Furruckabad Rupee, and of their respective subdivisions, declared.

III. The Weight and Standard of the Calcutta Sicca Rupee and its subdivisions, and of the Furruckabad Rupee, shall be as follows :

	Weight. Grains.	Fine. Grains.	Alloy. Grains.
Calcutta Sicca Rupee, ...	192	176	16
Ditto Half, ...	96	88	8
Ditto Quarter, ...	48	44	4
Furruckabad Rupee, ...	180	165	15

and its fractions in proportion, being 11-12ths pure and 1-12th alloy.

IV. The

IV. The use of the Sicca Weight of 179.666 Grains hitherto employed for the receipt of Bullion at the Mint, being in fact the weight of the Moorshedabad Rupee of the old Standard, which was assumed as the Sicca Currency of the Honorable Company's Provinces of Bengal, Behar and Orissa, shall be discontinued; and in its place the following Unit, to be called the Tola, shall be introduced, which, from its immediate connection with the Rupee of the Upper Provinces, and of Madras and Bombay, will easily and speedily become universal through the British Territories.

The use of the present Sicca Weight to be discontinued at the Mints of Government.

The *Tola* or *Sicca Weight* to be equal to 180 Grains Troy, and the other denominations of weight to be derived from this Unit, according to the following scale; viz.

The Tola to be established of 180 Grains Troy in lieu of the Unit of Sicca Weight 179.666 Grains.

8 Ruttees = 1 Masha = 15 Troy Grains.
12 Mashas = 1 Tola = 180 ditto.
80 Tolas, (or Sicca Weight) 1 Seer = 2½ lbs. Troy.
40 Seers = 1 Mun, or Bazar Maund = 100 lbs. Troy.

A scale of Weights according to this principle, described.

V. The calculation of produce of Bullion at the Mints of Saugor and Calcutta will be made in accordance with the system herein before set forth, subject to the duty or Seignorage of 2 per cent. already provided by the Mint Regulations; and in case of Bullion below Dollar Standard, or more than 6 dwts. worse, subject to a further Mint charge to cover the expense of refining it up to Standard purity, it being optional with the Proprietor of the Bullion to refine it out of the Mint, or to pay the refinage charge according to established rates. A Table of the

The produce of Bullion at the Mints, how to be calculated.

Subject to Seignorage duty—

And to a further charge for refinage when below Standard purity.

The Proprietor may at his option refine his Bullion out of the Mint, or pay the prescribed refinage charge.

ACT No. XVII. OF 1835.

Passed by the Honorable the Governor General of India in Council, on the 17th August 1835.

Be it enacted, that from the First day of September 1835, the undermentioned Silver Coins only shall be coined at the Mints within the Territories of the East India Company.—A Rupee, to be denominated the Company's Rupee—a Half Rupee—a Quarter Rupee—and a Double Rupee; and the weight of the said Rupee shall be 180 Grains Troy, and the standard shall be as follows:

$\frac{11}{12}$ or 165 Grains of pure Silver,
$\frac{1}{12}$ or 15 „ of Alloy,

and the other Coins shall be of proportionate weight and of the same standard.

II. And be it enacted, that these Coins shall bear on the obverse the head and the name of the reigning Sovereign of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and on the reverse the designation of the Coin in English and Persian, and the words "East India Company" in English, with such embellishment as shall, from time to time, be ordered by the Governor General in Council.

III. And be it enacted, that the Company's Rupee, Half Rupee, and Double Rupee, shall be a legal tender in satisfaction of all engagements, provided the Coin shall not have lost more than Two per cent. in weight, and provided it shall not have been clipped, or filed, or have been defaced otherwise than by use.

IV. And be it enacted, that the said Rupee shall be received as equivalent to the Bombay, Madras, Furruckabad and Sonat Rupees, and to Fifteen-sixteenths of the Calcutta Sicca Rupee; and the Half and Double Rupee respectively, shall be received as equivalent to the Half and Double of the abovementioned Bombay, Madras, Furruckabad and Sonat Rupees, and to the Half and Double of Fifteen-sixteenths of the Calcutta Sicca Rupee.

V. And be it enacted, that the Company's Quarter Rupee shall be a legal tender only in payment of the fraction of a Rupee.

VI. Provided, that if in any contract for the payment of Calcutta Sicca Rupees it shall have been specially stipulated that if payment be made in the Territories of the Madras, Bombay, or Agra Presidency, it shall be made in the Rupee now current in those Presidencies respectively, at a different rate from that above provided with reference to the Calcutta Sicca Rupee, the contract shall be satisfied by payment within those Presidencies of Company's Rupees of the amount of Furruckabad, Madras, or Bombay Rupees so especially stipulated:—Provided also, that if payment of the Principal or Interest of the Public Debt be made for the convenience of Creditors at any Public

ACT No. XVII. OF 1835.

Public Treasury other than as stipulated in the Notes and Engagement of the Government, it shall be competent to the Government to make such payments at the same exchange as heretofore.

VII. And be it enacted, that the undermentioned Gold Coins only shall henceforth be coined at the Mints within the Territories of the East India Company.

First. A Gold Mohur or Fifteen Rupee Piece of the weight of 180 Grains Troy, and of the following Standard, viz.

$\frac{11}{12}$ or 165 Grains of pure Gold,
$\frac{1}{12}$ or 15 „ of Alloy.

Second. A Five Rupee Piece equal to a Third of a Gold Mohur.

Third. A Ten Rupee Piece equal to Two-thirds of a Gold Mohur.

Fourth. A Thirty Rupee Piece or Double Gold Mohur—and the three last mentioned Coins shall be of the same standard with the Gold Mohur and of proportionate weight.

VIII. And be it enacted, that these Gold Coins shall bear on the obverse the head and name of the reigning Sovereign of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and on the reverse the designation of the Coin in English and Persian, and the words "East India Company" in English, with such embellishment as shall from time to time be ordered by the Governor General in Council, which shall always be different from that of the Silver Coinage.

IX. And be it enacted, that no Gold Coin shall henceforward be a legal tender of payment in any of the Territories of the East India Company.

X. And be it enacted, that it shall be competent to the Governor General in Council in his Executive capacity, to direct the coining and issuing of all Coins authorized by this Act; to prescribe the devices and inscriptions of the Copper Coins issued from the Mints in the said Territories, and to establish, regulate, and abolish Mints, any Law hitherto in force to the contrary notwithstanding.

ACT No. XIII OF 1862.

PASSED BY THE GOVERNOR-GENERAL OF INDIA IN COUNCIL.

(Received the assent of the Governor-General on the 23rd April 1862.)

An Act to provide for a new Silver and a new Copper Coinage.

Preamble.

WHEREAS it is expedient to provide for a new Silver and a new Copper Coinage; It is enacted as follows:—

Repeal of Acts.

I. From the first day of November 1862 so much of the 1st and 2nd Sections of Act XVII of 1835 *(relating to Gold and Silver Coinage)* as provides that only the Silver Coins therein mentioned shall be coined at the Mints within the territories of the East India Company, and that such Coins shall bear on the reverse the words "The East India Company:" also Act XXXI of 1837 *(relating to Coinage)*, Act XXI of 1838 *(relating to the Silver Coin)*, Act XXI of 1835, Act XXII of 1844, and Act XI of 1854 *(relating to the Copper Coin)* shall be repealed, except as to any act already done or Coin already coined or issued under the same.

Description of Coins.

II. From the first day of November 1862, except as provided by Act VI of 1847 *(for establishing a Copper Currency in the Settlements of Penang, Singapore, and Malacca)* in respect of Cents, half Cents, and quarter Cents, no Silver or Copper Coins, except those mentioned below, shall be coined at the Mints in British India.

Silver Coin.

A Rupee to be called the Government Rupee.

A Half Rupee.

A Quarter

PRICE TWO ANNAS.

89

A Quarter Rupee or Four Anna Piece.

An Eighth of a Rupee or Two Anna Piece.

Copper Coin.

A Double Pice or Half Anna.

A Pice or Quarter Anna.

A Half Pice or One-eighth of an Anna.

A Pie, being One-third of a Pice, or One-twelfth of an Anna.

Weight and Standard of Silver Coins.

III. The Rupee so coined shall be of the same weight and standard as those provided for the Company's Rupee by the said Act XVII of 1835, that is to say, the weight shall be 180 grains Troy, and the standard as follows:—$\frac{11}{12}$th or 165 grains of pure Silver; $\frac{1}{12}$th or 15 grains of Alloy. The other Silver Coins shall be of proportionate weight and of the same standard.

Weight of Copper Coins.

IV. The Copper Coins so coined shall be of the weight prescribed for Coins of the same denominations respectively by Acts XXI of 1835 and XI of 1854, that is to say:—

The Double Pice shall weigh 200 grains Troy.

The Pice ... ... 100 „

The Half Pice ... ... 50 „

The Pie ... ... $33\frac{1}{3}$ „

Inscriptions on Coins.

V. Until the Governor-General in Council shall otherwise order under the power hereinafter reserved, the Silver and Copper Coins so coined shall bear on the obverse the likeness and the name of Her Majesty Queen Victoria, and the inscription "Victoria Queen," and on the reverse the designation of the Coins in English filled by the word "India," with such date and embellishments on each Coin as the Governor-General in Council shall from time to time direct,

VI. It

VI. It shall be lawful for the Governor-General in Council, from time to time, to direct the coining and issuing of all Coins authorized by this Act, and to prescribe, in lieu of the likeness and inscription as heretofore prescribed, such other devices and inscriptions and embellishments for all or any of the Coins hereby authorized as, by an order in Council to be published in the Official Gazette, he may direct.

Governor-General in Council may order other devices, &c.

VII. The said Rupee and Half Rupee shall be a legal tender in payment or on account of all engagements whatever, provided the Coin shall not have lost more than two per cent. in weight, and provided it shall not have been clipped or filed, or have been defaced or diminished otherwise than by use.

Rupee and Half Rupee to be legal tender.

VIII. The Quarter Rupee and Eighth of a Rupee shall be legal tender only for the fractions of a Rupee, subject to the same provisions as in the last preceding Section mentioned.

Quarter and Eighth Rupee how to be legal tender.

Copper Coin how to be legal tender.

IX. The Double Pice shall be a legal tender for a thirty-second part of a Rupee or for half an Anna.

The Pice for a sixty-fourth part of a Rupee, or for one-fourth of an Anna.

The Half Pice for a hundred-and-twenty-eighth part of a Rupee, or for one-eighth of an Anna; and the Pie, one-third of a Pice, for a hundred-and-ninety-second part of a Rupee, or the twelfth of an Anna.

Provided that none of the said Copper Coins shall be a legal tender, except for the fractions of a Rupee, and except in the Settlement of Prince of Wales' Island, Singapore, and Malacca for the fractions of a Dollar, at the rate fixed by Act XVII of 1855, namely, the Pice for a hundred-and-fortieth part of a Dollar; the Double Pice for a seventieth part of a Dollar; the Pie for a four-hundred-and-twentieth part of a Dollar; and the Half Pice for a two-hundred-and-eightieth part of a Dollar.

X. All

ACT No. XIII of 1862.

Coin coined under former Acts still to be legal tender.

X. All Silver Coin of the weight and standard specified in the said Acts XVII of 1835, and XXI of 1838, issued since the passing of those Acts respectively and before the first day of November 1862, and declared by those Acts respectively to be a legal tender, and all Copper Coins of the weight specified in the said Acts XXI of 1835, XXII of 1844, and XVII of 1855 issued since the passing of those Acts respectively and before the first day of November 1862, and declared by those Acts respectively to be a legal tender, shall continue to be a legal tender for the amounts thereof respectively, subject to the same conditions and provisions as under those Acts respectively, anything in this Act contained notwithstanding.

Existing Acts to continue in force.

XI. All Acts and Laws in force in British India at the time of the passing of this Act respecting the Queen's Coin, or the Silver or Copper Coin current in British India, and not repugnant to the provisions of this Act, shall be and continue in full force and effect, and shall be applied to the Silver and Copper Coin to be coined in pursuance of this Act.

Definition of British India.

XII. The words "British India" in this Act denote the territories which are or may become vested in Her Majesty by the Statute 21 & 22 Vic., c. 106, entitled "An Act for the better Government of India."

ACT No. XXIII of 1870.

PASSED BY THE GOVERNOR GENERAL OF INDIA IN COUNCIL.

(Received the assent of the Governor General on the 6th September 1870).

An Act to consolidate and amend the law relating to Coinage and the Mint.

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the law relating to Coinage and the Mint; It is hereby enacted as follows :— Preamble.

I.—Preliminary.

1. This Act may be called "The Indian Coinage Act, 1870." Short title.

2. The Regulations and Acts mentioned in the schedule hereto annexed are repealed. Repeal of enactments.

3. In this Act, the expression 'Mint' includes the Mints at Calcutta, at Bombay and at such other places (if any) as the Governor General in Council, by notification in the *Gazette of India*, from time to time directs; Interpretation-clause.

the expression 'Mint-rules' means such rules as the Governor General in Council from time to time prescribes for the management of the Mint;

and the expression 'remedy' means variation from the standard weight and fineness.

II.—Gold Coinage.

4. The under-mentioned gold coins only shall be coined at the Mint :— Gold coins.

(1.)—A gold mohur or fifteen-rupee piece.

(2.)—A five-rupee piece equal to a third of a gold mohur.

(3.)—A ten-rupee piece equal to two-thirds of a gold mohur.

(4.)—A

A 4

(4.)—A thirty-rupee piece or a double gold mohur.

Their standard weight and fineness.

5. The standard weight of the said gold mohur shall be one hundred and eighty grains Troy, and its standard fineness shall be as follows:—eleven-twelfths, or one hundred and sixty-five grains, of fine gold, and one-twelfth, or fifteen grains, of alloy.

The other gold coins shall be of proportionate weight and of the same fineness:

Remedy allowed.

Provided that, in the making of gold coins, a remedy shall be allowed of an amount not exceeding two thousandths in weight and two thousandths in fineness.

III.—Silver Coinage.

Silver coins.

6. The under-mentioned silver coins only shall be coined at the Mint:—

(1.)—A rupee to be called the Government Rupee.

(2.)—A half rupee.

(3.)—A quarter rupee, or four-anna piece.

(4.)—An eighth of a rupee, or two-anna piece.

Their standard weight and fineness.

7. The standard weight of the Government Rupee shall be one hundred and eighty grains Troy, and its standard fineness shall be as follows:—eleven-twelfths, or one hundred and sixty-five grains, of fine silver, and one-twelfth, or fifteen grains, of alloy.

The other silver coins shall be of proportionate weight and of the same fineness:

Remedy allowed.

Provided that, in the making of silver coins, a remedy shall be allowed of an amount not exceeding the following:—

	Remedy in weight.	Remedy in fineness.
Rupee	Five thousandths	Two thousandths.
Half rupee	Five thousandths	Two thousandths.
Quarter rupee	Seven thousandths	Three thousandths.
Eighth of a rupee	Ten thousandths	Three thousandths.

IV.—Copper

CHAP. 10.

An Act to consolidate and amend the law relating to the Coinage and Her Majesty's Mint.

[4th April 1870.]

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the law relating to the Coinage and Her Majesty's Mint:

Be it enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:

1. This Act may be cited as "The Coinage Act, 1870." Short title.

2. In this Act— Definitions of terms.

The term "Treasury" means the Lord High Treasurer for the time being, or the Commissioners of Her Majesty's Treasury for the time being, or any two of them;

The term "the Mint" means, except as expressly provided, Her Majesty's Royal Mint in England;

The term "British possession" means any colony, plantation, island, territory, or settlement within Her Majesty's dominions and not within the United Kingdom; and

The term "person" includes a body corporate.

3. All coins made at the Mint of the denominations mentioned in the first schedule to this Act shall be of the weight and fineness specified in that schedule, and the standard trial plates shall be made accordingly. Standard of coins.

If any coin of gold, silver, or bronze, but of any other denomination than that of the coins mentioned in the first schedule to this Act, is hereafter coined at the Mint, such coin shall be of a weight and fineness bearing the same proportion to the weight and fineness specified in that schedule as the denomination of such coin bears to the denominations mentioned in that schedule.

Provided that in the making of coins a remedy (or variation from the standard weight and fineness specified in the said first schedule) shall be allowed of an amount not exceeding the amount specified in that schedule.

4. A tender of payment of money, if made in coins which have been issued by the Mint in accordance with the provisions of this Act, and have not been called in by any proclamation made in pursuance of this Act, and have not become diminished in weight, by wear or otherwise, so as to be of less weight than the current weight, that is to say, than the weight (if any) specified as the least current weight in the first schedule to this Act, or less than such weight as may be declared by any proclamation made in pursuance of this Act, shall be a legal tender,— Legal tender.

In the case of gold coins for a payment of any amount:

In the case of silver coins for a payment of an amount not exceeding forty shillings, but for no greater amount:

misprint for 61·25

SCHEDULES.

FIRST SCHEDULE.

Denomination of Coin.	Standard Weight. Imperial Weight. Grains.	Standard Weight. Metric Weight. Grams.	Least Current Weight. Imperial Weight. Grains.	Least Current Weight. Metric Weight. Grams.	Standard Fineness.	Remedy Allowance. Weight per piece. Imperial Grains.	Remedy Allowance. Weight per piece. Metric Grams.	Remedy Allowance. Millesimal Fineness.
Gold:								
Five Pound - - -	616·37239	39·94028	612·50000	39·68935	Eleven-twelfths fine gold, one-twelfth alloy; or millesimal fineness 916·66.	1·00000	0·06479	0·002
Two Pound - - -	246·54895	15·97611	245·00000	15·87574		0·40000	0·02592	
Sovereign - - -	123·27447	7·98805	122·50000	7·93787		0·20000	0·01296	
Half Sovereign - -	61·63723	3·99402	61·12500	3·96083		0·10000	0·00648	
Silver:								
Crown - - -	436·36363	28·27590	—	—	Thirty-seven-fortieths fine silver, three-fortieths alloy; or millesimal fineness 925.	1·81818	0·11781	0·004
Half Crown - - -	218·18181	14·13795	—	—		0·90909	0·05890	
Florin - - -	174·54545	11·31036	—	—		0·72727	0·04712	
Shilling - - -	87·27272	5·65518	—	—		0·36363	0·02356	
Sixpence - - -	43·63636	2·82759	—	—		0·18181	0·01178	
Groat or Fourpence - -	29·09090	1·88506	—	—		0·12121	0·00785	
Threepence - - -	21·81818	1·41379	—	—		0·09090	0·00589	
Twopence - - -	14·54545	0·94253	—	—		0·06060	0·00392	
Penny - - -	7·27272	0·47126	—	—		0·03030	0·00196	
Bronze:								
Penny - - -	145·83333	9·44984	—	—	Mixed metal, copper, tin, and zinc.	2·91666	0·18899	None.
Halfpenny - - -	87·50000	5·66990	—	—		1·75000	0·11339	
Farthing - - -	43·75000	2·83495	—	—		0·87500	0·05669	

The weight and fineness of the coins specified in this Schedule are according to what is provided by the Act fifty-six George the Third, chapter sixty-eight, that the gold coin of the United Kingdom of Great Britain and Ireland should hold such weight and fineness as were prescribed in the then existing Mint indenture (that is to say), that there should be nine hundred and thirty-four sovereigns and one ten shilling piece contained in twenty pounds weight troy of standard gold, of the fineness at the trial of the same of twenty-two carats fine gold and two carats of alloy in the pound weight troy; and further, as regards silver coin, that there should be sixty-six shillings in every pound troy of standard silver of the fineness of eleven ounces two pennyweights of fine silver and eighteen pennyweights of alloy in every pound weight troy.

ACT No. III OF 1871.

PASSED BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL IN COUNCIL.

(Received the assent of His Honor on the 13th March 1871, and of the Governor General on the 18th idem.)

An Act to increase the fees for the survey of steam vessels.

Preamble.

WHEREAS the fees now by law chargeable in respect of the grant of surveyors' certificates of the sufficiency of steam boats are insufficient to provide for the remuneration of competent persons where two surveyors are employed in making such survey, and it is generally necessary to employ two surveyors; It is hereby enacted as follows:—

Increase of fees.

I. Whenever two surveyors shall be employed in making a survey under the provisions of Act V of 1862 or Act I of 1868 passed by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council, the owner or master of the steam vessel surveyed shall pay to each of the surveyors making the same a fee calculated on the tonnage of the vessel according to the rates in Schedule B to the said Act V of 1862 annexed, and such further fee as is provided in Section V of Act I of 1868 passed by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council.

Construction of Act.

II. This Act shall be read with and as part of the said Act V of 1862 and Act I of 1868.

पेपर करंसी एक्ट 1882

The Gazette of India.

PUBLISHED BY AUTHORITY.

SIMLA, SATURDAY, OCTOBER 28, 1882.

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

PART IV.

Acts of the Governor General's Council assented to by the Governor General.

GOVERNMENT OF INDIA.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

[First publication.]

The following Act of the Governor General of India in Council received the assent of His Excellency the Governor General on the 26th October, 1882, and is hereby promulgated for general information :—

ACT No. XX OF 1882.

THE INDIAN PAPER CURRENCY ACT, 1882.

CONTENTS.

PREAMBLE.

I.—Preliminary.

SECTIONS.

1. Short title.
   Local extent.
   Commencement.
2. Act No. III of 1871 repealed.

II.—The Department of Paper Currency.

3. Department of Paper Currency.
4. Head Commissioner.
   Commissioners for Madras, Bombay and Rangoon.
5. Power to establish Circles of Issue, &c.
6. Deputy Commissioners and Currency Agents.
7. Subordination of Commissioners, &c.
8. Appointment, suspension and removal of officers.

III.—Supply and Issue of Currency Notes.

9. Head Commissioner to provide and distribute currency notes.
10. Signatures to notes.
11. Issue of notes for silver by Head Commissioner, Commissioners and Deputy Commissioners.
12. Issue of notes for silver by Currency Agents.
13. Issue of notes for gold.

SECTIONS.

14. Melting and assaying bullion or coin received for notes.
15. Certificates for bullion or coin.

IV.—Notes where legal tender and where payable.

16. Notes where legal tender.
17. Notes where payable.
18. Notes issued from Currency Agencies to be deemed to be issued from place of issue of circle.

V.—Reserve.

19. Coin or bullion received for notes to be kept as a reserve, except amount fixed as herein provided.
20. Investment of such amount.
21. Appropriation of coin, bullion and securities.
22. Trustees of securities purchased under Act.
23. Power to sell and replace securities.
24. Accounts of interest on securities.

VI.—Private Bills payable to Bearer on Demand.

25. Prohibition of issue of private bills or notes payable to bearer on demand.
26. Penalty for issuing such bills or notes. Prosecutions.

VII.—Miscellaneous.

27. Monthly abstracts of accounts.
28. Supplementary powers of the Government of India.

An Act to amend the law relating to the Government Paper Currency.

Preamble. WHEREAS it is expedient to amend the law relating to the Government Paper Currency; It is hereby enacted as follows :—

I.—Preliminary.

Short title. 1. This Act may be called the Indian Paper Currency Act, 1882.

Local extent. It extends to the whole of British India;

Commencement. and it shall come into force on the passing thereof.

4 a

Provided that in all places where there is no Mint of the Government of India, any such Head Commissioner, Commissioner or Deputy Commissioner may refuse to issue notes in exchange for the bullion or coin receivable under clause (*d*).

Issue of notes for silver by Currency Agents.

12. Any Currency Agent to whom notes have been supplied under section nine may, if he thinks fit, on the demand of any person, issue from his agency any such notes in exchange for the amount thereof in any coin specified in clause (*a*), clause (*b*) or clause (*c*) of section eleven.

Issue of notes for gold.

13. The Governor General in Council may, from time to time, by order notified in the *Gazette of India*, direct that currency notes, to an extent to be specified in the order, not exceeding one-fourth of the total amount of issues represented by coin and bullion as provided by this Act, shall be issued at such offices of issue as are named in the order, in exchange for gold coin of full weight of the Government of India, or for foreign gold coin or gold bullion, at the rates, and according to the rules and conditions, fixed by that order.

Melting and assaying bullion or coin received for notes.

14. *(1)* The Head Commissioner, Commissioners, and Deputy Commissioners may require any bullion or foreign coin received under section eleven, clause (*d*), or under section thirteen, to be melted and assayed.

(2) Any loss of weight caused by such melting or assay shall be borne by the person tendering the bullion or coin.

Certificates for bullion or coin.

15. *(1)* Every person tendering bullion or foreign coin under section eleven, clause (*d*), or under section thirteen, and depositing it in any office of issue, shall, after the expiration of the time necessary for melting and assaying the same, be entitled to receive for it a certificate signed by the person authorized to issue the notes aforesaid.

(2) The certificate shall—

(*a*) acknowledge the receipt of the bullion or coin,

(*b*) state the amount of notes issued under this Act, or of such notes and cash, to which the holder is entitled in exchange for the bullion or coin, and

(*c*) state the interval on the expiration of which, if the certificate is presented to the office, the holder shall be entitled to receive that amount.

IV.—Notes where legal tender and where payable.

Notes where legal tender.

16. Within any of the said Circles of Issue, a currency note issued from any town in that circle shall be a legal tender for the amount expressed in that note, in payment or on account of—

(*a*) any revenue or other claim, to the amount of five rupees and upwards, due to the Government of India, and

(*b*) any sum of five rupees and upwards, due by the Government of India, or by any body corporate or person in British India:

Provided that no such note shall be deemed to be a legal tender by the Government of India at any office of issue.

Notes where payable.

17. A currency note shall be payable only—

(*a*) at the office or offices of issue of the town from which it has been issued, and

(*b*) in the case of notes issued from any town not situate in British Burma, also at the Presidency-town of the Presidency within which that town is situate.

Notes issued from Currency Agencies to be deemed to be issued from place of issue of circle.

18. For the purposes of sections sixteen and seventeen, notes issued from any Currency Agency shall be deemed to have been issued from the town appointed under section five to be the place of issue in the Circle of Issue in which that Agency is established.

V.—Reserve.

Coin and bullion received for notes to be kept as a reserve except amount fixed as herein provided.

19. The whole amount of the coin and bullion received under this Act, and under Act III of 1871, for currency notes, shall be retained and secured as a reserve to pay those notes, with the exception of such an amount, not exceeding sixty millions of rupees, as the Governor General in Council, with the consent of the Secretary of State for India, from time to time fixes.

Investment of such amount.

20 The amount so fixed shall be published in the *Gazette of India*, and the whole or such part thereof as the Governor General in Council from time to time fixes, shall be invested in securities of the Government of India.

Appropriation of coin, bullion and securities.

21. *(1)* The said coin, bullion and securities shall be appropriated and set apart to provide for the satisfaction and discharge of the said notes; and the said notes shall be deemed to have been issued on the security of the said coin, bullion and securities, as well as on the general credit of the Government of India:

Provided that any silver bullion or coin received under section eleven, clause (*d*), may be sold or exchanged for silver coin of the Government of India, and that any gold coin or bullion received under section thirteen may be sold or exchanged for silver coin or bullion, to be so appropriated and set apart instead of the coin or bullion sold or exchanged.

(2) For the purposes of this section, silver bullion and coin shall be rated at ninety-eight rupees per eighteen thousand grains of standard fineness, and gold bullion and coin at the rates fixed by the Governor General in Council under section thirteen.

Trustees of securities purchased under Act.

22. The securities purchased under section twenty shall be held by the Head Commissioner and the Master of the Mint at Calcutta, in trust for the Secretary of State for India in Council.

Power to sell and replace securities.

23. *(1)* The Head Commissioner may, at any time when ordered so to do by the Governor General in Council, sell and dispose of any portion of the above-mentioned investment.

(2) For the purpose of effecting such sales, the Master of the Mint at Calcutta shall, on a request in writing from the Head Commissioner, at all

ACT No. XXII OF 1899.

PASSED BY THE GOVERNOR GENERAL OF INDIA IN COUNCIL.

(Received the assent of the Governor General on the 15th September, 1899.)

An Act further to amend the Indian Coinage Act, 1870, and the Indian Paper Currency Act, 1882.

XXIII of 1870. XX of 1882. WHEREAS it is expedient further to amend the Indian Coinage Act, 1870, and the Indian Paper Currency Act, 1882; It is hereby enacted as follows:—

Short title and commencement. 1. (*1*) This Act may be called the Indian Coinage and Paper Currency Act, 1899; and

(*2*) It shall come into force at once.

Substitution of new section for section 12, Act XXIII, 1870. 2. For section 12 of the Indian Coinage Act, XXIII of 1870. 1870, the following section shall be substituted, namely:—

Gold coins a legal tender. "12. Gold coins, whether coined at Her Majesty's Royal Mint in England, or at any Mint established in pursuance of a Proclamation of Her Majesty as a branch of Her Majesty's Royal Mint, shall be a legal tender in payment or on account at the rate of fifteen rupees for one sovereign:—

"Provided that such coins have not been called in by any Proclamation made in pursuance of the Coinage 33 & 34 Vict., c. 10. Act, 1870, or have not lost weight so as to be of less weight than that for the time being prescribed for like coins by or under the said Statute as the least current weight."

Addition to section 11, clause (*a*), Act XX, 1882. 3. To section 11, clause (*a*), of the Indian Paper XX of 1882. Currency Act, 1882, the following words and figures shall be added, namely:—

XXIII of 1870. "or in gold coin which is legal tender under the Indian Coinage Act, 1870."

157

THE INDIAN COINAGE ACT, 1906.

CONTENTS.

Preliminary.

SECTIONS.
1. Short title and extent.
2. Definitions.
3. Power to establish and abolish Mints.

Silver Coinage.

4. Silver coins.
5. Standard weight and fineness.

Nickel Coinage.

6. Nickel coins.
7. Standard weight.

Bronze Coinage.

8. Bronze coins.
9. Standard weight and composition.

Dimensions and Designs of Coins.

10. Power to direct coining, and to prescribe dimensions and designs.

Legal Tender.

11. Gold coin a legal tender.
12. Silver coin when a legal tender.
13. Nickel coin when a legal tender.
14. Bronze coin when a legal tender.
15. Coin made under former Acts.

Diminished, Defaced and Counterfeit Silver Coin.

16. Power to certain persons to cut diminished or defaced silver coins.
17. Procedure in regard to coin cut under section 16 (*a*).
18. Procedure in regard to coin cut under section 16 (*b*).
19. Procedure in regard to coin which is liable to be cut under both clause (*a*) and clause (*b*) of section 16.
20. Power to certain persons to cut counterfeit silver coin, and procedure in regard to coin so cut.

[*Price three annas and six pies.*]

Coinage. [ACT III, 1906.]

Supplemental Provisions.

21. Power to make rules.
22. Bar of suits.
23. Saving of making of other coins at Mints.
24. Repeals.

THE SCHEDULE.—ACTS REPEALED.

(*Preliminary.—Section 3. Silver Coinage.—Sections 4-5.*)

Power to establish and abolish Mints.

3. The Governor General in Council may, by notification in the Gazette of India,—

(*a*) establish a Mint at any place at which a Mint does not for the time being exist; and

(*b*) abolish any Mint, whether now existing or hereafter established.

Silver Coinage.

Silver coins.

4. The following silver coins only shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Governor General in Council, namely :—

(*a*) a rupee to be called the Government rupee ;

(*b*) a half-rupee, or eight-anna piece ;

(*c*) a quarter-rupee, or four-anna piece ; and

(*d*) an eighth of a rupee, or two-anna piece.

Standard weight and fineness.

5. (*1*) The standard weight of the Government rupee shall be one hundred and eighty grains Troy, and its standard fineness shall be as follows, namely, eleven-twelfths, or one hundred and sixty-five grains of fine silver, and one-twelfth, or fifteen grains of alloy.

(*2*) The other silver coins shall be of proportionate weight and of the same fineness :

Provided that, in the making of silver coins, a remedy shall be allowed of an amount not exceeding the following, namely :—

	Remedy in weight.	Remedy in fineness.
Rupee . .	Five-thousandths.	Two-thousandths.
Half-rupee . .	Five-thousandths.	Two-thousandths.
Quarter-rupee .	Seven-thousandths.	Three-thousandths.
Eighth of a rupee .	Ten-thousandths.	Three-thousandths.

Nickel

(*Legal Tender.—Sections 11-13.*)

(2) Until the Governor General in Council otherwise determines by notification under sub-section (*1*), the dimensions and designs of the silver coins coined under this Act shall be those prescribed for the like silver coins under the Indian Coinage Act, 1870, at the time of the commencement of this Act. XXIII of 1870.

Legal Tender.

Gold coins a legal tender.

11. Gold coins, whether coined at His Majesty's Royal Mint in England or at any Mint established in pursuance of a Proclamation of His Majesty as a branch of His Majesty's Royal Mint, shall be a legal tender in payment or on account at the rate of fifteen rupees for one sovereign:

Provided that such coins have not been called in by any Proclamation made in pursuance of the Coinage Act, 1870, or have not lost weight so as to be of less weight than that for the time being prescribed for like coins by or under the said Statute as the least current weight. 33 & 34 Vict., c. 10.

Silver coin when a legal tender.

12. (*1*) The rupee and half-rupee shall be a legal tender in payment or on account:

Provided that the coin—

(*a*) has not lost in weight so as to be more than two per cent. below standard weight, and

(*b*) has not been defaced.

(*2*) The quarter-rupee and eighth of a rupee shall be a legal tender in payment or on account for any sum not exceeding one rupee:

Provided that the coin—

(*a*) has not lost in weight so as to be more than such percentage below standard weight as may be prescribed as the limit of reasonable wear, and

(*b*) has not been defaced.

Nickel coin when a legal tender.

13. The nickel coin specified in section 6 shall be a legal tender in payment or on account for any sum

ACT No. IV OF 1927.

[PASSED BY THE INDIAN LEGISLATURE.]

(Received the assent of the Governor General on the 26th March, 1927.)

An Act further to amend the Indian Coinage Act, 1906, and the Indian Paper Currency Act, 1923, for certain purposes, and to lay upon the Governor General in Council certain obligations in regard to the purchase of gold and the sale of gold or sterling.

I of 1906, of 1923. WHEREAS it is expedient further to amend the Indian Coinage Act, 1906, and the Indian Paper Currency Act, 1923, for certain purposes, and to lay upon the Governor General in Council certain obligations in regard to the purchase of gold and the sale of gold or sterling; It is hereby enacted as follows:—

Short title, extent and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the Currency Act, 1927.

(2) It extends to the whole of British India, including British Baluchistan and the Sonthal Parganas.

(3) It shall come into force on the 1st day of April, 1927.

Amendment of Act III of 1906.

I of 1906. **2.** In the Indian Coinage Act, 1906,—

(*a*) for section 11 the following section shall be substituted, namely:—

Demonetisation of sovereign and half-sovereign.

"11. Gold coins, whether coined at His Majesty's Royal Mint or at any Mint established in pursuance of a proclamation of His Majesty as a branch of His Majesty's Royal Mint, shall not be legal tender in British India in payment or on account, but such coins shall be received at any Government currency office and, at any time after the 30th day of September, 1927, at any Government Treasury other than a Sub-Treasury, at the bullion value of such coins calculated

1

Price 1 anna or 1½d.]

calculated at the rate of 8·47512 grains troy of fine gold per rupee"; and

(*b*) the word "and" at the end of clause (*d*) of sub-section (*2*) of section 21 and clause (*e*) of that sub-section shall be omitted.

Amendment of Act X of 1923.

3. In the Indian Paper Currency Act, 1923,— X of 1923.

(*a*) to section 2 after the words "in this behalf" the following shall be added, namely:—

"and

'gold bullion' includes gold coin";

(*b*) in clause (*a*) of section 11, the words "or in gold coin which is legal tender under the Indian Coinage Act, 1906," shall be omitted;

(*c*) in section 13—

(*i*) the words "for gold coin which is not legal tender under the Indian Coinage Act, 1906, or" shall be omitted; and

(*ii*) for the figures "11·30016" the figures "8·47512" shall be substituted;

(*d*) in section 18—

(*i*) in sub-section (*1*), the words "sovereigns, half-sovereigns" and the words "coin and" shall be omitted; and

(*ii*) in clause (*a*) of sub-section (*8*), for the figures "11·30016" the figures "8·47512" shall be substituted;

(*e*) in section 19—

(*i*) in sub-section (*3*), the words "sovereigns, half-sovereigns" shall be omitted, and, in the *Explanation*, after the word "sub-section," the following words and figures shall be inserted, namely:—

"gold bullion shall be reckoned at the rate of one rupee for 8·47512 grains troy of fine gold, and"; and

(*ii*) in sub-section (*5*), the words "coin or" and the word "coin", where it occurs for the second time, shall be omitted.

4. Any

pplied to the partially excluded areas [illegible]
adras, see Fort St. George Gaz. Notfn. No. 13, [illegible] 28.1.41.
pplied to all the artially excluded areas of the [illegible] vince
f Orissa specified in Part. II of Schedule to the Govt. of
ndia (Excluded and partially Excluded Areas) Order, 1936,
[illegible] Orissa Govt. Notfn. No. 334-F, d/-28.1.41.

ACT No. VI OF 1940.

[PASSED BY THE INDIAN LEGISLATURE.]

(Received the assent of the Governor General on the 11th March, 1940.)

An Act further to amend the Indian Coinage Act, 1906.

III of 1906. WHEREAS it is expedient further to amend the Indian Coinage Act, 1906, for the purpose hereinafter appearing;

It is hereby enacted as follows:—

1. This Act may be called the Indian Coinage (Amendment) Act, 1940. Short title.

2. For section 5 of the Indian Coinage Act, 1906 (hereinafter referred to as the said Act), the following section shall be substituted, namely:— Amendment of section 5 of Act III of 1906.

"5. (*1*) The standard weight of the Government rupee shall be one hundred and eighty grains troy. Standard weight and fineness.

(*2*) The other silver coins shall be of proportionate weight.

(*3*) The standard fineness of the Government rupee shall be as follows, namely, eleven-twelfths, or one hundred and sixty-five grains of fine silver, and one-twelfth, or fifteen grains of alloy: of the half-rupee, eleven-twelfths, or eighty-two and a half grains of fine silver, and one-twelfth, or seven and a half grains of alloy: and of the quarter-rupee, one-half, or twenty-two and a half grains of fine silver, and one-half, or twenty-two and a half grains of alloy.

(*4*) In

1

Price anna 1 or 1½d.

Applied to British Baluchistan, see Notfn. No. 168-F, dated 17.10.40, Gaz. of India, 1940, Pt. I, p.1478.

(4) In the making of silver coins, a remedy shall be allowed of an amount not exceeding the following, namely :—

	Remedy in weight.	Remedy in fineness.
Rupee / Half-rupee	Five-thousandths	Two-thousandths.
Quarter-rupee	Nine-thousandths	Five-thousandths.

and in applying the said remedies to quarter-rupees the remedies shall be applied to the average of one hundred coins and not to individual coins."

Amendment of section 15, Act III of 1906.

3. To section 15 of the said Act the following sub-section shall be added, namely :—

"(3) All quarter-rupee silver coins which may have been issued under this Act prior to the commencement of the Indian Coinage (Amendment) Act, 1940, shall continue to be a legal tender in payment or on account for any sum not exceeding one rupee at the rate of four for a rupee."

रूपया के सिक्कों का परिवर्तित मानक भार (स्टैंर्डड) ग्रेंस और ग्राम में – कुल भार (वजन) एवं शुध्द चांदी भार (वजन)

Silver Coins—*continued.*

Date.	DENOMINATION.	Gross Weight.		Millesimal	Fine Weight.		AUTHORITIES, &c.
		Grains.	Grams.	Fineness.	Grains.	Grams.	
	ANGLO-INDIAN.						
1788 (?)-1818	Madras Arcot Rupee	176·4	11·43	943·7	166·47	10·787	Court of Directors, 1806.
1811	ditto - ditto	186·7	12·098	891·7	166·5	10·787	Noback. A coinage from Spanish Dollars.
1818-35	ditto - ditto	180	11·664	916·6	165	10·691	Proclamation of 7 January 1818. Noback.
1700-80	Bombay Old or Surat Rupee	178·314	11·55	968	170·8	11·42	Kelly.
1800-24	ditto - - - ditto	179	11·6	920	164·74	10·671	Court of Directors, 1806.
1824-35	ditto - - - ditto	180	11·664	916·6	165	10·692	Noback.
1765-1793	Bengal Sicca Rupee	179·666	11·643	980	176	11·400	Sir James Steuart.
1793-1818	ditto - ditto	179·666	11·642	979·2	175·9	11·40	Regulation XXXV. of 1793.
1818-1833	ditto - ditto	191·916	12·441	916·6	176	11·405	Regulation XIV. of 1818.
1833-6	ditto - ditto	192	12·441	916·6	176	11·404	Regulation VII. of 1833. Demonetised as from 1 January 1836, by Act XIII. of 1836.
1806-19	Lucknow or Furr. Sicca Rupee	173	11·21	955	165·2	10·706	Regulation III. of 1806.
1812-9	Benares Rupee	175	11·34	955	166·9	10·843	Regulation II. of 1812.
1819-1833	Bengal Furrukhabad Rupee	180·2	11·679	916·6	165·2	10·706	Regulation XI. of 1819.
1833-5	ditto - - ditto	180	11·664	916·6	165	10·691	Regulation VII. of 1833.
1835-62	Company's Rupee	180	11·664	916·6	165	10·691	Act XVII. of 1835.
[illegible]	Government Rupee	180	11·664	916·6	165	10·691	

सोना सिक्का 'मोहर' का परिवर्तित मानक भार (स्टैंडर्ड) ग्रेंस और ग्राम में कुल भार (वजन) एवं शुध्द सोना भार (वजन)

Gold Coins—*continued.*

Date.	DENOMINATION.	Gross Weight.		Millesimal Fineness.	Fine Weight.		Authorities, &c.
		Grains.	Grams.		Grains.	Grams.	
	ANGLO-INDIAN:						
	(i) The Mohur.						
1766-9	Calcutta Mohur of 14 Sicca Rupees	179·6̇	11·64	833·3̇	149·72	9·701	Sir James Steuart "Principles of Money applied to Bengals," 1772.
1769-93	Calcutta Mohur of 16 Sicca Rupees	190·773	12·36	996·4	190·066	12·317	- - ditto.
1793-1818	Calcutta Mohur of 16 Sicca Rupees (19th Sun).	190·894	12·37	995·7	190·1	12·318	Regulation XXXV. of 1793.
1818-33	Calcutta Mohur of 16 Sicca Rupees	204·7	13·265	916·6̇	187·6	12·159	Regulation XIV. of 1818.
1774	Bombay Mohur (old)	178·314	11·553	953·1	170	11·014	Kelly.
1800-33	Bombay Mohur of 15 Bombay Rupees	179	11·599	920	164·7	10·671	Kelly and Eckfeldt.
1818-35	Madras Mohur of 15 Madras Rupees	180	11·664	916·6̇	165	10·691	Kelly.
1835-1862	Company's Mohur of 15 Company's Rupees.	180	11·664	916·6̇	165	10·691	Act XVII. of 1835.

Gold Coins—*continued.*

Date.	DENOMINATION.	Gross Weight.		Millesimal Fineness.	Fine Weight.		AUTHORITIES, &c.
		Grains.	Grams.		Grains.	Grams.	
	ANGLO-INDIAN—*continued.*						
1862-92	Government Mohur or 15-Rupee piece	180	11·664	916·6̇	165	10·691	
1868	Ditto, by American assay	179·5	11·633	916	164·4	10·656	Noback.
	(ii) THE PAGODA:						
1818	Star Pagoda of Madras	–	–	–	42·048	–	Court of Directors in 1806.
1820	Ditto, by assay	52·75	3·418	792	41·8	2·709	Kelly.
	GREAT BRITAIN:						
1660-1816	Guinea (44½ to troy pound)	129·4	8·386	916·6	118·6	7·686	
1813	" (American assay)	128·3	8·314	915·5	117·4	7·611	Noback.
1816-1892	Sovereign (21 weighing 20 guineas; or 46·725 to pound).	123·27	7·988	916·6̇	113	7·322	
1838-9	Ditto, by assay	123·3	7·989	915·5	112·9	7·316	Eckfeldt. "Remarkably uniform in fineness, but below the legal standard, about one-thousandth."

रुपया के मानक (स्टैंडर्ड), मानक मूल्य की इकाईयां, भिन्न शुद्धता, एकरूपता को दर्शाती तालिका

तालिका-I

मुद्रा की मुख्य इकाइयां

.. की सरकार द्वारा जारी	राज्य क्षेत्र जिसमें परिचालित किया गया	जारी करने वाला प्राधिकरण और तारीख	चांदी के सिक्के				सोने के सिक्के	
			नाम	भार ट्राय ग्रेन	शुद्ध अंश ट्राय ग्रेन	नाम	भार ट्राय ग्रेन	शुद्ध अंश ट्राय ग्रेन
बम्बई	प्रेसीडेंसी		सूरत रुपया	179.0	164.740	मोहर	179	164.740
मद्रास	प्रेसीडेंसी		आर्काट रुपया	176.4	166.477	स्टार पैगोडा	32.40	42.55
	बंगाल, बिहार और उड़ीसा कटक	विनिमयक XXXV 1793 का XII, 1805 का	सिक्का रुपया (उन्नीसवां सन्)	179.66	175.927	मोहर	190.804	189.40
बंगाल	हवाले किए गए प्रांत		फर्रुखाबाद रुपया					
	विजित प्रांत	XIV, 1803	पैंतालीसवें सन् का लखनऊ सिक्का	173	166.135	–	–	
	बनारस प्रांत	का III, 1806 का	बनारस रुपया	175	168.875	–	–	

तालिका-II

मुख्य मान्यता प्राप्त रुपये से भिन्न शुद्धता के प्रस्तावित मानक का अपसरण

मुख्य इकाइयों के रूप में मान्य चांदी के सिक्के तथा उनकी शुद्धता		प्रस्तावित चांदी के रुपये की मानक शुद्धता ट्राय ग्रेन	प्रस्तावित रुपये की तुलना में अधिक मूल्यांकन		प्रस्तावित रुपये की तुलना में कम मूल्यांकन	
सिक्के का नाम	उसका शुद्ध अंश ट्राय		ग्रेन में	पी.सी. ट्राय	ग्रेन में	पी.सी. ट्राय
सूरत रुपया	164.74	165	–	–	.26	.157
आर्काट रुपया	166.477	165	1.477	.887	–	–
सिक्का रुपया	175.927	165	10.927	8.211	–	–
फरुखाबाद रुपया	166.135	165	1.135	.683	–	–
बनारस रुपया	169.251	165	4.251	2.2511	–	–

तालिका-III

सन् 1833 की समाप्ति होने तक सिक्का निर्माण की एकरूपता

सरकार जिससे अनुपात सिक्का जारी किया	चांदी के सिक्के			सोने के सिक्के			वैध
	मूल्य-वर्ग	भार	शुद्धता	मूल्य-वर्ग	भार	शुद्धता	
बंगाल	सिक्का रुपया	192	176 अथवा 11/12	मोहर	204.710	187.651	1 से 15 तक
	फर्रुखाबाद रुपया	180	165 अथवा 11/12	–	–	–	–
बम्बई	चांदी का रुपया	180	165 अथवा 11/12	सोने का रुपया	180	165 अथवा 11/12	1 से 15 तक
मद्रास	चांदी का रुपया	180	165 अथवा 11/12	सोने का रुपया	180	165 अथवा 11/12	1 से 15 तक

Feb. 12, 1873.

See §67, p. 435.

CHAP. CXXXI. *An Act revising and amending the Laws relative to the Mints, Assay-offices, and Coinage of the United States.*

Mint established as a bureau, and includes what.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, That the mint of the United States is hereby established as a bureau of the Treasury Department, embracing in its organization and under its control all mints for the manufacture of coin, and all assay-offices for the stamping of bars, which are now, or which may be hereafter, authorized by law. The chief officer of the said bureau shall be denominated the director of the mint, and shall be under the general direction of the Secretary of the Treasury. He shall be appointed by the President, by and with the advice and consent of the Senate, and shall hold his office for the term of five years, unless sooner removed by the President, upon reasons to be communicated by him to the Senate.

Director, appointment, and term of office;

powers;

reports;

annual estimates.

Clerks, number and appointment.

Sec. 2. That the director of the mint shall have the general supervision of all mints and assay-offices, and shall make an annual report to the Secretary of the Treasury of their operations, at the close of each fiscal year, and from time to time such additional reports, setting forth the operations and condition of such institutions, as the Secretary of the Treasury shall require, and shall lay before him the annual estimates for their support. And the Secretary of the Treasury shall appoint the number of clerks, classified according to law, necessary to discharge the duties of said bureau.

Officers of each mint, and their appointment.

Sec. 3. That the officers of each mint shall be a superintendent, an assayer, a melter and refiner, and a coiner, and for the mint at Philadelphia, an engraver, all to be appointed by the President of the United States, by and with the advice and consent of the Senate.

Superintendent of mint, powers;

reports, their form and contents.

Moneys or bullion.

Coin.

Deposits.

Certificate of deposit, to be countersigned by assayer.

Transfers of coin, &c.

Quarterly accounts to director, &c.

Assistants, clerks, &c.

Sec. 4. That the superintendent of each mint shall have the control thereof, the superintendence of the officers and persons employed therein, and the supervision of the business thereof, subject to the approval of the director of the mint, to whom he shall make reports at such times and according to such forms as the director of the mint may prescribe, which shall exhibit, in detail, and under appropriate heads, the deposits of bullion, the amount of gold, silver, and minor coinage, and the amount of unparted, standard, and refined bars issued, and such other statistics and information as may be required. The superintendent of each mint shall also receive and safely keep, until legally withdrawn, all moneys or bullion which shall be for the use or the expenses of the mint. He shall receive all bullion brought to the mint for assay or coinage; shall be the keeper of all bullion or coin in the mint, except while the same is legally in the hands of other officers; and shall deliver all coins struck at the mint to the persons to whom they shall be legally payable. From the report of the assayer and the weight of the bullion, he shall compute the value of each deposit, and also the amount of the charges or deductions, if any, of all which he shall give a detailed memorandum to the depositor; and he shall also give at the same time, under his hand, a certificate of the net amount of the deposit, to be paid in coins or bars of the same species of bullion as that deposited, the correctness of which certificate shall be verified by the assayer, who shall countersign the same; and in all cases of transfer of coin or bullion, he shall give and receive vouchers, stating the amount and character of such coin or bullion. He shall keep and render, quarter-yearly, to the director of the mint, for the purpose of adjustment, according to such forms as may be prescribed by the Secretary of the Treasury, regular and faithful accounts of his transactions with the other officers of the mint and the depositors; and shall also render to him a monthly statement of the ordinary expenses of the mint or assay-office under his charge. He shall also appoint all assistants, clerks, (one of whom shall be designated "chief clerk,") and workmen employed under his superintendence; but no person shall be

appointed to employment in the offices of the assayer, melter and refiner, coiner, or engraver, except on the recommendation and nomination in writing of those officers, respectively; and he shall forthwith report to the director of the mint the names of all persons appointed by him, the duties to be performed, the rate of feompensation, the appropriation from which compensation is to be made, and the grounds of the appointment; and if the director of the mint shall disapprove the same, the appointment shall be vacated.

clerks, &c., in &*ces of assayer' Appointments jyrectorBnd a 10 proveOyViruT

Sec. That the assayer shall assay al metals and bullion, whenever such assays are required in the operations of the mint; he shall also make assays of coins or samples of bullion whenever required by the super intendent.

Assayer's duties.

Sec6. That the melter and refiner shall execute all the operations which are necessary in order to form ingots of standard silver or gold, and alloys for minor coinage, suitable for the coiner, from the metals legally delivered to him for that purpose; and shall also execute all the operations which are necessary in order to form bars conformable in all respects to the law, from the gold and silver bullion delivered to him for that purpose. He shall keep a careful record of all transactions with the superintendent, noting the weight and character of the bullion; and shall be responsible for all bullion delivered to him until the same is returned to the superintendent and the proper vouchers obtained.

Melter and refiner.

Sec7. That the coiner shall execute all the operations which are necessary in order to form coins, conformable in all respects to the law, from the standard gold and silver ingots, and alloys for minor coinage, legally delivered to him for that purpose; and shall be responsible for all bullion delivered to him, until the same is returned to the superintendent and the proper vouchers obtained.

Coiner.

Sec8. That the engraver shall prepare from the original dies already authorized all the working-dies required for use in the coinage of the sev eral mints, and, when new coins or devices are authorized, shall, if required by the director of the mint, prepare the devices, models, moulds, and matrices, or original dies, for the same; but the director of the mint shall nevertheless have power, with the approval of the Secretary of the Treasury, to engage temporarily for this purpose the services of one or more artists distinguished in their respective departments of art, who shall be paid for such service from the contingent appropriation for the mint at Philadelphia.

Engravei.

New coins or devices.

Sec. 9. That whenever any officer of a mint or assay-office shall be temporarily absent, on account of sickness or any other cause, it shall be lawful for the superintendent, with the consent of said officer, to appoint some person attached to the mint to act in the place of such officer during his absence ; but all such appointments shall be forthwith reported to the director of the mint for his approval; and in all cases whatsoever the principal shall be responsible for the acts of his representative. In case of the temporary absence of the superintendent, the chief clerk shall act in his place ; and in case of the temporary absence of the director of the mint, the Secretary of the Treasury may designate some one to act in his place.

If any officer a abseuti &c.,s

superintendenti

director.

Sec10. That every officer, assistant, and clerk of the mint shall, before he enters upon the execution of his office take an oath or affirmation before some judge of the United States, or judge of the superior court, or of some court of record of any State, faithfully and diligently to perform the duties thereof, in addition to other official oaths prescribed by law; which oaths, duly certified, shall be transmitted to the Secretary of the Treasury ; and the superintendent of each mint may require such oath or affirmation from any of the employees of the mint.

Oathofofficioyees.

Ske. 11. That the superintendent, the assayer, the melter and refiner, and the coiner of each mint, before entering upon the execution of their

Bond ofmiper-

intendent and others; respective offices, shall become bound to the United States, with one or more sureties, approved by the Secretary of the Treasury, in the sum of not less than ten nor more than fifty thousand dollars, with condition for the faithful, and diligent performance of the duties of his office. Similar bonds may be required of the assistants and clerks, in such sums as the superintendent shall determine, with the approbation of the director of the mint; but the same shall not be construed to relieve the superin tendent or other officers from liability to the United States for acts, omis sions, or negligence of their subordinates or emplo*Provided*, That the Secretary of the Treasury, may, at his discretion, increase the bonds of the superintendent.

of assistants and clerks;

Increase there of.

Salary of di rector;

superintend ents, assayers, &c.;

SEC. 12. That there shall be allowed to the director of the mint an annual salary of four thousand five hundred dollars, and actual necessary travelling expenses in visiting the different mints and assay-offices, for which vouchers shall be rendered, to the superintendents of the mints at Philadelphia and San Francisco, each four thousand five hundred dollars ; to the assayers, meltera and refiners, and coiners of said mints, each three thousand dollars; to the engraver of the mint at Philadelphia, three thousand dollars; to the superintendent of the mint at Carson city, three thousand dollars; and to the assayer, to the melter and refiner, and to the coiner of the mint at Carson city, each, two thousand five hundred dollars; to the assistants and clerks such annual salary shall be allowed as the director of the mint may determine, with the approbation of the Secretary of the Treasury; and to the workmen shall be allowed such wages, to be determined by the superintendent, as may be customary and reasonable according to their respective stations and occupations, and approved by the director of the mint; and the salaries provided for in this section, and the wages of the workmen permanently engaged, shall be payable in monthly instalments.

assistants, clerks, and work men;

payable monthly.

Standard of gold and silver coins.

Alloy.

SEC. 13. That the standard for both gold and silver coins of the United States shall be such that of one thousand parts by weight nine hundred shall be of pure metal and one hundred of alloy; and the alloy of the silver coins shall be of copper, and the alloy of the gold coins shall be of copper, or of copper and silver; but the silver shall in no case exceed one-tenth of the whole alloy.

Gold coins;

SEC. 1That the gold coins of the United States shall be a one-dollar piece, which, at the standard weight of twenty-five and eight-tenths grains, shall be the unit of value; a quarter-eagle, or two-and-a-half dollar piece; a three-dollar piece; a half-eagle, or five-dollar piece; an eagle, or ten-dollar piece; and a double eagle, or twenty-dollar piece. And the standard weight of the gold dollar shall be twenty-five and eight-tenths grains ; of the quarter-eagle, or two-and-a-half dollar piece, sixty-four and a half grains; of the three-dollar piece, seventy-seven and four-tenths grains ; of the half-eagle, or five-dollar piece, one hundred and twenty-nine grains; of the eagle, or ten-dollar piece, two hundred and fifty-eight grains; of the double-eagle, or twenty-dollar piece, five hundred and sixteen grains; which coins shall be a legal tender in all payments at their nominal value when not below the standard weight and limit of tolerance provided in this act for the single piece, and, when reduced in weight, below said standard and tolerance, shall be a legal tender at valuation in proportion to their actual weight; and any gold coin of the United States, if reduced in weight by natural abrasion not more than one-half of one per centum below the standard weight prescribed by law, after a circulation of twenty years, as shown by its date of coinage, and at a ratable proportion for any period less than twenty years, shall be received at their nominal value by the United States treasury and its offices, under such regulations as the Secretary of the Treasury may pre scribe for the protection of the government against fraudulent abrasion oi

standard weight;

to be legal tender;

reduction in weight by natural abrasion;

where to be received.

other practices ; and any gold coins in the treasury of the United States reduced in weight below this limit of abrasion shall be recoined.

Sec. 15. That the silver coins of the United States shall be a trade-dollar, a half-dollar, or fifty-cent piece, a quarter-dollar, or twenty-five-cent piece, a dime, or ten-cent piece; and the weight of the trade-dollar shall be four hundred and twenty grains troy; the weight of the half-dollar shall be twelve grams (grammes) and one-half of a gram, (gramme;) the quarter-dollar and the dime shall be respectively, one-half and on-fifth of the weight of said half-dollar; and said coins shall be a legal tender at their nominal value for any amount not exceeding five dollars in any one payment.

Silver coins

weight;

to be legal tender.

Sec. 16. That the minor coins of the United States shall be a five-cent piece, a three-cent piece, and a one-cent piece, and the alloy for the five and three cent pieces shall be of copper and nickel, to be composed of three-fourths copper and one-fourth nickel, and the alloy of the one-cent piece shall be ninety-five per centum of copper and five per centum of tin and zinc, in such proportions as shall be determined by the director of the mint. The weight of the piece of five cents shall be seventy-seven and sixteen-liuudredths grains, troy; of the three-cent piece, thirty grains ; and of the one-cent piece, forty-eight grains; which coins shall be a legal tender, at their nominal value, for any amount not exceeding twenty-five cents in any one payment.

Minor coins, and their alloy;

weight;

to be legal tender.

Sec. 17. That no coins, either of gold, silver, or minor coinage, shall hereafter be issued from the mint other than those of the denominations, standards, and weights herein set forth.

No coins, except, &c.

Sec. 18. That upon the coins of the United States there shall be the following devices and legends: Upon one side there shall be an impression emblematic of liberty, with an inscription of the word " Liberty " and the year of the coinage, and upon the reverse shall be the figure or representation of an eagle, with the inscriptions " United States of America " and " E Pluribus Unuin," and a designation of the value of the coin ; but on the gold dollar and three-dollar piece, the dime, five, three, and one cent piece the figure of the eagle shall be omitted; and on the reverse of the silver trade-dollar, the weight and fineness of the coin shall be inscribed ; and the director of the mint, with the approval of the Secretary of the Treasury, may cause the motto " In God we trust " to be inscribed upon such coins as shall admit of such motto ; and any one of the foregoing inscriptions may be on the rim of the gold and silver coins.

Devices and legends upon coins.

Inscriptions.

Sec. 19. That at the option of the owner, gold or silver may be cast into bars of fine metal, or of standard fineness, or unparted, as he may prefer, with a stamp upon the same designating the weight and fineness, and with such devices impressed thereon as may be deemed expedient to prevent fraudulent imitation, and no such bars shall be issued of a less weight than five ounces.

Bars of gold or silver;

stamp and devices;

limit to weight.

Sec. 20. That any owner of gold bullion may deposit the same at any mint, to be formed into coin or bars for his benefit; but it shall be lawful to refuse any deposit of less value than one hundred dollars, or any bullion so base as to be unsuitable for the operations of the mint; and when gold and silver are combined, if either metal be in such small proportion that it cannot be separated advantageously, no allowance shall be made to the depositor for its value.

Deposits of gold bullion for coinage;

Sec. 21. That any owner of silver bullion may deposit the same at any mint, to be formed into bars, or into dollars of the weight of four hundred and twenty grains, troy, designated in this act as trade-dollars, and no deposit of silver for other coinage shall be received; but silver bullion contained in gold deposits, and separated therefrom, may be paid for in silver coin, at such valuation as may be, from time to time, established by the director of the mint.

of silver bullion.

अभिलेखागारों से प्राप्त व अन्य दस्तावेज

THE FIFTH SCHEDULE.

(See section 49.)

RESERVE BANK OF INDIA

An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1933, for the week ending on the day of

ISSUE DEPARTMENT.

Liabilities.	Rs.	*Assets.*	Rs.
Bank Notes held in the Banking Department ..		A. Gold coin and bullion—	
Bank Notes in circulation		(a) held in India	
Total Bank Notes issued		(b) held outside India	
Government of India Notes in circulation ..		Securities of sterling standard countries —	
		Total of A	
		B. Rupee coin	
		Government of India rupee securities —	
		Internal bills of exchange and other commercial paper	
Total Liabilities.. ..		Total Assets —	

Ratio of total of A to liabilities, per cent.

Dated the day of 19

BANKING DEPARTMENT.

Liabilities.	Rs.	*Assets.*	Rs.
Capital paid up		Notes	
Reserve Fund		Rupee coin	
Deposits—		Subsidiary coin	
(a) Government		Bills discounted—	
(b) Banks		(a) Internal	
(c) Others		(b) External	
Bills payable		(c) Government of India Treasury Bills ..	
Other liabilities		Balances held abroad	
		Loans and advances to the Government ..	
		Other loans and advances .. .. —	
		Investments	
		Other assets	

Dated the day of 19 .

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

The object of this Bill is to set up a Reserve Bank for India. The Federal Structure Sub-Committee of the first Round Table Conference recommended that " with a view to ensuring confidence in the management of Indian credit and currency....efforts should be made to establish on sure foundations and free from any political influence, as early as may be found possible, a Reserve Bank, which will be entrusted with the management of the currency and exchange ". The Financial Safeguards Committee of the third Round Table Conference recommended " that steps should be taken to introduce into the Indian Legislature a Reserve Bank Bill conceived on the above lines as soon as possible ". In the report of that Committee it was also placed on record that " the Secretary of State undertook that representative Indian opinion would be consulted in the preparation of proposals for the establishment of the Reserve Bank including those relating to the reserves ".

2. A representative Committee was set up in order to give effect to that undertaking and a copy of its report is attached as an annexure. The present Bill is drafted in accordance with the recommendations of that Committee.

SIMLA;

The 4th September, 1933.

GEORGE SCHUSTER.

संसद में लाया गया रिर्जव बैंक का बिल

REGISTERED No. 3131.

The Gazette of India

PUBLISHED BY AUTHORITY.

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25, 1933.

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

PART V

Bills introduced in the Council of State and Legislative Assembly. Reports of Select Committees presented to the Council and Assembly and Bills published under Rule 18 of the Indian Legislative Rules.

GOVERNMENT OF INDIA.

LEGISLATIVE ASSEMBLY DEPARTMENT.

The following Report of the Joint Committee on the Bill to constitute a Reserve Bank of India was presented to the Legislative Assembly on the 20th November, 1933:—

We, the undersigned, members of the Joint Committee to which the Bill to constitute a Reserve Bank of India was referred, have considered the Bill and have now the honour to submit this our Report, with the Bill as amended by us annexed thereto.

2. We first met in Simla on the 19th September, 1933, to elect our Chairman and settle some preliminary points of procedure. We then met in New Delhi and sat continuously from the 23rd October until the 18th November, 1933. We examined a number of witnesses and we take this opportunity of thanking them for the readiness with which they accepted our invitation and undertook long journeys at short notice to appear before us. Their evidence has been of very great help to us and has enabled us to suggest a large number of amendments in the Bill which we hope will ensure the smooth working of the new Bank, and prove beneficial to the general interests of the country.

3. We deal below with the Bill clause by clause referring to each clause by its original number. In the Bill, however, we have renumbered the clauses and for convenience, the original numbering has been reproduced in the margin of the Bill as now printed.

Preamble.—We have made a verbal alteration to indicate more definitely what we consider to be the main purposes of the Bill.

Clause 1.—Although we agree that no specific date can be inserted for setting up the Bank, we desire to represent strongly to the Government that the Bank should be set up with all possible speed.

We have substituted the words "This Act" for "Chapter III" in sub-clause (4) because we do not see any reason why the other Chapters of the Bill should be treated differently from Chapter III.

Clause 2, sub-clause (b).—We considered whether it was necessary to frame a more comprehensive definition of "bank note" but decided that this was unnecessary and that the definition might be omitted.

Sub-clause (d).—We are of opinion that investments of external assets should be confined to Government securities of the United Kingdom and that purchases of foreign currency should be restricted to sterling. We have modified clauses 17 and 33 accordingly. The definition of sterling standard countries therefore becomes unnecessary.

Sub-clause (e).—We have altered the definition of "provincial co-operative bank" because

(197) V A

Sub-clause (2) (*nnnn*).—We think it desirable to make special provision for regulations regarding the relations of scheduled banks with the Reserve Bank. In particular, it may be found necessary or desirable for the Reserve Bank to call for further information from them.

Sub-clause (2) (*mmmm*).—Though the management of clearing houses is one of the usual functions of a Reserve Bank, we think that it would be as well to make specific provision for the regulations which the Bank will issue in this matter.

Sub-clause (3).—We have added this sub-clause to make it clear that copies of any such regulations will be available to the public on payment.

4. The Government put before us a memorandum† which we have attached to this Report containing their proposals for dealing with three important matters which were recommended for further consideration in India by the Committee which considered the Reserve Bank proposals in London. These matters are:—

(1) The method for dealing with the surplus stock of rupees which are at present held in the Government's currency reserves, but which will under the plan embodied in the present Bill be retained by Government.

(2) The amount of external reserves which should be handed over by Government initially on the formation of the Bank.

(3) The method for dealing with any profit or loss which may result from a revaluation or a sale of the stocks of gold to be handed over to the Bank by Government.

The first of these questions arises as a result of the general plan embodied in clause 36 of the Bill—the effect of which is that, contrary to the plan embodied in the earlier Bills, Government will retain the responsibility in connection with the silver coinage so that the Bank will not have to carry stocks of silver coin surplus to its own requirements, or be concerned with sales or purchases of silver bullion or any loss which such transactions may involve. While we are prepared to state that we approve of this general plan, we have not had time fully to consider the details of the Government's proposals as regards the methods for dealing with the stocks of silver to be retained by Government nor as regards the matters arising under the other two heads. In the circumstances, as we are bound to present our report on the Reserve Bank Bill by November 20 and shall by that act have completed the function laid upon us by the Legislature in this matter, we can only recommend that the details of the Government proposals should be further studied by the Legislature by such means as it thinks fit.

5. The Bill was published in the Gazette of India dated the 16th September, 1933. We think that the Bill has not been so altered as to require re-publication, and we recommend that it be passed as now amended.

*GEORGE SCHUSTER.
*COWASJI JEHANGIR.
*SANT SINGH.
MOHD. YAMIN KHAN.
HOMI MEHTA.
L. HUDSON.
*G. NARAYANASWAMI CHETTY.
S. R. PANDIT.
*S. R. M. ANNAMALAI CHETTY.
J. S. HENDERSON.
*S. M. PADSHAH.
*MAHMOOD SUHRAWARDY.
CHARANJIT SINGH.
MOHD. HAYAT NOON.
*B. K. BASU.
*NRIPENDRANARAYAN SINHA.
*MATHURA PRASAD MEHROTRA.
*S. C. MITRA.
*BHUPUT SING.
ABDULLA-AL-MAMUN SUHRAWARDY.
*MOHD. AZHAR ALI.
*GAYA PRASAD SINGH.
*HOSSAIN IMAM.
NIHAL SINGH.
*RAM SARAN DAS.
*VIDYA SAGAR PANDYA.
*B. DAS.
*J. B. TAYLOR.

† Appendix A.
* Subject to a minute or minutes of dissent.

स्थापना के समय रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया के कुछ शेयर होल्डर्स की सूची

Autumn

Receiving Office DELHI *Register*

Certificate Number	Share Numbers From	Share Numbers To	Number of Shares	[illegible]	Name of Shareholder	Address	Examined	Date Certificate Despatched to Receiving Office
D-18026	3,75,126	3,75,130	5	18047	Basanti Devi	C/O Rai Sahib Pandit Jagat Nandan Bhargava Special Additional Dist: Judge, Ajmer, Ajmer-Merwar		
D-18027	3,75,131	3,75,135	5	18048	Kali Charan Thada	C/O Shiva Dayal Thada Bhavan, Chand Gate, Beawar, (Ajmer-Merwar)		
D-18028	3,75,136	3,75,140	5	18049	Madan Mohan Dube	C/O Ratan Soap Factory, Purani Mandi, Ajmer Rajputana		
D-18029	3,75,141	3,75,145	5	18050	Madan Lal	Head Clerk Loco & Carr. Supdt's., Office, Carriage & Wagon Section, Ajmer		
D-18030	3,75,146	3,75,150	5	18051	Gulam Kabir	Post Pisangan, Dist., Ajmer-Merwara		
D-18031	3,75,151	3,75,155	5	18052	Pherumal J.Sapra	C/O Messrs Jassaram Tarachand, Wool Merchants, Beawar(Rajputana		
D-18032	3,75,156	3,75,160	5	18053	Shanker Lal Maloo	C/O Badridas Modulal, Dhan Mandi, Ajmer		
D-18033	3,75,161	3,75,165	5	18054	Pandit Srinath Bhargava	C/O R.S.Jagat Nandan Bhargava, Special Additional Distt Judge, Ajmer		
D-18034	3,75,166	3,75,170	5	18055	Nisar Ahmed	Clerk of Mr. M.L.Capoor, Advocate, Kutchery Road, Ajmer		
D-18035	3,75,171	3,75,175	5	18056	Mohan Lal Capoor	Advocate High Court, Kutcherry Road, Ajmer		
D-18036	3,75,176	3,75,180	5	18057	Rajendra Nath Bhargava	C/O Messrs M.R. Sons, General Merchants, Madar Gate, Ajmer		
D-18037	3,75,181	3,75,185	5	18058	Chimanlal Maganlal Shah	Govt: Telegraph Office, Ajmer		
D-18038	3,75,186	3,75,190	5	18059	Brij Lal Goenka	C/O Messrs Agarwal Brothers, Kesarganj, Ajmer		
D-18039	3,75,191	3,75,195	5	18060	Godawar Devi	C/O Pt. Ram Chandra Tripathi, Asstt: Master Govt: High School, P.O. Ajmer(Ajmer-Merwar)		
D-18040	3,75,196	3,75,200	5	18061	Rameshwari Bai	C/O Panna Lal Vakil High Court, Inside Delhi Gate, Ajmer		
D-18041	3,75,201	3,75,205	5	18062	Motilal Goenka	C/O Messrs Agarwal Brothers, Kesarganj, Ajmer		
D-18042	3,75,206	3,75,210	5	18063	Radha Ballabh Somani	C/O R.B.Seth Samirmalji Umedmalji, Jodhpur, (Rajputana)		
D-18043	3,75,211	3,75,215	5	18064	Ramananda Sharma	C/O Pt. Ramchandra Sharma Munim Birla Bhattonka Rasta, Jaipur City		
D-18044	3,75,216	3,75,220	5	18065	Panna Lal Nandna	Station Master, B.B.&C.I.Ry., Madar, Panni Garun Ka Chowk Ajmer		
D-18045	3,75,221	3,75,225	5	18066	Chameli Devi	W/O Master Damodardass Ghee Mandi, Ajmer Ajmer-Merwar		
D-18046	3,75,226	3,75,230	5	18067	Vaidya Ram Chandra Sharma	Purani Mandi, P.O. Ajmer, Dt., Ajmer-Merwara		
D-18047	3,75,231	3,75,235	5	18068	Chiman Lall	Luggage Office, Ajmer		
D-18048	3,75,236	3,75,340	5	18069	Kailash Ram Nagar	Asstt: Station Master, Madar, B.B.&C.I.Ry., Hathi Bhatta Temple, Ajmer(Ajmer-Merwar)		
D-18049	3,75,241	3,75,245	5	18070	Kanhaiya Lall	Ram Chander, Kanhaiya Lall, Brahman Sonar, Ghasati Bazar, Ajmer		
D-18050	3,75,246	3,75,250	5	18071	Kesri Mal	Ajmer, Ajmer-Merwar, Ghasetay Mohalla Near Ragunathjee's Temple		

A.Biswas
12.7.35

AJMER **Receiving Office** DELHI **Register**

Certificate Number	Share Numbers From	Share Numbers To	Number of Shares	Allotment Number	Name of Shareholder	Address	Received	Date Certificate Dispatched to Receiving Office	Initials
D-18076	3,75,376	3,75,380	5	18097	Chiranji Lal	Danki Kua, Kaiserganj, Ajmer(Ajmer-Merwar)			
D-18077	3,75,381	3,75,385	5	18098	Shri Ram Gupta	-Do- -Do-			
D-18078	3,75,386	3,75,390	5	18099	Raghubar Dayal Misra	Moinia Islamia Govt: High School, Ajmer (Ajmer-Merwar)			
D-18079	3,75,391	3,75,395	5	18100	Har Bilas Jhawar	C/O Messrs Pitty & Sons, Naya Bazar, Ajmer (Ajmer-Merwar)			
D-18080	3,75,396	3,75,400	5	18101	Madho Singh	Accountant Ajmer Central Coop: Bank Ltd., Ajmer, (Ajmer-Merwar)			
D-18081	3,75,401	3,75,405	5	18102	Amar Chand Mahar	Inside Madar Gate, Ajmer,Ajmer-Merwar			
D-18082	3,75,406	3,75,410	5	18103	Chandmal Mahar	-Do- -Do-			
D-18083	3,75,411	3,75,415	5	18104	Tara-C-M-Khandwala	Kaiser Ganj, Ajmer(Ajmer-Merwar)			
D-18084	3,75,416	3,75,420	5	18105	Kumud Chhavlal Khandwala	-Do- -Do-			
D-18085	3,75,421	3,75,425	5	18106	Inder Chand Kasliwal	Inside Madar Gate, Ajmer (Ajmer-Merwar)			
D-18086	3,75,426	3,75,430	5	18107	Harishankar Jaiswal	Kaiser Ganj, Ajmer (Ajmer-Merwar)			
D-18087	3,75,431	3,75,435	5	18108	Piralal	Inside Madar Gate, Malla Bazar, Ajmer (Ajmer-Merwar)			
D-18088	3,75,436	3,75,440	5	18109	Basant Lal	Overseer, Mayo College, Ajmer, Rajputana			
D-18089	3,75,441	3,75,445	5	18110	Narsingh Das Chandak	Naya Bazar, Ajmer(Ajmer-Merwar)			
D-18090	3,75,446	3,75,450	5	18111	Kalyani Devi Chandak	C/O Seth Narsingh Das Chandak, Naya Bazar, Ajmer (Ajmer-Merwar)			
D-18091	3,75,451	3,75,455	5	18112	Sheelvati Chandak	-Do- -Do-			
D-18092	3,75,456	3,75,460	5	18113	Ram Karan Das	Diggi Bazar, Near Khajoor, Ajmer			
D-18093	3,75,461	3,75,465	5	18114	Ram Piyari	-Do- -Do-			
D-18094	3,75,466	3,75,470	5	18115	Mohan Lal Molkia	Chhajera Gali, Lakhan Kotri, Ajmer (Ajmer-Merwar)			
D-18095	3,75,471	3,75,475	5	18116	Lakhpam Angirish	Advocate High Court, Ajmer, Station Rd., (Ajmer-Merwar)			
D-18096	3,75,476	3,75,480	5	18117	Seth Mohamed Ibrahim Hashan	Proprietor Ibrahim & Sons, Furniture Makers, Kaiserganj, Ajmer(Ajmer-Merwar)			
D-18097	3,75,481	3,75,485	5	18118	Gaman Kumar	Cloth Merchant, Kaiserganj, Ajmer (Ajmer-Merwar)			
D-18098	3,75,486	3,75,490	5	18119	Umrao Kanwar	C/O Baghmal Udaimal Bharatia, SurajBazar Moti Katla, Ajmer			
D-18099	3,75,491	3,75,495	5	18120	Jawar Kanwar	-Do- -Do-			
D-18100	3,75,496	3,75,500	5	18121	Shamsuddin	C/O Allarakh, Iron Merchant Beawar, Ajmer-Merwar			

A.Biswas
13.7.38

AJMER **Receiving Office** DELHI **Register**

Certificate Number	Share Numbers From	Share Numbers To	Number of Shares	Allotment Letter Number	Name of Shareholder	Address	Initials	Date Certificate Despatched to Receiving Office	Initials
D-18076	3,75,376	3,75,380	5	18097	Chiranji Lal	Danki Kua, Kaiserganj, Ajmer(Ajmer-Merwar)			
D-18077	3,75,381	3,75,385	5	18098	Shri Ram Gupta	-Do- -Do-			
D-18078	3,75,386	3,75,390	5	18099	Raghubar Dayal Misra	Moinia Islamia Govt: High School, Ajmer (Ajmer-Merwar)			
D-18079	3,75,391	3,75,395	5	18100	Har Bilas Jhawar	C/O Messrs Pitty & Sons, Naya Bazar, Ajmer (Ajmer-Merwar)			
D-18080	3,75,396	3,75,400	5	18101	Madho Singh	Accountant Ajmer Central Coop: Bank Ltd., Ajmer, (Ajmer-Merwar)			
D-18081	3,75,401	3,75,405	5	18102	Amar Chand Nahar	Inside Madar Gate, Ajmer,Ajmer-Merwar			
D-18082	3,75,406	3,75,410	5	18103	Chandmal Nahar	-Do- -Do-			
D-18083	3,75,411	3,75,415	5	18104	Tara-O-M-Khandwala	Kaiser Gunj, Ajmer(Ajmer-Merwar)			
D-18084	3,75,416	3,75,420	5	18105	Kumud Chhavlal Khandwala	-Do- -Do-			
D-18085	3,75,421	3,75,425	5	18106	Inder Chand Kasliwal	Inside Madar Gate, Ajmer (Ajmer-Merwar)			
D-18086	3,75,426	3,75,430	5	18107	Harishankar Jaiswal	Kaiser Gunj, Ajmer (Ajmer-Merwar)			
D-18087	3,75,431	3,75,435	5	18108	Piralal	Inside Madar Gate, Nalla Bazar, Ajmer (Ajmer-Merwar)			
D-18088	3,75,436	3,75,440	5	18109	Basant Lal	Overseer, Mayo College, Ajmer, Rajputana			
D-18089	3,75,441	3,75,445	5	18110	Narsingh Das Chandak	Naya Bazar, Ajmer(Ajmer-Merwar)			
D-18090	3,75,446	3,75,450	5	18111	Kalyani Devi Chandak	C/O Seth Narsingh Das Chandak, Naya Bazar, Ajmer (Ajmer-Merwar)			
D-18091	3,75,451	3,75,455	5	18112	Sheelvati Chandak	-Do- -Do-			
D-18092	3,75,456	3,75,460	5	18113	Ram Saran Das	Diggi Bazar, Near Khajoor, Ajmer			
D-18093	3,75,461	3,75,465	5	18114	Ram Piyari	-Do- -Do-			
D-18094	3,75,466	3,75,470	5	18115	Mohan Lal Molkha	Chhajera Gali, Lakhan Kotri, Ajmer (Ajmer-Merwar)			
D-18095	3,75,471	3,75,475	5	18116	Lakhpat Angirish	Advocate High Court, Ajmer, Station Rd., (Ajmer-Merwar)			
D-18096	3,75,476	3,75,480	5	18117	Seth Mohamed Ibrahim Kasham	Proprietor Ibrahim & Sons, Furniture Makers, Kaiserganj, Ajmer(Ajmer-Merwar)			
D-18097	3,75,481	3,75,485	5	18118	Gaman Kumar	Cloth Merchant. Kaiserganj, Ajmer (Ajmer-Merwar)			
D-18098	3,75,486	3,75,490	5	18119	Um Rao Kanwar	C/O Baghmal Udaimal Bharagtia, DurgahBazar, Moti Katla, Ajmer			
D-18099	3,75,491	3,75,495	5	18120	Jawar Kanwar	-Do- -Do-			
D-18100	3,75,496	3,75,500	5	18121	Shamsuddin	C/O Allarakh, Iron Merchant Bazar, Ajmer-Merwar			

A.Biswas
13.7.38

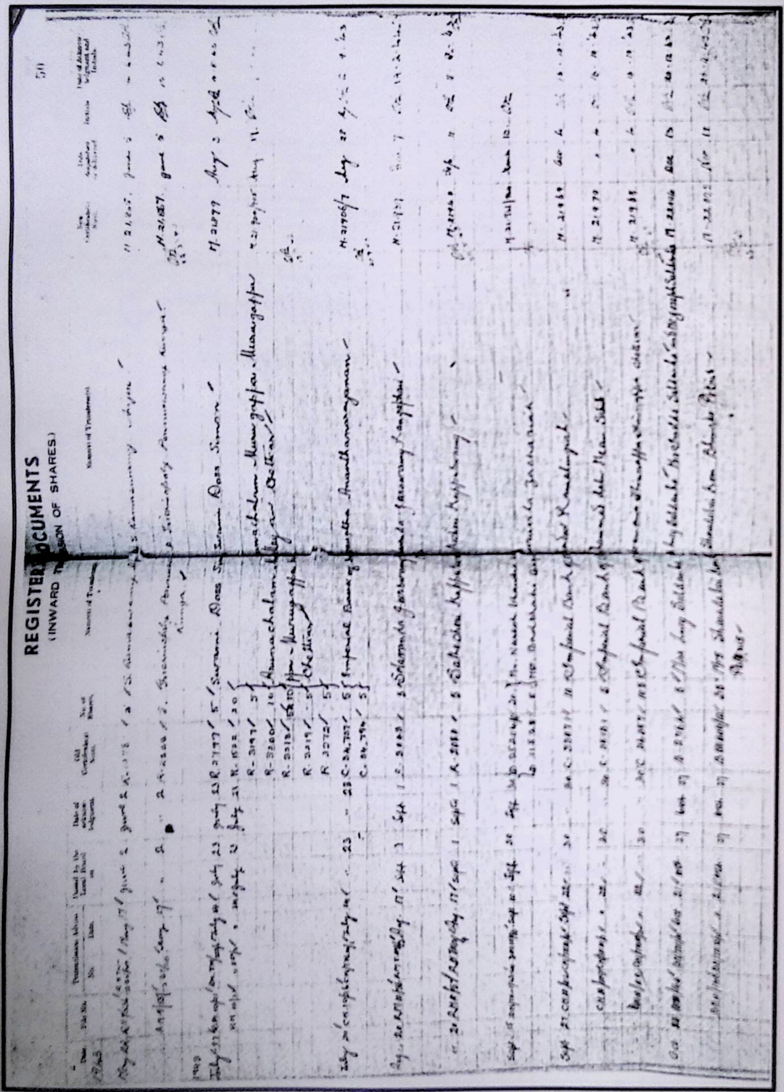
REGISTER OCUMENTS
(INWARD T SION OF SHARES)

भारतीय रिर्जव बैंक एक्ट - 1934 की मूल एक्ट की प्रस्तावना

THE

RESERVE BANK OF INDIA

(ACT II OF 1934)

Received Governor-General's Assent 6th March 1934.

An Act to constitute a Reserve Bank of India.

Whereas it is expedient to constitute a Reserve Bank for India [to regulate the issue of bank notes and the keeping of reserves with a view to securing monetary stability in ~~British~~ India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage;]

And Whereas in the present disorganization of the monetary systems of the world it is not possible to determine what will be suitable as a permanent basis for the Indian monetary system;

But Whereas it is expedient to make temporary provision on the basis of the existing monetary system and to leave the question of the monetary standard best suited to India to be considered when the international monetary position has become sufficiently clear and stable to make it possible to frame permanent measures;

It is hereby enacted as follows:—

CHAPTER I.

PRELIMINARY.

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Reserve Bank of India Act, 1934.

मूल एक्ट की धारा-59 के अनुसार प्रति रूपया स्वर्ण मानक जिसे अब निकाल दिया गया है

(3) Copies of all regulations made under this section shall be available to the public on payment.

NOTES.

Previous Sanction of Governor-General-in-Council for making regulations.—This does not mean that by obtaining a general previous sanction, the Bank can make any regulations, as it may like. It means that the previous sanction of the Governor-General-in-Council is to be obtained for each regulation made.

It also means by necessary implications that amendments and changes in regulations should also require the Governor-General-in Council's previous sanction.

The Central Board is given the widest scope for making the regulations, the only condition being :—

1. That they should not be inconsistent with the provisions of the Act.

2. That they are to be confined to matters necessary or convenient for the purpose of giving effect to any of the provisions of the Act.

Amendment of Act III of 1906.

59. In the Indian Coinage Act, 1906, for Section 11 the following section shall be substituted, namely :

Demonetisation of sovereign and half-sovereign.

" 11. Gold coins, coined at His Majesty's Royal Mint in England or at any mint established in pursuance of a proclamation of His Majesty as a branch of His Majesty's Royal Mint, shall not be legal tender in British India in payment or on account, but such coins shall be received by the Reserve Bank of India at its offices, branches and agencies in India at the bullion value of such coins calculated at the rate of 8·47512 grains troy of fine gold per rupee."

Repeals.

60. The Indian Paper Currency Act, 1923, the Indian Paper Currency (Amendment) Act, 1923, the Indian Paper Currency (Amendment) Act, 1925, and the Currency Act, 1927, are hereby repealed.

स्रोत - अभिलेखागार, रिर्जव बैंक ऑफ इण्डिया

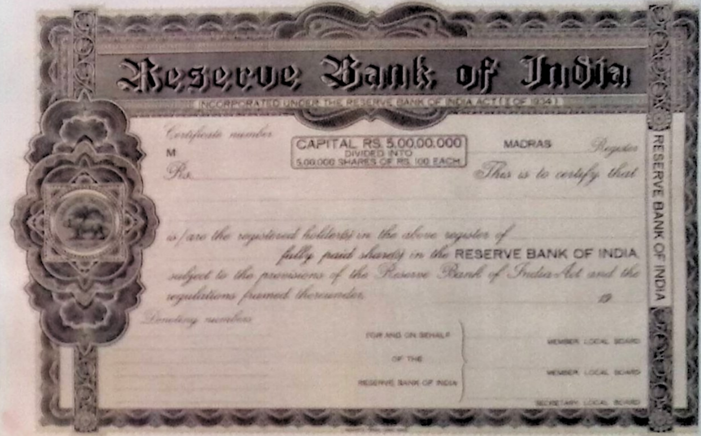

Reserve Bank of India
INCORPORATED UNDER THE RESERVE BANK OF INDIA ACT (II OF 1934)
RESERVE BANK OF INDIA

Certificate number
M
Rs.

CAPITAL RS. 5,00,00,000
DIVIDED INTO
5,00,000 SHARES OF RS. 100 EACH

MADRAS Register

This is to certify that

is/are the registered holder(s) in the above register of
fully paid share(s) in the RESERVE BANK OF INDIA
subject to the provisions of the Reserve Bank of India Act and the
regulations framed thereunder.
19

Limiting numbers

FOR AND ON BEHALF
OF THE
RESERVE BANK OF INDIA

MEMBER LOCAL BOARD
MEMBER LOCAL BOARD
SECRETARY LOCAL BOARD

Share Certificates of the Reserve Bank of India were issued by different Registers (Northern, Southern, Eastern, and Western) in different colours. Seen also is a dividend warrant where the rate of dividend is denominated in rupees and annas. Incidentally, the income tax rate is indicated as 30 1/3 pies per rupee. One rupee in the monetary system in vogue then consisted of 16 annas and one anna of 4 pice and one pice of 3 pies; one rupee, thus, consisted of 192 pies. In those days, Finance and Accounts were not for the ordinary and needed special competencies!

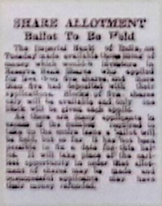

SHARE ALLOTMENT
Ballot To Be Held

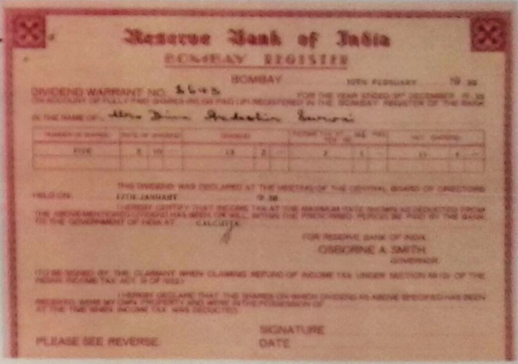

Reserve Bank of India
BOMBAY REGISTER

BOMBAY
DIVIDEND WARRANT NO.
IN THE NAME OF

FOR RESERVE BANK OF INDIA
OSBORNE A. SMITH
GOVERNOR

PLEASE SEE REVERSE
SIGNATURE
DATE

January 16, 1920
League of Nations formed as an outcome of the Treaty of Versailles of 1919–20. An inter-governmental organization, its goals included upholding the universally upheld Rights of Man, disarmament, and settling disputes between countries. Its headquarters were at Geneva.

1920
Arthur Pigou publishes *The Economics of Welfare*, marking the birth of welfare economics.

1919
Government of India Act of 1919 passed. This Act allowed for Representative Government in India in the Provinces, and introduced the system of diarchy where certain areas of government (such as health and education) were placed in the hands of ministers responsible to the provincial legislature. However, areas such as public order and finance were retained by officials responsible to the British-appointed provincial Governor.

1919
Rowlatt Act comes into force. The Act, which allowed the Government to imprison anyone without a trial or a conviction, resulted in widespread protests leading to the Jallianwala Bagh Massacre on April 13.

August 1, 1920
Non-Cooperation movement launched. Joining the movement involved surrendering all titles, honorary offices, and nominated posts in local bodies and boycotting Government functions and darbars. Ahimsa or non-violence was to be observed strictly.

October 31, 1920
Formation of the All-India Trade Union Congress (AITUC) with Lala Lajpat Rai as its first President.

An artist's impression of the Jallianwala Bagh Massacre.

Currency notes of the 1920s.

March 21, 1921
New Economic Policy (NEP) announced in Russia. Proposed by Vladimir Lenin to bolster the Russian economy, the NEP allowed some private ventures, small businesses, and shops to operate for private profit while the State continued to control banks, foreign trade, and large industries. It was deemed to be 'a step backwards, in order later, to take two steps forward'.

July 18, 1925
Adolf Hitler revamps the Nazi Party and writes Volume 1 of *Mein Kampf* (My Struggle). The book was part autobiography and part exposition of Hitler's political ideology.

December 1920
Rise in India's public debt as a result of her contribution towards the cost of the First World War. This was because the Provinces of British India were allowed to float loans for the first time under Section 30(a) of the Government of India Act, 1919.

1921
Year of Great Divide. The population of India decreased from 252.09 million in 1911 to 251.32 million in 1921 as a result of famine and epidemic.

December 4, 1925
First State Cooperative Societies Act passed in Bombay Province. The Act gave impetus to the cooperative movement in India and emphasized the basic concepts of thrift, self-help, and mutual aid. Cooperatives had been made a provincial subject under the Government of India Act, 1919.

1925
India Security Press established at Nasik and commences printing of postal stamps and stationery.

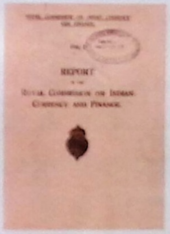

July 1926

Royal Commission on Indian Currency and Finance (Hilton Young Commission) recommends the establishment of a central bank to be called the 'Reserve Bank of India' (RBI).

The RBI as envisaged would consolidate the issue of currency (which was with Government) and control of credit (which was with the Imperial Bank) in one authority.

This would end the dichotomy of functions and the division of responsibilities for the control of currency and credit. It was also felt that a central bank which would not undertake commercial functions would help develop the banking system.

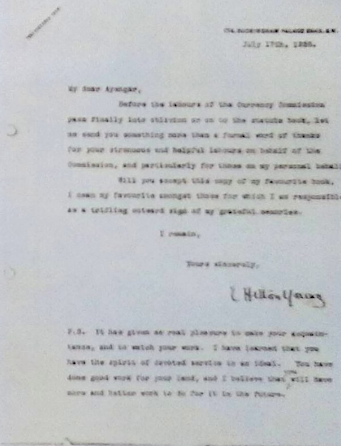

[illegible]
July 17th, 1926.

My dear Ayangar,

Before the labours of the Currency Commission pass finally into oblivion or on to the statute book, let me send you something more than a formal word of thanks for your strenuous and helpful labours on behalf of the Commission, and particularly for those on my personal behalf.

Will you accept this copy of my favourite book, I mean my favourite amongst those for which I am responsible as a trifling outward sign of my grateful memories.

I remain,

Yours sincerely,

E. Hilton Young

P.S. It has given me real pleasure to make your acquaintance, and to watch your work. I have learned that you have the spirit of devoted service to an ideal. You have done good work for your land, and I believe that you will have more and better work to do for it in the future.

A letter written by Hilton Young to V.K. Aravamudha Ayangar who served as Secretary to the Commission.

87

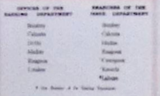

The offices of the Banking Department and the Issue Department as indicated in the Annual Report of the Bank.

The existing currency offices in Calcutta, Bombay, Madras, Rangoon, Karachi, Lahore, and Kanpur became branches of the Issue Department of the Bank. Offices of the Banking Department were established in Bombay, Calcutta, Madras, Delhi, Rangoon, and London which took over the conduct of Government Treasury business at all those places and the management of public debt in Bombay, Calcutta, and Madras from the Imperial Bank.

June 1935 The Malcolm Darling Report helps the Bank to formulate its policies related to agricultural credit, cooperative societies, indigenous bankers, etc.

RESERVE BANK RATE

The opening bank rate of the Reserve Bank of India is 3½ per cent

July 4, 1935 Bank Rate fixed at 3.5%. The Bank Rate is the rate at which the Reserve Bank makes available money to commercial banks against eligible securities, i.e. by buying or rediscounting bills of exchange or eligible paper.

A view of the entrance of the London office of the Reserve Bank of India at 31–33 Bishopsgate, London. Seen below is the London Day Book of the Public Debt Office.

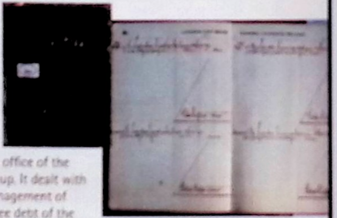

October 14, 1935 London office of the RBI set up. It dealt with the management of the rupee debt of the Government of India enfaced for payment in London. The safe custody and investment of currency reserves held in London also became its responsibility. The office was closed on September 30, 1963.

1937
Provincial elections held as per the 1935 Act. The Indian National Congress formed ministries in nine of the eleven provinces.

Till 1938, the Reserve Bank continued to issue Government of India notes to exhaust the existing stock.

January 15, 1937 Indian Companies (Amendment) Act, 1936 devotes a separate chapter exclusively to banks.

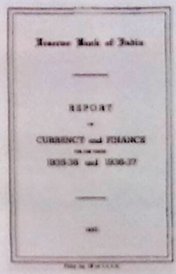
Reserve Bank of India

REPORT

CURRENCY and FINANCE

1935-36 and 1936-37

1937 The first *Report on Currency and Finance* published by the Reserve Bank of India. This covered the years 1935–36 and 1936–37 and replaced the Annual Report of the Office of Controller of the Currency, which was wound up in October 1937.

July 1, 1937 Former Deputy Governor, Sir James Braid Taylor assumes office as Governor of the RBI.

Burma seceded from India in 1937, but the Reserve Bank of India remained responsible for note issue in Burma. The Bank initially issued Government of India notes with the overprint 'Legal Tender in Burma Only'.

1937 India and Burma (Burma Monetary Arrangements) Order, 1937. The RBI continues to act as banker to the Government of Burma and also responsible for note issue. This arrangement continued till April 1, 1947 when the Burma Currency Board became functional.

1938 RBI issues distinct currency notes with Burmese motifs for circulation in Burma. These notes were not legal tender in India.

Notes issued by RBI in May 1938 for circulation in Burma.

One-rupee note issued on November 30, 1917. These notes were issued as promissory notes.

The silver rupee was replaced by the quaternary alloy rupee in 1940. This was an attempt to liberate the Indian currency system from the incubus of silver.

One-rupee note issued on July 24, 1940 in the George V design.

One-rupee note introduced in 1940 bearing the portrait of George VI.

One-rupee notes had been issued in India earlier in 1917. These notes, however, were issued as promissory notes. The point of departure of the 1940 Ordinance was that the notes were issued as Government of India notes with the status of a one-rupee coin. This constituted the first issuance of fiat money in India after the experiments of Muhammad bin Tughlaq in the 13th century.

The first one-rupee notes issued under the ordinance in 1940 were George V notes which had been printed in England way back in 1935. The notes had been printed as a part of the measures designed to deal with the situation arising from the aggressive purchases of silver by the US Government in pursuance of its Silver Purchase Act of 1934. With the easing of the situation, the notes did not need to be issued. This stock of notes was imported in 1940 using the war as an excuse to 'liberate the Indian Currency system from the incubus of silver'. The consignment of these one-rupee notes reached Bombay on July 22, 1940 and the Currency Ordinance providing for the circulation of Government of India notes was issued on July 24, 1940. The George VI design one-rupee notes were printed and issued thereafter. These notes proved very popular with the public.

July 24, 1940

Currency Ordinance of 1940 (IV of 1940) authorizes the introduction of one-rupee notes in India. These notes had the status of rupee coins and represented the introduction of official fiat money in India.

On December 23, the Indian Coinage (Third Amendment) Ordinance was promulgated which reduced the fineness of the whole rupee coin from 11/12ths of fine silver to one-half of fine silver.

The quaternary alloy rupee coins consisting of silver (50%), copper (40%), nickel (5%), and zinc (5%) were issued in December 1940.

The introduction of Re 1 notes and the quaternary coins moved India decisively away from silver and ended the system of dual convertibility, i.e. into gold in the context of external convertibility and into silver for internal convertibility.

Choosing the Symbols of Republic India

Dr Rajendra Prasad, the President of India designate, going through the designs chosen for the symbols of the Indian Republic in March 1949. Seen presenting the designs to Dr Prasad is H.V.R. Iengar. The design being selected is an adaptation of the Lion Capital of the Ashoka Pillar at Sarnath in Bihar. The Lion Capital was erected around 250 BCE at Sarnath by Emperor Ashoka to mark the spot where the Buddha preached his first sermon of peace and emancipation to the four quarters of the universe. The National Emblem was thus deemed to be symbolic of contemporary India's reaffirmation of its ancient commitment to world peace and goodwill.

The Ashoka Pillar motif has four lions (one hidden from view) – symbolizing power, courage, and confidence – standing on a circular abacus. The abacus is girded by four smaller animals – guardians of the four directions: the lion of the north, the elephant of the east, the horse of the south, and the bull of the west. The abacus rests on a lotus in full bloom, exemplifying the fountainhead of life and creative inspiration. The motto 'Satyameva Jayate' ('truth alone triumphs') is inscribed below the emblem in Devanagari script.

While the process of choosing symbols for India was underway, designs were created for the new one-rupee note. The designs originally sought to replace the King's portrait by a portrait of Mahatma Gandhi as depicted in the specimen pattern note. On the choice of the Ashoka Pillar as the national emblem, the new design was finalized. The first one-rupee note of Republic India that was issued bore the signature of K.R.K. Menon, Secretary, Ministry of Finance. The new notes were largely on the lines of earlier notes to ensure continuity.

On the new notes issued by the Reserve Bank of India in 1950, the King's portrait was replaced by the Lion Capital of the Ashoka Pillar, the new symbol of the Republic.

83

Republic India: Currency and Coinage

On achieving Independence in 1947, the Government of India continued to issue the existing notes and coins as a frozen series till the new designs were finalized. The coinage continued to be denominated in rupees, annas, and pice where one rupee consisted of 16 annas and one anna of 4 pice.

The motifs on coins, however, underwent a marked change. The coins of British India bore the fauna motif with a tiger which to the foreigner was evocative of exotic India. The coins of Republic India encased the denomination between two ears of corn, which allegorically depicted prosperity and abundance. Lower denomination coins carried the motifs again from the Ashoka Pillar of the humped bull and a galloping horse. Incidentally, the humped bull as well as the horse were closer to the realities of the Indian masses than the exotic tiger. The issuance of the first coins and notes of the Indian Republic coincided with the declaration of the Indian Republic, bringing the new symbols to the population as a whole.

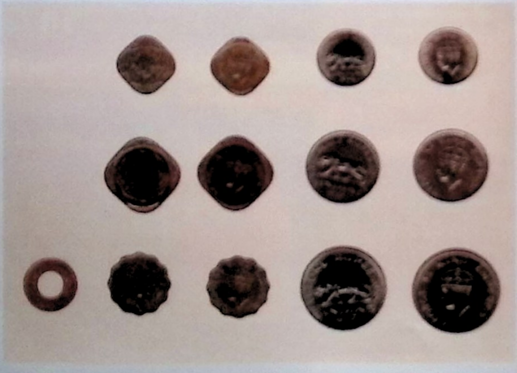

British India coins continued to be issued as a frozen series in the interregnum between Independence and the declaration of the Republic, 1947-50.

The first coins of the Republic of India issued on January 26, 1950.

April 18, 1951
The Schuman Declaration by then French Foreign Minister Robert Schuman envisages a new form of organization of European States called a Supranational Community.

April 18, 1951
The Treaty of Paris on April 18, 1951 among France, West Germany, Italy, and the three Benelux countries (Belgium, Luxembourg, and the Netherlands) establishes the European Coal and Steel Community (ECSC). This subsequently became part of the European Union.

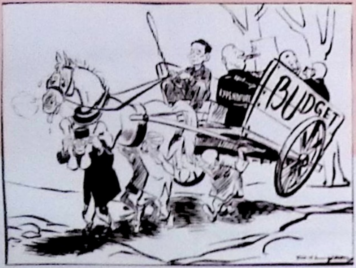

The burden of the budget of 1951, the year which saw the commencement of the First Five-Year Plan, was seen to fall on the common man.

July 17, 1951
India takes its first step in Democracy, the rule of the People, with the passing of the Representation of the People Act, 1951. This Act provides for the conduct of elections to the Indian Houses of Parliament and to the Houses of the Legislature of each state.

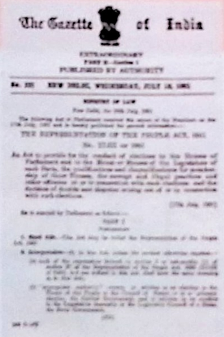

The Gazette of India

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951

SMALL RISE IN ACTIVE NOTES

Reserve Bank Returns

BANKING DEPARTMENT

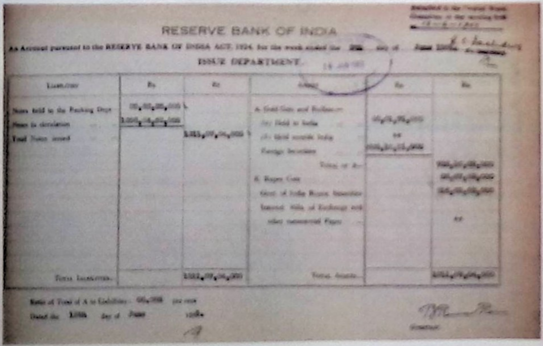

RESERVE BANK OF INDIA

ISSUE DEPARTMENT

The Reserve Bank publishes two balance sheets, one for the Issue Department and the other for the Banking Department. Seen above is one of the books of the Bank giving the position for the week ended June 8, 1951. It is signed by Governor B. Rama Rau. The Bank's Weekly Statement of Affairs has traditionally been reported in newspapers, as seen above left.

1955

Bhoodan (Land Donation) movement begun by Acharya Vinoba Bhave as a voluntary land reform movement. Vinoba Bhave travelled on foot across India and entreated wealthy landowners to voluntarily give a percentage of their land to weaker sections.

PEOPLE MUST BACK BHOODAN MOVEMENT

Acharya Bhave On Noble And Peaceful Mission

1954

High-denomination notes of Rs 1,000, Rs 5,000, and Rs 10,000 reintroduced. High-denomination notes had earlier been demonetized on January 12, 1946 under the High Denomination Bank Notes (Demonetization) Ordinance. The new series of notes which were completely different in design, watermark, and colour scheme from the old high-denomination notes, were issued with effect from April 1, 1954 on the basis of the Reserve Bank of India (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1953.

The 1,000-rupee note proved to be the most popular, its circulation by the end of the year amounting to Rs 32 crore as against Rs 5 crore for the 5,000-rupee note and Rs 1 crore for the 10,000-rupee note. With the introduction of the new high-denomination notes, the shares of the 10-rupee and 100-rupee notes in the total issue of current notes declined.

The share of Rs 10 notes went down from 42.2% in 1953 to 41.6% in 1954, and of Rs 100 notes from 43.0% to 40.9%. At the end of 1954, the 10-rupee note had the largest circulation (41.6% of the total issues), with the 100-rupee note a close second (40.9%). The shares of the smaller denominations, however, showed no significant change.

1959
The Tibetan resistance is crushed by the Chinese army; the Dalai Lama flees Tibet and crosses the border to India where he is granted political asylum, along with thousands of Tibetans.

RESERVE BANK BILL PASSED
Bid To Curb Smuggling

NEW DELHI, April 29: The Lok Sabha today passed the Reserve Bank Amendment Bill authorising the issue of special notes of the denominations of rupee one and rupees five, 10 and 100 for circulation abroad to check the smuggling of contraband gold into India from the Persian Gulf area.

Under the Bill, all Indian currency circulating in the Persian Gulf area will be replaced by special notes within six weeks.

The Bill was generally welcomed by members though some of them thought that it might give rise to legal complications concerning the right of Parliament to enact laws having extra-territorial jurisdiction.

The Finance Minister, Mr. Morarji Desai, said that legal opinion had been taken and the Government was within its rights to pass laws regulating the circulation of its currency outside the country wherever it was the medium of exchange.

Replying to the debate, the Finance Minister, said that while he did not claim that the Bill would put an end to smuggling altogether, he was sure that it would go a long way in minimising such activity.

Mr. Desai said that there was no danger of the Indian currency suffering by the issue of special notes. There was also no question of the special currency leading to inflation within the country.

He declined to reduce the period allowed for the conversion of the existing currency in view of the Government's commitments to the Persian Gulf rulers.—P.T.I.

May 1, 1959
Department of Research and Statistics split into two Departments, viz. the Economic Department and the Department of Statistics, to rationalize the working of the Department.

May 1, 1959
The Reserve Bank of India (Amendment) Act, 1959 provides for the issue of special series of notes of the Reserve Bank and the Government of India intended for circulation in the Persian Gulf region.

These were to replace Government of India notes circulating in certain territories in the Gulf States of Kuwait, Bahrain, Qatar, the Trucial States, and in parts of Muscat.

Indian notes circulating in the Persian Gulf region were replaced in 1959 by Reserve Bank of India notes that were similar in design to domestic notes but bore a distinct colour scheme.

1961
The Third Five-Year Plan (1961–66) sets as its goal the establishment of a self-reliant and self-generating economy. The plan aimed to increase national income by 5% per year, make India self-sufficient in agriculture and industrial production, increase employment, and ensure equality. Import substitution was seen as a major objective. While the first two Plans prepared the foundations for economic growth, the Third Plan sought to accelerate the country's economic growth. It was influenced by W.W. Rostow and economists from MIT and pitched for a larger plan and a more determined effort to develop the nation. With bad monsoons and two wars, the realized targets were considerably off mark.

October 1, 1960

Quota-cum-slab system of lending by RBI introduced.

This stipulated minimum lending rates and was the beginning of the move towards a regulated regime of interest rates.

The period of the Third Plan represents the first stage of a decade or more of intensive development leading to a self-reliant and self-generating economy.

– Planning Commission, Third Five-Year Plan, p. 48

India's economy must not only expand rapidly but must ... become self-reliant and self-generating.

– Planning Commission, Third Five-Year Plan, Introduction

If we are to industrialise, it is of primary importance that we must have heavy industries which build machines.

– Jawaharlal Nehru's
speech in Parliament on the draft outline of the Third Plan,
August 22, 1960

1960

The Hirakud Dam, a symbol of industrialization, replaces fauna motifs on the Rs 100 note.

June 5, 1967
Six-day War between Israel and its Arab neighbours leads to Israel's occupation of Gaza Strip, Golan Heights, Sinai Peninsula, and West Bank.

April 1967
Fourth General Elections held. The Congress Party returned to power but suffered a setback, winning 283 out of 520 seats in Parliament. Indira Gandhi was elected from the Rae Bareli constituency and continued as Prime Minister. Morarji Desai became Finance Minister and held this portfolio up to July 1969.

May 13, 1967
Dr Zakir Husain sworn in as President of India. He died on May 3, 1969 before his term of office came to an end.

February 1967
Industrial dispute between RBI and workmen. Justice T.L. Venkatarama Aiyar, Retired Supreme Court Judge, was appointed as arbitrator for workmen in Class III. The Award was published in February 1968.

April 17, 1967
Design changes effected in Indian banknotes and the size of banknotes reduced to economize on banknote paper which was then imported and constituted a forex outflow.

May 25, 1967
The Union Budget for 1967–68 seeks to limit the outlays of the Central Government strictly to resources which can be mobilized in a non-inflationary manner.

June 1972
UK imposes exchange controls and the pound sterling is left to float.

1972
Nobel Prize in Economics awarded to Sir John R. Hicks and Kenneth J. Arrow for 'their pioneering contributions to general economic equilibrium theory and welfare theory'.

July 3, 1972
Simla Peace Pact signed by India's PM, Indira Gandhi and Pakistan's PM, Zulfikar Ali Bhutto.

Bhutto & Mrs. Gandhi Sign Agreement

Issues to be Settled Bilaterally: No Use of Force

PM and Bhutto Meet Again: Differences Persist

India and Pak. to End Confrontation

Simla Agreement Stipulates Renunciation of Force

India to Vacate Occupied Areas Except in Kashmir

Text of Simla Summit Pact

"Accord Better than No-War Pact"

Rupee Value Down to 42.4 p.c.

NEW DELHI, Aug. 4.

The purchasing power of the rupee this year is 42.4 per cent of what it was in 1949, Mr. Y. B. Chavan, Finance Minister, said in reply to a question of Mr. Shiv Kumar Shastri in the Lok Sabha to-day.

The purchasing power of the currency had declined practically in all the countries during the last 25 years, Mr. Chavan added.

The purchasing power in 1971 in some countries of their currencies, compared to 1948, was as follows: Germany 64.5 per cent; Switzerland 60; U.S. 59.1; Canada 58.2; Thailand 56.4; India 41.4; Sweden 39.3; Britain 39.2; France 28.2 and Yugoslavia 23.4.

The all-India consumer price index, which was 101 in 1949, had shot up to 236 in the first six months of 1972, Mr. Chavan said.

Mr. Chavan gave the following ratios of the consumer price index to the purchasing power of the rupee from 1950 (year, index and purchasing power): 1950—101 and 99.1; 1956—105 and 95.2; 1962—130 and 76.9; 1963—134 and 74.6; 1967—206 and 47.6; 1968—215 and 46.5; 1969—213 and 46.9; 1970—224 and 44.6; 1971—236 and 42.2; 1972 (average of first six months)—236 and 42.4.—PTI and UNI.

An assessment of the internal purchasing power of the rupee in August 1972.

August 1972

Coins commemorating the 25th anniversary of Indian Independence issued by the Government of India through the Reserve Bank.

196

March 1975

New series of notes issued, commencing in March 1975. The motifs on these notes marked a departure from earlier notes. The Rs 10 and Rs 20 notes carried motifs from Indian art. On the Rs 2 note (issued later on October 20, 1976) and the Rs 5 note, the emphasis lay on symbols of science and technology (Aryabhatta on Rs 2 and the Green Revolution on the Rs 5 note). The motifs on the Rs 100 note denoted agriculture, progress, and development while the Rs 50 note had a representation of Parliament House

April 1992
Irregularities in securities trading involving Harshad Mehta impact Indian stock markets leading to a market crash.

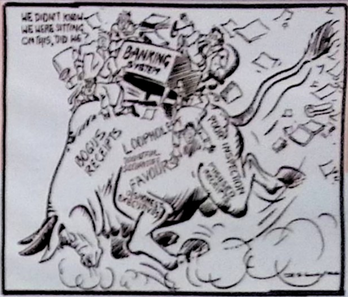

R.K. Laxman's view of the impact of the securities scam on the banking system. The irregularities in the securities market highlighted loopholes in the Subsidiary General Ledger (SGL) system of effecting securities transfers. It led to a shake up of the banking system and to comprehensive reforms in the conduct of government securities transactions. It also catalysed the move towards dematerialization of shares.

April 1992 New guidelines issued for improving the financial soundness of banks.

Banking Sector Reforms (continued)

New guidelines were issued for income-recognition, asset classification, and provisioning requirements. These were based on the recommendations of the Committee on the Financial System (the Narasimham Committee), which had endorsed the Basel Committee framework on capital adequacy. The Committee emphasized that a proper system of income-recognition and provisioning was fundamental to the preservation of the strength and stability of the banking system. Accordingly, it recommended the adoption of the international practice of treating an asset as 'non-performing' when interest was overdue for at least two quarters.

The introduction of such norms was aimed at ensuring greater safety and soundness of the financial system, imparting transparency and accountability of operations, thereby restoring the credibility and confidence in the financial system as a whole. The capital adequacy standards of the Basel Accord were adopted to bring India's regulatory framework closer to international standards. By end-March 2000, almost all the public sector banks had achieved the prescribed Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of 9%. For improving the loan recovery process, Debt Recovery Tribunals were set up. For quicker and inexpensive adjudication of customer complaints against deficiency in banking services, the Banking Ombudsman Scheme was introduced in June 1995.

April 1992 Money Market Mutual Funds (MMMFs) introduced in India to provide an additional short-term avenue to investors and to bring money market instruments within the reach of individuals. The portfolio of MMMFs was to consist of short-term money market instruments. Investment in such funds provided an opportunity to investors to obtain a yield close to short-term money market rates coupled with adequate liquidity.

Scheduled commercial banks and public financial institutions were allowed to set up MMMFs as defined under Section 4A of the Companies Act, 1956.

April 1992 Discount and Finance House of India (DFHI) starts dealing in dated Government securities on a limited scale. This was the first step in the direction of developing a secondary market in Government securities.

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
SPECIMEN
10
दस रुपये
TEN RUPEES
50
पचास रुपये
100
एक सौ रुपये
500
पाँच सौ रुपये
FIVE HUNDRED RUPEES

सर ओस्बोर्न ए.स्मिथ
भारतीय रिज़र्व बैंक के पहले गवर्नर
(01.04.1935 से 30.06.1937)

स्रोत: रिज़र्व बैंक इतिहास

भारतीय रिज़र्व बैंक बिल, 1933 पर हुई चर्चा के संबंध में वित्त मंत्री का उत्तर

समय की मांग को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक बिल, 1933 में निजी शेयरधारकों के बैंक के लिए प्रावधान किया गया था। इस बिल को संयुक्त चयनित समिति के पास भेजने के प्रस्ताव पर हुई चर्चा के संबंध में वित्त मंत्री के उत्तर में इस बात को पर्याप्त रूप से शामिल किया गया कि बैंक को निजी शेयरधारकों के बैंक के रूप में क्यों प्रस्तावित किया गया था। सर जॉर्ज शुस्टर ने कहा था:

"आधुनिक जीवन में और आधुनिक आर्थिक संगठनों में दो महत्वपूर्ण काम करने होते हैं: ये काम हैं उन लोगों का जिन्हें पैसे जुटाने और उसका उपयोग करने का काम करना होता है और दूसरा उन लोगों का काम जिन पर वास्तव में पैसे का (टोकन मुद्रा) निर्माण करने की जिम्मेदारी, अर्थात परिचलन में स्थित पैसे की जिम्मेदारी होती है। इन दो कार्यकलापों को अलग-अलग रखना, यही एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक स्थापित करने के समग्र प्रस्ताव का आधार है। किसी भी देश में सरकार ही पैसे का सर्वाधिक उपयोग करनेवाली संस्था होती है। और इस प्रस्ताव की मूल आत्मा ही यह है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने खर्चे के लिए पैसे जुटाता है वैसे ही सरकार भी जब कभी पैसा खर्च करना चाहे तब वह पैसा सही और प्रामाणिक तरीके से जुटा सके। यदि सरकार ऐसी संस्था पर नियंत्रण रखती है जो उपरोल्लिखित दूसरा कार्य करने के लिए जिम्मेदार है, तब सभी प्रकार के दुरुपयोग हो सकते हैं"।

स्रोत: रिज़र्व बैंक इतिहास

Current RBI Logo:

East India Company Double Mohur:

पहला केंद्रीय निदेशक मंडल

स्रोत: रिज़र्व बैंक इतिहास

खड़े : (बायें से दायें) : सुंदर सिंह मजीठिया, यू बाह ओह, श्री राम, बद्रीदास गोएंका, एडवर्ड बेंटहॉल, एफ.ई.दिनशॉ, जे. डब्ल्यू केली, ए ए ब्रूस, एम.रामचंद्र राव;

बैठे हुए : एडम हाजी मोहम्मद सैत, पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, जेम्स बी.टेलर, ओस्बोर्न ए.स्मिथ, सिकंदर हयात खान, होमी मेहता, मुजम्मिल्लुलाह खान

भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिह्न

बैंक के प्रतीक चिह्न के रूप में मुद्रा, चेक और प्रकाशनों पर उपयोग में लाने के लिए बैंक की मुख्य मुहर (कॉमन सील) का चयन एक ऐसा विषय था जिस पर बैंक की स्थापना के समय ही विचार किया गया था।

इस मुख्य मुहर के बारे में सरकार के सामान्य विचार इस प्रकार थे :

1. इस मुहर में बैंक के सरकारी स्वरूप पर बल तो दिया जाना चाहिए लेकिन बहुत अधिक नहीं।
2. उसके डिजाइन में कुछ ना कुछ भारतीयता होनी चाहिए।
3. वह सीधा-साधा, कलात्मक और सांस्कृतिक रूप से सही होना चाहिए।
4. उसका डिजाइन ऐसा हो कि उसका उपयोग उसमें पर्याप्त बदलाव किये बिना पत्र शीर्ष के रूप में किया जा सके।

इस प्रयोजन के लिए विभिन्न मुहरों, मेडलों और सिक्कों की जाँच की गयी। ईस्ट इंडिया कंपनी की दोहरी मुहर, जिसमें शेर का चित्र और ताड़ का पेड़ था, उसे सबसे योग्य पाया गया। तथापि, यह निर्णय लिया गया कि उस शेर के स्थान पर बाघ का चित्र लगाया जाए। क्योंकि बाघ को भारत की एक विशेषता के रूप में जाना जाता है।

बैंक के शेयर प्रमाणपत्रों पर तत्काल उस मुहर को मुद्रित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह काम मद्रास की एक फर्म को दिया गया। निदेशक बोर्ड ने दिनांक 23 फरवरी 1935 की अपनी बैठक में इस मुहर का अनुमोदन कर दिया। लेकिन, उस जानवर के चित्र में बोर्ड ने कुछ सुधार की अपेक्षा की। दुर्भाग्यवश, उस समय उसमें कोई सुधार करना संभव नहीं हो पाया। उप गवर्नर सर जेम्स टेलर ने भारत सरकार की टकसाल और सेक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस, नासिक से कुछ नये रेखाचित्र प्राप्त करने में बहुत रुचि दर्शायी। आधार के रूप में एक अच्छे डिजाइन के लिए उन्होंने बंगाल के गवर्नर के बेल्वेडेर में स्थित घर (अब दि नैशनल लाइब्रेरी, कोलकाता) पर लगे बाघ के पुतले की तस्वीर भी निकलवाने की व्यवस्था की। पहले के रेखाचित्र कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। इस पर सर जेम्स ने सितंबर 1938 में यह टिप्पणी की

.... 'पेड़ का चित्र तो ठीक है, लेकिन बाघ तो कुत्ते जैसे किसी जानवर की तरह लग रहा है। और मुझे लगता है कि कुत्ते के साथ पेड़ का चित्र उपहास का कारण हो जाएगा....... बाघ का चित्र तो बिलकुल ठीक है, लेकिन पेड़ के चित्र के कारण वह ठीक नहीं लग रहा है। पेड़ की जड़ तो अत्यधिक लंबी है और उसकी टहनियाँ मकड़ी जैसी। लेकिन मुझे लगता है कि उस बाघ के नीचे एक गहरी रेखा होनी चाहिए और इस पेड़ को थोड़ा मजबूत और थोड़ा छोटा होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह एक बेहतर डिजाइन होगा।

सेक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस, नासिक ने इसके प्रूफ का दूसरा सेट बना लिया। तथापि, यह निर्णय लिया गया कि बैंक के मौजूदा मुहर के डिजाइन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। और ये जो नये रेखाचित्र बनाये गये थे उनको बैंक की मुद्रा नोट, पत्र शीर्ष, चेक और अन्य प्रकाशनों के लिए उपयोग में लाया गया।

स्रोत: रिज़र्व बैंक इतिहास, खंड 1

बैंक की मुहर वर्ष 1935 की दोहरी मुहर के डिजाइन के आधार पर बनायी गयी थी जो कलकत्ता टकसाल के [illegible] द्वारा दिये नये प्रोटोटाइप पर आधारित थी। बैंक की मुहर में जो सिंह का चित्र था उसके स्थान पर बंगाल के बाघ का चित्र लगाया गया। ऊपर के चित्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी सोने की मुहर, बैंक के पहले के नोटों में दिखाई दे रही मुहर और समकालीन नोट पर दिखाई देनेवाली मुहर दर्शायी गयी है।

भारतीय रिजर्व बैंक

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक इतिहास / मिंट माइल स्टोन्स, रिजर्व बैंक के 75 वर्ष

स्वर्ण मोहर

स्रोत: रिज़र्व बैंक वेबसाइट

पांच रुपए : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पहला नोट, 1938

स्रोत: रिज़र्व बैंक वेबसाइट

एक सौ रुपए, 1938

स्रोत: रिज़र्व बैंक वेबसाइट

एक हजार रुपए, 1938

स्रोत: रिज़र्व बैंक वेबसाइट

एक रुपया, 1943 अग्रभाग

एक रुपया, 1943 पृष्ठ भाग

स्रोत: रिज़र्व बैंक वेबसाइट

1949 में भारत सरकार ने नए डिजाइन का एक रुपये का नोट शुरू किया।

स्रोत: रिज़र्व बैंक वेबसाइट

स्वतंत्र भारत के लिए चिह्नों का चयन किया जाना था। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को सर्व सहमति से चुना गया। नए नोटों की डिजाइन बड़े पैमाने पर पहले की तरह ही रखी गई।

स्रोत: रिज़र्व बैंक वेबसाइट

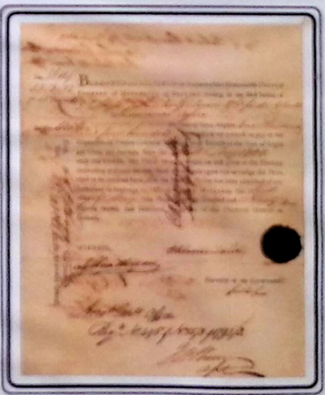

1791 में उधार

स्रोत: रिज़र्व बैंक अभिलेखागार

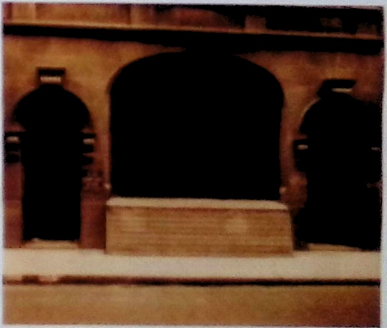

भारतीय रिज़र्व बैंक का लंदन कार्यालय

स्रोत: रिज़र्व बैंक इतिहास

अखबारों की नजर से....

2019 के चुनाव से पहले सरकार ने आरबीआइ से मांगे थे तीन लाख करोड़

विरल आचार्य

केंद्रीय बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने कहा, लोकलुभावन खर्चों की भरपाई के लिए केंद्र सरकार चाहती थी पैसे

NBT - 27/08/2021

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, दुनियाभर में हेरफेर कर रही हैं सरकारें

'सरकारों के झूठ को बेनकाब करना लोगों की जिम्मेदारी'

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़

दैनिक भास्कर छपरा 07-07-2024

छपरा भास्कर

एक लाख रुपए लोन नहीं चुका पाने पर दंपती ने जहर खाकर दे दी जान

पोती की शादी के लिए लिया था बंधन बैंक से करीब एक लाख कर्ज

वेनेजुएला दस लाख का नोट जारी करने वाला पहला देश

वेनेजुएला में जारी 10 लाख का नोट।

गौरतलब है कि वेनेजुएला एक समय पर अपने तेल के खजाने से संपन्न देश हुआ करता था, लेकिन अब यहां लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं। यहां की मुद्रा की कीमत इतनी गिर गई है कि हजारों-लाखों की कीमत में यहां सिर्फ मुट्ठी भर घर का सामान मिल रहा है। इसके अलावा देश के केंद्रीय बैंक का भंडार 50 साल में अपने निचले स्तर पर है। वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने जानकारी दी है कि इतने बड़े नोट को जारी करने का कारण देश की अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति है।

10 लाख में आधा किलो चावल

इसी के तहत अगले हफ्ते दो लाख और पांच लाख के नोट भी जारी किए जाएंगे। 1 रुपया (भारत) की कीमत वेनेजुएला में 25584.66 बोलिवर है।

प्रति 10 ग्राम सोने का

बाजार मूल्य 1950 से 2023 तक

1950	Rs. 99	1976	Rs. 432	2001	Rs. 4,300
1951	Rs. 98	1977	Rs. 486	2002	Rs. 4,990
1952	Rs. 76	1978	Rs. 685	2003	Rs. 5,600
1953	Rs. 73	1979	Rs. 937	2004	Rs. 5,850
1954	Rs. 77	1980	Rs. 1,330	2005	Rs. 7,000
1955	Rs. 79	1981	Rs. 1,800	2006	Rs. 8,400
1956	Rs. 90	1982	Rs. 1,645	2007	Rs. 10,800
1957	Rs. 90	1983	Rs. 1,800	2008	Rs. 12,500
1958	Rs. 95	1984	Rs. 1,970	2009	Rs. 14,500
1959	Rs. 102	1985	Rs. 2,130	2010	Rs. 18,500
1960	Rs. 111	1986	Rs. 2,140	2011	Rs. 26,400
1961	Rs. 119	1987	Rs. 2,570	2012	Rs. 31,050
1962	Rs. 119	1988	Rs. 3,130	2013	Rs. 29,600
1963	Rs. 97	1989	Rs. 3,140	2014	Rs. 28,006
1964	Rs. 63	1990	Rs. 3,200	2015	Rs. 26,343
1965	Rs. 72	1991	Rs. 3,466	2016	Rs. 28,623
1966	Rs. 84	1992	Rs. 4,334	2017	Rs. 29,667
1967	Rs. 102	1993	Rs. 4,140	2018	Rs. 31,438
1968	Rs. 162	1994	Rs. 4,598	2019	Rs. 35,220
1969	Rs. 176	1995	Rs. 4,680	2020	Rs. 48,651
1970	Rs. 184	1996	Rs. 5,160	2021	Rs. 50,045
1971	Rs. 193	1997	Rs. 4,725	2022	Rs. 52,950
1972	Rs. 202	1998	Rs. 4,045	Aug, 2023	Rs. 60,300
1973	Rs. 278	1999	Rs. 4,234		
1974	Rs. 506	2000	Rs. 4,400		
1975	Rs. 540				

तुलनात्मक मान

घन पदार्थ का दश्मिक (मीटरिक मान)

1	रत्ती	121.50 मि0ग्रा0
2	रत्ती	243.00 मि0ग्रा0
3	रत्ती (आधा आना)	364.00 मि0ग्रा0
4	रत्ती	486.00 मि0ग्रा0
6	रत्ती (एक आना)	729.00 मि0ग्रा0
8	रत्ती (1 माशा)	972.00 मि0ग्रा0
12	रत्ती (डेढ़ दो = आना भर)	1.46 मि0ग्रा0
24	रत्ती (तीन माशा = चार आना भर)	2.92 मि0ग्रा0
48	रत्ती (छः माशा = आठ आना भर)	5.83 मि0ग्रा0
96	रत्ती (बारह माशा = रूपया भर = 1 तोला)	11.66 मि0ग्रा0
2	तोला	23.33 मि0ग्रा0

0.0648 grms		*= 1 grains*	
8 rattis	*= 1 masha*	*= 15 grains troy*	*= 097g.*
12 mashas	*= 1 tola*	*= 180 grains troy*	*= 11.66g.*
80 tolas	*= 1 ser*	*= 2½ lbs.*	*= 933.1g.*
40 sers	*= 1 man*	*= 100 lbs. troy or bazaar maund*	*= 37.32 kg.*

सदंर्भ सूची

(1) INDIAN CURRENCY AND BANKING PROBLEMS - MOHAN LAL TANNAN. KHUSHAL T. SHAH,

(2) THE PRINCIPLES OF MONEY AND BANKING - CHARLES A. CONANT

(3) रूपये की समस्या, इसका उद्‍भव और समाधान - डा. बी.आर. अंबेडकर

(4) HISTORY OF CURRENCY IN THE BRITISH COLONIES - ROBERT CHALMERS

(5) THE PURCHASING POWER OF MONEY - ITS DETERMINATION AND RELATION TO CREDIT INTEREST AND CRISES - IRVING FISHER - HARRY G. BROWN

(6) Studies in Applied Economics - INDIA'S PAPER CURRENCY DEPARTMENT (1862 - 1935) AS A QUASI CURRENCY BOARD - Currency Board Working Paper - Charles Weintraub and Kurt Schuler

(7) राष्ट्रीय अभिलेखागार - नई दिल्ली

(8) भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार - पुणे (महाराष्ट्र)

(9) भारतीय रिज़र्व बैंक (www.rbi.org)

(10) Report of Committee on Indian Exchange and Currency, 1919

(11) THE STANDARD OF VALUE - SIR DAVID BARBOUR

(12) आज़ाद हिन्द फौज की कहानी - एस.ए. अय्यर

(13) The Standard Guide to - South Asian Coins and Paper Money - Since 1556 AD

(14) MINT ROAD MILESTONES RBI AT 75

(15) भारतीय रिजर्व बैंक का संक्षिप्त इतिहास 1935 – 1981

कूटकरण, ब्याज, लोन द्वारा जनता के धन की योजनाबद्ध लूट का सबूतों समेत ऐसा खुलासा कभी न हो पाया

IMF के द्वारा मुद्रित् किताब में वर्ष 0001 से 2024 तक के इतिहास में 1882 तक भारत की जीडीपी कभी भी विश्व जीडीपी के 24% से कम नहीं रही। परन्तु 1882 से 1947 तक ऐसा क्या हुआ कि भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी के 3% से भी कम रह गई, जो आज भी दुनिया की पाँचवी अर्थव्यवस्था होते हुए भी 3% ही है। इस रहस्य का पूर्ण उद्घाटन कभी नहीं हुआ। घनश्याम वर्मा जी ने इस रहस्य के अभी तक छुपाए गए तथ्य अंग्रेजों और खासतौर पर अंग्रजी बैंकों, इम्पीरियल बैंक और आरबीआई की मुद्रा नीति पर प्रकाश डाला है। जिससे पता चलता है कि कैसे भारत सोने की चिड़िया से कागज़ की चिड़िया बन कर रह गया। आजादी के 76 सालों के पश्चात् भी सभी सरकारों द्वारा अंग्रेजों की बैंकिंग और मुद्रा नीति को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। जिसके कारण सोने-चांदी पर आधारित मुद्रा को पहले कागजी मुद्रा और अब कागज़ को भी CBDC के नाम से डिजिटल मुद्रा में बदला जा रहा है।

आज वर्तमान कीमतों पर भारत की जीडीपी 292 लाख करोड़ है। जबकि 2011 की आधार कीमतों के अनुसार भारत की जीडीपी मात्र 172 लाख करोड़ ही है। यानी 120 लाख करोड़ का अंतर मात्र कीमतों का ही अंतर है। 2014 से 2024 तक भारत की मुद्रा मात्र 12 लाख करोड़ से 34 लाख करोड़ पहुंच गई है। इसी समय में भारत की जीडीपी 203 लाख करोड़ से 295 लाख करोड़ पहुंच गई और भारत का कर्ज इसी अवधि में जीडीपी के 52% से 98% तक यानि 56 लाख करोड़ से 208 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। जबकि विदेशी कर्ज 29 लाख करोड़ से 51 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इसी अवधि में निजी बैंको द्वारा दिया गया कुल कर्ज 62 लाख करोड़ से 141 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।

यानि कुल कर्ज (208 + 236 + 51 =) 495 लाख करोड़ तक पंहुच गया है। इसी समय विश्व की जीडीपी 79 ट्रिलियन डॉलर से 108 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची है। जबकि दुनिया की सरकारों का कुल कर्ज 300 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुका है। जबकि विश्व की कुल पेपर करंसी 30 ट्रिलियन डालर की ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि विश्व की सारी पेपर करंसी बैंकों को देने के बाद भी ना किसी देश का और ना ही विश्व का कर्ज चुकाना मुमकिन होगा। केंद्र सरकार की वार्षिक टैक्स की इनकम लगभग 30 लाख करोड़ रूपये है, जिसमें मात्र वार्षिक ब्याज 11 लाख करोड़ से अधिक है। यानि वार्षिक बजट का 18% केंद्र सरकार पांच साल तक टैक्स के सभी रुपये चुका कर भी यह कर्ज अदा नहीं कर सकती और ब्याज देने के लिए केंद्र सरकार को बैंकों से सलाना 17 लाख करोड़ का अधिक कर्ज लेना पड़ रहा है। यही हालात दुनिया के लगभग सभी देशों का है। अब प्रश्न यह है कि दुनिया के 800 करोड़ लोगों को 300 ट्रिलियन डॉलर का कर्जदार किसने और कैसे बनाया ? इस रहस्य को उद्घाटित करने के लिए घनश्याम वर्मा जी की पुस्तक "रुपया" मूल्य का मापक या शोषण का साधन' एक मील का पत्थर साबित होगी।

वर्माजी ने कल्पना, सिद्धांत, षड़यंत्र, आंकलन को एक तरफ रखकर केवल और केवल कानूनी दस्तावेज और कानूनों के माध्यम से रुपए का इतिहास और बैंकिंग के मायाजाल के रहस्य को प्रकट किया है। उनके इस भगीरथ प्रयास के लिए भारत की जनता सदैव ऋणी रहेगी।

संजीव शर्मा 'अर्थशास्त्री'

अहमदाबाद गुजरात (जेएसएम)

विधिक परामर्श हेतू
जनता सरकार मोर्चा के देशभक्त अधिवक्ताओं एवम् अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग हेतू कोटिश: आभार

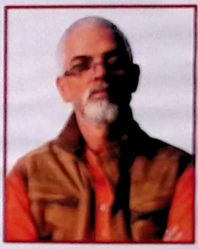

आचार्य अग्निव्रत (राजस्थान)

वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र, भीनमाल

वर्तमान में जो कागज के रुपये, जिसमें हम लेन-देन करते हैं, क्या वह वास्तव में हमारा धन है ? हमारा धन (रुपया) तो सोने और चांदी की मुद्रा के रूप में हुआ करता था। आज वह हमारी वास्तविक मुद्रा (धन) कहाँ है ? इसकी जानकारी कौन देगा ? सभी राजनैतिक दलों और अर्थशास्त्रियों को इसका उत्तर देना ही चाहिए।

अजय रायकवार

संयोजक ' आज़ाद भारत ', सागर (मध्य प्रदेश)

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वचन " मैं धारक को....... रुपया अदा करने का वचन देता हूं " इसकी मात्रा वचन पत्र बैंक नोट में स्पष्ट नहीं की है। जो धारक को देना है। अत: अस्पष्ट वचन पत्र बैंक नोट कानून के दृष्टिकोण से धारक को अंक छपे कागज के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। अत: अंग्रेजो की शोषण वादी चाल बैंक नोट आर्थिक गुलामी का दस्तावेज है।

विनोद चन्द्र प्रताप सिंह

संयोजक ' आजाद हिन्द मंच , अंबेडकर नगर (उत्तर प्रदेश)

यदि सोना की मानक मात्रा (परिमाण) मूल्य का मापक नहीं है तो करेंसी, बैंक नोट छापने का आधार क्या है। क्या वस्तुओं के आधार पर भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी, बैंक नोट छापती है ? क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूति में वस्तुओ को रखा है ? क्या यह संभव है ? सच कहूं तो यह असंभव है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूति सोना के रूप में रखा है न कि वस्तुओं के रूप में रखा है।

इसलिए करेंसी, बैंक नोट पर छपे रुपया का अंक सोना की मानक मात्रा (परिमाण) है।

अधिवक्ता - प्रकाश राज
(प्रमुख विधिक सलाहकार
जनता सरकार मोर्चा) सागर (मध्य प्रदेश)

प्रदीप कुमार रापड़िया
अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट एवं
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट
Former Law Officer - C.I.C. & N.I.A.

अल्प भाई पटेल
(अधिवक्ता, इलाहाबाद हाई कोर्ट)

राहुल तोमर
(अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट)

धर्मवीर फ़्रोर, अधिवक्ता
पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट

अभिषेक कुमार श्रीवास्तव
अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट

मनदीप सिंह
अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट
ऑफ़ इंडिया

आलेख वर्मा
अधिवक्ता इलाहाबाद
हाई कोर्ट

सुब्रत कुमार चौधरी
अधिवक्ता
ओड़िशा हाई कोर्ट कटक

सुमेर सिंह अधिवक्ता
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट

अभिषेक श्रीवास्तव
अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया

विकास सीसर (हिसार)
अधिवक्ता एवं भारतीय
किसान संघर्ष समिति (JSM)

जनता सरकार मोर्चा एवं अन्य संगठनों के सदस्यों का हृदय से आभार

प्रसाद चन्द्रशेखर घोरपडे
कोल्हापूर (महाराष्ट्र)

प्रशांत चक्रवर्ती कोलकाता
जनता सरकार मोर्चा पश्चिम बंगाल

नरेंद्र कुमार गुप्ता रायपुर
जागरूक जन छत्तीसगढ़ एवम
जनता सरकार मोर्चा

डॉ. सुसन राज (जेएसएम
Detox) VP - DFW
(Doctors Federation for World)

डॉ. जसप्रीत सिंह सुनाम
(संगरूर) जेएसएम
श्री राजीव दीक्षित जनसेवा संस्था

आकाश सामन्ता झारखंड (राँची)
जनता सरकार मोर्चा

हिमांशु पाठक (जालंधर)
सरबत फाउंडेशन

वीरेंद्र शिशोदिया (उत्तरप्रदेश)
जनता सरकार मोर्चा

दिवाकर आर्य (उड़ीसा)
जनता सरकार मोर्चा

अजय तोमर
जनता सरकार मोर्चा

कुलदीप डबास लाड़पुर
(दिल्ली) जनता सरकार मोर्चा

सुरेंद्र जागलान
पानीपत

नरेंद्र विद्यार्थी (जींद)
राजीव दीक्षित मंच हरियाणा

रवींद्र भारतीय (पानीपत)
जनता सरकार मोर्चा

सुरेंद्र पाल वर्मा (पटियाला)
जनता सरकार मोर्चा

मनदीप नथवान (फतेहाबाद JSM)
पगड़ी सम्भाल जट्टा

डॉ. सचिन चौधरी सहारनपुर
जनता सरकार मोर्चा उत्तरप्रदेश

वीरपाल (वीरा भगत सिंह) जेएसएम
Long Live Bhagat Singh
Palwa

एडवोकेट मोहित खटाना
जनता सरकार मोर्चा गुरुग्राम

अंकुश चौधरी (कुरुक्षेत्र)
जनता सरकार मोर्चा

सोमवीर कादियान (रोहतक)
जनता सरकार मोर्चा

गणेश पाल (गुरदासपुर)
जनता सरकार मोर्चा

सोनी भारतीय (करनाल)
जनता सरकार मोर्चा

रणबीर जॉन (सोनीपत)
जनता सरकार मोर्चा

डॉ. पूनम मान बल्हारा
जनता सरकार मोर्चा

ममता बड़ोदिया (राजस्थान)
जनता सरकार मोर्चा

स्वाति नरवाल (रोहतक)
जनता सरकार मोर्चा

अशोक कुमार (कैथल)
जनता सरकार मोर्चा

शुभम मान
जेएसएम ट्राइसिटी, चंडीगढ़

राकेश भारद्वाज (सोनीपत)
जनता सरकार मोर्चा

विजेंदर कादयान (जुलाना)
जनता सरकार मोर्चा

मनजीत अहलावत (डीघल)
जनता सरकार मोर्चा

अमित कुमार वर्मा
देवरिया (उत्तर प्रदेश)

अजय कुमार (यमुनानगर)
जनता सरकार मोर्चा

विश्वम्भर नाथ तिवारी
बहराइच (उत्तर प्रदेश)

अमरिंद्र गर्ग अंबाला
जनता सरकार मोर्चा

उद्‌घोषणा: सूची में आपका नाम ना आने का अर्थ ये कतई नहीं है कि आपके सहयोग को नजरअंदाज किया गया है। आशा है आप हमारी स्थिति और विवशता को समझेंगें

टिप्पणी

देवेंद्र बल्हारा 'निडर'

NIDER- National Integration for Democratic Education & Research

मूल रूप से करनाल के गाँव फफड़ाना (असंध) में जन्मे देवेंद्र बल्हारा एक शिक्षक हैं जिन्होंने एक विषय पर सर्वप्रथम काम किया कि परमात्मा ने हर बच्चे को विशेष बनाया है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए और हम उस विशिष्टता का पता लगाकर शत-प्रतिशत रोजगार देने वाली शिक्षा व्यवस्था बना सकते हैं जिसमें अपराध, गला-काट प्रतियोगिता, डिप्रेशन तथा बीमारियों के लिए कोई स्थान ही ना हो। इस मिशन के चलते 2012 में अपनी अध्यापक की सरकारी नौकरी को त्याग कर अपने शोध की सत्यता परखने के उद्देश से कोचिंग देनी आरंभ की। कोचिंग सेंटर किसी भी देश के लिए कोढ़ के समान हैं, ऐसा जानने के बाद 2016 में अपना सेंटर बंद करके सबको रोजगार देने वाली शिक्षा व्यवस्था के लिए गाँव-गाँव जाकर जन-जागृति का कार्य आरंभ किया। इसी क्रम में New World Order जैसे वैश्विक षड़यंत्रों, जबरन वैक्सिनेशन, मास्क और लॉकडाउन के सार्वजनिक विरोध के कारण 3 जनवरी, 2022 को जेल हुई। जेल से निकलने के बाद भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने के उद्देश्य से 24 जनवरी, 2022 को जनता सरकार मोर्चा बनाया और लोगों को गाँव आधारित कुदरती बंधारण वाली व्यवस्था के लिए जागृत कर जोड़ना आरंभ किया। इसी कड़ी में बल्हारा को वर्मा जी की मदद से भारत की संप्रभुता "भारतीय रुपया" के कूटकरण से देश के हर नागरिक के साथ की जा रही लूट का पता चला तो आरबीआई तथा बैंकों द्वारा सरकार/पुलिस/प्रशासन की सहायता से देश के लोगों के साथ किए जा रहे धोखे का भांडाफोड़ करने हेतु देशभर में कर्जमुक्त अभियान शुरु किया। संपूर्ण भारत के हर कर्जदार की मुक्ति के उद्देश्य से चलाए जा रहे "कर्जमुक्त भारत" अभियान में एक कड़ी है ये किताब जो आप की अगली पीढ़ियों की आर्थिक आजादी के लिए देश को समर्पित है। इस किताब के बाद देवेंद्र बल्हारा "Parenting and Education" पर एक किताब लिख रहे हैं जिसका प्रकाशन भी शीघ्र होने की संभावना है। 2025 से भारतीयता के आधार पर एक "शिष्यकुल" की स्थापना भी प्रस्तावित है जिसमें प्रत्येक गाँव से 2 बच्चों को जीवन और समाज के लिए तैयार किया जाएगा और जिनकी शिक्षा समाप्ति के बाद उनके रोजगार का दायित्व भी विद्यालय का ही होगा।

SAPTRISHI PUBLICATION
www.saptrishipublication.com
M. 77174-65715, 94638-36591

ISBN
9 788197 890871
₹4995.00